खण्ड-340, अंक-10
मंगलवार, 22 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(12 जून, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 340 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..1275–1278
प्रश्नोत्तर	..1279–1340
ग्राम नेरा मजरा लोन्हारा, तहसील संडीला, जिला हरदोई में हो रही चकबन्दी म अनियमितताओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1341
कानपुर में तस्करी द्वारा चावल चीन व बंगला देश को भेजे जाने के विषय को नियम 301 के अन्तगत सदन के संज्ञान में लाना ..	1341
बस्ती जिले के टूटी भोटी गांव के श्री उमाशंकर पान्डेय आदि कथित गुण्डों द्वारा आतंक के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1342
हरदोई जिले के विकास खंड माधोगंज व मल्लांवा की सहकारी समिति में घपला एवं वसूलयावी में कड़ाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1343
डी० ए० वी० डिग्री कालेज, कृष्णा देवी डिग्री कालेज तथा मुमताज डिग्री कालेज म अनियमितताओ के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1343
बुढ़वल शुगर मिल, बाराबंकी में कर्मचारियों को वेतन न मिलने तथा उनके हिसाब में गड़बड़ी किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	..1344–1345
मिर्जापुर जिले के गोपालपुर फार्म की भूमि की अनियमित नीलामी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	..1345–1346
लखनऊ में शक्ति भवन के सामने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के धरने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..1346–1347
मथुरा जनपद में सिंचाई विभाग द्वारा अध्याप्ति भूमि का मुआवजा मिलने में कठिनाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1347
लखनऊ में चल रहे वैश्यालयों से उत्पन्न स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	..1347–1348
मथुरा जिले के कतिपय गेहूं क्रय-केन्द्रों पर भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1348
जनपद आगरा के प्रकाश ग्लास वर्कस, टून्डला को आवंटित कोयला ब्लैक में बेच दिये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1349

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सप्तम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1978-79) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	1349
कृषि मंत्री, श्री शिव मंगल सिंह व परियोजनाधिकारी (कृषि), बस्ती, श्री लेख राज सिंह के विरुद्ध उठायी गई विशेषाधिकार की अवहेलना पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	1349-1350
कानपुर में पुलिस चौकी, जाजमऊ के सब इन्सपेक्टर तथा पुलिस द्वारा पिटाई के कारण एक व्यक्ति की हुई मृत्यु, तथा क्रुद्ध भीड़ द्वारा पुलिस चौकी फूकने एवं आधा दर्जन पुलिसजनों के घायल होने आदि के सम्बन्ध में वक्तव्य	1350-1352
1979-80 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या 6--संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं बिक्री कर), अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या 13--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर), अनुदान संख्या 14--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 22--संस्थागत वित्त विभाग, अनुदान संख्या 25--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 32--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या 33--वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या 94--संस्थागत वित्त विभाग--पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128--वित्त विभाग--ऋण और अग्रिम...(जारी) ..	1352-1387
विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी, श्री रमेश चन्द्र गुप्ता को पुलिस वायरलेस गाड़ी के सिपाहियों द्वारा पीटे जाने की सूचना ..	1387-1388
1979-80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या 6--संस्थागत वित्त विभाग (वृतिकर एवं बिक्री कर), अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या 13--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर), अनुदान संख्या 14--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य-व्यय), अनुदान संख्या 22--संस्थागत वित्त विभाग, अनुदान संख्या 25--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 32--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या 33--वित्त विभाग (राज लाटरी), अनुदान संख्या 94--संस्थागत वित्त विभाग--पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128--वित्त विभाग--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	1388-1410
अनुदान संख्या 1--राज्य विधान मन्डल--(स्वीकृत) ..	1411
अनुदान संख्या 44--आवास एवं नगर भूमि विभाग (स्वीकृत) ..	1411
अनुदान संख्या 49--सहायता और पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत) ..	1411
अनुदान संख्या 88--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	1412

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 114—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) .	1422
अनुदान संख्या 116—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग—ऋण और अग्रिम....(स्वीकृत)	..1412–1413
अनुदान संख्या 20—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	1413
अनुदान संख्या 23—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग...(स्वीकृत) ..	1413
अनुदान संख्या 36—स्पोर्ट्स विभाग....(स्वीकृत)	..1413–1414
अनुदान संख्या 37—सांस्कृतिक कार्य विभाग....(स्वीकृत) ..	1414
अनुदान संख्या 120—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	1414
अनुदान संख्या 31—नागरिक सुरक्षा विभाग..(स्वीकृत) ..	1415
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979..(पारित) ..	..1415–1432
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1432
जिला लखीमपुर-खीरी के अन्तर्गत ग्राम छोला में हरिजनों पर हो रहे अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..1432–1440
कानपुर नगर महापालिका द्वारा हाता प्रकाश योजना के अन्तर्गत बिजली के खम्भे एवं बत्ती लगाने में घपले बाजी की शिकायत के सम्बन्ध में दिनांक 31 मई, 1979 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ..	..1440–1443
उत्तर प्रदेश आमोद और प्रणकर विधेयक, 1979 (पारित) ..	1443–1466
नत्थियां	..1467–1478

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 12 जून, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—339

अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पान्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
किशन लाल बिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आरिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ गजेबाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुल्लेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, एडवोकेट, श्री

चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेवा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पान्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
श्यामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
नौनिहाल सिंह, चौधरी
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
प्रेमवती, श्रीमती
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बब्बे भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द" श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल "सरोज" श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री

बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निमोही,' श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरेशी, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव,' श्री
रणवीर सिंह, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बजराज सिंह, श्री
राज मंगल पान्डेय, श्री
राजन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामगति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री

राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लखी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पान्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखपाल पान्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरीं सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट :--हरिजन एवं समाज-कल्याण मंत्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थी ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 12 जून, 1979

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपदों के मुख्यालयों पर प्रदर्शन तथा दिया गया ज्ञापन व मांगें

**1--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में बरेली, सीतापुर, गोंडा, हरदोई, बहराइच जिलों के मुख्यालयों पर जिलाधिकारी के समक्ष मई, 1979 में कोई प्रदर्शन किया गया तथा कोई ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं तथा शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

पूछा गया प्रश्न पांच जनपदों में किये गये प्रदर्शन, दिये गये ज्ञापनों, ज्ञापनों में उल्लिखित मांगों तथा उन मांगों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित है । मांगें शासन के बहुत से विभागों से सम्बन्धित भी हो सकती हैं । स्पष्टतया प्रश्न अधिक विस्तीर्ण है जिसके उत्तर में लगने वाले समय और श्रम की तुलना में लाभ की सम्भावना कम है ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से माननीय कौशिक जी ने उत्तर दिया है । मैं जानना चाहूंगा कि आपने उत्तर में लिखा है कि प्रश्न के उत्तर में जितना समय और श्रम लगेगा उससे लाभ की सम्भावना कम है । मान्यवर, कुछ दिन पूर्व मैंने ऐसा ही प्रश्न किया था कि डेढ़ वर्ष के अन्दर कौन-कौन से माननीय मंत्री यू० पी० निवास दिल्ली में ठहरे और कितना भत्ता उन्होंने प्राप्त किया और कितना सरकार ने उन पर व्यय किया । इस सम्बन्ध में भी यही उत्तर दिया गया कि सूचना एकत्र करने में जितना श्रम और समय लगेगा उसकी अपेक्षा लाभ की संभावना कम है । तो मान्यवर, लाभ तो जनहित में होता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनता युवा मोर्चा, जो जनता पार्टी से सम्बद्ध युवा संगठन है, जनता पार्टी की नीतियों, जनता पार्टी के कार्यक्रमों और सिद्धांतों तथा आदर्शों के अनुरूप जनता पार्टी ने जो घोषणायें की थीं उसके मुताबिक युवा मोर्चा ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किये और जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि युवा मोर्चे ने जो ज्ञापन दिये हैं उनमें माननीय मंत्री जी से सम्बद्ध कौन-कौन से कार्यक्रम हैं जिनकी उन्होंने मांग की है--जैसे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ?

श्री उपाध्यक्ष--

कौन से विभाग से आपका मतलब है ? क्या आपका मतलब स्वास्थ्य विभाग से है ?

श्री बाबू लाल वर्मा--

माननीय मुख्य मंत्री जी के पास 22 विभाग हैं किसी एक विभाग के बारे में बता दें कि जिलाधिकारियों को जो युवा मोर्चा ने प्रतिवेदन दिया है उसमें कौन-कौन सी मांगें हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

किसी एक विभाग के बारे में पूछिये ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

माननीय मुख्य मंत्री जी के पास 22 विभाग हैं उसमें किसी के बारे में जो प्रतिवेदन दिया है उसमें कौन-कौन सी मांगे हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो जनता युवा मोर्चा को सम्बद्ध किया है वह सही नहीं है । दूसरी बात मान्यवर, ज्ञापन मिलते रहते हैं । 10 आदमी कहीं पर इकट्ठा हो गये और ज्ञापन दे दिया । बहुत सी मांगें ऐसी होती रहती हैं तो उन पर क्या कार्यवाही होती है यह बताना सम्भव नहीं है । जो इन 5 जिलों की बातें हैं अगर किसी एक विशेष जगह की बात होती या किसी एक विशेष तारीख को प्रदर्शन हुआ होता तो उसके सम्बन्ध में पूछते तो बताना आसान होता । यह पूरे साल का पूछते हैं ।

(सदन से बिजली चली गई)

(बिजली आने पर)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

इस प्रश्न पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि ....।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

यह शून्यकाल में आ सकता है, इस समय नहीं।

श्री श्यामधर मिश्र--

अब तक तो आपके सामने यह बातें आई थीं कि इसमें गोपनीयता की बात है लेकिन अब यह एक नई चीज आ गयी है। मान्यवर, आपने इस प्रश्न की आज्ञा मंत्री जी को दिया और स्वीकृति दे दिया और अब मंत्री जी यह बता रहे हैं कि 5 जिलों में मई, 1979 में जनता युवा मोर्चा ने जो प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया, वह उसके संबंध में कुछ नहीं बता सकते हैं और क्या कार्यवाही हुई यह भी नहीं बता सकते हैं। तो यह क्यों नहीं बता सकते हैं ? क्या आपकी स्वीकृति के बाद इनको अधिकार है कि इस प्रकार का जवाब दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न तो कुछ है नहीं, लेकिन यह प्रश्न जो स्वीकार किया है, इस तरह का हमेशा स्वीकार होता है । इसमें ऐसा उत्तर नहीं आ सकता है, यह विस्तीर्ण जरूर है। मुख्य मंत्री को सूचना नहीं आई थी, तो वह मंगवा सकते थे, लेकिन आपने जो यह कहा प्रश्न अधिक विस्तीर्ण है जिसके उत्तर में लगने वाले समय और श्रम की तुलना में लाभ की सम्भावना कम है, इस तरह का उत्तर नहीं आना चाहिए।

श्री रमाशंकर कौशिक--

इस प्रकार के उत्तर दिये जाते हैं। यह प्रश्न भी पहले उठा था, जिसमें यह कहा था कि इस प्रकार के उत्तर आ सकते हैं या नहीं। आप स्वयं जानते

हैं कि जनहित में बताना उचित नहीं होगा आता रहता है तो जनहित शब्द व्यापक होता है और उसकी व्यापकता में य शब्द इस्तेमाल होते ह और हो सकते हैं कि उत्तर में लगने वाले समय और श्रम की तुलना में लाभ की सम्भावना कम है। इसमें पहले भी इस बात का निर्णय हो चुका है, प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार के आ सकते हैं। आप पिछली कार्यवाही देखने का कष्ट करें, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस संबंध में देखें, 2 सितम्बर, 1958, को श्री नारायण दत्त तिवारी ने एक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि मंत्री लोग इस प्रकार का जवाब दें कि अमुक प्रश्न का उत्तर देना समय और श्रम या खर्चे के अनुकूल नहीं है। वह केवल यही कह सकते हैं कि हम जवाब देना पब्लिक इन्टरेस्ट में उचित नहीं समझते। इसके अलावा जब आप सवाल स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें उत्तर देना लाजिमी हो जाता है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार का उत्तर कि 'समय या खर्च या श्रम अधिक लगेगा' जो समय-समय पर दिया जाता है, कहां तक पार्लियमेंटरी पद्धति के अनुकूल है? मैंने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस भी देखी है, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है?

इस पर माननीय अध्यक्ष ने अपनी निम्न व्यवस्था दी है मैं 10-12 साल से देख रहा हूं कि यहां उत्तर देने की यही प्रथा रही है, चाहे यह कहीं और हो या न हो यह कोई अनुचित भी नहीं ह, इतना ही उत्तर देने से कि उत्तर देना सार्वजनिक हित में नहीं ह, बहुत से लोगों को तसल्ली नहीं होती, इस कारण उत्तर में कहा जाता है कि क्या बात सार्वजनिक हित में नहीं है। इसलिए यह बताते हैं कि इतना खर्चा और मेहनत उत्तर देने में करना सार्वजनिक हित में नहीं ह।

श्री बाबूलाल वर्मा—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान मूल प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर कोई प्रतिवेदन मिला है, तो मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं? प्रतिवेदन मंत्री जी के पास होगा, बरेली और बहराइच का बता दें?

श्री उपाध्यक्ष—

हर जगह की अलग-अलग हो सकती है। आप ऐसा कीजिए, अलग प्रश्न इसके बारे में अगर आप चाहते हैं, तो करलें।

श्री बाबूलाल वर्मा—

मूल प्रश्न में लिखा हुआ है। सब जिले छोड़कर बहराइच का बता दें?

श्री रमाशंकर कौशिक—

सूचना एकत्र करके दे दी जायगी।

मंत्रि परिषद् के सदस्यों द्वारा विधायक निवास पर अध्यासन

**2—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान मन्त्रि-परिषद् के कुछ सदस्यों ने बंगला आवंटित होने के उपरान्त भी अपना विधायक निवास का फ्लैट खाली नहीं किया है जिससे ऐसे फ्लैट्स की आवश्यकता अनिवार्य होने पर भी विधायकों को नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन मन्त्री ह? उनसे फ्लैट्स खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जी हां। वर्तमान मंत्रि परिषद् के 5 सदस्यों ने बंगला अध्यासित करने के उपरान्त अपने विधायक निवासों के कक्षों का कब्जा सम्बन्धित मैनेजर को नहीं दिया है। इनके अतिरिक्त एक सदस्य ने अपने आवंटित बंगले का अध्यासन अभी तक न करने के कारण अपना विधायक निवास का कक्ष रिक्त नहीं किया है। दो सदस्यों को यद्यपि बंगले आवंटित हो गये हैं परन्तु उन्हें उनका कब्जा नहीं मिल पाया है। अतः अभी उनके द्वारा अपने विधायक निवासों के कक्षों को रिक्त करने का प्रश्न नहीं उठता। सूची संलग्न है। ऐसे मंत्रीगण से जिन्होंने अपने बंगलों का अध्यासन ले लिया है उनसे कक्ष रिक्त करने का अनुरोध किया जा चुका है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1467 पर)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन पांच मंत्रियों को बंगला मिल गया है और उन्होंन विधायक-निवास खाली नहीं किया है, उनसे अनुरोध कब-कब किया गया है और इस अनुरोध पर अगर नहीं छोड़ते हैं तो क्या सरकार उनके खिलाफ बल प्रयोग करने का विचार कर रही है?

श्री रमाशंकर कौशिक—

अनुरोध अलग-अलग तारीखों में किया गया है। वैसे मार्च के महीने में निश्चित रूप से सभी से अनुरोध किया जा चुका है, कि आप अपना बंगला ले चुके हैं, लिहाजा विधायक निवास कक्ष को खाली कर दें।

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से ऐसा मालूम हुआ कि दो मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने मंत्रियों का निवास ले लिया है लेकिन अपने विधायक निवास के कक्ष को खाली नहीं किया है और उनसे अनुरोध किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तारीख से अपने मंत्री वाले निवास में चले गये हैं उसके बाद जहां तक विधायक-निवास का कक्ष खाली नहीं किया है, उनसे इस पेनल रेंट चार्ज करगे या केवल अनुरोध के आधार पर सालों तक ले जायेंगे?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, उनसे फिर अनुरोध किया जा रहा है और आशा है कि वह शीघ्र ही उनको खाली कर देंगे।

श्री नेमसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह इस प्रकार का प्रश्न पहले भी उठ चुका है। बहुत से ऐसे कक्ष हैं जिनके लिए न्यायालय से भी आदेश हो चुके हैं, लेकिन वह माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं खाली करा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनसे उन्होंने साठगांठ कर रखी है। मैं भी बीसों बार मिला।

श्री उपाध्यक्ष—

साठ–गांठ कहना अनुचित है।

श्री नेमसिंह चौहान—

जो अनियमित रूप से रह रहे हैं या अनधिकार कब्जा है, उनको आज ही हटा देंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

माननीय सदस्य का प्रश्न अदालत वाला इससे सम्बन्धित नहीं है। ऐसा विधायक–निवास का कोई कक्ष नहीं है जिसके सम्बन्ध में अदालत का फैसला हुआ हो। जहां तक विधायक कक्ष का सवाल है और उनके आवंटन का सवाल है, तो जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी विधायकों को कक्षों का आबंटन है। कुछ माननीय सदस्य कमरे बदलना चाहते हैं। कुछ माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जिन कक्षों में मंत्रि परिषद् के लोग रहते थे वे कक्ष उनको एलाट कर दिए जायं।

श्री नेमसिंह चौहान—

मंत्री जी ने यह सूचना गलत दी है। रायल होटल के कक्ष नं० 4 एलाट हुआ, बदायूं के माननीय सदस्य को एलाट हुआ लेकिन उसमें भूतपूर्व परिवहन मंत्री के पुत्र अनियमित रूप से रह रहे हैं और एक वर्ष से उनका कब्जा है। या तो मंत्री जी की उनसे कोई साठगांठ है, जो उसे वह खाली नहीं करवाते हैं। उसमें परिवहन मंत्री के पुत्र अनियमित रूप से रह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप तो अधिष्ठाता हैं और जानते हैं।

श्री नेमसिंह चौहान—

उनको निकलवाना नहीं चाहते हैं। या तो उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं या साठगांठ है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, जो नए विधायक चुन कर आये हैं उनको अगर कक्ष नहीं एलाट किया जाता है तो उनको किराया सरकार देगी। जिन मंत्रियों ने दारुलशफा खाली नहीं किया है तो उस दौरान का किराया, पेनल इन्टरेस्ट लेने का विचार सरकार का है अथवा नहीं जब तक जिनको कक्ष नहीं मिलता है उनको सरकार की ओर से किराया दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका तो आप जवाब दे चुके हैं। साफ तौर से बता दीजिये अभी तो आपने अनुरोध की बात कही थी। यह साफ करवाना चाहते हैं कि जितने दिनों से वह खाली नहीं कर रहे हैं उसका किराया लेंगे अथवा नहीं।

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर कोई बंगला खाली नहीं करता है तो 15 दिन का इतना लिया जायेगा और एक महीने का इतना लिया जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मंत्री जी सदन को असत्य जानकारी दे रहे हैं। उनको नियमों की जानकारी नहीं है। यह नियम ह। मंत्री जी बिना पढ़े हुए आए हैं।

श्री रमाशंकर कौशिक—

अभी तो कोई ऐसा नियम नहीं है। जहां तक पेनाल्टी का सवाल है उसके बारे में कोई नियम नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, नियम है।

तथ्यों के विपरीत बात की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने उसको देखा नहीं है। नियम है।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री रमाशंकर कौशिक—

9 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाता है। मेरी कोई मन्शा सदन को गुमराह करने की नहीं थी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं जानता हूं कि 77 के चुनाव में एक महीने के लिए कक्ष नहीं मैंने छोड़ा था और 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से स्टेट डिपार्टमेंट ने किराया ले लिया था और मुझे 300 रुपया देना पड़ा। कुछ का 10 रुपये है कुछ का 12 रुपये और कुछ का 15 रुपये है और मंत्री जी कहते हैं कि नियम नहीं है। मंत्री जी को जानकारी नहीं है। हमारी जो आखिरी सेलेरी थी, उससे काट लिया गया था। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करेंगे और इस नियम को लागू करने की कृपा करेंगे?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं ....

श्री शतरुद्र प्रकाश—

खेद व्यक्त कीजिए?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, मेरी जानकारी गलत थी और अब जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार यह 9 रुपये प्रतिदिन है। ऊदल जी जो कह रहे हैं, उसके बारे में मैं पता लगा लूंगा।

भाषा विभाग के समस्त अनुभागों में कार्यरत अनुवादकों की पदोन्नति

**3—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के भाषा विभाग के समस्त अनुभागों में कार्यरत अनुवादकों को ज्येष्ठता के आधार पर अनुभाग अधिकारी एवं भाषा अधिकारी के पद पर प्रोन्नति किया जाता रहा है? यदि हां, तो भाषा (उर्दू) अनुभाग में, भाषा अधिकारी के पद पर जो कि पिछले लगभग 3 मास से रिक्त है, मैं समान नीति अपनाते हुए अब तक प्रोन्नति न किए जाने का क्या कारण है?

श्री रमाशंकर कौशिक—

भाषा (उर्दू) अनुभाग में भाषा अधिकारी के पद पर नियुक्ति विषयक प्रकरण सम्प्रति शासन के विचाराधीन है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, प्रश्न कुछ और था और उत्तर कुछ और आया है। मेरा प्रश्न यह था कि लगभग 3 मास से यह स्थान रिक्त है और अब तक इस स्थान पर प्रोन्नति न किए जाने का कारण क्या है। जवाब यह मिलता है कि भाषा (उर्दु) अनुभाग में भाषा अधिकारी के पद पर नियुक्ति विषयक प्रकरण सम्प्रति शासन के विचाराधीन है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक प्रोन्नति न किए जाने के क्या कारण हैं और दूसरी बात यह है कि यह प्रकरण शासन के कब तक विचाराधीन रहेगा?

श्री रमा शंकर कौशिक—

वर्ष 1967–68 में सहायक अधीक्षक का पद था, 1971–72 में विशेष कार्याधिकारी का पद हुआ और 1977–78 में भाषा अधिकारी का पद घोषित हुआ और यह ही एक स्थान ह। पिछली कोई परम्परा नही है कि किस आधार पर इसको भरा जाय। माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार की राय दी हैं, अलग–अलग राय दी हैं। इस पद पर जो व्यक्ति थे, उनको रिटायर हुए 3 महीने हो गये हैं लेकिन पहले यह समस्या नहीं थी। श्री सिद्दीकी 28 फरवरी को रिटायर हुए हैं। वे पहले सहायक अधीक्षक के पद पर थे, फिर विशेष कार्याधिकारी के पद पर रहे और बाद में भाषा अधिकारी के पद पर थे। तो जैसा मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की राय अलग–अलग थी। किसी ने कहा कि सचिवालय में बहुत से लोग इस योग्यता के हैं, उनमें से ले लिया जाय, किसी ने कहा कि परीक्षा कराकर योग्य व्यक्ति को लिया जाय। तो इन सब पर विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितना और समय इस पद को भरने के लिए लग जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

एक माह में हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पी० सी० एस० की परीक्षाफलों में चयन का आधार

*1—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1977 और 1978 में उत्तीर्ण पी० सी० एस० की परीक्षाफलों में सामान्य योग्यता में में चयन किये गये अन्तिम अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किये हुये पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है ? यदि हाँ, तो क्यों ? और उपरोक्त परीक्षा में घोषित कुल संख्या में हरिजन और पिछड़ी जाति की संख्या और प्रतिशत अलग-अलग क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं । वर्ष 1977 की सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा को आधार पर पी० सी० एस० के परीक्षाफल में सामान्य अभ्यर्थियों से अधिक अंक पाने वाला पिछड़े वर्ग का कोई अभ्यर्थी ऐसा नहीं है जिसका लोक सेवा आयोग द्वारा चयन न किया गया हो । इस परीक्षा में घोषित कुल अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की संख्या और प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

परीक्षा का नाम	सफल घोषित अभ्यर्थियों की संख्या			सफल घोषित अभ्यर्थियों का प्रतिशत	
	कुल अभ्यर्थी	अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी	पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी	अनुसूचित जातीय अभ्यर्थी	पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी
पी० सी० एस०	60	11	9	18	15

वर्ष 1978 की सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा का परीक्षाफल अभी अयोग द्वारा घोषित नहीं किया गया है, अतः इस परीक्षा के सम्बन्ध में कोई सूचना देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो चयन होता है, उस चयन में आधार जो है, योग्यता है, यदि योग्यता है, तो समान्य में चुने गये अभ्यर्थी का अंक क्या है ? जो आरक्षित में चुने जाने से छूट गये हैं, उनमें से पहले व्यक्ति का अंक क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, समान्य अभ्यर्थी का अंतिम 548 और पिछड़े वर्ग का अंतिम 523 ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, अंतिम नहीं पूछा है । जो लोग छूट गये हैं, उनमे से पहले क्रम पर जो व्यक्ति है उसका अंक क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, 523 ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, जो अभ्यर्थी सामान्य सूची में चुने गये, उनमे से जो अंतिम अभ्यर्थी था, उसका अंक जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है 548, उसी प्रकार से आरक्षित लोगों में से जो लोग चुने गये और चुने जाने से जो रह गय हैं उनम के पहले अभ्यर्थी का क्या अंक है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य की आशंका हैं कि जो छूट है, वह सामान्य जो अभ्यर्थी थे, उसके अंतिम से ज्यादा है, उसके लिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि वह 548 है और जो छूट है, पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी 523 प्राप्त किया है । जो अंतिम अनुसूचित जाति में छूट है वह 467 से कम है, क्योंकि अंतिम चुना जाने वाला अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति के हैं, उसने 467 प्राप्त किया है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस परीक्षा में जो आरक्षण की सीट हैं और जो पछिड़े वर्ग के लोग समान योग्यता में आते हैं, उनकी भी गणना आरक्षण की सीट में कर दी जाती है? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो इसका आधार क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यबर, उसमें तो पहले से ही निर्णय है कि दोनों जगह फायदा उसको नहीं मिलेगा । इसी आशय से 30 सितम्बर, 1965 का जो शासन का आदेश है कि सरकार को अभी हाल ही में इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ कि क्या योग्यता के आधार पर चुने गये अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की गणना आरक्षित रिक्ति के प्रति की जाय अथवा न की जाय । उक्त मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निश्चय किया गया कि अनुसूचित जाति के ऐसे अभ्यर्थियों की गणना भी जिनका चुनाव योग्यता के आधार पर किया गया है उनके लिए आरक्षित कोटा के प्रति की जानी चाहिए ।

श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)--

मान्यवर, यह जो प्रश्न किया गया है, इस प्रश्न के पीछे उद्देश्य यह है कि पिछड़ी जाति के जो अभ्यर्थी लिये जाने हैं जैसा कि आरक्षण के संबंध में जी0 ओ0 है कि 15 प्रतिशत अभ्यर्थी लिये जाएंगे, तो प्रश्न पूछने का आशय यह है कि 100 में 15 प्रतिशत जो पिछड़ी जाति के हैं, ले लिये जायेंगे, लेकिन 16 वें नम्बर पर जो सामान्य अभ्यर्थी से ऊपर है, वह उससे अधिक नम्बर प्राप्त करने के बावजूद भी नहीं लिया गया यानी जो 15 प्रतिशत के बाद का लड़का है, 16 वां, मेरा मतलब यह है कि उन लड़कों के नम्बर सामान्य अभ्यर्थियों से ज्यादा है, लिहाजा मैं उन लड़कों का नम्बर जानना चाहता हूं ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, इसमें तो बात बिलकुल स्पष्ट है । सामान्य अभ्यर्थी से अगर किसी अनुसूचित जाति के या पिछड़ी जाति के लड़के का नम्बर कम है, तो 18 फीसदी 15 फिसदी की वह सीमा नहीं है और अगर उससे ज्यादा आते हैं, तो वह बात अलग है ।

श्री नरेश चन्द्र--

9 लड़के जो लिये गये, बैक वर्ड के, इसके बाद जो 10 वां लड़का है, बैक वर्ड का, उसके क्या नम्बर है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, मैंने बताया कि 523 से कम है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जी0 ओ0 का हवाला दिया है । क्या आरक्षण के कोटे के माने यह है कि जो निर्धारित अंकों से कम लाते हैं उनके लिए निर्धारित कोटा है । क्या माननीय मंत्री जो इस पर विचार करते हुये इस तरह से अपने जी ओ0 में संशोधन करेगें कि 10 प्रतिशत का आरक्षण उन लोगों को दिया जाये जो निर्धारित अंकों से कम प्राप्त करते हैं और दूसरे यह कि पी0 एल0 शर्मा जो बढ़ई है जाति का, क्या इसको निर्धारित अंकों से, जिसको आपने लिया है सामान्य जाति वाले को, उससे ज्यादा अंक मिले है ?

श्री राम शंकर कौशिक--

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सवाल है । बिश्चित रूप से शासन के विचाराधीन एसा कोई मामला नहीं है । जहां तक माननीय सदस्य ने जिज्ञासा व्यक्त की है प्रथम प्यारे लाल शर्मा के 587 नंबर हैं । प्रथय अभ्यर्थी जो सामान्य का है । उसके 600 हैं ।

श्री देव कुमार(जिला बांदा)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आरक्षण का सिद्धान्त मंत्रि परिषद् के गठन में भी लागू करेगें । अगर वह कोटा कम है तो उसको पूरा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत नहीं देता ।

लैंसडाउन वन प्रभाग, जिला गढ़वाल में अग्नि दुर्घटना

*2--श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या वन मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि लैंसडाउन वन खंड, जिला गढ़वाल में साढ़े पाँच किलोमीटर क्षेत्र में भीषण आग लगने से इस क्षेत्र के रहने वाले लोग विगत मई के दूसरे सप्ताह से आग की चपेट से पीड़ित हैं और काफी कीमती इमारती लकड़ी जल गई है ? यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं तथा तत्काल क्या सहायता की गई ?

वन मन्त्री (श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन)--

लैंसडाउन वन प्रभाग में माह मई, 79 में 13 अग्नि दुर्घटनायें हुईं, जिससे 916 हैक्टर वन क्षेत्र अग्नि से प्रभावित हुआ । वनों के अग्नि के इस क्षेत्र में रहने वाले लोग किसी प्रकार प्रभावित नहीं हुये हैं । इस दुर्घटना से निम्न प्रकार से क्षति हुई है :--

(1) श्री चण्डी प्रसाद कुकरेती, ठेकेदार लाट संख्या 13/78-79 का 2 ट्रक सोख्ता अनुमानित मूल्य रु0 2000/ का जला है ।

(2) लीसा टिपान क्षेत्रों में 1200 लीसा गमले जले जिसमें लगभग 70 किलो लीसा था । इन 1200 लीसा घावों एवं गमलों के जलने से विभाग को अनुमानित रु0 900 की क्षति हुई है ।

(3) इन अग्नि दुर्घटनाओं से कोई इमारती लकड़ी नहीं जली है । केवल घासफूस तथा जंगलों में गिरा पड़ा अनुमानित 260 क्विन्टल सोख्ता अनुमानित मूल्य रु0 2600 का जला है ।

उक्त क्षेत्र में रहने वाले लोग अग्नि की चपेट में नहीं थे । इसलिए उनको सहायता का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 13 जो दुर्घटनायें हुई हैं और 916 हैक्टेयर में हुई है तो इन अग्निकाण्डों का सिलसिला कितने दिनों तक चलता रहा, नम्बर एक ? नंबर दो, इस 916 हेक्टेयर में कितने आदमी रह रहे हैं आजकल और कितने आदमी रहते थे ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन--

मान्यवर, जिन क्षेत्रों में आग लगी वह केवल वन थे गांव उससे लगभग 1 कि0 मी0 दूर हैं । मैं बता चुका हूं कि किसी आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ । और यह जो आपने पूछा है कि कब से आग लगने का सिलसिला जारी हुआ तो छोटी-छोटी आग कहीं लगती रही । पहली 3 मई को लगी जिसको उसी दिन बुझा दिया गया । फिर 7 मई को 4 जगहों पर आग लगी जिसको 9 मई तक बुझा दिया गया । 23 मई तक की रिपोर्ट है कि इस तरह की छुट-पुट आग लगती रही और यह नुकसान हुआ ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे आपने, फरमाया कि यह आग लगती रही, तो इस आग लगन का कारण क्या था, क्या उसकी जांच करायी है ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन--

माननीय, इसकी जांच हम करा रहें हैं । वैसे हमारे विभाग के अधिकारियों का विचार है कि सिगरेट या बीड़ी लोग फेंक देते हैं, वन रास्ते के करीब होते हैं उससे आग लग जाती है, इस मौसम में । यह हमेशा से लगती रही है और इस बार भी लगी ।

श्री राम दत्त जोशी--

माननीय, जब बांस आपस में टकराते हैं तो क्या उससे भी आग लग जाती है ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन--

जी हां, उससे भी लग सकती है । लेकिन उसमें पहले क्राउन जलता है । लेकिन इसमे क्राउन नही जला है नीचे का जला है । इसलिये नहीं कहा जा सकता है कि यह रगड़ से आग बनकर लगी ।

*3--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरि केवल प्रसाद, श्री रवीन्द्र सिंह, श्री दुक्खी प्रसाद तथा श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

[5 वें शुक्रवार मे तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अर्न्तगत स्थानाग्तरित]

साकेत डिग्री कालेज में छात्र संघ के चुनाव के समय देशी कट्टो सहित गिरफ्तार छात्र

*4--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी छात्र (जिला फैजाबाद), श्री रामरतन सिह (जिल सीतापुर), श्री गनेशीलाल चौधरी, श्री लाल दास (जिला सीतापुर) तथा श्री जय शंकर पाण्डेय, (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में साकेत डिग्री कालेज छात्र संघ के चुनाव के समय दिनांक 3 मई, 1979 को कुछ छात्रों को पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों ने मौके पर ही देशी कट्टों पिस्तौलों तथा अन्य आग्नेय हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था और बाद में बिना किसी कार्यवाही के उन्हें छोड़ दिया गया ? क्या यह भी सही है कि उसी कालेज के सामने दिनांक 14 या 15 मई, 1979 को कुछ लड़कों ने खुलकर देशी बमों का प्रयोग किया जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हुए लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तरी नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ? पूर्ण घटनायें क्या ह ? क्या यह सही है कि पिछले दो महीनों में इस कालेज के छात्रों द्वारा बसों व ट्रकों को रोक कर नुकसान पहुंचाने व आग लगाने व तोड़फोड़ तथा अशिष्ट व्यवहार की अनेकों घटनाय घटी ? यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

यह सही नहीं है कि 3-5-79 को साकेत डिग्री कालेज में छात्र संघ चुनाव के समय कोई छात्र देशी कट्टों या अन्य अस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया किन्तु एक देशी रिवाल्वर 32 बोर तथा एक नैपाली कालेज प्रांगण के बाहर

लावारिस मिली थी जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर दाखिल किया । यह ज्ञात नहीं हो सका कि इस रिवाल्वर को कौन छात्र लिये हुये था ।

यह सही है कि 14-5-79 को लगभग 11 बजे दिन के समय साकेत महाविद्यालय के बाहर मुख्य सड़कपर हथगोला फटन से 11 विद्यार्थियों, एक उप निरीक्षक, पुलिस अभिसूचना इकाई एवं एक कानिस्टबिल को चोट आई । इस संबंध में अभियोग संख्या 188 धारा 147/323/324/307 तथा पांच एक्सक्लोसिव एक्ट का कायम हुआ । इसी घटना के संबंध में बृज भूषण सरण सिंह, जिन्हें भी बम ब्रिस्फोट में चोट आई, ने अपनी अलग तहरीर दी जिसके आधार पर आरोप संख्या 188 ए धारा 147/148/149/324/307 तथा 5 एक्सपलोसिव ऐक्ट कायम हुआ । विवेचना के दौरान घायल विद्यार्थियों न नामांकित छात्रों के विरूद्ध साक्ष्य नहीं दिया अतः अभी गिरफ्तारी नहीं की गयी ।

साकेत महाविद्यालय के पास चलने वाली बसों में छात्रों द्वारा बलपूर्वक प्रवेश करके यात्रा करने तथा दुर्व्यवहार करन इत्यादि की शिकायतें मिली है । इस संदर्भ म शांति व्यवस्था बनाय रखने के लिय जिला प्रशासन दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहें है । पुलिस की व्यवस्था भी इसी दृष्टिकोण से की गयी है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, अपनी निजी जानकारी के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि यह सारा का सारा उत्तर गलत है । मेरी निश्चित जानकारी ह कि रिवाल्वर और कटटों के साथ 6 लड़कों को मौके पर पुलिस अधिकारियों ने 3 मई, 1979 को पकड़ा । मेरी यह भी निश्चित जानकारी है कि 14 मई, 1979 को जिन लड़कों के पास बम था और जिससे अन्य लोगों के साथ उप निरीक्षक, पुलिस और कांस्टबिल को चोटें आयी, उन्हें पहले से पहचान थी और इसी प्रकार से मान्यवर, साकेत कालेज के पास काटन से भरी एक ट्रक को जला दिया गया और वहाँ बस में लोगों की बहू बेटियों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया गया । लेकिन इस डर से कि छेड़ने पर लड़के उग्र हो जायेंगे । जिला अधिकारी ने सारे मामलों को दबा देने का या समाप्त करने का निदेश दिया । तो मेरी इस जानकारी को सही मानकर क्या मुख्य मंत्री जी फैजाबाद में कानून और व्यवस्था की निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस सारे मामले की जाँच सी० आई० डी० या किसी ऐसी एजेन्सी द्वारा करायेंगे जिसको जिला अधिकारी प्रभावित न कर सकें और जाँच निष्पक्ष हो सके ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, वैसे जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार सही उत्तर दिया है और जो माननीय सदस्य ने अपनी निजी जानकारी दिया है तो इसमें सी० आई० डी० की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन किसी अधिकारी को लखनऊ से भेजकर इसकी जाँच करा ली जायेगी ।

श्री जयशंकर पाण्डेय--

मान्यवर, क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि विगत दो मास में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज तक कितने अराजकतत्वों को गिरफ्तार किया गया और अशाँन्ति क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए, जैसा जवाब में कहा गया है, तो किन-किन स्थानों पर पुलिस की व्यवस्था की गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इससे यह प्रश्न सम्बन्धित नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि एक देशी रिवाल्वर 32 बोर का तथा एक नेपाली भुजाली कालेज के प्रांगण के बाहर मिली जिसको पुलिस ने कब्जे में लेकर दाखिल किया । तो मैं जानना चाहूंगा कि यह चीजें किस स्थान पर मिली है ? दूसरी बात एक पुलिस उप निरीक्षक, अभिसूचना, एक कांस्टेबिल और 11 विद्यार्थी घायल हुए लेकिन इन विद्यार्थियों में से कोई नामांकित छात्रों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दिया । इससे यह स्पष्ट है कि बम इन्हीं के पास से फटा है, इसलिए अपने खिलाफ कोई साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं है । अतः जैसा तिवारी जी ने कहा क्या मंत्री जी सी० आई० डी० से जाँच करायेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, जहाँ तक देशी रिवाल्वर 32 बोर तथा एक नेपाली भुजाली कालेज प्रांगण के बाहर प्राप्त हुई है । जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि उन लोगों ने गवाही नही दिया जिनकी चोटें लगी हैं, तो वह अलग बात है । लेकिन पुलिस के जरिए रिपोर्ट दर्ज हुई है तथा श्री बृज भूषण सिंह ने भी रिपोर्ट दर्ज करायी है लेकिन घायल विद्यार्थियों ने छात्रों के विरुद्ध गवाही नहीं दिया । ऐसी स्थिति वहाँ है । श्री बृज भूषण सिंह वहाँ एक प्रत्याशी रहे हैं । इसलिए वहाँ पार्टीबाजी है । एक चुनाव का भी झगड़ा था । इसलिए जो नाम उन्होंने लिखाए वह दलगत स्थिति से ऊपर लिखाए गए हैं । इसलिए इस बात का सबूत नहीं होता है कि गवाही नहीं दे रहे हैं । जैसा तिवारी जी ने कहा है कि अन्य एजेन्सी से जाँच करवा लें तो मैं मुख्यालय से कोई अधिकारी भेज दूंगा जो जाँच कर लेगा ।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, इस प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या उनके पास जितने भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस के अधिकारी है उनकी कोई सूची है जिनकी योग्यता, कार्य क्षमता, ईमानदारी के बारे मे सरकार को सन्देह नहीं है । ऐसे अधिकारियों को मुख्यालय के बाहर प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए भेजते हों या केवल राजनैतिक सिफारिशों के आधार पर ही उनको बाहर भेजते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रश्न से यह सवाल नहीं पैदा होता है ।

(व्यवधान)

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्योंकि प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगड़ रही है, तो क्या सरकार के पास योग्यतम अधिकारियों की कोई लिस्ट है, जिसके आधार पर पोस्टिंग की जा सके और राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल न हो सके ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

अच्छे लोगों को सी० आई० डी० में भेज देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठिए। ये प्रश्न इससे नहीं उठते हैं।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है—कि यह सही नहीं है कि 3 मई, 1979 को साकेत डिग्री कालेज में छात्र संघ के चुनाव के समय कोई छात्र देशी कट्टों या अस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया किन्तु एक देशी रिवाल्वर 32 बोर तथा एक नेपाली भुजाली कालेज प्राँगण के बाहर लावारिश मिली थी जिसको पुलिस ने अपन कब्जे में लेकर दाखिल किया। यह ज्ञात नहीं हो सका कि इस रिवाल्वर को कौन छात्र लिए हुए था।" तो श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि प्राँगण से क्या अभिप्राय है ? अगर उसी जगह मिला था, जो प्राँगण के अन्दर ही है, तो भुजाली उन्हीं छात्रों की थी। तो क्या उस सम्बन्ध म कोई जानकारी प्राप्त की कि यह किसकी थी ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

प्राँगण का अर्थ है बाउन्ड्री के बाहर। चाहे विद्यार्थी के जरिए फेंका गया होगा या उसके पास रहा होगा। यह सही है क्योंकि साकेत डिग्री कालेज ऐसी जगह है कि उसके नजदीक कोई आबादी नहीं है। वहाँ वह उनका ही फेंका होगा। यह भी सही है कि अभी तक कोई व्यक्ति प्रकाश में नहीं आया जिसके आधार पर कहा जा सके कि हथियार किसने फेंका था।

शाहजहाँपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम मड़ई के गुन्डों द्वारा आंतक तथा हरिजनों द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट

*5—श्री गोकरन प्रसाद, जिला सीतापुर (अनुपस्थित) तथा श्री लाल दास—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि दिनांक 3 मार्च, 1979 को शाहजहाँपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम मड़ई के गुन्डों ने ग्राम कल्याण नगरी व पड़ोस के गाँव के हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के कई परिवारों की खड़ी फसल दिन दहाड़े उजाड़ दी जिसकी रिपोर्ट भी थाना जैतीपुर में दिनाँक 4 मार्च, 1979 को अंकित है ? यदि हाँ, तो तत्काल क्या कार्यवाही इन गुन्डों के विरुद्ध की गयी ? क्या यह भी सही है कि पिछले दो वर्षों से यह गुन्डे इसी प्रकार जुर्म करते आ रहे हैं जिनकी अनेकों लिखित शिकायतें होने के बावजूद भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 3-3-79 को शाहजहाँपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम मड़ई के गुडों द्वारा ग्राम कल्याण नगरी व पड़ोस के गाँव के हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के परिवारों की बड़ी फसल उजाड़े जाने के बारे में थाना जतीपुर में कोई रिपोर्ट दज नहीं कराई गई। ग्राम लोचन नगरा के निवासी श्री राम किशोर द्वारा थाना जैतीपुर में एक गैरदस्तंदाजी अपराध संख्या 55 धारा 352/323/427 भा० दन्ड वि० (1) गंगा सहाय तथा तीन अन्य निवासीगण

[श्री रमा शंकर कौशिक]

ग्राम मड़ई के विरुद्ध दिनांक 4-3-79 को दर्ज कराया गया था। अपराध अहस्तक्षेपीय होने के कारण विवेचना नहीं की गई। शांति व्यवस्था हेतु दोनों पक्षों के विरुद्ध 107/116 की कार्यवाही की गई।

ग्राम मड़ई तथा कल्याण नगरा में पार्टीबन्दी होने के कारण अनेक अभियोग थाना जैतीपुर में एक दूसरे के विरुद्ध अंकित कराये गए थे जो विवेचना के उपरान्त सत्य नहीं पाए गए।

श्री लाल दास--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि राम किशोर की रिपोर्ट जानबूझकर गैरदस्तंदाजी लिखी गयी तथा गुन्डे पुलिस से मिले हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मैंने निवेदन किया कि जो रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, वह गैरदस्तंदाजी अपराध संख्या 55 धारा 352/323/427 के तहत लिखाई गयी। जहां तक प्रश्न पूछा गया है हरिजनों की फसल उजाड़ने के सम्बन्ध में। जहाँ तक गुन्डों का सवाल है, मान्यवर, इस गाँव म पार्टीबंदी बहुत दिनों से है और एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं तो जो दोनों के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही होगी, की जायेगी।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा, यह स्पष्ट हो गया कि हरिजनों की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और दूसरे लोगों की रिपोर्ट लिखी जाती रही है। एक बात तो मान ली गयी। तो प्राग्दर्शन में ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, मैंने यह कहा ही नहीं कि रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। रिपोर्ट जिस अपराध के सम्बन्ध में लिखाने वाले हैं, उसके सम्बन्ध में बताया गया। जो माननीय सदस्य यह पूछ रहे थे कि इस प्रकार की रिपोर्ट लिखाई गई इस प्रकार की नहीं लिखाई गई। लिखाने वाले ने जो रिपोर्ट लिखाई वह इसी प्रकार की थी।

श्री गुलाब सेहरा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंग कि 116, 117 तभी चलाई जाती है जब दोनों पक्षों की ओर से एफ० आई० आर० दर्ज होती ह ? हरिजनों की रिपोर्ट कब दर्ज हुई और दूसरी पार्टी की कब दर्ज हुई दोनों का विवरण बता वें ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, यह जो रिपोर्ट लिखाई गई है यह ऐसी नहीं ह कि कोई वर्ग विशेष के खिलाफ ही लिखाई गई। यह रिपोर्ट एक व्यक्ति के खिलाफ एक परिवार के खिलाफ लिखाई गई जो यादव जाति के थे। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी हुए हैं। यह आठवां प्रश्न है। पहले भी इस सम्बन्ध में प्रश्न हो चुके हैं। 10-4-78 को भी यह हुआ। इस मामले में बहुत दिनों से बार-बार रिपोर्ट लिखायी जाती रही है। यह एक दिन की रिपोर्ट का मामला नहीं ह।

ग्राम गढ़ीना, जिला मेरठ में गोली लगने से घायल हरिजन तथा मृत्यु की जांच

*6--श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री मन्सूर अली खाँ (जिला रामपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 15 अप्रैल, 1979 को ग्राम कुन्डा, तहसील मवाना, जिला मेरठ के घनश्याम आदि शक्तिशाली व्यक्तियों ने ग्राम गढ़ोना, तहसील मवाना, जिला मेरठ के हरिजनों पर गोली चलाकर 4 हरिजनों को जान से मार दिया और बीसियों हरिजनों को बुरी त ह जख्मी कर दिया गया ? यदि हाँ, तो इस गम्भीर घटना में सरकार ने तत्कालीन क्या कार्यवाही की ? क्या यह भी सही है कि मृतकों के परिवार ने सी० आई० डी० द्वारा जांच करवाने की माँग की है ? यदि हाँ, तो सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में ग्राम गढ़ीना जनपदा मेरठ के चौकीदार द्वारा दिनाँक 15-4-79 को चौकी पलावदा थाना मवान जनपद मेरठ पर दी गई सूचना के आधार पर धारा 147/148/149/307/302 भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । उक्त घटना में तीन गूजरों तथा एक हरिजन की मृत्यु हुई है और ग्यारह व्यक्ति घायल हुए। सूचना प्राप्त होने पर अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा प्रशासनिक आधार पर उप निरीक्षक प्रभारी तथा अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया। पाँच अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे गए तथा चौबह अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया, जिन्हें जेल भेजा गया । प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम कुन्डा तथा ग्राम गढ़ीना के निवासियों में रंजिश थी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त घटना घटी है। उपरोक्त घटना की जाँच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराए जाने के आदेश शासन द्वारा दिए गए हैं ।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि प्रार्थी 11 तारीख को भैंस की चोरी की रिपोर्ट लिखाने पलावदा चौकी पर गया और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई । क्या यह भी सही है कि यदि वहाँ के एस० एस० पी० और कलेक्टर 12 तारीख को ही रिपोर्ट पर ऐक्शन ले लिए होते तो यह घटना घटित नहीं होती ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, यह तो सही है कि वह रिपोर्ट लिखाने गया लेकिन यह सही नहीं है कि उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । रिपोर्ट जिस तारीख को वह गया उसी तारीख की लिखी गयी । जिसके खिलाफ उसने रिपोर्ट लिखाई, उसके भाई ने भी रिपोर्ट यह लिखाई कि घनइयाम जो गूजर जाति का था और दूसरे गाँव के लोगों के खिलाफ जिस गाँव के छोटे वगैरह थे कों मैंने भैंस बेची थी, पैसे लेकर गया था कि इन लोगों ने मुझे घेरा । उसके साथ कई गूजर भी शामिल थे । इस पर कार्यवाही शुरू की गई और वह मैजिस्ट्रेट के यहाँ चला गया लेकिन चूंकि 14, 15 को छुट्टी थी, 13 को यह मामला लिखा गया, इसलिए उस दिन इस पर कार्यवाही नहीं हो पायी ।

श्री मन्जूर अहमद—

क्या यह भी सही है कि गढ़ीना गांव के हरिजनों और दूसरे लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री श्री बनारसी दास से 14 तारीख को शिकायत की थी कि हमारी सुरक्षा की जाय और पुलिस वालों की भी शिकायत की थी और माननीय मुख्य मंत्री जी न उनकी दरख्वास्त वहाँ के अधिकारियों को दी ? यदि इस पर तुरन्त कार्यवाही कर ली जाती तो 15 तारीख को यह घटना नहीं घटी होती । इसके बारे में बतायेंगे ?

श्री र ाशंकर कौशिक—

माननीय मुख्य मंत्री जी नें क्या आदेश दिए और उनको ज्ञापन दिया गया इ स सम्बन्ध में तो इस समय जानकारी नहीं ह ।

श्री उपाध्यक्ष—

पत्रावली में होगी....।

श्री रमाशंकर कौशिक—

ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री राम दत्त जोशी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृतक हरिजनों के परिवार की सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता दी गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन दोनों गांबों में पुराना झगड़ा है । मैं जानना चाहता हूं कि उस झगड़े के कारण क्या है और यह देखते हुए कि इतनी गम्भीर घटना घटित हुई, आगे कोई गम्भीर घटना न घटित हो, जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ह ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, क्योंकि उस केस में बहुत से लोग सम्बद्ध हैं और 73 लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी है जिसमें से 19 लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं और चूकि मामला सी0 आई0 डी0 को सौंप दिया गया है तो पूरी जांच होने के बाद कार्यवाही की जायगी । दोनों तरफ से रिपोर्ट हुई है । एक ने लिखाया कि मेरी भैंस लेकर चला गया । दूसरे ने लिखाया कि भैंस मैंने बेची थी, इसने मुझे पैसे नहीं दिये और जब मैं पैसे लेने गया तो इसने मुझे मारा ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

जो रिपोर्ट लिखाई गई है, क्या वह लिखित रिपोर्ट है, अर्थात क्या वह मुद्दई ने लिखकर दी है या पुलिस द्वारा बयान के आधार पर लिखी गई ह ऐसा लगता है कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने में पक्षपात किया है ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

कौन सी रिपोर्ट ? मैंने 3 रिपोर्टों का हवाला दिया है । पहली रिपोर्ट छोटे, हरिजन ने लिखाई है, वह उसने जाकर ही लिखाई ह । घनश्याम के भाई ने भी थाने पर जाकर रिपोर्ट लिखाई ह । जहां तक जिनकी हत्या हो गई है, उस रिपोर्ट का सवाल है, वह रिपोर्ट तो चौकीदार ने लिखाई ह ।

श्री गुलाब सेहरा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन सन्तू ने गांव में पशुपालन मंत्री के समक्ष अपनी सुरक्षा की माँग की थी और उसी दौरान इलाके के थानेदार मौजूद थे, उसने इन हरिजनों की पिटाई पशुपालन मंत्री के सामने की थी और मारकर भगा दिया ? यह 13 तारीख की घटना आपको विदित है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मेरे पास उपलब्ध जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है ।

हरदोई जिले की पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ किया गया अभद्र व्यवहार

*7—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जिले की पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ किये गये अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में पत्रकारों की तरफ से एक तार व एक प्रार्थना–पत्र मई, 1979 के प्रथम सप्ताह में जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक, हरदोई को दिया गया जिसकी जांच जिलाधीश, हरदोई ने परगना मजिस्ट्रेट, संडीला (श्री हरदीपक सिंह) को सौपी ? यदि हां, तो परगना मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी जांच रिपोट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित पत्रकारों का तार एवं प्रार्थना–पत्र जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक हरदोई को प्राप्त हुआ, जिसमें पत्रकारों को अनियमित रूप से रोक लिये जाने की शिकायत की गई थी । आरोप जांच परगना अधिकारी, सन्डीली (श्री हर दीपक सिंह) द्वारा कराई गई । जाँच से पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ । अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, एक कन्डक्टर मारा गया था और इस कन्डक्टर की लाश को लेकर तमाम लोग जुलूस लेकर लखनऊ आ रहे थे । अगर लखनऊ पहुंचते तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती । जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने जो कदम उठाये उसकी मैं सराहना करूंगा क्योंकि लाश नहीं आने दी । लेकिन पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसकी जाँच की गई । जांच रिपोर्ट क्या है, यह माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

यह पत्रकार लोग उसी लाश के साथ एक बस में लाश को लेकर लखनऊ आ रहे थे। जब उन बसों को रोका गया जिनमें से एक बस म लाश थी, तब पत्रकारों को भी रुकना पड़ा। और जब अधिकारियों को पता चला कि पत्रकार भी उसमें शामिल हैं तो डाक बंगले पर चाय पीने के लिए बुलाया गया। फिर उनके हरदोई जाने के लिये भी व्यवस्था की गई। जाँच रिपोर्ट के अनुसार उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। यह सही है कि उनको इस बात का क्षोभ हुआ होगा कि वे लखनऊ आना चाहते थे और उनको लखनऊ नहीं आने दिया गया।

कस्बा टान्डा के बुनकरों के प्रतिनिधि मंडल की माँगें

*8—श्री अब्दुल हफीज (जिला मेरठ) तथा श्री मन्जूर अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद के कस्बा टान्डा से बुनकरों का एक प्रतिनिधि मंडल दिनाँक 31 मार्च, 1979 को माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव) से स्टेपिल के बढ़ते हुए मूल्य एवं अपनी मांगों के सम्बन्ध में मिला था ? यदि हाँ, तो उसकी माँगें क्या हैं तथा शासन ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया ?

उप मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

प्रतिनिधि मंडल 23-3-1979 को मिला था। उनकी माँगे तथा उनके विषय में स्थिति संलग्न परिशिष्ट में दी जा रही है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1468 पर)

लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के मंत्री सहित गिरफ्तार छात्र

*9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 21 मई, 1979 को लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के मंत्री सहित अनेक छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

जी हाँ।

दिनाँक 21-5-79 को लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के मंत्री व तीन अन्य छात्रों को धारा 113 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। उनके कार्यकलापों से विश्वविद्यालयों में गम्भीर तनाव एवं उत्तेजना का वातावरण पैदा हो गया था जिसके कारण विश्वविद्यालय में चाकूबाजी व फायरिंग हो गई थी। विश्वविद्यालय परिसर में शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से गिरफ्तारी आवश्यक हो गयी थी। इस गिरफ्तारी से विश्वविद्यालय परिसर में शान्ति स्थापित हो गई है।

नोट :—नियम 29 (4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

गोरखपुर के पत्रकारों की माँगों के सम्बन्ध में ज्ञापन

*10—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर के पत्रकारों ने 15 मई, 1979 को 'काला दिवस' मनाया और मौन जुलूस भी निकाला था तथा अपनी माँगों के सम्बन्ध में जिलाधीश को कोई ज्ञापन भी दिया है ? क्या पत्रकारों ने जिलधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं सूचना अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध प्रेस सम्मेलन में पत्रकारो को अपमानित करने का आरोप उसमें लगाया है और उनको निलम्बित करने की मांग भी की ह ? यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसी दास—

दिनांक 15 मई, 1979 को 15–20 पत्रकारों के एक वर्ग ने स्टेशन से चलकर टाउन हाल, गोरखपुर में अपरान्ह 2–30 बजे के लगभग एक सभा आयोजित की तथा बायें हाथ में काली पट्टी लगाकर काला दिवस मनाया, परन्तु उन्होंने जिलाधिकारी को अपनी माँगों के बारे में कोई ज्ञापन नहीं दिया ।

अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

पत्रकार पेन्शन योजना का क्रियान्वयन

*11—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि पूर्ववर्ती सरकार ने दिनाँक 16 अक्तूबर, 1976 को यह घोषणा की थी कि पत्रकार पेन्शन योजना शीघ्र लागू को जायगी ? यदि हाँ, तो उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायगा और अब तक क्या प्रगति हो पायी है ?

श्री बनारसी दास—

जी हां ।

विभिन्न राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में इस आशय की सूचना एकत्र की जा रही है कि इस क्षेत्र में वहाँ क्या स्थिति है । अभी तक आठ राज्यों से उत्तर प्राप्त हो पाया है । शष चौदह राज्यों से सूचना अभी प्रतीक्षित है । इस प्रकार योजना कार्यान्वित करने का प्रश्न फिलहाल विचाराधीन है । यह योजना कार्यान्वित कर सकना सम्भव होगा या नहीं और यदि होगा तो कब तक । इस सम्बन्ध में निश्चयात्मक रूप से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है ।

जनपद बाराबंकी के श्री नन्हे द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र में जनपद गोंडा के दरोगा के विरुद्ध जांच

*12—श्री अशर्फीलाल यादव (जिला बाराबंकी) तथा श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम परसावल, थाना टिकतनगर, जनपद बाराबंकी के श्री नन्हे ने अपने प्रार्थना–पत्र द्वारा दिनाँक 18 दिसम्बर, 1978 को यह जानकारी दी थी कि थाना करनैलगंज, जनपद गोंडा के दरोगा ने उनके घर में अवैधानिक ढंग से घुसकर परिवार को बेइज्जत किया तथा सैकड़ों रुपया एवं कारतूस लेकर चले गये और आपत्ति करने पर गाली गलौज और मारपीट की ? यदि हां, तो इस गम्भीर आरोप के विषय पर जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और सम्बन्धित दरोगा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

दिनांक 18-12-78 का नहीं परन्तु 16-12-78 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा करायी जा रही है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है। अतः पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्स्पेक्टर इंचार्ज, श्री जय नारायण यादव के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण विभाग द्वारा जांच

*13—श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) तथा श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ शहर थाना कोतवाली (आजमगढ़) के इन्सपेक्टर इन्चार्ज (श्री जयनारायन यादव) के विरुद्ध 1978 में भ्रष्टाचार निवारण विभाग द्वारा जाँच करायी गई थी ? यदि हां, तो मुख्य आरोप क्या थे, जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये ? क्या यह सही है कि श्री यादव कोतवाली इंचार्ज का स्थानान्तरण तब से अनेकों बार किया गया और रोका गया है ? इसका क्या कारण है ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास—

जी हां। आरोप शराब के ठेकेदारों से रिश्वत लेना, कुछ व्यक्तियों को मारने, कुछ व्यक्तियों को 151 धारा में चालान करने एवं गुण्डों को शय देने की शिकायत इत्यादि है। जाँच अभी पूर्ण नहीं है। इनका स्थानान्तरण दो बार किया गया था। पहली बार अपराध अनुसंधान विभाग में स्थानान्तरण हुआ था जो निरस्त कर दिया गया था। दूसरी बार 16-3-79 के आदेश से किया गया था परन्तु इनके बच्चों की परीक्षा जो मई, 1979 में समाप्त हो रही थी, के आधार पर स्थानान्तरण निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी। स्थानान्तरण के आदेश अभी यथावत् हैं।

तत्कालीन विधायक, श्री मन्जूर अहमद, जिला मेरठ द्वारा हरिजनों को अपमानित करने सम्बन्धी आरोप पत्र

*14—श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के प्रति गन्दे शब्दों को प्रयोग करने एवं कीचड़ उछालने के विषय पर तत्कालीन विधायक, श्री मन्जूर अहमद, जिला मेरठ के विरुद्ध सन् 1976 में लगभग 45 विधायकों ने कोई आरोप-पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री को दिया था ? यदि हाँ, तो वह आरोप-पत्र क्या था, उसकी जाँच किस अधिकारी से कराई गई और उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री बनारसी दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

'गांवों की ओर चलो' योजना से प्राप्त आय तथा व्यय

*15—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान सरकार के 'गांवों की ओर चलो, योजना के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आय की वृद्धि किस अनुपात म हुई है ? और व्यय भार किस अनुपात में बढ़ा है ? इस सम्बन्ध में उचित दिशा देने हेतु शासन ने कोई कदम उठाय हैं ?

श्री बनारसी दास—

"गांव की ओर चलो" नाम विशेष की कोई योजना इस प्रदेश में नहीं चल रही है, केवल ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों को वर्तमान योजनाओं में अपेक्षाकृत अधिक और विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

ग्रामीण तथा नगरीय आय के अलग-अलग अनुमान तैयार करने की उपयुक्त रीति विधान (मेथोडोलाजी) के अभाव में यह अनुमान इस समय अलग-अलग नहीं तैयार किए जाते हैं । केवल पूरे राज्य की आय के अनुमान तैयार किए जाते हैं । अतः ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की आय में हुई वृद्धि के अनुपात के आंकड़े देना सम्भव नहीं है ।

इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सम्पूर्ण व्यय का सही-सही फांट करने में भी कुछ परिभाषिक कठिनाइयां हैं, अतः विगत वर्षों में इन क्षेत्रों में हुए व्यय की वृद्धि के ठीक-ठीक अनुपात नहीं दिए जा सकते । वैसे वर्ष 1978-79 के आयोजनागत तथा आयोजनेतर बजट अनुमानों को फांट ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के लिए करने का प्रयास किया गया है जिससे विदित होता है कि मोटे तौर से कुल व्यय का 73.9 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय किया जा रहा है ।

वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण विकास को अत्यधिक महत्व देती है और इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए अधिकाधिक प्राविधान करने का प्रयास कर रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) तथा श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 9 विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षर से युक्त प्रेषित पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 1977 संलग्नक सहित भूतपूर्व गृह मन्त्री (चौधरी चरण सिंह) भारत सरकार, नई दिल्ली से वापस उचित कार्यवाही के लिये पत्रांक एच-9/मु0म0उ0प्र0/77, गृह निवास, दिनांक 29 नवम्बर, 1977 उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य पत्र एवं संलग्नक को सदन के पटल पर रखेंगे ? और यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इसके सम्बन्ध में स्मृति पत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 1978 एवं मेमोरेण्डम दिनांक 29 दिसम्बर, 1978 भी शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो पत्रों का विवरण क्या है तथा क्या कार्यवाही की गई और क्या सरकार पूर्ण विवरण को सदन के पटल पर लोकहित में रखेगी ?

श्री बनारसी दास—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के एलेक्ट्रकल मेन्टीनेन्स स्टोर में गड़बड़ी

*2—श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के एलेक्ट्रकल मेंटेनेन्स स्टोर में गड़बड़ी की शिकायत पर 20 जुलाई, 1977 को तत्कालीन उप मन्त्री, प्राविधिक शिक्षा, कुंवर सत्यबीर ने उक्त स्टोर सील कराकर जांच का आदेश दिया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

आवास मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

जी हां, अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है ।

विशुनपुर विकास खंड के श्री नान्हू हरिजन की मृत्यु तथा पेन्शन की स्वीकृति सम्बन्धी संशोधित उत्तर

विधान सभा के प्रथम सत्र 1978 के 5वें मंगलवार, दिनांक 25-4-78 को श्री पुरुषोत्तम कौशिक, द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 6 का संशोधित उत्तर :

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
6—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना तहसील में विशुनपुरा विकास खंड के पकहा मौजा के लुकपुर टोला के नान्हू हरिजन की दुःखद मृत्यु आठ वर्ष पूर्व पकहा में लीलाधर भगत के यहाँ भीषण डकैती के कारण हो गई ? नान्हूं हरिजन दस्युदल से हुई मुठभेड़ में मारा गया तथा उसकी विधवा पत्नी व निरीह बच्चे दाने-दाने को मोहताज हैं ? यदि हां, तो क्या ग्राम को सुरक्षा में शहीद हुए हरिजन की विधवा व बच्चों को उसकी मृत्यु तिथि से ही असाधारण पेन्शन दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	6—नान्हूं हरिजन की मृत्यु लगभग 13 वर्ष पूर्व दिनांक 22/23 सितम्बर, 1965 की रात को श्री लीलाधर के घर पर पड़ी एक डकैती की घटना में डाकुओं को अवरुद्ध करने में उनकी गोली से हुई थी। स्वर्गीय नान्हू की विधवा मछरिया के दो पुत्र व एक पुत्री हैं जिनकी आयु क्रमशः 12, 10 व 8 वर्ष है। स्वर्गीय श्री नान्हूं की मृत्यु के बाद अन्य व्यक्ति से पैदा हुए बच्चों को पेन्शन देय नहीं है। जहाँ तक विधवा श्रीमती मछरिया को पेन्शन दिए जाने का प्रश्न है, उसे स्वर्गीय श्री नान्हू की मृत्यु के अगले दिन से पुनर्विवाह अथवा मृत्यु तक, जो भी पहले हो, पेन्शन देय है। विधवा के पुनर्विवाह आदि के बारे में स्थिति ज्ञात की जा रही है। राम नरेश यादव, मुख्य मन्त्री।

संशोधित उत्तर

6—नान्हूं हरिजन की मृत्यु लगभग 13 वर्ष पूर्व दिनांक 22/23 सितम्बर, 1965 की रात को श्री लीलाधर के घर पड़ी एक डकैती में डाकुओं को अवरुद्ध करने में उनकी गोली से हुई थी। मृतक की विधवा व उनके दोनों पुत्रों व पुत्री को बाद की जांच से पेन्शन के लिए अर्ह पाया गया। अतः नियमानुसार पेन्शन की स्वीकृति के आदेश दिनांक 21 फरवरी, 1979 को जारी कर दिये गये हैं।

बना सी दास,
मुख्य मन्त्री।

[दिनांक 12 जून, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद देवरिया के थाना विशुनपुरा क्षेत्र में पड़ी डकैती तथा शहीद हुए मृतकों को सहायता

*1—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के विशुनपुरा थाना क्षेत्र में नाम नरहवा अचरज दूबे निवासी, श्री गणेश दूबे के घर 20 फरवरी, 1979 को रात में पड़ी भीषण डकैती में दुर्दान्त दस्यु दल ने हजारों की सम्पत्ति लूट कर गृह स्वामी के युवा पुत्र पारसनाथ दूबे (छात्र श्री कृष्ण इंटर कालेज, बरहुई) की नृशंसता पूर्वक हत्या कर दी जिसकी प्रथम सूचना रपट सम्बन्धित थाने में दर्ज है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई तथा डाकुओं के साथ शौर्यपूर्ण संघर्ष में शहीद हुए बहादुर मृतक छात्र युवक को मरणोपरान्त असाधारण पुरस्कार एवं परिवार को क्षति-पूर्ति दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20/21 फरवरी, 1979 की रात्रि में डकैती पड़ी थी जिनमें एक साइकिल, घड़ी तथा 375 रु0 नकद के अतिरिक्त बर्तन एवं कपड़े लूटे गए थे जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी। श्री पारस दूबे को चोटें आई थीं और अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में मृत्यु हुई। दो अभियुक्त बन्दी बनाकर जेल भेजे जा चुके हैं और एक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। शेष के विरुद्ध विवेचना अभी समाप्त नहीं हो सकी है। कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।

श्री जयदेव कपूर व अन्य नेताओं की हरदोई कचहरी में गिरफ्तारी

*2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 25 अक्तूबर, 1978 को अमर शहीद भगत सिंह के साथी श्री जयदेव कपूर सहित 8 (आठ) मजदूर नेताओं को हरदोई कचहरी में गिरफ्तार किया गया ? 27 अक्तूबर, 1978 को इन्हें कोतवाली से अदालत तक हथकड़ियों और रस्सियों में जकड़ कर लाया गया ? यदि हां, तो इस कृत्य के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने पर क्या शासन विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास—

दिनांक 25 अक्तूबर, 1978 को ऐसी कोई घटना नहीं हुई। दिनांक 26 अक्तूबर, 1978 को नगर में धारा 144 जाफ्ता फौजदारी लगने के बावजूद भी 3-30 बजे सायं कलेक्ट्रेट, हरदोई स्थित कार्यालय में घुसकर परगनाधिकारी को अपने हिरासत में लेने, नारे बाजी करने एवं कार्यालय में सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण श्री जयदेव कपूर एवं उनके कुछ साथियों को धारा 147/148/188/342, भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्हें दूसरे दिन अर्थात् दिनांक 27 अक्तूबर, 1978 को जेल भेजा गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के उत्तेजनात्मक नारे तथा भारी संख्या में रास्ते में एकत्रित उनके उत्तेजित सहयोगियों को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें हथकड़ी लगाना आवश्यक था। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

*3—श्री बाबू लाल वर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मन्ना लाल तथा श्री औसान सिंह—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

थाना कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद में दर्ज रिपोर्ट तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*4—श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ) तथा श्री राम लखन (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या थाना कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद में अपराध संख्या 459, (अ) धारा 302, आई० पी० सी० की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है और उसमें अभी तक कोई भी मुल्जिम नहीं पकड़ा गया ? क्या यह सच है कि जनपद फर्रुखाबाद के कुछ विधायकों और एम० पी० ने एक दरखास्त उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस महानिरीक्षक को दिसम्बर, 1978 को दी है और इसी कारण अपराध संख्या 459 (अ) धारा तीन सौ दो (302), आई० पी० सी० पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कायमगंज, फर्रुखाबाद पर धारा 302, भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग संख्या 459—ए पर कायम है जिससे सम्बन्धित दो अभियुक्तों को पुलिस ने दिनांक 17-12-78 को गिरफ्तार किया है ।

यह सही है कि उक्त बारे में फर्रुखाबाद जिले के कतिपय माननीय विधायकगण व संसद सदस्य का संयुक्त पत्र दिनाँकित 27-12-78 प्राप्त हुआ है परन्तु यह सही नहीं है कि इस कारण उक्त मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । उक्त अपराध एवं उससे सम्बन्धित क्रास केस का चेकअप अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

जनपद मिर्जापुर में गरीब जातियों द्वारा चलाए जा रहे उद्योग

*5—श्री राम नारायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद में आदिवासी तथा कुछ अन्य गरीब जातियों द्वारा पत्थरों की मूर्ति आदि के निर्माण से सम्बन्धित निजी स्तर पर कुछ उद्योग चलाए जा रहे हैं ? यदि हां, तो इस उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कोई विशेष सहायता की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

मिर्जापुर जनपद में आदिवासियों एवं गरीब जातियों की कोई इस तरह की इकाई पंजीकृत नहीं है और न ही इस प्रकार की कोई भी सहकारी समिति गठित की गई है । यहां के लोग पत्थर तोड़ने का काम अवश्य करते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*6--श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री लाल दास--

[29-5-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 7 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश मण्डप (पवेलियन) के निर्माण तथा साज-सज्जा का ठेका तथा व्यय धनराशि

*7--श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1978 में आयोजित राष्ट्रीय लघु उद्योग मेले में उत्तर प्रदेश पवेलियन के निर्माण का ठेका मेसर्स जे0 के0 कन्स्ट्रक्शन्स एवं आरकी टैक्ट का ठेका मेसर्स कोठारी एवं सहयोगियों को 9 लाख 72 हजार 500 रुपए में दिया गया ? क्या यह सही है कि यह पवेलियन पहले से बन बनाए भवन जो सिविल एविएशन का पवेलिया था में ही बनाया गया जिसे 2 लाख 15 हजार 100 रुपए किराए पर लिया गया ? यदि हां, तो उपरोक्त रुपया किस निर्माण कार्य पर खर्च किया गया ? क्या यह भी सही है कि इस ठेके के टेंडर बिना व्यापक प्रचार के 24 अक्तूबर, 1978 को मांगे गए और 27 अक्तूबर, 1978 को खोले गए और ठेकेदारों ने धरोहर की रकम चेक द्वारा टेंडर खोलने के पहले जमा कर दी ?

श्री राम नरेश यादव--

राष्ट्रीय लघु उद्योग मेला, 1978 के उत्तर प्रदेश मण्डप (पवेलियन) के निर्माण तथा साज-सज्जा का ठेका मेसर्स जे0 के0 कान्स्ट्रक्शन्स को तथा आर्कीटेक्ट का ठेका मेसर्स कोठारी एवं एसोसियेट्स को दिया गया था। इन्हें क्रमशः रुपये 11,51,270.15 पैसे तथा रुपये 57,563.51 पैसे की धनराशि भुगतान की गई।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जो मण्डप उत्तर प्रदेश शासन को प्रदर्शनी हेतु आवंटित किया गया था वह सिविल एविएशन विभाग का ही था। इस मण्डप के किराए के रूप में 2,24,500 रु0 की धनराशि व्यय की गई।

यह मण्डप प्रदर्शनी लगाने के लिए जिस रूप में दिया गया था उसी रूप में उसे इस्तेमाल करना पर्याप्त न था। प्रदेश के गौरव के अनुरूप एवं आकर्षक प्रदर्शनी लगाने के लिए मण्डप में काफी कुछ परिवर्धन करना आवश्यक समझा गया और साथ ही इसकी साज-सज्जा कराना आवश्यक समझा गया। इस साज-सज्जा पर निर्माण कार्य के लिए ही मेसर्स जे0 के0 कान्स्ट्रक्शन्स को ठेका दिया गया था और पवेलियन के डिजाइन आदि तैयार कराने के लिए मेसर्स कोठारी एवं सहयोगियों को ठेका दिया गया।

कार्य की व्यावहारिकता को देखते हुए शासन द्वारा नियुक्त संचालन समिति के निर्णयानुसार सीमित टेन्डर्स आमंत्रित किए गए। टेन्डर्स 24 अक्तूबर, 1978 को मांगे गए तथा 27 अक्तूबर, 1978 को खोले गए। टेन्डर्स की शर्तों के अनुसार प्रत्येक टेन्डर देने वाले को धरोहर की धनराशि का चेक भी टेंडर के साथ संलग्न करना पड़ा। चयनित ठेकेदार ने भी इस आवश्यक शर्त का पालन करते हुए ही अपने टेंडर के साथ चेक संलग्न किया था। जहां तक आर्कीटेक्ट के ठेके का प्रश्न है यह ठेका बकायदा अखबारों में इश्तहार निकलवाकर ही किया गया।

जनपद जौनपुर में डाकुओं द्वारा लूटी गयी बस की जांच

*8--श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर) तथा डाक्टर कुष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6/7 नवम्बर, 1978 की मध्य रात्रि को रोडवेज बस यू0 टी0 सी0 9631 पर बैठे मुसाफिरों को थाना शाहगंज, ग्राम बड़ागांव के पास जनपद जौनपुर में डाकुओं द्वारा लूट लिया गया था, जिसकी जांच थाना शाहगंज, थाना शरपताह व थाना कोतवाली के पुलिस ने की थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बनारसी दास--

जी हां ।

इस मामले की विवेचना स्थानीय पुलिस ने प्रारम्भ की थी किन्तु बाद में यह जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है । अभी विवेचना पूर्ण नहीं हुई है ।

*9--श्री उदय नारायण सिंह तथा श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया] ।

वीरेन्द्र कुमार चौधरी की जान माल सुरक्षा हेतु पत्र

*10--श्री मन्जूर अली खां--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी ने विगत दिनांक 22 मार्च, 1979 को एक पत्र शासन के समस्त अधिकारियों को अपने जान माल की रक्षा किए जाने हेतु दिया है ? यदि हां, तो क्या शासन श्री चौधरी की जान माल की रक्षा हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

जी हां । श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने 30/31-1-79 को रात्रि में उनके घर में हुई चोरी तथा उनके व उनके परिवार की सुरक्षा हेतु जांच कराने का अनुरोध किया था । इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चौधरी के निवास क्षेत्र मुहल्ला दुर्गापुरवा में दिन तथा रात्रि में जिला प्रशासन द्वारा गस्त की व्यवस्था कर दी गई है ।

*11--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[6ठे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

*12--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद--

[17-5-79 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त] ।

वनों के विकास कार्यक्रमों में प्रगति

*13--श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री राम लखन--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि वर्ष 1978 तक राज्य में वनों के विकास कार्यक्रमों में कितनी प्रगति हुई है और उक्त अवधि तक इस पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन--

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से वर्ष 1977-78 तक वनों के विकास हेतु निम्न मुख्य कार्य किये गये :--

1--आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों का वृक्षारोपण	1,64,295	हे0
2--शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण	1,53,136	हे0
3--ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण	11,009	हे0
4--सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत वृक्षारोपण	2,465	हे0
5--निम्न वर्गीय वनों के विकास हेतु वनीकरण	18,947	हे0
6--सिविल सोयम वनों में वनीकरण	6,134	हे0
7--सिविल सोयम वनों में चारागाह विकास	11,190	हे0
8--सूखोन्मुख क्षेत्रों में वनीकरण	18,914	हे0
9--सूखोन्मुख क्षेत्रों में चारागाह विकास, ईंधन व चारा रिजर्व	1,370	हे0
10--भूमि एवं जल संरक्षण हेतु वनीकरण	63,745	हे0
11--खालों/कटी हुई भूमि के पुनर्वापण के लिये वनीकरण	55,087	हे0
12--हवाई अड्डों की सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण	1,389	हे0
13--सड़कों के किनारे वृक्षारोपण	16,731	रो0कि0मी0
14--नहरों के किनारे वृक्षारोपण	114	रो0कि0मी0
15--नई सड़कों का निर्माण	5,742	कि0 मी0
16--वन प्रबन्ध के संघनीकरण हेतु :		
(अ) बीटों का सृजन	77	संख्या
(ब) रेंज का सृजन	6	संख्या
(स) उप प्रभाग का सृजन	7	संख्या
(द) वृत्त का सृजन	1	संख्या

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से वर्ष 1977-78 तक वनों के विका कार्यक्रमों पर कुल 62.11 करोड़ रुपया व्यय हुआ ।

*14--श्री रामदेव दूबे--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित] ।

*15--श्री जय शंकर पाण्डेय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

जनपद सुल्तानपुर के रंकेडीह गोली काण्ड की जांच रिपोर्ट

*16—श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के रंकेडीह गोली काण्ड की जांच करने वाले सुल्तानपुर जाँच आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—

जी हां ।

यह रिपोर्ट अभी शासन के विचाराधीन है । शासन द्वारा विचार कर लिए जाने के बाद ही रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायगी ।

*17—श्री अशर्फी लाल यादव, श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री राम नरायन वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

*18—श्रीमती शारदा देवी—

[25-5-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 28 द्वारा उत्तरित] ।

जनपद आगरा, थाना रकाबगंज की पुलिस द्वारा श्रीमती पुष्पा शर्मा की गिरफ्तारी

*19—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी तथा श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि दिनांक 5 दिसम्बर, 1978 को जनपद आगरा के रकाबगंज थाना की पुलिस ने पुष्पा शर्मा नामक ऐसी युवती को गिरफ्तार किया था जो डाकू दल की सदस्या थी ? अगर हां, तो उस पर कौन से आरोप थ ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना नदवई, जनपद भरतपुर (राजस्थान) के अपराध संख्या 184/78 के अन्तर्गत धारा 395/397, भा० दं० वि० से संबंधित लूटा गया माल कुमारी पुष्पा शर्मा, पुत्री लक्ष्मी नरायन शर्मा, निवासी, ख्वाजा हवेली, मोहल्ला ढाकरान, थाना रकाबगंज, जनपद आगरा के कब्जे से थाना रकाबगंज, आगरा की पुलिस द्वारा दिनांक 5-12-78 को बरामद किया गया और उसे धारा 412, भा० द० वि० के अन्तर्गत पुलिस हिरासत में लिया गया ।

छानबीन करने पर कुमारी पुष्पा शर्मा का अवैध संबंध कुख्यात दस्यु धनीराम से होना मालूम हुआ । परन्तु कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिससे कि इस बात की पुष्टि होती कि कुमारी पुष्पा शर्मा कुख्यात दस्यु, धनीराम के गिरोह की सदस्या थी ।

मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट, शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी के न्यायालय में श्री चतुर सिंह आदि के विरुद्ध मुकदमा

*20—डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा संख्या 588, सन् 78, धारा 420, 468, 471, आई० पी० सी० के अन्तर्गत अतिरिक्त मजि

मुंसिफ, शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी के न्यायालय में सरकार बनाम चतुर सिंह आदि के नाम से चल रहा था ? उक्त मुकदमें को सरकार ने वापस लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

न्याय मन्त्री (श्री श्रीचन्द)—

मुकदमा सं0 588 सन् 78 श्री चतुर सिंह आदि के विरुद्ध मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट शिकोहाबाद के न्यायालय में नहीं चल रहा था । श्री चतुर सिंह आदि के विरुद्ध मुकदमा संख्या 99/78 मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट, शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी के न्यायालय में विचाराधीन था । उसे वापस लिये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है । उपलब्ध पत्रादि/आख्या को देखते हुए शासन का मत है कि प्रश्नगत अभियोजना राजनैतिक द्वेष के कारण चलाया गया प्रतीत होता है ।

*21—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित] ।

बलरामपुर के अधिशासी अभियन्ता, श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता को पार्सल में पिन बम भेजने की जांच

*22—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि गत 16 फरवरी, सन् 1979 को चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खन्ड, बलरामपुर के अधिशासी अभियन्ता (श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता) को एक पासल द्वारा पिन बम भेजा गया था जिसके फटने से अधिशासी अभियन्ता घायल हो गये थे ? क्या इस सिलसिले में प्रश्नकर्ता की ओर से एक पत्र गृह सचिव के पास दिनांक 3 अप्रैल, 1979 को भेजा गया ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों का पता लगाकर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास—

जी हां । पत्र भी प्राप्त हुआ था । घटना के संबंध में पंजीकृत मुकदमा अभी विवेचनाधीन है ।

फैजाबाद में साप्ताहिक "करेन्ट" के सम्वाददाता पर हमला

*23—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 28 अप्रैल, 1979 को फैजाबाद में साप्ताहिक "करेन्ट" के सम्वाददाता (श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र) पर प्राण घातक हमला किया गया ? यदि हां, तो क्या हमलावर पकड़े गए और हमले का क्या कारण था ?

श्री बनारसी दास—

प्राणघातक नहीं बल्कि साधारण मारपीट वाली, धौंस तथा समाचार डायरी ले जाने के संबंध में एक अभियोग धारा 379/323/904/502, भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ है । एक अभियुक्त श्री राम सकल दूबे, भन्डारक, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है और जमानत पर है एवं अभियोग आरोप-पत्र श्री दुबे के विरुद्ध प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन न्यायालय है । अन्य अज्ञात अभियुक्तों का पता नहीं चल सका । सम्वाददाता द्वारा दी गई सूचना कि फैजाबाद जनपद के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी

(तृतीय) द्वारा औषधियों के बिक्रय एवं वितरण में अनियमितता जो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और जिस पर जांचोपरान्त कार्यवाही हुई अथवा विचाराधीन थी, से क्षुब्ध होने एवं द्वेष के कारण घटना का घटित होना विदित हुआ है ।

तहसील पडरौना, देवरिया में फायर ब्रिगेड की स्थापना

*24—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि देवरिया जिले के मुख्यालय से जिले का उत्तरांचल 100 किलोमीटर दूर पड़ता है जिससे आगजनी की दुघर्टनाओं में देवरिया के फायर ब्रिगेड को पहुंचने में बहुत विलम्ब हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार देवरिया जिले के नगरपालिका, पडरौना में फायर ब्रिगेड रखने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हां । देवरिया जिले के पडरौना तहसील में फायर ब्रिगेड की स्थापना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

*25—श्री रामदेव दुबे—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]।

जवाहरलाल नेहरू पालीटेक्निक कालेज, महमूदाबाद का प्रबन्ध

*26—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू पालीटेक्निक कालेज, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर को सरकार अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां ।

संस्था द्वारा प्रस्ताव कि राज्य सरकार ही उसका प्रबन्ध करें और संस्था की सोसाइटी की सारी सम्पत्ति राज्य सरकार को दे दी जाय और सोसाइटी अपने को विघटित कर दें, पारित नहीं हुआ है इसलिए समय बतलाना सम्भव नहीं है ।

*27—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री देवकी नन्दन—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]।

खन्ना इलेक्ट्रिक कम्पनी को धनराशि का भुगतान

*28—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध वन प्रभाग तथा उसके सब रेंजों तथा मुख्य कार्यालय से सम्बन्धित सभी कार्यालयों से खन्ना इलेक्ट्रिक कम्पनी को किन-किन मदों पर 4 वर्षों में 1975 से 1979 तक कितना भुगतान किया गया ? क्या इन सभी कार्यों के वास्ते टेंडर मांगा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन--

अवध वन प्रभाग तथा उसके सब-रेंजों व मुख्य कार्यालयों से सम्बन्धित कार्यालयों से खन्ना इलेक्ट्रिक कम्पनी को वर्ष 1975-76 से 1978-79 तक कुल 1,40,076.21 की धनराशि का भुगतान किया गया, जिसका वर्ष वार विभाजन निम्नवत् है :--

	(रुपयों में)
1975-76	28,009.24
1976-77	40,153.69
1977-78	32,593.13
1978-79	39,320.15
योग ..	1,40,076.21

उपरोक्त व्यय कार्यालय भवनों में बिजली व पंखों की फिटिंग, पुरानी फिटिंग की मरम्मत व अनुरक्षण, नलकूपों की मरम्मत, उपकरणों के क्रय, मजदूरी व अन्य छुटपुट कार्यों पर किया गया ।

इन कार्यों के लिए टेंडर नहीं मांगे गये थे, बल्कि कोटेशन लेकर न्यूनतम दर पर कार्य कराया गया ।

अवध वन प्रभाग के अन्तर्गत वन राज्य अधिकारी का स्थानान्तरण

*29--श्री रियासत हुसैन--

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि यूकिलिप्ट्स ग्रुप में अवध वन प्रभाग के अन्तर्गत इस समय वन राज्य अधिकारी के पद पर जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वह एक ही स्थान पर पांच वर्ष से अधिक से एक हीं स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनका तवादला न करने का क्या कारण है ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन--

श्री डी० आर० आर्या, यूकेलिप्ट्स ग्रुप-रेंज, अवध वन प्रभाग के इंजार्च की हैसियत से दिनांक 19-10-77 से कार्यरत हैं । इसके पूर्व वे वन राजिक नहीं थे, बल्कि उपराजिक की हैसियत से दिनांक 23-12-72 से लखनऊ रेंज के अन्तर्गत एक सम्बद्ध अधिकारी के रूप में कार्य देख रहे थे । वन राजिक के पद पर उनको एक स्थान पर पांच वर्ष से अधिक नहीं हुआ है ।

*30--श्री बाबूराम शुक्ल--

[8वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

*31- श्री राम सजीवन--

[5-6-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 31 द्वारा उत्तरित] ।

ग्राम लखिमा, थाना श्याम देउरवा, जिला गोरखपुर में डकैतों से मुठभेड़

*32—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष गांव लखिमा, थाना श्याम देउरवा, जिला गोरखपुर में डकैतों की मुठभेड़ में गांव की रक्षा करते एक आदमी डकैतों द्वारा मारा गया था ? यदि हां, तो क्या शासन ने उनकी बेवा एवं नाबालिग बच्चों की परवरिश के लिए कोई सहायता दी ? यदि नहीं, तो क्यों ? एवं कब तक दी जायेगी ?

श्री बनारसी दास—

दिनांक 22/23 अप्रैल, 1977 की रात को एक श्री बद्री धोबी, निवासी ग्राम लखिमा, थाना श्याम देउरवा, जिला गोरखपुर की मृत्यु देडकैतों को अवरुद्ध करने में डाकुओं की गोली के परिणामस्वरूप हुई ।

उनके आश्रितों को अभी तक कोई आर्थिक सहायता/पेंशन नहीं दी गयी है । इस सम्बन्ध में उनके आश्रितों को पेंशन दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

बद्रीनाथ मन्दिर के रावल को दिया गया तिलक व पट्टाभिषेक

*33—श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बद्री नाथ मन्दिर के रावल को मन्दिर में पूजा के अधिकार प्राप्त करने से पूर्व तिलक तथा पट्टाभिषेक दिया जाता है ? यदि हां, तो वर्तमान रावल को तिलक दिया गया है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री आबिद अली)—

जी हां, रावल को तिलक व पट्टाभिषेक दिया जाता रहा है ।

वर्तमान समय में रावल के स्थान पर नायब-रावल पूजा आदि समस्त कार्य देख रहे हैं क्योंकि रावल का पद अभी रिक्त है । नायब रावल को "तिलक" व "खिल्लत" देने की कोई परम्परा या नियम नहीं है ।

*34—श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित] ।

ग्राम बैरी मजरा मगटइया, जिला लखनऊ में जबरदस्ती फसल काटने की रिपोर्ट

*35—श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम बैरी मजरा मगटइया, थाना मोहन लाल गंज, जिला लखनऊ में कुछ मास पूर्व जबरदस्ती से फसल काटने की रिपोर्ट थाना मोहनलालगंज में दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामेश्वर निवासी बैरी मगटइया का प्रश्नगत शिकायतों के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-11-78 पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र को प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर दिनाँक 30-11-78 को थाना मोहनलालगंज पर 6 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एक अभियोग धारा 379 भारतीय दण्ड विधान कायम हुआ । पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में तीन नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है । शेष तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस प्रयत्नशील है ।

आई० टी० आर० कम्पनी, बरेली द्वारा तारपीन का उत्पादन तथा वितरण

*36—श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई० टी० आर० कम्पनी, सी० बी० गंज, बरेली में वर्ष 1977 व 1978 में अलग-अलग तारपीन का कितना उत्पादन हुआ और कितना तारपीन इन वर्षों में अलग-अलग कैम्फर फैक्ट्री, बरेली को दिया गया और किस भाव पर दिया गया ? इसके अतिरिक्त कैम्फर फैक्टरी ने इन दोनों वर्षों में आई० टी० आर० कम्पनी, बरेली को कितना डी० टी० वापस किया और किस भाव पर ?

श्री राम नरेश यादव—

आई० टी० आर० कम्पनी, बरेली में वर्ष 1977 में 26,37,300.00 लीटर और वर्ष 1978 में 22,85,964.75 लीटर तारपीन का उत्पादन हुआ ।

कैम्फर फैक्टरी, बरेली को वर्ष 1977 तथा 1978 में जिस मात्रा में तारपीन दिया गया तथा जिस भाव पर दिया गया उसका विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष 1977 अवधि	तारपीन की मात्रा (लीटर में)	तारपीन का भाव प्रति लीटर (रुपये में)
जनवरी, 77 से मार्च, 77 तक	8,56,800	1.28
31-4-77 से 16-5-77 तक	4,28,400	1.67
26-5-77 से 7-9-77 तक	5,23,600	1.77
17-9-77 से 15-11-77 तक	2,85,600	1.87
16-11-77 से 24-11-77 तक	47,600	2.12
	21,42,000	
वर्ष 1978	16,56,200	2.15

कैम्फर फैक्टरी ने वर्ष 1977 एवं 1978 में आई० टी० आर० कम्पनी, बरेली को जिस मात्रा में डिस्टिल्ड तारपीन दिया तथा जिस भाव पर दिया उसका विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष 1977

अवधि	डिस्टिल्ड तारपीन की मात्रा (लीटर में)	भाव (रु० में) प्रति लीटर
जनवरी, 77 से मार्च, 77 तक	1,52,000	1.03
1-4-77 से 16-5-77 तक	78,000	1.42
26-5-77 से 7-9-77 तक	1,42,000	1.52
17-9-77 से 15-11-77 तक	84,000	1.62
16-11-77 से 24-11-77 तक	16,000	1.87
	4,72,000	
वर्ष 1978	89,500	1.90

अंटी गांव, जिला गोरखपुर के निवासी श्री अयोध्या पाण्डेय की हत्या

*37—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के श्यामदेउरवा थाने में अंटी गांव निवासी स्व० अयोध्या पांडेय की दिन-दहाड़े हत्या 8 मार्च, 1979 को की गई ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य ने जिलाधिकारी, गोरखपुर को कोई निर्देश इस सम्बन्ध में दिया है ? यदि हां, तो निर्देश क्या है एवं इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने शासन को क्या सूचना दी ?

श्री बनारसी दास—

जी हां । फोन पर जिलाधिकारी से यह कहा गया था कि स्व० अयोध्या पाँडेय की हत्या को लेकर उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति है और इसको वह देख लें । मामला केवल हत्या का था और स्थिति पूर्ण नियंत्रित थी । अतएव जिलाधिकारी ने कोई रिपोर्ट शासन को भेजने की आवश्यकता नहीं समझी ।

राम नायक जूनियर हाई स्कूल, करनाई में आगजनी व बलवा

*33—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में हैदरगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत करनाईपुर में स्थित विद्यालय में गत 27 फरवरी, 1979 को आगजनी व बलवा की घटना हुई जिसकी रिपोर्ट थाना हैदरगंज में दर्ज की गई है ? यदि हां, तो इस मामले में अभी तक कुल कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये और शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने का आधार क्या है ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 27-2-79 को राम नायक जूनियर हाई स्कूल, करनाई, के कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा थाना हैदरगंज में धारा 147/148/149/323/452/379/120 बी० भा० द० वि० के अन्तर्गत मारपीट की घटना के संबंध में अभियोग संख्या 43 तथा सरदार बल्लभ भाई पटेल जूनियर हाई स्कूल, (प्राइवेट) करनाईपुर के प्रधानाचार्य ने दूसरा अभियोग संख्या 43 (ए) धारा 436 भा० द० वि० के अन्तर्गत उनके विद्यालय में आग लगने के संबंध में पंजीकृत कराये । विवेचना से अभियोग सं० 43 (ए) की सूचना के तथ्य सत्यापित नहीं हुए । अभियोग सं० 43 में पुलिस को दबिस के फलस्वरूप 7 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जिनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जा चुका है । अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध 82/83 जा० फौ० की कार्यवाही की जा रही है ।

थाना गोसाईंगंज, जिला लखनऊ के निवासी, श्री पंचम द्वारा दर्ज रिपोर्ट

*39—श्री सन्तबख्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27 अप्रैल, 1979 को गोसाईंगंज, जनपद लखनऊ में पंचम, आत्मज राम चरन, निवासी गुलालखेड़ा ने धारा 24/325 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी ? क्या यह सही है कि उक्त घटना से प्रभावित घायलों में पंचम तथा पूर्वीदीन थे, जिसमें से पूर्वीदीन हरिजन की दिनांक 8 मई, 1979 को मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष ने अपराधियों पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हां । पंजीकृत अपराध की विवेचना की जा रही है । विवेचना के दबाव के कारण तीन अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस प्रयत्नशील है ।

*40—श्री कृष्ण स्वरूप—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित] ।

जिला सुल्तानपुर की मछरेटा पुलिस चौकी के दरोगा के विरुद्ध रिपोर्ट

*41—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि मछरेटा पुलिस चौकी, थाना राम कोट, जिला सुल्तानपुर के दरोगा के विरुद्ध 302 व 201 भारतीय दण्ड विधान की धारा के अन्तर्गत एक रिपोर्ट दिनांक 28 अप्रैल, 1979 को एक हरिजन श्री जराखन के कत्ल के सन्दर्भ में लिखायी गयी है ? यदि हाँ, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं ?

श्री बनारसी दास—

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शिव राम ने एक शिकायती-पत्र दिनांक 28-4-79 पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को दिया जिसमें यह आरोप लगाया कि उसके भाई जराखन को पुलिस के 3 कर्मचारी बाजार से पकड़कर लाठियों व बेतों से मारते हुए पुलिस चौकी, मछरेटा लाये और चौकी पर उसे मार-मार कर जान से मार डाला तथा लाश पुलिस द्वारा गायब कर दी गई । इस शिकायती-

पत्र पर थाना रामकोट पर चौकी इंचार्ज, दरोगा मछरेटा तथा दो कांस्टेबिलो के विरुद्ध भा० दं० वि० की धारा 302/201 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही है । जरीखा के जीवित होने या उसकी मृत्यु होने के संबंध में अब तक की विवेचना से ज्ञात नहीं हुआ । उप निरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है ।

*42—श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

[6ठें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

थाना छपिया, जनपद गोंडा के कर्मचारियों के वेतन की चोरी

*43—श्री छेदी (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के थाना छपिया में दिनांक 1 फरवरी, 1979 को कर्मचारियों के वेतन की धनराशि 10,000 (दस हजार) रुपये की चोरी हो गई है ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

जी हां । 10,540 रु० की धनराशि बरामद हो चुकी है । विवेचना जारी है ।

आपतकाल में हुयी ज्यादतियों की जांच

44—विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3 नवम्बर, 1977 को तापगढ़ जनपद में आपत्तिकालीन घोषणा के समय में की गयी ज्यादतियों की जांच प्रके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच में क्या हुआ ? क्या यह सच ह कि जांच को प्रभावित करने के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी, श्री एम० सईदुल्ला अपराध अनुसंधान के अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं ?

श्री बनारसी दास—

जी हां । इस प्रार्थना-पत्र पर अपराध अनुसंधान विभाग से जांच कराई गई, जिनकी जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है। यह सत्य नहीं है कि श्री एम० सईदुल्ला जांच को प्रभावित करने के लिए अपराध अनुसंधान विभाग के अधिकारियों से मिले।

चतुरसेन ग्राम, जनपद मेरठ के बालक राजू की ईख के खेत में पड़ी लाश

*45—मन्जूर अहमद तथा राम रतन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुरसेन ग्राम, सखौती, थाना दौराला, जनपद मेरठ में 24 अप्रैल, 1979 को कोई रपट अपने 6 वर्ष के बच्चे राजू के गुम हो जान की थाना दौराला में लिखाई है और उस बच्चे की लाश ग्राम सकौरी के बगल में ईख के खत में 28 अप्रैल, 1979 को मिली ? यदि हां, तो मुल्जिमान कौन हैं और उनके खिलाफ सरकार ने कौन सी कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चतुरसेन ने नहीं, अपितु श्री सुखवीर सिंह, निवासी ग्राम सकौती, जनपद मेरठ द्वारा अपने पोते श्री राजेश पुत्र श्री हरी किशन, आयु लगभग 6 वर्ष के दिनांक 23-4-79 से गुम हो जाने की सूचना दिनांक 24-4-79 को थाना दौराला पर अंकित कराई गई । उक्त सूचना के आधार पर दरियाफ्तहाल विवेचना प्रारम्भ की गई । दिनांक 24-4-79 को श्री सुखवीर सिंह द्वारा ही थाना दौराला पर इस आशय की सूचना अंकित कराई गई कि उनके उक्त पोते का शव श्री हरि सिंह के ईख के खेत में पाया गया । मृत बालक के पिता द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिया गया, जिसमें महीपाल नामक व्यक्ति पर अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाया गया । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना दौराला पर धारा 302 भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्त महीपाल ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जिसे जेल भेजा गया । विवेचना प्रचलित है ।

शमसाबाद-इरादत नगर सड़क पर नया थाना खोलने की मांग

*46—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार को पता है कि आगरा जनपद के थाना इरादत नगर का वह भाग जो तहसील फतेहाबाद में उर्टगन नदी के पार पड़ता है और थाना नदी के दूसरे तट पर है जब नदी में पानी भर जाता है तो शमसाबाद-इरादत नगर सड़क वाले पुल को पार करके उपरोक्त इलाके में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस इलाके में थाना खोलने पर विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास—

शमसाबाद-इरादत नगर सड़क पर, इरादत नगर से लगभग एक कि० मी० दूर कंकरीट का पुल उर्टगन नदी पर बन गया है । पुल का निर्माण हो जाने से वर्षा ऋतु में आने-जाने में अब कोई असुविधा नहीं होती है तथा थाना इरादत नगर का सम्पूर्ण भाग थाने से आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है ।

जांच से इस क्षेत्र में अतिरिक्त नये थाने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

श्री आगा मुहीउद्दीन शाह, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक का स्थानान्तरण

*47—श्री राम रतन सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (श्री आगा मुहीउद्दीन शाह) ने अपने पन्द्रह महीने के कार्यकाल में करीब 350 डकैत मारे और करीब 6,000 (छः हजार) डकैत पकड़े गये, करीब 17 गैंग खत्म किए और 15 लाख का माल बरामद किया ? यदि हां, तो सरकार उन विशेष कारणों को उल्लेख करने की कृपा करेगी जिसमें श्री शाह का स्थानान्तरण हुआ है ?

श्री बनारसी दास—

उपलब्ध सूचना, आंकड़ों तथा अभिलेखों के अनुसार श्री आगा मुहीउद्दीन शाह ने अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्ति की अवधि में स्वयं न तो कोई डकैत मारा और न पकड़ा । इसी प्रकार इस अवधि में उन्होंने कोई माल भी बरामद नहीं किया ।

श्री आगा मुहीउद्दीन शाह को अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के पद से अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) के पद पर प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किया गया ह ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में स्थानापन्न रूप से कार्यरत अवर वर्ग के सहायकों के आरक्षित पद

*48--श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में स्थानापन्न रूप से कार्यरत अवर वर्ग सहायकों को हाई कोर्ट, इलाहाबाद के लखनऊ बेंच ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1978 को अपने फसले के अनुसार 50 से 80 प्रतिशत तक स्थान अवर वर्ग सहायक के पद के लिए आरक्षित कर दिये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों के लिए कोई अहकारी परीक्षा करवाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

हाई कोर्ट, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ ने प्रसंगत विवाद में अपना फैसला दिनांक 14 दिसम्बर, 1978 को दिया था न कि दिनांक 15 दिसम्बर, 1978 को उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ।

प्रवक्ता के वेतनमान का पुनरीक्षण

*49--श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रवक्ता (अप्राविधिक) के वेतनमान के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश 11 अगस्त, 1978 को राजकीय पालीटेक्निक, फजाबाद के प्रधानाचार्य ने अभी तक पालन नहीं किया है ? यदि हां तो क्यों ? क्या इनके विरुद्ध शासनादेश की अवहेलना करने की कार्यवाही की जायगी ?

श्री बनारसी दास--

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद फर्रुखाबाद के जिलाधीश, श्री आर० एन० त्रिवेदी का स्थानान्तरण

1--श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी तथा श्री रामरतन सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद के जिलाधीश, श्री आर० एन० त्रिवेदी का स्थानान्तरण दो बार सन् 1977 व 1978 में हुआ, मगर वह रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में हुये साम्प्रदायिक दंगे

2--मन्जूर अहमद--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई, सन् 1977 से लेकर 25 अप्रैल, 1979 तक समस्त उत्तर प्रदेश में अलग-अलग कितनी जगह साम्प्रदायिक दंगे हुए, और उनमें कितने व्यक्तियों की जान गयी और अलग-अलग कितन धन की क्षति हुई ?

श्री बनारसी दास--

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1470 पर)

प्रदेश में पुलिस के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजना का क्रियान्वयन

3--श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)--

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में पुलिस के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और वह कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ? सरकार यह भी बताने का कष्ट करें कि इस योजना पर कुल कितना खर्च आएगा ?

श्री बनारसी दास--

जी हां । प्रदेश पुलिस के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिये एक योजना बनाई गई है । इस योजना के अन्तर्गत सिविल पुलिस, रेलवे पुलिस, जल पुलिस, घुड़सवार पुलिस, अपराध अनुसंधान विभाग, अभिसूचना विभाग का सुदृढ़ीकरण, पूर्ण प्रदेश में 203 नये थानों की स्थापना, प्रदेश के शेष व नव-प्रस्तावित थानों को जीप उपलब्ध कराना, थानों व अधिकारियों के वाहनों पर रेडियो संचार की व्यवस्था कराना, कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना व प्रत्येक जनपद को टेलीप्रिन्टर सर्किट से सम्बद्ध किये जाने आदि के प्रस्ताव हैं । इसके अतिरिक्त निम्न स्तर के कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार लाने हेतु उन्हें साइकिल क्रय करने के लिये 150 रु० का अनुदान तथा प्रत्येक माह 4 रु0 साइकिल भत्ता दिये जान व सभी ऐसे हेड कान्सटेबिल व कान्सटेबिल, जो वर्दी धारण करते हैं, को वर्दी के रख-रखाव हेतु धुलाई भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव है । इस योजना का कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप में किया जाना है । प्रथम चरण वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हो जायेगा । योजना के कार्यान्वयन में अगले पांच वर्षों में लगभग 65 करोड़ का व्यय भार पड़ेगा ।

प्रदेश में चलने वाली रेलों में चोरी व अपराध

4--श्री शंकर सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में चलने वाली रेलों में 1978 मार्च से 1979 मार्च तक कितनी चोरी तथा अन्य अपराध हुए ? यह अपराध इस अवधि के पिछले वर्ष में होने वाले अपराधों से कम हैं या अधिक ? सरकार यह भी बताने का कष्ट करें कि इन होने वाले अपराधों में कितने अपराधों का पता लगाने में पुलिस (जी० आर० पी०) कामयाब रही ?

श्री बनारसीदास--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम गढ़ी खंडेरा, जनपद आगरा के श्री पूरन सिंह का अपहरण

5--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 19/20 नवम्बर, 1978 को जनपद आगरा के थाना शमशाबाद के ग्राम गढ़ी खंडेरा से श्री पूरन सिंह कछवाहे का अपहरण हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

जी हां।

इस सम्बन्ध में थाना शमशाबाद, जनपद आगरा पर अभियोग अन्तर्गत धारा 365, भा० दं० वि० पंजीकृत करके पुलिस द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गई। अपहृत पूरन सिंह, दिनांक 8-1-79 को अपहरणकर्ताओं से छूट कर आ गया है।

कोल डिपो मेसर्स, सत्येन्द्र कुमार एण्ड कोल कम्पनी, आगरा के विरुद्ध दायर की गई रिट

6--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा को आवंटित कोल डिपो मेसर्स, सत्येन्द्र कुमार एण्ड कोल कम्पनी, आगरा के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्या मेसर्स न्यू अग्रवाल कोल कम्पनी, आगरा ने कोई रिट वर्ष 1979 में दायर की ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां। राज्य सरकार रिट याचिका का विरोध कर रही है।

तत्कालीन उद्योग मन्त्री के विरुद्ध दायर रिट

7--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में उद्योग विभाग के कर्मचारी श्री पूरन चन्द्र गुप्ता ने क्या जुलाई 1978 में श्रीमान उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में श्री राम प्रकाश गुप्ता, तत्कालीन उद्योग मन्त्री के विरुद्ध कोई रिट दायर की ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां। रिट खारिज कर दी गई है।

थाना कैन्ट, जनपद गोरखपुर के श्री अखिलेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के विरुद्ध दायर मुकदमा

8--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जनपद, थाना कैन्ट में श्री अखिलेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा अप्रैल, 1979 के दूसरे सप्ताह में दो मुन्सिक मजिस्ट्रेटों

के विरुद्ध धारा 395 के अन्तर्गत कोई मुकदमा लिखाया गया था ? यदि हां, तो मुकदमे की विवेचना से क्या तथ्य प्रकाश में आए और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

श्री अखिलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बिना तारीख का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-4-79 को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया था जिसके आधार पर दिनांक 11-4-79 को थाना कैन्ट में मुकदमा अपराध संख्या 407/79, धारा 395, भा० दं० वि० के अन्तर्गत अंकित किया गया । मुकदमा अभी विवेचनाधीन है और विवेचना की समाप्ति पर ही उचित कार्यवाही की जायेगी ।

हेड कान्सटेबिल पद की परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गये सिपाही

9—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर में अप्रैल, 1979 में हेड कान्सटेबिल पद की योग्यता परीक्षा में सत्रह सिपाही नकल करते हुए पकड़े गए ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास—

जी हां । इन कान्सटेबिलों की तैनाती के जनपद के सम्बन्धित पुलिस अधीक्षकों को कान्सटबिलों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही करने हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जा चुके ह ।

प्रदेश के सार्वजनिक निगमों में घाटा

10—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1978-79 में उत्तर प्रदेश के कितने सार्वजनिक निगमों में कितने रुपय का घाटा हुआ है ? सरकार निगमों की दशा सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रही हैं ?

श्री बनारसी दास—

सार्वजनिक निगमों के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे अभी नियमानुसार तैयार हो रहे हैं । सम्परीक्षित लेखे प्राप्त होने पर ही लाभ-हानि की स्थिति ज्ञात होगी ।

सार्वजनिक निगमों की दशा सुधारने तथा इन्हें अधिक लाभप्रद बनाने के लिये शासन द्वारा प्रति त्रैमास, निगमों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित कर, निगमों के कार्यकलापों की प्रगति, समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाता है । इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो द्वारा भी नियमित रूप से निगमों के कार्यकलापों का अनुश्रवण तथा आवश्यकतानुसार उनके उद्देश्यों, कार्यविधियों, प्रशासनिक ढांचों कार्मिक नीतियों तथा वित्तीय व्यवस्था इत्यादि का अध्ययन कर निगमों को उपयुक्त मार्गदर्शन दिये जा रहे हैं ।

सूचना पुनर्गठन समिति रिपोर्ट 1975 की सिफारिशों का क्रियान्वयन

11—श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र 1977 के चौथे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर के सन्दर्भ में क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना पुनर्गठन समिति रिपोर्ट, 1975 की कौन सी सिफारिशों को अभी क्रियान्वित किया जा रहा है ?

श्री बनारसी दास—

सूचना पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट 1975 पर पूर्णरूपेण तथा सविस्तार विचार किए जाने के परिणामस्वरूप शासन ने निम्नांकित व्यवस्थाएं कीं :—

(1) प्रदेश के जिन 19 जिलों में जिला सूचना कार्यालय नहीं थे, वहां इनकी स्थापना ।

(2) सूचना तथा जन-सम्पर्क विभाग द्वारा एक-पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन ।

(3) प्रकाशन का प्रेषण सीधी डाक-व्यवस्था (डायरेक्ट मेलिंग सिस्टम) के अन्तर्गत होना ।

(4) दिल्ली में प्रदेश के प्रचार संगठन की स्वतन्त्र देख-रेख के लिये जन-सम्पर्क अधिकारी के एक वरिष्ठ पद का सृजन ।

(5) हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन का शिक्षा विभाग के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान को स्थानान्तरण ।

(6) तत्कालीन सूचना निदेशालय का नाम संशोधित करके सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग रखा जाना ।

इनमें उक्त समिति की कतिपय संस्तुतियां, पूर्णतः अथवा आंशिक/संशोधित रूप में समन्वित हैं । शेष का मान लेना, प्रशासकीय व्यवहारिकता की परिधि में सम्भव नहीं था ।

हरिद्वार, जिला सहारनपुर की फर्म बी० के० इलेक्ट्रानिक वायर के स्वामी द्वारा ऋण हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र

12—श्री राजकुमार शर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार, जिला सहारनपुर की फर्म बी० के० इलेक्ट्रानिक वायर के स्वामी श्री बसन्त लक्ष्मण बुधकर ने 16 जनवरी, 1978 को उत्तर प्रदेश वित्त निगम, गाजियाबाद को लघु-सिंचाई के लिए ऋण हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है ? क्या 4 सितम्बर, 1978 को प्रार्थना-पत्र बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया जबकि उपरोक्त तांबा तार निर्माण की कोई छोटी या बड़ी इकाई प्रदेश में नहीं है ? यदि हां, तो निगम ने ऋण क्यों नहीं दिया ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां ।

यद्यपि 4-9-1978 को निगम द्वारा पार्टी को ऋण प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये जाने की सूचना दे दी गयी थी तथापि इसी बीच पार्टी द्वारा यह सूचित किये जाने पर कि उनकी इकाई भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की पूरक इकाई घोषित की जा रही है, ऋण आवेदन-पत्र पर निगम की आन्तरिक समिति ने पुनः विचार किया और 18-12-1978 को 2,55,000 रु० का ऋण इकाई को स्वीकृत किया जिसकी सूचना इकाई को दे दी गयी है ।

13—श्री कृष्ण स्वरूप—

[6ठे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

14—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

गोरखपुर वन प्रभाग के कोडहवा बीट में नाजायज कटान के सम्बन्ध में निलम्बित किए गए अधिकारी तथा कर्मचारी

15—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को जानकारी है कि वर्ष 1971-72 में वन खण्ड, गोरखपुर के कोड़हवा बीट में नाजायज पेड़ के कटान के सम्बन्ध में रेंज अधिकारी, सेक्शन आफिसर एवं फारेस्ट गार्ड सहित कई कर्मचारी वर्ष 1975 में निलम्बित तथा पुनः बहाल किए गए और केवल सेक्शन आफिसर को अनिवार्य सेवा मुक्त किया गया, जिसके सम्बन्ध में अली मुर्तजा खां, फारेस्टर व कई अन्य ने नवम्बर, 1978 में मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश को आवेदन-पत्र भेजा और प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

वर्ष 1971-72 में गोरखपुर वन प्रभाग के कोड़हवा बीट में हुए नाजायज कटान के सम्बन्ध में सेक्शन आफिसर एवं फारेस्ट गार्ड को 1972 तथा राजि अधिकारी को 1973 में निलम्बित किया गया था और पुनः वर्ष 1974 को विभिन्न तिथियों में इनका निलम्बन समाप्त कर दिया गया ।

श्री अली मुर्तजा खां, सेक्शन आफिसर को कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया गया ।

श्री अली मुर्तजा खां, रिटायर्ड फारेस्टर द्वारा नवम्बर, 1978 में सीधे मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश को भेजा गया कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । शासन को श्री मुर्तजा खां का प्रत्यावेदन दिनांक 7-12-1978 प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है ।

16—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

17—श्री नाथू राम शिक्षक—

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ग्राम खांडेरा, थाना शमसाबाद के हुकुम सिंह नामक व्यक्ति का अपहरण

18--रघुबर दयाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के थाना शमशाबाद के अन्तर्गत ग्राम गढ़ खांडेरा के श्री हुकुम सिंह कछवाहे का अपहरण दिनांक 26 जनवरी, 1979 को हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम खांडेरा, थाना शमशाबाद में हुकुम सिंह नाम के किसी व्यक्ति का अपहरण जनवरी, 1979 में नहीं हुआ ।

हीवेट पालीटेक्निक महानगर, लखनऊ में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण छात्रों द्वारा ट्रेड परिवर्तन हेतु आवेदन-पत्र

19--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हीवेट पालीटेक्निकल महानगर, लखनऊ में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किन-किन छात्रों ने शिक्षा सत्र 1978-79 में ट्रेड परिवर्तन हेतु आवेदन-पत्र प्रधानाचार्य को दिए थे ? उनमें से किस-किस छात्र की ट्रेड परिवर्तन की अनुमति दी गई ? अनुमति देने के लिए बनाए गए मानक क्या निर्धारित किए गए ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

प्राप्त सूचनानुसार आवेदन-पत्र देने वाले छात्रों की सूची (क) तथा ट्रेड परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची (ख) संलग्न हैं । उ0 प्र0 प्राविधिक शिक्षा परिषद् की विज्ञप्ति संख्या बी-चौदह(1) (2) 73-74-3681-730, दिनांक 16 जुलाई, 1973 के द्वारा विज्ञप्ति नियम 32 (1) के अनुसार अनुमति देने के लिए मानक कक्ष प्रवेश क्षमता तथा छात्र की उपयुक्तता निर्धारित किए गए हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आग पृष्ठ 1471 पर)

मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के श्री लाल बहादुर, चौकीदार का निलम्बन काल के वेतन का भुगतान

20--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री लाल बहादुर, चौकीदार मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के निलम्बन व भुगतान आदि के विषय में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र शिक्षा मंत्री को सितम्बर, 1978 में मिला था ? क्या मंत्री जी ने कार्यवाही हेतु निदेशक शिक्षा (प्राविधिक) के पास भज दिया था ? यदि हां, तो अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां ।

श्री लाल बहादुर, चौकीदार के निलम्बम काल के बकाया वेतन का भुगतान उन्हें दिनांक 21 मार्च, 1979 को कर दिया गया है ।

21--श्री मन्जूर अहमद तथा श्री राज किशोर तिवारी--

[27-3-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 5 द्वारा उत्तरित ।]

श्री उसमान, निवासी ग्राम मड़ौसा (फर्रुखाबाद) के विरुद्ध लोगों को परेशान करने विषयक प्रार्थना-पत्र

22--श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी तथा श्री राम रतन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि उसमान, पुत्र नन्दू, ग्राम मड़ौसा, थाना कमालगंज, जनपद फर्रुखाबाद के गिरोह बनाने और लोगों को परेशान करन के खिलाफ श्री तारीक हुसेन, ग्राम भड़ोंसा, थाना कमालगंज में कई प्रार्थना-पत्र 1978 व 1979 में दिए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री उसमान, निवासी ग्राम भड़ोसा (फर्रुखाबाद) के विरुद्ध गिरोह बनाने व लोगों को परेशान करन विषयक उक्त ग्राम के श्री तरीक हुसेन के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थ । प्रार्थना-पत्रों की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा कर ई गई तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध शिकायतें प्रमाणित नहीं हुई ।

श्री इसरार, निवासी ग्राम भड़ोसा (फर्रुखाबाद) द्वारा पंजीकृत अभियोग के विरुद्ध कार्यवाही

23--श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी तथा श्री राम रतन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भड़ोसा, थाना कमालगंज, जनपद फर्रुखाबाद के इसरार पुत्र रज्जब हुसेन ने थाना कमालगंज में दिनांक 18 जनवरी, 1979 को एफ0 आई0 आर0 नं0 20, धारा 147, 148, 149 व 307 व 452, आई0 पी0 सी0 की थी ? उसमें अब तक कितने मुल्जिम गिरपतार हुए हैं और क्या कार्यवाही अब तक की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री इसरार निवासी ग्राम भड़ौसा (फर्रूखाबाद) द्वारा दिनांक 18-1-79 को थाना कमालगंज पर दी गई सूचना के आधार के प्रश्न में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना की गई । विवेचना के उपरान्त उक्त मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई । अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरकाशी में क्षेत्रीय विकास योजना (हाड़ा) के अन्तर्गत ऋण के वितरण में अनियमितता

24--श्री बरफिया लाल जुआंठा 'अरविंद' (जिला उत्तरकाशी)--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला उत्तरकाशी में ह डा योजना के अन्तर्गत चारों विकास खन्डों में अभी तक अलग-अलग ऋण कितना-कितना प्रति ब्लाक बांटा गया ? क्या यह सही है कि इस ऋण को बांटने में अनियमितता की जा रही है ? यदि हां, तो इस ओर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री आबिद अली—

उत्तरकाशी जनपद के किसी विकास खंड में क्षेत्रीय विकास योजना (हाडा) के अन्तर्गत ऋण अभी तक वितरित नहीं किया गया है। योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अनुदान दिया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है :—

	रू0
पशुपालन	3,40,000
कृषि	2,63,000
उद्यान	57,000
योग ..	6,60,000

25—श्री बरफिया लाल जुआंठा 'अरविंद'—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

जिला उत्तरकाशी के पुरौला में कार्डिग प्लान्ट की स्थापना

26—श्री बरफिया लाल जुआंठा 'अरविंद'—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला उत्तरकाशी के पुरौला में कार्डिग प्लान्ट की स्थापना कब हुई थी तथा वह कब से बन्द है? बन्द होने के क्या कारण हैं? क्या इस प्लान्ट को चालू करने के आदेश देने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

पुरौला में कार्डिग प्लान्ट की स्थापना वर्ष 1972–73 में की गई थी। दिनांक 21–2–1975 को ब्रेकर कार्ड मशीन के मेन ड्रम टूट जाने के कारण यह प्लान्ट तब से बन्द है। प्लान्ट को चालू करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

जिला उत्तरकाशी में जिला औद्यानिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

27—श्री बरफिया लाल जुआंठा 'अरविंद'—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जिले में एक जिला औद्योगिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था? यदि हां, तो इस केन्द्र को अभी तक न खोलने के क्या कारण हैं, जबकि अन्य जिलों में स्थापना हो चुकी है? क्या मन्त्री जी शीघ्र ही इस औद्योगिक केन्द्र को खोलने के आदेश देने की कृपा करेंगे?

श्री राम नरेश यादव—

जिला उत्तरकाशी में जिला उद्योग केन्द्र खुल चुका है।

थाना जैंतीपुर की पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाश एवं बन्दूक व कारतूस

28—श्री अशोक बाजपेई (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कपा करेंगे कि शाहजहांपुर के थाना जैंतीपुर की पुलिस ने ग्राम नवादा व जल्लापुर के पास कितने बदमाश इस वर्ष पकड़े, कितनी बन्दूक व कारतूस पकड़े और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना जैंतीपुर की पुलिस ने ग्राम नवादा व अल्लापुर के पास दिनांक 1-1-79 से 31-5-79 तक की अवधि में कोई बदमाश नहीं पकड़ा और न ही कोई बन्दूक या कारतूस पकड़े ।

मोहल्ला कूंचा पंडितान, थाना सहावर के राम औतार वाष्णेय का अपहरण

29—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा के अन्तर्गत कस्बा सहाबर के मोहल्ला कूंचा पंडितान, थाना सहाबर के एक व्यक्ति श्री राम औतार वष्णेय दिनांक 20 दिसम्बर, 1978 को गंगा जी पर से बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उसको लगभग 7500 रु० फिरौती लेन के बाद मुक्त किया गया था ? क्या यह सच है कि थाना सहावर में तत्काल उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की गयी और दिनांक 7 जनवरी, 1979 को उप महानिरीक्षक (पुलिस), आगरा रेंज से उक्त राम औतार के मिलन तथा लिखित सूचना देने के उपरान्त 1 फरवरी सन् 1979 को थाना सहावर में मुकदमा अपराध संख्या 24 अन्तर्गत धारा 120-बी 365 आई० पी० सी० के कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कायम किया गया ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध ने क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सुचना के अनुसार दिनांक 21-12-78 को पुलिस अधीक्षक एटा के कार्यालय में श्री जगदीश प्रसाद व श्री राम औतार वाष्णेय, निवासी कूचा पंडितान, कस्बा सहावर, एटा द्वारा प्रेषित दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें दिनांक 12-11-78 को श्री राम औतार वाष्णेय का बदमाशों द्वारा अपहरण कर लेने तथा रुपया 7,454 फिरौती देन के बाद दिनांक 23-11-78 को श्री राम औतार के वापस घर लौट आने का उल्लेख किया गया था । उक्त प्रार्थना-पत्र थानाध्यक्ष सहाबर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गए ।

उक्त श्री राम औतार ने एक अन्य प्रार्थना-पत्र दिनांक 7-1-79 पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिया, जिसके आधार पर थाना सहावर पर दिनांक 1-2-79 को धारा 365/120 बी० भा० द० वि० का अभियोग कायम किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है । दिनांक 12-11-78 को हुई कथित घटना की थाने पर तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गयी थी ।

तत्कालीन सहायक निबन्धक, गोरखपुर के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा

30--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष तत्कालीन सहायक निबन्धक, गोरखपुर (श्री विश्वनाथ पान्डेय) के विरुद्ध धोखाधड़ी का कोई मुकदमा गोरखपुर कोतवाली में कायम हुआ ? यदि हां, तो इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार गत वर्ष तत्कालीन सहायक निबन्धक, गोरखपुर (श्री विश्वनाथ पान्डे) के विरुद्ध धोखा धड़ी का कोई मुकदमा थाना कोतवाली में नही अंकित नहीं किया गया । प्रश्न नहीं उठता ।

विधायक श्री रणवीर सिंह द्वारा थाना इंचाज, बालाबेहट (ललितपुर) द्वारा आतंक व लूट खसोट के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

31--श्री ओंकारनाथ (जिला हमीरपुर) तथा श्री प्रेमनारायण अहेरवार (जिला झांसी) तथा श्री देव कुमार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोई प्रार्थना-पत्र दिनाँक 9 अप्रैल, 1979 का विधायक रणवीर सिह द्वारा थाना इंचार्ज, बालाबेहट (ललितपुर) के आतंक एवं लूट-खसोट के सम्बन्ध में (जिसमें 8 शिकायती-पत्र संलग्न थे) दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास--

जी हां । उच्चाधिकारी से जांच कराने हेतु पुलिस महानिरीक्षक को निदेश दिये गये है ।

ललितपुर जनपद में जनता पर लाठी चार्ज

32--श्री ओंकार नाथ--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में दिनाँक 17 जुलाई, 1978 को जनता पर कोई लाठी चार्ज हुआ ? यदि हां, तो किसके आदेश से हुआ ? क्या उसकी जाँच के लिए कोई मजिस्टीरियल जांच बैठाई गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कायवाही की गयी ? क्या इस जाँच में दो उप पुलिस अधीक्षकों को दोषी ठहराया गया है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास--

जी हाँ, लाठी चार्ज के आदेश तत्कालीन थानाध्यक्ष, कोतवाली, ललितपुर ने दिया था । मामले की मजिस्टीरियल जांच कराई गई । जाँच रिपोर्ट के आधार पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई । इस लाठी चार्ज के लिये पुलिस का कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया ।

राज्य नियोजन संस्थान में राजपत्रित अधिकारियों के स्वीकृत पद

33—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कुल कितने पद राजपत्रित अधिकारियों के स्वीकृत हैं और कितने पद 30 अप्रल, 1979 तक रिक्त हैं ? उनके रिक्त पदों को भरती न करने का कारण क्या है ? कब तक रिक्त पदों को सरकार भर देगी ?

श्री बनारसी दास—

राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों के कुल 273 पद स्वीकृत हैं ।

राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल, 1979 तक 66 पद रिक्त थे ।

रिक्त पदों में से कुछ पदों को भरने के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है । कुछ पदों पर तदर्थ/प्रति नियुक्ति द्वारा नियुक्तियां की गई हैं परन्तु अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की प्रतीक्षा की जा रही है । कुछ पदों को तदर्थ/पदोन्नति से भरने की प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है । कुछ पद मितव्यता के कारण रिक्त ह । कुछ पदों को भरने के निमित मंत्रि परिषद् की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही ह ।

रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आशा है ।

श्री बी० डी० मिश्रा, अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, मडियाहूं को पीटने की घटना

34—श्री राजकिशोर तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि श्री बी० डी० मिश्रा, अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, मडियाहूं, जौनपुर को दिनांक 18 जून, 1978 को दिन दहाड़े 11.30 बजे ओलन्द गंज चौराहे पर दुर्गा देवी के मन्दिर के समीप कुछ अवांछनीय तत्वों के आक्रमण करके बुरी तरह घायल करके मरणासन्न हालत में छोड़ दिया था ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 18–6 78 को श्री बी० डी० मिश्रा अधिकारी स्टेट बैंक, मडियाहूं, जिला जौनपुर ने अमुक व्यक्तियों द्वारा रंजिश के कारण उन्हें मारने पीटने की लिखित सूचना थाना कोतवाली जिला जौनपुर पर दी । इस सूचना पर अपराध संख्या 397/78 धारा 147/323/307 भा० द० वि० का अभियोग पंजीकृत किया गया । विवेचना से घटना के असत्य पाये जाने पर मामले में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है ।

ग्राम परगना, जिला रायबरेली के निवासी श्री रामपाल हरिजन की पिटाई

35—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 जनवरी, 1979 को श्री राम पाल हरिजन, निवासी ग्राम परगना, थाना शिवरतन गंज, जिला

[श्री राम आसरे वर्मा]

रायबरेली को गाँव के ही कुछ लोगों ने खेत पर जाकर मारा-पीटा जिसकी 18 जनवरी, 1979 को ही नामजद रिपोर्ट थाना शिवरतन गंज, जिला रायबरेली में लिखायी परन्तु उस पर कोई कार्यवाही न किए जाने पर 1 फरवरी, 1979 रजिस्टर्ड डाक द्वारा गृह सचिव, पुलिस अधीक्षक तथा थाना इंचार्ज व जिलाधीश रायबरेली को भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-1-79 को श्री राम पाल हरिजन निवासी ग्राम परसौना, थाना शिवरतन गंज, जिला रायबरेली व उसी गांव के निवासी बदलू पासी आदि से पानी काटने के सम्बन्ध में मार पीट हुई थी। इस घटना की रिपोर्ट उपरोक्त राम पाल ने 4 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 323/506 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत थाना शिवरतन गंज पर अंकित कराई थी। रिपोर्ट नियमानुसार थाने में अंकित की गयी। श्री रामपाल का दिनाँक 1-2-79 का प्रार्थना पत्र शासन को प्राप्त हुआ। जांच से पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं महसूस हुई और न शान्ति भंग होने की सम्भावना पाई गई।

यू0 पी0 डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लि0 लखनऊ की स्थापना, उद्देश्य व स्वीकृत पदों पर वेतनमान

36—श्री सुखपाल पान्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लि0, लखनऊ की स्थापना किन उद्देश्यों से की गयी और कब की गयी और 30 अप्रैल, 1979 तक कितने पद किस वेतनक्रम में स्वीकृत किए गए उनमें से कितने पदों पर अब तक नियुक्ति की गयी ? कितने अभी शेष हैं ?

श्री बनारसी दास—

उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लि0, लखनऊ की स्थापना दिनाँक 15 मार्च, 1977 को निम्नांकित उद्देश्यों से की गयी है:—

1—विशेषज्ञता एवं अनुभव का केन्द्र स्थापित करना तथा विभिन्न राजकीय विभागों, एजेन्सियों, संस्थाओं तथा अन्य को, फीस अथवा बिना फीस लिये योजना निर्माण तथा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में, आधुनिक प्रबन्ध प्रणालियों के लागू किये जाने तथा आवश्यक गुणात्मक एवं परिणामात्मक सूचना का संकलन, संग्रहण तथा आदेशन हेतु सहयता एवं सलाह प्रदान करना।

2—स्वयं अथवा अन्य संगठनों, एजेन्सियों, संस्थाओं, व्यक्तियों अथवा अन्य के सहयोग से अन्वेषणात्मक, निदानात्मक, मूल्यांकनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा तकनीकी आर्थिक अध्ययनों, अग्रगामी क्रियात्मक शोध परियोजनाओं तथा विभिन्न परियोजनाओं, सेक्टरों अथवा विकास के क्षत्रों से सम्बन्धित सर्वेक्षण का कार्य करना।

3—एकीकृत योजनाओं के बनाने तथा उनके कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण का कार्य करने तथा इस सम्बन्ध में सहायता प्रदान करना।

4—उपकरणों के रखरखाव एवं किसी भी विवरण के कम्प्यूटेशन सेवा का स्वतन्त्र रूप से अथवा अन्य किसी के सहयोग से, जो कम्पनी के विचार में विभिन्न राजकीय विभागों, संगठनों, संस्थाओं तथा अन्य के लिये सहायक हो सके, का संगठन, संस्थापन एवं प्रबन्ध करना ।

5—विचारों को प्रचारित करना तथा त्वरित एवं दक्ष प्रबन्ध को सुसंगत तकनीक को बढ़ावा देना ।

दिनांक 30 अप्रैल, 1979 तक नियम में 66 पद विभिन्न वेतनक्रम में स्वीकृत किये गय जिनमें 35 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है और 31 पदों पर होना शेष है । पदों सम्बन्धी पूर्ण विवरण संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 1475 पर)

राज्य नियोजन संस्थान के प्रभागों के व्यय का वहन

37—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के सम्पूर्ण व्यय का दो तिहाई हिस्सा भारत सरकार वहन करती है ? यदि हाँ, तो क्या सही है कि उक्त संस्थान का एक प्रभाग, अप्रैल, 1979 में तोड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत केवल नवीन प्रभागों में विभिन्न मदों के लिये निर्धारित सीलिंग के अन्तर्गत हुये वास्तविक व्यय का दो तिहाई भाग भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

यह सही है कि उक्त संस्थान का एक प्रभाग (तात्विक नियोजन एवं समन्वय प्रभाग) अप्रैल, 79 में समाप्त कर दिया गया है ।

जनपद बदायूं में डकैती एवं कत्ल की वारदातें एवं गिरफ्तार मुल्जिमान

38—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद में 1 अप्रैल, 1979 से 20 अप्रैल, 1979 तक कितने डकैती एवं कत्ल की वारदातें हुयीं एवं उनमें से किस-किस मुल्जिमान गिरफ्तार हो गये एवं जिन अपराधों में मुल्जिम गिरपतार नहीं हुए उनका क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बदायूं में दिनांक 1-4-79 से 20-4-79 तक डकैती के 3 तथा हत्या के 10 अपराध पंजीकृत हुये । डकैती के अपराधों में प्रकाश में आये 26 मुल्जिमान में से 11 अभियुक्तों को गिरपतारी के बाद जेल भना गया । अन्य की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही की जा रही है । हत्या के अपराधों में कत्ल 18 अभियुक्तों में से 17 गिरफ्तार हो चुके हैं । शेष 1 अभियुक्त फौजी कर्मचारी है । उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस जनपद की सीमा 8 जनपदों की सीमा से मिली हुई है । अपराध के बाद अपराधी सरहदी जनपद में छिप जाते हैं ।

वन विभाग में कार्यरत खूंट मुहर्रिर के पदों का नियमितीकरण एवं प्रोन्नतिकरण

39—श्री बरफियालाल जुआंठा अरविंद—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वन विभाग में कार्यरत खूंट मोहर्रिरों का नियमितीकरण एवं पदोन्नति का मामला शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब तक इसका नियमितीकरण एवं पदोन्नति कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनके बारे में पुनर्विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री काजी मुहम्मद मोहीउद्दीन—

वन विभाग में कार्यरत सीजनल कर्मचारियों जिनमें खूंट मुहर्रिर भी सम्मिलित हैं, को पूर्णकालिक चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित प्रोन्नत करने का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है और शासनादेश दिनांक 19 दिसम्बर, 1978 व 6 जनवरी, 1979 में निहित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

नियमन प्रोन्नति एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । अतः किसी नियत तिथि तक पूर्ण करने का प्रश्न नहीं उठता ।

40—श्रीमती शारदा देवी—

[29 मार्च, 1979 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित ।]

श्री नान्हू राम, तत्कालीन थानाध्यक्ष, खजनी, जिला गोरखपुर के विरुद्ध आरोप

41—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि थाना बेलघाट, जिला गोरखपुर के वर्तमान थानाध्यक्ष (श्री नान्हू राम) के विरुद्ध विभिन्न आरोपों में जब वे इससे पूर्व खजनी (गोरखपुर) में तैनात थे विभागीय कार्यवाही की गई ह ? क्या इनके बिरुद्ध दफा 61 में भी कोई मामला चल रहा ह ? तथा थाना गौरीबाजार (देवरिया) में भी कोई मामला इनके विरुद्ध चल रहा है ? यदि हां, तो इतने आरोपों के बाद अभी अप्रैल, 1979 म इन्हें पुनः थानाध्यक्ष क्यों बना दिया गया ?

श्री बनारसी दास—

श्री नान्हू राम, तत्कालीन थानाध्यक्ष, खजनी, जिला गोरखपुर के विरुद्ध कतिपय आरोपों पर विभागीय कार्यवाही की गई ह । इनके विरुद्ध एक अभियोजन अपराध संख्या 168/78 धारा 342/323/384/161/506, भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत थाना खजनी पर कायम हुआ था जिसमें आरोप प्रमाणित न होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई और उसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया । इनके विरुद्ध थाना गौरी बाजार, जिला गोरखपुर में भी एक मामला पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना के उपरान्त इन्हें दिनांक 16 मई, 1979 से निलम्बित कर दिया गया है । इन्हें थानाध्यक्ष बनाये जाने का आधार यह था कि उस समय अनुसूचित जाति के उपलब्ध सब-इन्स्पेक्टर में से ये सबसे उपयुक्त थ ।

गोरखपुर के अधिवक्ताओं द्वारा मुख्य मंत्री को दिया गया ज्ञापन

42—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 20 अप्रैल, 1979 को गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने मुख्य मन्त्री जी को कोई ज्ञापन गोरखपुर में दिया था ? यदि हां, तो ज्ञापन में उल्लिखित मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीचन्द्र—

गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन, दिनांकित 19 अप्रैल, 1979, मुख्य मन्त्री जी को गोरखपुर में दिया था ।

ज्ञापन में उल्लिखित मांगों के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) मन्त्रीगण तथा उच्चाधिकारी सामान्यतया अपने से सम्बन्धित विभागों व संस्थाओं को अपने सरकारी दौरों की सूचना देते ही हैं जब तक कि विशष कारणवश यह सम्भव या आवश्यक न हो । इसी प्रकार न्याय मन्त्री के नाते मैं भी बार संघ से मिलने का प्रयास करता हूं ।

(2) जिला स्तर की विभिन्न समितियों में बार संघ के अध्यक्ष आदि को पदेन सदस्य बनान के सुझाव पर शासन न अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(3) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खंडपीठ गोरखपुर में स्थापित किये जाने का कोई निर्णय शासन द्वारा नहीं लिया गया है ।

(4) जो सुझाव मुकदमों के शीघ्र निस्तारण आदि के बारे में आते हैं उन पर शासन बिचार करता है ।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित खतैना योजनान्तर्गत क्वार्टरों की कीमत निर्धारण

43—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या आवास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अल्प आय क्वार्टर्स, खतैना योजना (प्रतापनगर) में 'सी' ब्लाक एवं न्यू शाहगंज 'ए' तथा 'बी' ब्लाक के अल्प आय वर्ग क्वार्टरों की कीमत के निर्धारण में कुल कीमत कितनी निश्चित की गई तथा विभिन्न मदों पर कितना-कितना रुपया लगाया गया है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

आगरा नगर में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित खतैना योजना (प्रतापनगर) में 'सी' ब्लाक एवं न्यू शाहगंज योजना में 'ए' तथा 'बी' ब्लाक में निर्मित अल्प आय वर्ग के भवनों का मूल्य 30,000 रुपया प्रति भवन आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है ।

खतैना के एक भवन का वास्तविक मूल्य 30,870 रुपय होता है जिसमें 21,000खरुपया निर्माण व्यय तथा 8,400 रुपया विकसित भूमि का मूल्य तथा

[श्री मोहम्मद मसूद खां]

5 प्रतिशत की दर से 1,470 रुपया लाभ सम्मिलित है । न्यू शाहगंज योजना के एक भवन का वास्तविक मूल्य 29,106 होता है जिसमें 21,000 रुपया निर्माण व्यय, विकसित भूमि का मूल्य 6,720 रुपया तथा 5 प्रतिशत की दर से 1,386 रुपया लाभ शामिल है । चूंकि सभी भवन पास-पास ही बनाये गये है अतः दोनों स्थलों के भवनों का समान मूल्य 30,000 रुपया रखते हुए प्रति भवन आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है ।

प्रदेश सरकार द्वारा लगी खादी ग्राम उद्योग व ग्रामीण लघु उद्योग की प्रदर्शनी व मदों पर व्यय

44--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1978 में दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खादी ग्राम उद्योग व ग्रामीण लघु-उद्योग की प्रदर्शनी लगायी गई थी ? यदि हां, तो उस प्रदर्शनी पर कितना धन व्यय किया गया तथा किन-किन मदों पर व्यय किया गया ?

श्री राम नरेश यादव--

नई दिल्ली में नवम्बर/दिसम्बर, 1978 में राष्ट्रीय लघु उद्योग मेला 1978 का आयोजन भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा किया गया था जिसम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उद्योग विभाग द्वारा भाग लिया गया था ।

इस मेले में भाग लेने पर कुल 18,85,294 रु० व्यय हुआ जिसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1478 पर ।)

श्री विशनदत्त तिवारी, कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध दर्ज मुकदमें की कार्यवाही

45--श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी) तथा मानपालसिंह एडवोकेट --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री आर० डी० तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक के सगे भाई (श्री विशन दत्त तिवारी) के ऊपर कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद में इल्जाम नं० 436, सन् 1968 के अंतर्गत धारा 147, 336, 379 पर विशुन दत्त तिवारी बनाम विशुन दत्त तिवारी मुकदमा कायम है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री आर० डी० तिवारी उप पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद के सगे भाई श्री विष्णु दत्त तिवारी व अन्य के विरुद्ध अपराध संख्या 436/68 अन्तर्गत धारा 147/.36।379, भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत किया गया था जिसम विवेचना के पश्चात् आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया । अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री विशन दत्त तिवारी के विरुद्ध पंजीकृत मूर्ति चोरी का मुकदमा

46—श्री रणजीत सिह जूदेव तथा श्री मानपाल सिह एडवोकेट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री आर० डी० तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद के सगे भाई श्री विशन दत्त तिवारी के ऊपर मूर्ति चोरी का मुकदमा थाना कन्नौज, जनपद फर्रुखाबाद में इल्जाम नं० 25, सन् 1968 मुरलीधर दुबे बनाम विशन दत्त तिवारी अन्तर्गत धारा 379 कायम है ? यदि हाँ, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 28 जनवरी, 1968 को श्री मुरलीधर दुबे ने थाना कन्नौज पर लिखित सूचना दी कि दिनांक 26 जनवरी, 1968 को टैक्सी नं० 4029 में 5 आदमी सिह वाहिनी देवी के मन्दिर में गये और वहां के पुजारी को प्रसाद के लिए रुपया दिया। यह भी सूचना दी गई कि जैसे ही पुजारी रुपया रखने के लिए अपनी कोठरी में गये उन लोगों ने दो मूर्तियां चुरा लीं और कार से चले गये। पुजारी ने कार नम्बर नोट कर लिया और वही गाड़ी, दिनांक 28 जनवरी, 1968 को कन्नौज में देखी गई जिसका पीछा करके पकड़ लिया गया। गाड़ी में बठे अन्य व्यक्ति भाग गये केवल ड्राइवर पकड़ लिया गया जिसने बतलाया कि उसकी गाड़ी किराये पर ली गई थी और पांचों व्यक्तियों ने मूर्तियाँ चुराई थीं। इस सूचना के आधार पर अभियोग संख्या 25 1968 अन्तर्गत धारा 379 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया। प्रारम्भ में इसकी विवेचना स्थानीय पुलिस ने की तथा बाद में उक्त मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई। विवेचना से पांच अभियुक्त प्रकाश में आय जिनमें एक अभियुक्त श्री विशुन दत्त श्री आर० डी० तिवारी उप पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद के भाई हैं। स्थानीय पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा 2 ने आत्मसमर्पण किया। विवेचना के उपरान्त इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। न्यायालय ने उक्त सभी अभियुक्तों को डिस्चार्ज (Discharge) कर दिया।

जनपद उन्नाव में हत्यायें, डकैती तथा पुलिस व डकैतों से मुठभेड़ की घटनायें

47—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में 1 जनवरी, 1979 से 30 अप्रैल, 1979 तक कितनी हत्यायें, डकैती की घटनायें हुयीं तथा इसी अवधि के दौरान पुलिस व डकैतों की हुयी तथाकथित मुठभेड़ों में कितने व्यक्ति मारे गये ? क्या मुख्य मन्त्री इन मुठभेड़ों व जनपद में बढ़ रहे अपराधों के पीछे छिपे रहस्यों की सी० बी० आई० द्वारा गोपनीय जाँच करायेंगे ?

श्री बनारसी दास—

सूचना निम्न प्रकार है :—

हत्या	डकैती	मुठभेड़
51	24	20

14 वि० सभा—5

[श्री बनारसी दास]

गतवर्ष की तुलना में वर्ष 1979 में हत्या एवं डकैती के अपराधों में वृद्धि नहीं हुयी है । मुठभेडों के सम्बन्ध में सी० बी० आई० द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि०, चुर्क, जिला मिर्जापुर में आपातकाल में नये अधिकारियों की नियुक्तियां

43--श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री राम रतन सिंह तथा श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि० चुर्क, डाला, जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत आपातकालीन स्थिति के दौरान कितने नये अधिकारियों की नियुक्तियां की गईं तथा आपात्कालीन स्थिति के पूर्व कितने अधिकारी कार्यरत थे ?

श्री राम नरेश यादव--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

49--श्री ईश्वर प्रसाद--

[22 मई, 1979 को तारांकित प्रश्न संख्या 27 द्वारा उत्तरित ।]

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में अर्थ एवं संख्या निरीक्षक एवं सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार

50—श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार को जानकारी है कि आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशालय के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या निरीक्षक तथा सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) के पदों पर कार्य करने के लिए दिसम्बर, 1978 तथा जनवरी, 1979 में लगभग 1,500 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ था किन्तु साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों को अभी तक सेवा का अवसर नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और उनमें से कितने को तथा कब तक सेवा का अवसर दिया जावेगा ?

श्री बनारसी दास--

यह सही है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग में अर्थ एवं संख्या निरीक्षक तथा सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) के पदों पर 'तदर्थ' नियुक्ति हेतु दिसम्बर, 1978 तथा जनवरी, 1979 में 844 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया था । उक्त पदों में से अधिकांश नवसृजित पद थे, परन्तु तदर्थ नियुक्तियों पर शासन द्वारा लगाये गये एक सामान्य प्रतिबन्ध के कारण ये नियुक्तियां नहीं की जा सकीं । अभी हाल ही में कार्य के हित में तथा अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में केवल एक वर्ष के लिए उक्त पदों पर तदर्थ नियुक्तियां करने की अनुमति शासन ने दे दी है, अतः उक्त साक्षात्कार के आधार पर निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग ने 166 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां अब कर दी हैं ।

ऊ1--श्री जयशंकर पान्डेय--

[6ठें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद फैजाबाद में प्रस्तावित लघु-उद्योगों की स्थापना

*52--श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में किन-किन स्थानों पर लघु-उद्योगों की स्थापना प्रस्तावित है ? क्या फैजाबाद जनपद में बीकापुर में ग्रोथ सेंटर कायम करने का प्रस्ताव वर्ष 1978-79 में किया गया है ? यदि हाँ, तो इस ग्रोथ सेन्टर को कायम करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव--

उद्योगों की स्थापना का वार्षिक लक्ष्य जिलावार निर्धारित किया जाता है। उद्यमी, जिन्हें उद्योग स्थापनार्थ प्रोत्साहित किया जाता है, स्वेच्छा से स्थान का चुनाव करते हैं। तदनुसार वर्ष 1978-79 में फैजाबाद जनपद में संगठित क्षेत्र में 100 लघु-स्तरीय इकाइयां प्रोत्साहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध 103 इकाइयां स्थापित हुई।

वर्ष 1979-80 में जनपद में 80 लघु-स्तरीय इकाइयां स्थापित करने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1978-79 में फैजाबाद जनपद में बीकापुर को ग्रोथ सेन्टर कायम करने का प्रस्ताव विचाराधीन था परन्तु खुलने वाले सेन्टरों की संख्या सीमित होने के कारण वहाँ ग्रोथ सेन्टर नहीं कायम किया जा सका।

फर्जी उद्योगों की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

*53--श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 1978 को कुछ फर्जी उद्योगों की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करने की मांग की थी ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हाँ। उद्योग निदेशालय द्वारा जाँच कराने पर सम्बन्धित उद्योगों के विरुद्ध शिकायतें सही नहीं पाई गईं। अतः सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

थाना पैलानी, जनपद बांदा में चुन्नू तथा रज्जन नामक डकैतों को पुलिस मुठभेड़ से मृत्यु तथा मारने वाले जवानों को पुरस्कृत न किये जाने का कारण

54--श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाँदा जनपद, थाना पैलानी के अन्तर्गत दिनाँक 21-22 सितम्बर, 1976 को पुरस्कृत रजिस्टर्ड हमीरपुर, बाँदा, फतेहपुर को आतंकित करने वाला डकैत चुन्नू-रज्जन गैंग जिन्होंने हमीरपुर पुलिस के दो

[श्री सुरेन्द्र पाल]

सिपाहियों को जान से मारकर दो राइफलें छीन ली थीं। पैलानी थानें की पुलिस ने मुठभेड़ में उक्त दस्युओं को मार कर राइफल बरामद की गयी ? यदि हां, तो अभी तक मारने वाले जवानों को पुरस्कृत न करने का क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास--

दिनाँक 21-22 सितम्बर, 1976 को थाना पैलानी की पुलिस एवं डकैतों के मध्य मुठभेड़ हुई जिसमें डकैत चुन्नू व रज्जन मारे गये और उनके पास से दो राइफलें बरामद हुई जो जिला हमीरपुर में रोड होल्डअप करते समय डाकुओं द्वारा दो कान्सटबिलों से छीनी गयी थीं ।

श्री हनुमान सिंह निवासी गौरी, थाना पैलानी ने एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें उन्होंने तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री शम्भू नाथ खरे जो उक्त मुठभेड़ में थे, के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में आरोप लगाये हैं जिन-की जाँच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की जा रही है । इस कारण पुरस्कार दिये जाने के प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया ।

ग्राम चल्हरी में कत्ल तथा डकैती की दर्ज रिपोर्ट तथा गिरफ्तार अभियुक्त

55—श्री सुरेन्द्र पाल--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि जनपद बाँदा के थाना नरैनी के अन्तर्गत ग्राम चल्हरी में दिनांक 8 अक्तूबर, 1978 को कत्ल तथा डकैती हुई जिसकी रिपोर्ट थाने में श्री महादेव प्रसाद ने दर्ज कराई परन्तु अभी उपरोक्त काण्ड के मुजरिम न पकड़े जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना की श्री देवीदीन, निवासी पल्हरी द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट पर थाना नरैनी में धारा 396, भारतीय दन्ड विधान का अभियोग कायम हुआ । विवेचना से पांच अभियुक्त प्रकाश में आये जिसमें से तीन पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए तथा दो ने न्यायालय में आत्मसमपण किया ।

अभियुक्तों की शिनाख्त न हो पाने के कारण उन्हें धारा 169, दन्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत रिहा किया गया ।

पुलिस सर्किल महानगर, लखनऊ के निलम्बित कर्मचारी श्री चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही

56—श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पुलिस सर्किल महानगर, लखनऊ के निलम्बित कर्मचारी, श्री चन्द्र प्रकाश सिंह ने जनवरी, 1979 से 20 अप्रैल, 1979 के मध्य कोई रपट थाने में भारतीय दन्ड विधान की धारा 395 के अन्तर्गत दर्ज करने हेतु पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, थाना इंचार्ज, महानगर को दी है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

परिवहन चालक महासंघ की मांगें

57—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या यह सही है कि राजकीय परिवहन चालक महासंघ की ओर से विभिन्न जनपदों से 16 सूत्री मांग-पत्र दिसम्बर, 1977 में शासन को प्राप्त हुआ तथा उन मांगों को अब तक न मानने के कारण 20 फरवरी, 1979 से सभी चालक दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांध कर कार्य करते हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगों को अब तक न मानने में शासन को क्या कठिनाई है तथा कब तक उनकी पूर्ण अथवा आंशिक कौन-कौन सी मांगें मान लो जाने की सम्भावना है ?

श्री बनारसी दास—

राजकीय परिवहन चालक महासंघ की केन्द्रीय शाखा से एक 16 सूत्री मांग-पत्र शासन को फरवरी, 1979 में प्राप्त हुआ था । प्राप्त सूचना के आधार पर परिवहन चालकों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक 20 फरवरी, 1979 से अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधी । परिवहन चालक महासंघ की वर्तमान परिस्थिति में जो मांगें मानने योग्य थी, उन्हें मान लिया गया ।

58—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[8वें गुरुवार में अतरांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

रासायनिक परीक्षक कार्यालय, आगरा में कार्यरत श्री कमल सिंह सागर को कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

59—डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

क्या शासन को रासायनिक परीक्षक कार्यालय, आगरा में कार्यरत (श्री कमल सिंह सागर) सब-असिस्टेन्ट का कोई शिकायती-पत्र मार्च, 1979 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री सागर ने अपने विभाग के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध अस्पृश्यता, छुआछूत बरतने, गाली-गलौज करने आदि के गम्भीर आरोप लगाए हैं ? यदि हां, तो क्या शासन ने उक्त घटना की जांच कराई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं ।

लेकिन रासायनिक परीक्षक एवम् लसिकाविद, उत्तर प्रदेश, आगरा ने शिकायतकर्ता द्वारा उन्हें प्रस्तुत शिकायती-पत्र पर जांच करके आरोपित कर्मचारी को निलम्बित कर दिया है ।

60—श्री ईश्वर प्रसाद, श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राजनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

शिक्षा विभाग को राजकीय कन्या इन्टर कालेज, हल्द्वानी की नजूल भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में विलम्ब

61—श्री रामदत्त जोशी—

क्या आवास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज, हल्द्वानी (जिला नैनीताल) के भवन-निर्माण हेतु उपलब्ध नजूल भूमि शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किए जाने में असाधारण विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, हल्द्वानी के लिए चाही गयी नजूल भूमि में से 18 बीघा, 1 बिस्वा भूमि नायक, क्षेत्रीय सुधार सभा कुमायूं, हल्द्वानी को 2 पट्टी द्वारा 1939 व 1942 में आवंटित की गयी थी । इसके अतिरिक्त 6 बिस्वा भूमि पर उपरोक्त संस्था ने अनधिकृत कब्जा भी कर रखा है । इस प्रकार संस्था के कब्जे में कुल 18 बीघा, 7 बिस्वा नजूल भूमि है । इस पर नायक कन्या संरक्षण हेतु भवन निर्मित है जिसमें इस समय उत्तर प्रदेश हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा एक महिला शरणालय चलाया जा रहा है । शासन द्वारा मामले का सक्रियता एवं तत्परता से परीक्षण किया जा रहा है । न्याय विभाग से भी परामर्श लिया जा रहा है कि किस प्रकार प्रश्नगत भूमि को नायक क्षेत्रीय सुधार सभा से वापस लिया जा सकता है । उक्त भूमि पर शासन का नियमानुसार कब्जा प्राप्त होने पर ही मामले में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

खजनी, जिला गोरखपुर के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों की जांच

62—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 15 फरवरी, 1979 को गोपन अनुभाग-7 द्वारा खजनी, जिला गोरखपुर के थानाध्यक्ष के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच व कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी, गोरखपुर को लिखा गया है ? क्या इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को अवगत कराने को भी लिखा गया है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी, गोरखपुर ने अब तक क्या कार्यवाही की तथा जांच के दौरान क्या तथ्य प्रकाश में आए ?

श्री बनारसी दास—

जी हां । जांच अभी पूरी नहीं हुयी है ।

63—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

64—श्री राम नरायन वर्मा—

[5 जून, 1979 को अतारांकित प्रश्न संख्या 27 द्वारा उत्तरित ।]

ग्राम नेरा मजरा लोन्हारा, तहसील संडीला, जिला हरदोई में हो रही चकबन्दी में अनियमितताओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)—

मैं आपके माध्यम से ग्राम नेरा मजरा लोन्हारा, तहसील संडीला, जिला हरदोई में चकबन्दी अधिकारियों की बेपरवाही का ध्यान शासन की तरफ दिलाना चाहती हूं ।

इस सिलसिले में एक साल से बराबर चकबन्दी अधिकारियों का ध्यान दिलाया जा रहा है मगर वह बजाय इसके कि मौके पर जाकर शिकायतों की जांच करें और गलतियों को ठीक करें, कचहरी में बैठ कर हुक्म देते रहते हैं ।

गांव के ऊसर व तालाबी जमीन में से बहुत से चक बना दिए गये हैं । दो बीघे के काश्तकार के तीन और चार चक बना दिये गये हैं यह गाँव हरदोई-लखनऊ रोड से सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी पर है । मगर इस रोड पर चक बना कर रास्ता नहीं चौड़ा किया गया कि सड़क बन सके । उजड़े हुए पुराने बाग जिनमें घास होती है वह चक में लिए गये हैं । बहुत से खेत जिनमें सह-खातेदारी होती थी, सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने बयान हुए जिनमें वह आदेश फाइल से ही गायब हो गये । इसके अलावा और भी बहुत-सी अनियमितताएं हैं जिससे वहां की जनता बहुत दुखी है और बार-बार चकबन्दी अधिकारियों से मिल कर और खत लिख कर जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो मैं मजबूर होकर सरकार का ध्यान दिलाती हूं कि वह उक्त ग्राम की चकबन्दी का काम रोक कर, जांच कराने की कृपा करें ।

कानपुर से तस्करी द्वारा चावल चीन व बंगलादेश को भेजे जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

कानपुर से लाखों रुपयों का हजारों कुन्तल चावल ट्रकों द्वारा सिलीगुड़ी के रास्ते से प्रतिदिन चीन को भेजा जा रहा है । चावल की तस्करी का यह कार्य प्रभावशाली व्यपारियों एवं खाद्य विभाग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की साँठगाँठ से चलाया जा रहा है । यही लोग मिलकर हजारों कुन्तल चावल बंगलादेश को भी भेज रहे हैं । तस्करी का यह कार्य गत दो माह से अत्यन्त तीव्र गति से चल रहा है । गत दो माह में कई सौ ट्रक चावल चीन तथा वंगला देश भेजा जा चुका है । इस प्रकार व्यापारियों तथा खाद्य विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने लाखों रुपये अवैध ढंग से कमाया है । यद्यपि इस राष्ट्र विरोधी कार्य की चेकिंग के लिए शासन ने स्थानीय निरीक्षकों एवं अधिकारियों के अतिरिक्त एक उड़नदस्ता का भी गठन किया है, किन्तु स्थानीय एवं उड़नदस्ता के निरीक्षक एव अधिकारीगण व्यापारियों से मिल गये हैं तथा हजारों रुपए प्रति दिन कमा रहे हैं ।

अतः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि ऐसे राष्ट्र विरोधी व्यापारियों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों, जो चावल की तस्करी के माध्यम से लाखों रुपया अवैध रूप से कमा रहे हैं, के विरुद्ध गुप्तचर विभाग द्वारा जाँच कराकर सख्त कार्यवाही करें ।

बस्ती जिले के टूटी भोटी गांव के श्री उमाशंकर पाण्डेय आदि कथित गुण्डों द्वारा आतंक के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

महोदय, बस्ती जिले के हरैया तहसील में टूटी भोटी के निवासी श्री उमाशंकर पांडेय, झिनकू, लक्ष्मण आदि गुंडों के गिरोह के आतंक से पूरी तहसील में भयावह स्थिति पैदा हो गई है। श्री उमाशंकर आदि ने कुछ वर्ष पूर्व ग्राम जियापुर के श्री राम प्यारे सिंह तथा उनके भतीजे की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। 31-8-1978 की शाम को श्री उमाशंकर पाँडेय के गिरोह के लोगों ने देशराज पान्डेय को चाय की दूकान से घसीट कर इतना मारा कि 1-9-1978 को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत मेरी सूचना सदन में स्वीकृत हो चुकी है। इस गिरोह ने बन्दूक की नोक पर किसी भी गरीब किसान के भूमि को जबरिया बैनामा लिखा लेना और बन्दूक के बल पर फैसला लिखा लेना साधारण बात है। अभी मयभिया गांव के एक गरीब किसान की भूमि जबरिया लिखाने की बात न्यायालय के अधीन है। उसी बैनामे के सम्बन्ध में अभी 6 जून, 1979 को भावनापुर थाना पैकोलिया के संवारे कुर्मी को हरैया से मारते हुए टूटी भोटी तक ले गये। उसी गांव के दूसरे आदमी जो संवारे की तलाश में गया हुआ था उसे भी बुरी तरह पीटा। मैंने कई बार सदन में तथा शासन को उपरोक्त गुन्डों के विरुद्ध आवाज उठायी तथा लिखापढ़ी की जिससे कुपित होकर उपरोक्त गुन्डे 9-6-79 को हरैया से बभनान बाजार तक मुझे तथा शीतल सिंह सदस्य जिला परिषद् परामर्शदात्री समिति को जान से मार डालने के लिए कई जगह गुन्डे बैठाये गये थे। संयोग से 8-6-79 को सदन होने के कारण मैं हरैया या बभनान न जा सका। गुन्डे अब एकदम मेरे तथा शीतला बख्श सिंह का कत्ल करने के लिए कटिबद्ध हैं। इन गुन्डों के आतंक से पूरी तहसील में कोई इनके विरुद्ध कानाफूसी भी नहीं कर सकता। पैकोलिया की पुलिस यदि कुछ कदम उठाने की सोचती भी है तो थाने के स्टाफ के ही लालजी मिश्र, सूर्य यादव, राम अवध पान्डेय तथा पारसनाथ यादव मुंशी द्वारा उन्हें पहले ही सूचना दे दी जाती है।

सदन के बाद बस्ती जाने पर किसी भी समय उपरोक्त गुन्डे मेरा कत्ल कर सकते हैं। गाजियापुर के राम प्यारे सिंह तथा उनके भतीजे का कत्ल देशराज पान्डे के कत्ल, मेभिया के एक गरीब किसान के जबरिया बैनामा भावनापुर के संवारे तथा एक अन्य को मारने, शीतला सिंह तथा मेरे कत्ल के लिए सरेआम तलाश करने से जनता में बड़ा ही क्षोभ तथा असंतोष व्याप्त है। यदि प्रदेश स्तर से कोई कदम नहीं उठाया गया तो हरैया तहसील एक दम चम्बल घाटी हो जायेगी।

अतः माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन द्वारा सरकार से अनुरोध है कि तत्काल अविलम्बनीय लोक महत्व की इस घटना को सी० बी० आई० से जांच कराकर सैकड़ों गांवों की जनता को आजादी से सांस लेने का अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी, जहां माननीय सदस्य की जान का खतरा है उसके सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक जांच कर लेनी चाहिये।

हरदोई जिले के विकास खण्ड माधोगंज व मल्लावां की सहकारी समिति में घपला एवं वसूलयाबी में कड़ाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

हरदोई जिले के अन्तर्गत मल्लावां, माधोगंज विकास खण्डों में सहकारिता विभाग द्वारा कुर्की, गिरफ्तारी एवं उत्पीड़न के कदम बेरहमी से उठाये जा रहे हैं। तमाम गांवों के किसान घर छोड़ कर भाग गये हैं दो-दो बार फर्जी कर्जों का सत्यापन कराये जाने के बाद भी कोई राहत किसानों को नहीं दी गयी है। साधन सहकारी समिति अटवा बोमर्दानपुर में सुपरवाइजर श्याम सुन्दर लाल शुक्ला, ए० डी० ओ० राम प्रसाद तिवारी एवं एकाउन्टेन्ट यदुनाथ सिंह ने लोगों के नाम से जिस तरह फर्जी कर्जे चढ़ाये हैं उसकी मिसाल ढूंढ़े नहीं मिल सकती। समिति के खाते में अटवा के प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री राम स्वरूप, जिसके कहीं भी हस्ताक्षर नहीं कराये गये, के नाम फर्जी कर्जा चढ़ाने के लिए किसी दूसरे के खाते के कागज (प्रोफार्मा) नत्थी किये गये। उक्त समिति के पूरे कागजात हमारे पास हैं, जिनमें ब्लेड से खुरच-खुरच कर कटिंग करके, ओवर राइटिंग करके अनेक किसानों को तबाह कर दिया गया है।

शासन का ध्यान लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुये उक्त समिति के सारे कागजातों की जांच, मल्लावां माधोगंज विकास खण्डों की समितियों के पुनः सत्यापन मेरी मौजूदगी में ही कराये जावें तथा इस दौरान जांच सारी वसूली स्थगित रखने की मांग करता हूं।

मान्यवर, हमारे पास जो कागजात हैं, वे इस बात का सबूत है कि वह सन् 72 का खाता है और सन् 74 में ...

श्री उपाध्यक्ष—

वह आप मंत्री जी को दिखा दें।

श्री राम आसरे वर्मा—

आप मंत्री जी को निर्देश दें कि कम से कम इन कागजातों की जांच मेरी मौजूदगी में करवा लें।

डी० ए० वी० डिग्री कालेज, कृष्णा देवी डिग्री कालेज तथा मुमताज डिग्री कालेज में अनियमितताओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ नगर में निम्नलिखित डिग्री कालेजों में भारी अनियमितताएं व्याप्त हैं। यह कालेज भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गये हैं। अभी हाल ही में डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य को गैर कानूनी ढंग से निलम्बित कर दिया गया है कृष्णादेवी कन्या डिग्री कालेज तथा मुमताज डिग्री कालेज में यू० जी० सी० का वेतनक्रम नहीं दिया जा रहा है।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

माननीय, इन सब बातों से शिक्षा जगत में भारी असन्तोष है । अतः मेरा अनुरोध है कि सदन में माननीय शिक्षा मंत्री वक्तव्य दें तथा इस पर चर्चा की जाय और जो अनियमितताये और भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध जांच करवायी जाय ।

बुढ़वल शुगर मिल, बाराबंकी में कर्मचारियों को वेतन न मिलने तथा उनके हिसाब में गड़बड़ी किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय, खेद का विषय है कि जनपद बाराबंकी में स्थित बुढ़वल शुगर फैक्ट्री के मजदूरों को पिछले तीन महीनों से वेतन भुगतान नहीं किया गया । श्रमिकों को देय बोनस, वेतन, ओवरटाइम पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा और ग्रेच्युटी की मदों में कुल मिलाकर 18,66,000 रु० की देनदारी उपरोक्त मिल पर बकाया है । आश्चर्य का विषय है कि उपरोक्त मिल के मैनेजमेंट के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जबकि जनता सरकार द्वारा गत वर्ष लागू किये गये अधिनियम के अन्तर्गत, जिसमें 50 हजार रुपये या इससे अधिक धनराशि की मजदूरों के प्रति देनदारी जिन सेवायोजकों पर बकाया हो, उनसे वह रकम भू-राजस्व की भांति सरकार द्वारा वसूल किये जाने की व्यवस्था है । उपरोक्त 18,66,000 रु० की देनदारी के अतिरिक्त बुढ़वल फैक्ट्री के सेवायोजकों ने अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत उनके वेतन से कटौती करके 5,17,000 रु० की रकम सरकार के कोष में जमा नहीं की । अनिवार्य जमा योजना अधिनियम के अन्तर्गत सेवायोजकों की उपरोक्त हरकत गंभीर अपराध है । इसी प्रकार मजदूरों के वेतन से कटौती किया गया प्रोविडेंट फन्ड का 7 लाख 83 हजार रुपया भी सेवायोजकों ने उस मद में जमा नहीं किया । सेवायोजकों के उपरोक्त दोनों आचरण गबन के अपराध की परिधि में आते हैं । सेवारत श्रमिकों से बिना वेतन दिये काम लेते चले जाने की इस शर्मनाक स्थिति के साथ ही, जो मजदूर रिटायर हो गये हैं उनकी ग्रेच्युटी का 5,44,000 रुपया भी नहीं दिया गया है । श्रमिकों के जीवन बीमा की मद में सेवायोजकों द्वारा 6,000 रु० की किश्तें भी जमा नहीं की गई । कृषि मंत्री तथा श्रम मंत्री जी को श्रमिकों ने अनेक शिकायतें भेजी तथापि कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि सेवायोजकों पर मजदूरों का कुल मिला कर 32,30,000 रु० बकाया है ।

श्रीमन्, दूसरी ओर उपरोक्त मिल की रिसीवरशिप और शुगर कारपोरेशन के वैधानिक विवाद की आड़ में फैक्ट्री के गोदामों में पड़ी हुई 88,90,180 रु० लागत की चीनी 2,88,200 की बदरंग चीनी, 1,51,116 रु० लागत का शीरा और 21,014 रु० लागत मूल्य के प्रेसमड को बेचने से रोक दिया गया है । शीरा खुले तालाबों में है, प्रेसमड खुले मैदानों में, बरसात शुरू होते ही 2 लाख रु० का शीरा और प्रेसमड पानी में घुलकर बरबाद हो जायेंगे, जो एक प्रकार से राष्ट्रीय क्षति होगी । बुढ़वल फैक्ट्री के मजदूरों का धैर्य टूटने की सीमा पर पहुंच गया है । तीन महीनों से अर्ध-भुखमरी की हालत में भी काम करने वाले दुखी मजदूरों का आक्रोश किसी भी समय विस्फोटक रूप धारण कर सकता है । सरकार द्वारा इस गंभीर समस्या को हल करने की दिशा में अविलम्ब कार्यवाही अपेक्षित है ।

दल शुगर मिल, बाराबंकी में कर्मचारियों को वेतन न मिलने तथा उनके हिसाब में गड़बड़ी किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

इसमें मान्यवर, आपसे प्रार्थना करूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गन्ना विकास मंत्री इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेंगे ।

श्री रामदत्त जोशी--

कृत कार्यवाही से सदन को भी सूचित करें। मान्यवर, इसमें कृषि मंत्री और श्रम मंत्री दोनों सम्बद्ध हैं ।

मिर्जापुर जिले के गोपालपुर फार्म की भूमि की अनियमित नीलामी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जनपद मिर्जापुर में स्थित, इसके आगे तो आपने कटवा दिया जो

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आप वह पढ़े भी नहीं । यह निकाल दिया गया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

गोपालपुर फार्म की करीब 12 सौ एकड़ जमीन की नीलामी अनियमित एवं रहस्यमय ढंग से दिनांक 23/24-5-79 को की गई जो कि स्पष्ट रूप से सहकारी समितियों द्वारा अपनायी जाने वाली नियमावली के उल्लघंन का परिणाम है ।

मुझे यह जानकारी मिली है कि 24-5-79 को गोपालपुर फार्म की उपरोक्त जमीन की नीलामी देश के पूंजीपत बिरला एवं प्रदेश के भूतपूर्व सिचाई मंत्री तथा स्थानीय अधिकारियों के संयुक्त दबाव के फलस्वरूप की गई ।

नीलामी 555 एकड़ जमीन हिंडालको के अध्यक्ष, श्री एस० एस० कोठारी द्वारा विभिन्न नामों से खरीदी गई जो दिनांक 24-5-79 को स्वयं नीलामी के वक्त मौजूद थे तथा करीब 650 एकड़ जमीन एक अन्य बहुदेशीय संस्था डनलप टायर लि0, कलकत्ता के प्रबन्ध संचालक द्वारा खरीदी गयी । उक्त नीलामी एक बन्द कमरे में की गयी और समाचारपत्रों में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं की गयी। जबकि इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा होनी चाहिये थी उक्त नीलामी के लिए मात्र दो लाख रुपये की शासन को आवश्यकता थी जबकि वास्तविक रूप से करीब 8 लाख 50 हजार रुपये की नीलामी की धनराशि फार्म के मालिक द्वारा ली गयी और कागज पर मात्र दो लाख रुपये दिखायी गयी । उक्त नीलामी बाजार भाव से अत्यन्त ही कम मूल्य औसतन एक सौ पचास रुपये प्रति एकड़ की दर से की गयी जबकि वहां पर बाजार मूल्य 500 रुपये से लेकर एक हजार रुपये प्रति एकड़ है । उक्त नीलामी के वक्त गोपालपुर सहकारी समिति के मात्र तीन सदस्य मौजूद थे जबकि उक्त समिति के कुल 105 सदस्य हैं और सभी द्वारा प्रस्ताव नहीं पारित किया गया है ।

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

मान्यवर, उपरोक्त लोक महत्व की सूचना आपके माध्यम से प्रेषित करना चाहता हूं ताकि उपरोक्त अंनियमित नीलामी जिसमें लाखों रुपये का गड़बड़ हुआ है को तत्काल निरस्त किया जाय और 24/25-6-79 को पुनः होने वाली नीलामी को रोका जाय तथा सम्पूर्ण प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच करायी जाय और इस सम्बन्ध में मंगलदेव विशारद कमेटी की सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाय ।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह बहुत गम्भीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिये और आप सहकारिता मंत्री से यदि वह मौजूद नहीं हैं तो मंत्रिपरिषद् के किसी अन्य सदस्य से, कहें या निर्देश दें कि वह सत्रावसान होने से पहले इस सदन में इस पर बयान दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर जाँच करा लेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

आपने बार-बार शतरुद्र प्रकाश से कहा कि वह नाम न लें, लेकिन उन्होंने फिर भी नाम लिया, मैं समझता हूं कि यह बहुत अनुचित है । नीलामी इसमें दुबारा हो रही है । ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो कहा है, लिखा नहीं जाएगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

कमलापति जी का मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन उनके लड़के [××] ऐसी-वैसी कोई भीषण गड़बड़ी, गोलमाल करें, तो उनका नाम तो विधान सभा में आना ही चाहिए । (व्यवधान)

लखनऊ में शक्ति भवन के सामने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के धरने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शक्ति भवन के दरवाजे पर 21 मई, 79 से विद्युत् विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । देवरिया और गोरखपुर के वर्षानुवर्ष में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हटा कर उनके जगह ठेकेदारों से कार्य लिया जा रहा है जिससे उनके सामने विकट आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गयी है । उनकी रोजी-रोटी छिन गयी है । अपनी रोजी-रोटी के लिये वे सब सम्भव वैधानिक कार्यवाही करके थक गये परन्तु अधिकारियों के झूठे आश्वासन के अलावे उनको कुछ नहीं मिला । अन्ततोगत्वा वे 21 मई, 79 से शक्ति भवन के दरवाजों पर धरना दिए हुए हैं । इस जेठ की तपती दुपहरी तथा भीषण लू में 67 भूखे निहंग लोगों की दशा नित्य प्रति बदतर होती जा रही है । परन्तु विद्युत्

नोट :--[××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विभाग उनकी मामूली माँगों पर भी विचार नहीं कर रहा है । वह उदासीन है उसके दिल और दिमाग पर कोई असर नहीं है और मजदूरों की दशा बिगड़ती ही जा रही है । यदि इस भयंकर लू में मैदान में शरीर तपाने से उनमें से किसी की मृत्यु हो गयी तो स्थिति विस्फोटक होगी और उसके परिणाम भयंकर होंग ।

अस्तु, लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से माननीय सदन और मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना देता हूं और मांग करता हूं कि वे इनकी मांगों को स्वीकार करें तथा इस सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य द ताकि उनके साथ न्याय हो सके ।

मथुरा जनपद में सिंचाई विभाग द्वारा अध्याप्ति भूमि का मुआवजा मिलने में कठिनाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मथुरा जनपद में इस समय सिंचाई विभाग द्वारा नालों आदि के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही ह । मथुरा जनपद के किसानों की अभी तक वर्ष 1965 से लेकर आज तक गोवर्धन नाले के लिए ली गयी अधिग्रहण भूमि का मुआविजा नहीं मिला है । अब किसान मुआविजा प्राप्त करने के लिए भारी कठिनाई अनुभव करते हैं व कर रहे हैं ।

मुआवजा देने के नियम बहुत पुराने हैं । अब आज भूमि की कीमत में भारी अन्तर आ गया है । केन्द्रीय सरकार के संस्थानों ने इस जनपद में जो भूमि अधिग्रहण की है उसमें प्रत्येक किसान को 14 हजार रु0 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा का भुगतान किया है और मुआविजे का भुगतान भी तुरन्त कर दिया गया था ।

मुआविजा प्रदान करने की जो नीति है वह अत्यधिक दोषपूर्ण है । इस नीति से किसानों को भारी परेशानी का अनुभव होता है । मेरा सरकार से आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि जब भी किसान की भूमि अधिग्रहण की जाय और जब भूमि पर सरकार का कब्जा हो उसी समय भूमि का मुआविजा मौके पर दिया जाय जिससे किसान को भारी परेशानी से मुक्ति मिल सके ।

हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकारों ने मुआविजे की रीति में भारी परिवर्तन किया है तथा मौके पर ही किसानों को मुआविजा प्रदान कर दिया जाता है । यही व्यवस्था इस प्रदेश में लागू होना परम् आवश्यक है ।

लखनऊ में चल रहे वेश्यालयों से उत्पन्न स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, पुलिस की शिथिलता की वजह से चलने वाले वेश्यालयों की ओर लाना चाहता हूं । कैसर चौक क्षेत्र में एक दर्जन वेश्यालयों पर अचानक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नरेश चन्द्र]

छापे में 22 वैश्याओं को ऐयाशी में लीन 22 व्यक्तियों के साथ पकड़ा गया। 22 व्यक्तियों में 11 व्यक्ति भारतीय सैनिक हैं। 22 वैश्याओं में 9 प्रदेश के पर्वतीय अंचलों से लायी गयी लड़कियां हैं, 4 विदेशी लड़कियां हैं, शेष सुन्दरियां भी अच्छे-अच्छे घरों से लायी गयी लड़कियां हैं। मान्यवर, प्रदेश के लिए यह कलंक है। नैतिकता में ह्रास लाने के यह अड्डे बिना पुलिस की साजिश से नहीं चल सकते। यदि इन वैश्यालयों पर शीघ्रातिशीघ्र काबू न पाया गया तो निश्चय ही आये दिन बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ती रहेगी और उनकी तस्करी जारी रहेगी और साथ ही अपराध भी बढ़ते रहेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह पुलिस अधिकारी जिनकी आखें बन्द होने की वजह से केवल चौक क्षेत्र में जो 11 वैश्यालय चल रहे थे, उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जाये ताकि भविष्य में ऐसे अड्डे बनने न पायें।

मथुरा जिले के कतिपय गेहूं क्रय केन्द्रों पर भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जो कुछ इसमें लिखा है वही पढ़िये।

श्री लक्खी सिंह--

मान्यवर, निवेदन यह है कि मैंने जनपद मथुरा में दौरा पर 8, 9, 10 जून को मथुरा गल्ला खरीद सेन्टरों का निरीक्षण किया था।

किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। सेन्टर साहाबाद व बलदेव व बिसवार व राया व माट व नोहम्मील व शेरगढ़ व मथुरा व नन्द गांव व कोसी कलां, गोवर्धन, छाता आदि सेन्टरों पर किसानों को परेशान किया जा रहा है और किसान अपने गल्ले को लेकर एक-एक हफ्ता सेन्टर पर पड़ा रहता है। फिर भी दलाल 90 रुपये कुंटल किसान से खरीद कर सेन्टर पर बेच देता है। किसान मजबूर होकर रोता हुआ चला जाता है। चूंकि उसे पैसे की जरूरत है। किसान की जैसी खुली डकैती आज हो रही है ऐसी सन् 1947 से मैंने कभी नहीं देखी। किसानों को मैंने हाय-हाय करते देखा है। कई सेन्टरों पर दलालों से मारपीट हो चुकी है। कर्मचारी और दलाल दोनों मिलकर गल्ले के बोरों को उड़ा देते हैं और जनता सरकार को किसान गालियां देते हैं। मैं भी बड़ी मुश्किल से झूठ बोलकर निकल कर आया हूं और कहकर आया हूं कि सेन्टरों पर बोरा भेजे जायेंगे। इससे किसानों में क्षोभ और घोर असंतोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस ओर सरकार ध्यान दे और सेन्टरों पर शीघ्र बोरे भेजने की व्यवस्था करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद आगरा के प्रकाश ग्लास वर्क्स टूण्डला को आवंटित कोयला ब्लैक में बेच दिये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान एक सनसनी खेज दुर्घटना की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जनपद आगरा के प्रकाश ग्लास वर्क्स टूण्डला के सेवायोजकों ने दिनांक 8-6-79 को 14 बैगन कोयला शिकोहाबाद स्टेशन पर उतार कर ब्लैक में स्टेशन से ही बेच दिया इस अवैध बिक्री के समय उ० प्र० कांच विशेषज्ञ कार्यालय कानपुर के श्री अलमदार हुसेन पैरोकार कम क्लर्क व श्री विनोद कुमार स्टैनो टाइपिस्ट संयुक्त निदेशक, आगरा उपस्थित थे। इनकी तथा पुलिस की देख रेख में 14 बैगन कोयला फिरोजाबाद और शिकोहाबाद की उन फैक्टरियों ने खरीदा जो कार्यरत हैं और जिन्हें कोयला नहीं मिल पा रहा है।

मान्यवर बड़ा आश्चर्य है कि प्रकाश ग्लास वर्क्स टूंडला को 1978 में फर्जी कारखाना होने के कारण कोयला के ब्लैक करते हुए पकड़ा गया और उनका कोयला 1978 में सप्लेन्ड हुआ लेकिन उन्होंने कांच विशेषज्ञ कार्यालय के पैरोकार से सांठ गांठ कर हाई कोर्ट से स्थगन आदेश लेकर कोयला प्राप्त किया और अधिकारियों की देख-रेख में एक लाख छब्बीस हजार में ब्लैक में बेच दिया और सम्बन्धित अधिकारियों को उनका हिस्सा बड़ी धनराशि में अदा कर दिया। मान्यवर, इसी उद्योग की 26 गाड़ी और आ रही हैं जिन्हें तुरन्त रोके जाने की आवश्यकता है।

अस्तु माननीय सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि तत्काल उक्त फैक्टरी के लिये एक पैनल उच्च अधिकारियों का भेज कर स्टाक वेरीफिकेशन कराया जाय और यह देखा जाय कि फैक्टरी चल रही है या नहीं और कोयले का उपभोग कहां हुआ तथा तुरन्त कोयला न मिलने पर उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाय तथा उद्योग मंत्री जी तत्काल सर्वेक्षण करा कर स्थिति से सदन को अवगत करायें।]

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1978-79) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1978-79) का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कृषि मंत्री, श्री शिव मंगल सिंह व परियोजना अधिकारी (कृषि) बस्ती, श्री लेखराम सिंह के विरुद्ध उठाई गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री ओंम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह, सदस्य विधान सभा ने कृषि मंत्री, श्री शिव मंगल सिंह तथा परियोजनाधिकारी (कृषि) बस्ती श्री लेखराम सिंह के

†छापा नहीं गया।

[श्री उपाध्यक्ष]

विरूद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान की सूचना दी है। जिसमें उन्होंने कहा है कि 11 जून, 1979 की कार्यसूची की नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में कृषि मंत्री ने कहा है कि "सूचना एकत्र की जा रही है।" माननीय सदस्य का कहना है कि उन्हें निश्चित जानकारी है कि इस सम्बन्ध में सूचना 31 मई, 1979 को निदेशक कृषि के पत्र संख्या 1828–29 से प्राप्त हो गयी थी तथा यह सूचना मंत्री जी के संज्ञान में भी आ गयी थी। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि परियोजनाधिकारी (कृषि) बस्ती, श्री लेखराम सिंह लखनऊ में दिनांक 2 जून, 1979 से मौजूद हैं। उन्होंने कुछ लोगों से कहा कि विधायक श्री राम मिलन सिंह कुछ भी कर लें उनके प्रश्न का उत्तर इस सत्र में नहीं देने देंगे। माननीय सदस्य का विचार है कि उनका प्रश्न सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत हो जायेगा, किन्तु यह बात सही नहीं है। जिस प्रश्न का अन्तरिम उत्तर दिया जाता है वह व्यपगत नहीं होता, अपितु 15 दिन बाद पुनः निर्धारित कर दिया जाता है। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ कोई ऐसा प्रमाण संलग्न नहीं किया है, जिससे यह कहा जा सके कि माननीय मंत्री जी को प्रश्न का उत्तर देने योग्य पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो चुकी थी किन्तु उन्होंने परियोजनाधिकारी, श्री लेखराम सिंह के अनुरोध पर प्रश्न का पूर्ण उत्तर नहीं दिया। माननीय सदस्य ने स्वयं सूचना में कहा है कि परियोजनाधिकारी श्री लेखराम सिंह ने कुछ लोगों से कहा कि वे प्रश्न का उत्तर वर्तमान सत्र में नहीं आने देंगे। इस प्रकार यह सूचना सुनी सुनायी बात पर आधारित है।

अतः मैं श्री ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह द्वारा दी गयी सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

कानपुर में पुलिस चौकी, जाजमऊ के सब इन्सपेक्टर तथा पुलिस द्वारा पिटाई के कारण एक व्यक्ति की हुई मृत्यु, क्रुद्ध भीड़ द्वारा पुलिस चौकी फूंकने एवं आधा दर्जन पुलिसजनों के घायल होने आदि के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4–6–79 को सब–इन्सपेक्टर श्री जय शंकर पाण्डेय, इन्चार्ज चौकी जाजमऊ, थाना छावनी, जिला कानपुर अपने स्टाफ के साथ जे० के० कालोनी के पास गस्त में थे कि मुखबिर द्वारा लगभग 9·50 बजे रात्रि उन्हें सूचना मिली कि तीन बदमाश अवैध शास्त्र लिए हुए बीमा चौराहे की ओर से आ रहे हैं जो जे० के० कालोनी होते हुए लाल बंगला की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर सब–इन्सपेक्टर श्री जय शंकर पाण्डेय ने अपने स्टाफ व गवाहान को साथ लेकर जे० के० कालोनी के सब्जी वाले चौराहे पर पहुंचकर पास में स्थित पान की गुमटी की आड़ में छिपकर घेराबन्दी की। ठीक 10 बजे रात तीन बदमाशों के बीमा चौराहे की ओर से आते दिखाई देने पर सब इन्सपेक्टर ने उन व्यक्तियों को रोका और टोका। पुलिस को देखते ही अभियुक्त मुन्ना ने सब–इन्सपेक्टर पर फायर किया जो उन्हें नहीं लगा। सब–इन्सपेक्टर ने गवाहन तथा अन्य व्यक्तियों के सहयोग से अभियुक्त मुन्ना को मौके पर आवश्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार किया। अभियुक्त मुन्ना के दो

साथी अबरार अहमद तथा माशूक फायर करते हुए भाग गये। मौके पर अभियुक्त की जामा तलाशी लेने पर उसके पास से एक अदद 22 बोर देशी रिवाल्वर व 5 अदद जिन्दा कारतूस व अभियुक्त द्वारा फायर किए गये कारतूस का खाली खोखा भी घटना स्थल पर बरामद करके फर्द तैयार की गई। इस सम्बन्ध में सब-इन्सपेक्टर श्री जय शंकर पाण्डेय ने थाना छावनी (कानपुर) में धारा 307 भारतीय दण्ड विधान व धारा 25 आर्म्स ऐक्ट के अभियोग अभियुक्त मुन्ना तथा उसके साथियों के विरुद्ध पंजीकृत् कराया तथा अभियुक्त मुन्ना को हवालात में बन्द कराया।

दिनांक 5-6-79 को अभियुक्त मुन्ना को थाना लाकअप से जेल रवाना करने के समय उसकी स्थिति सामान्य रही। जेल के डाक्टर के लिखने पर पुलिस कर्मचारियों ने अभियुक्त मुन्ना को उर्सला अस्पताल में दाखिल कराया जहां उसकी 5·20 बजे मृत्यु हो गई। मृतक की लाश का नियमानुसार पोस्ट मारटम हुआ।

मृतक के भाई ने सब-इन्सपेक्टर श्री जय शंकर पाण्डेय के विरुद्ध थाना कोतवाली में दिनांक 5-6-79 को धारा 302 भारतीय दण्ड विधान का अभियोग पंजीकृत कराया। सब-इन्सपेक्टर श्री जय शंकर पाण्डेय को तुरन्त निलम्बित करके पुलिस लाइन स्थानान्तरित कर दिया गया।

सब-इन्सपेक्टर श्री जय शंकर पाण्डेय के पास अपनी कोई मोटर साइकिल नहीं है तथा न किसी अन्य की मोटर साइकिल मरम्मत करने का विषय प्रकाश में आया। अतः घटना के 2 या 3 दिन पहले सब-इन्सपेक्टर श्री पाण्डेय द्वारा मोटर साइकिल मैकेनिक मृतक मुन्ना से अपनी मोटर साइकिल को मरम्मत करने को कहने और उसके इन्कार करने के कारण उक्त सब-इन्सपेक्टर द्वारा उसको गिरफ्तार किये जाने तथा बुरी तरह मारे पीटे जाने की शिकायत तथा इस सम्बन्ध में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की तथाकथित स्वीकारोक्ति की बात सही नहीं पाई गई।

मुन्ना की मृत्यु होने के विरोध में उसी दिन रात्रि को जाजमऊ क्षेत्र की जनता एवं मृतक मुन्ना के अपराधी साथियों ने नियोजित रूप से लूट पाट एवं सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करने के उद्देश्य से 800-900 की संख्या में एक जलस के रूप में पुलिस चौकी जाजमऊ पर पहुंच कर वहां तैनात पुलिस कर्मचारियों के ऊपर ईंट पत्थर फेंके तथा चौकी के कार्यालय में घुसकर सरकारी कागजात व मेज कुर्सियों को जला दिया तथा बेंच, कुर्सियां, बोर्ड व दो साइकिलों को तोड़कर नष्ट कर दिया। उपद्रवी सरकारी टेलीफोन मय तार तथा कुछ रिकार्ड उठा ले गये और चौकी की दीवार को ध्वस्त कर दिया। कन्ट्रोल रूम की गाड़ी को भी क्षति पहुंचाई। एक सहायक उप निरीक्षक व तीन कानिस्टेबिलों को भी घायल कर दिया। लगभग पांच हजार रुपये की सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई इस घटना के बारे में धारा 147/336/436/395/149/427/120 बी भारतीय दण्ड विधान का अभियोग थाना छावनी पर कायम कराया गया। अभियोग विवेचनाधीन है। यह कहना सही नहीं है कि उपद्रवियों ने पुलिस चौकी को मिट्टी का तेल छिड़क कर फूंक दिया या उक्त घटना के कारण क्षेत्रीय जनता

[श्री रमा शंकर कौशिक]

में तनाव व्याप्त है । जाजमऊ क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु पी० ए० सी० लगाई गई है तथा गश्त की समुचित व्यवस्था की गई है। स्थिति सामान्य है । घटना के तुरन्त बाद ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे ।

प्रथम तीनों अभियोगों की विवेचना प्रभारी निरीक्षक, थाना बाबूपुरवा तथा चौथे अपराध की विवेचना निरीक्षक प्रभारी कोतवाली, कानपुर द्वारा की जा रही है एवं घटना की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा जारी है । अतः प्रश्नगत मामले को अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंपने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

1979-80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 6--संस्थागत वित्त विभाग (बूतिकर एवं विक्रीकर), अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या--13 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या 14--वित्त विभाग (लेखा-परीक्षा, अल्पबचत तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 22--संस्थागत वित्त विभाग, अनुदान संख्या 25--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 32--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) अनुदान संख्या 33--वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या 94--संस्थागत वित्त विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128--वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वित्त मंत्री जी, आइटम नं० (8) (वित्तीय वर्ष 1979-80 के आय-व्ययक पर मतदान) को साढ़े 3 बजे तक हम समाप्त करना चाहेंगे, तो आप इसमें 25 मिनट लेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, इतने ही समय में काम चला लिया जायगा ।

(कई सदस्य बिना इजाजत के खड़े होकर कहने लगे मान्यवर, इसे वापस लिया जाय, लाखों व्यक्ति भूखों मर रहे हैं, सारा कारोबार ठप्प हो गया है । मान्यवर, इसको समाप्त किया जाय ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, भाषण के समय के बारे में निर्णय ले लिया है, वह बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वित्त मंत्री जी आइटम नं० (8) को एजेंडे के अनुसार नम्बर 1 से प्रस्तुत करें ।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, ट्रेक्टर ट्राली का जैसे कर समाप्त किया है, उसी प्रकार से इसको भी समाप्त कर दिया जाय ;

संख्या 6––संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री–कर) अनुदान संख्या 8––संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) अनुदान संख्या 13––संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या 14––वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या 22––संस्थागत वित्त विभाग, अनुदान संख्या 25––वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) अनुदान संख्या 32––वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) अनुदान संख्या 33––वित्त विभाग (राज्य लाटरी) अनुदान संख्या 94––संस्थागत वित्त विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128––वित्त विभाग ऋण और अग्रिम (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष––

आप इसको चलने दें, फिर आपको चर्चा का अवसर मिलेगा ।

श्री मधुकर दिघे––

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6––संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री–कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,29,68,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8––संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,40,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13––संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14––वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,49,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय, मैं आप की आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22––संस्थागत वित्त विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अरिक्त 8,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री मधुकर दिघे]

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 1,89,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,90,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,98,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94-संस्थागत वित्त विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को अतिक्रमित करते हुए 2,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 128-वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,56,25,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

कुछ सूचनायें दी गयी हैं जिससे इन सब चीजों पर विचार करते वक्त जो अब तक कार्य हुआ है या जो कार्य करने की मंशा है, शासन द्वारा, जिसके लिए यह मांगें प्रस्तुत की हैं, मैं मुख्तसर से बताऊंगा । जब मांग प्रस्तुत की थी इस सदन में तब विस्तार से बातें बतायी थी । सबसे पहले मैं बिक्रीकर के मामले में 2-3 बातें प्रस्तुत करूंगा सूचना के लिए । 1977-78 में उत्तर प्रदेश को बिक्रीकर से 50 प्रतिशत आमदनी शासन को हुई है । उसमें 210.79 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ था । और सन् 1978-79 में यह बढ़कर 229.35 करोड़ रुपये हो गया । हमने अनुमान 221 करोड़ रुपये का किया था लेकिन इसमें हमको 8.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी है । इन चीजों का श्रेय दो तीन कामों को, जिनकी तरफ पिछले वर्ष वास्तविक रूप से ध्यान दिया गया, उस कारण हुआ । इसमें श्रेय कर्मचारियों को भी जाता है । लेकिन इसके साथ-साथ जो नयी व्यवस्था की गयी है उसके ऊपर भी इसका श्रेय है । एक तो मान्यवर, जो विशेष सर्वेक्षण दल जिसके द्वारा हमने इस प्रदेश में कार्य चालू किया और लोगों की करापवंचन की आदत में रोक लगाने का काम किया है । लोगों को महसूस होने लगा है कि अगर करापवंचन का प्रयत्न किया जायगा तो उसका नतीजा उनके हित में नहीं होगा । इसके साथ-साथ जो और अन्य प्रकार के हमारे दल काम कर रहे हैं उसका भी काफी अच्छा असर हुआ है ।

संख्या 6—संस्थागत वित्त विभाग (वृति कर एवं बिक्री कर) ।अनुदान संख्या 8—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या 13—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या 14—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 22—संस्थागत वित्त विभाग, अनुदान संख्या 25—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 32—वित्त विभाग (अधि वर्ष भत्ते तथा पेंशने), अनुदान संख्या 33—वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या 94—संस्थागत वित्त विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128—वित्त विभाग ऋण और अग्रिम (क्रमागत)

मान्यवर, 18 विशेष अनुसंधान इकाइयां प्रदेश में कार्यरत हैं । इन्होंने पिछले वर्ष में 3 हजार व्यापारियों का सर्वेक्षण किया जिसमें 80 करोड़ रुपये के टर्न ओवर का पता लगाया और 4.6 करोड़ रुपये का कर प्राप्त हुआ । तो यह जो वृद्धि हुयी ह उसका श्रेय इस प्रकार के कामों को जाता है । एक बड़ा प्रश्न और खड़ा हो गया ह, हाई कोर्ट के फैसले के कारण । इस प्रदेश में बाहर से आने वाले माल की जो चेकिंग होती थी और उससे जो कर मिलता था उस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि लगभग 9 लाख वाहन आते हैं जिनसे माल ढोया जाता है । उसमें जब चेकिंग की गयी तो 67 हजार वाहनें ऐसे निकले जिसमें करापवंचन का प्रयत्न किया गया था । यह बड़ा प्रयत्न इस वर्ष किया गया है । उनका नतीजा यह हुआ कि 82 लाख रुपया जमानत में प्राप्त हुआ और 41 लाख रुपया जो हमने वहां पर, मौके पर अर्थदंड लगाया उससे प्राप्त हुआ । इसके साथ-साथ जो शासन की नीति रही है, जो व्यापारी हैं, जो सेल्स टक्स जनता से वसूल होता है उनको कई दिक्कत थीं ।

पिछले वर्ष में इन दिक्कतों को हल करने में शासन ने जो अगुवाई की उसका नतीजा यह निकला कि जो ईमानदार व्यापारी हैं, जो चाहते हैं, जो अपना लेखा-जोखा ठीक रखकर जो कन्ज्यूमर से वह पैसा वसूल करते हैं, उसको शासन को देना चाहते हैं तो ऐसे सभी लोगों की जो इच्छा रही हैं उसको भी हमने विशेष तौर से ध्यान देकर पूरा करने का प्रयत्न किया है । इस सिलसिले में तीन विभिन्न कमेटियां प्रदेश में बनायी गयीं हैं । इन तीन कमेटियों को तीन प्रकार के काम सौप गये थे । एक तो कार्य यह था कि जो लोगों की दिक्कतें हैं उनका सरलीकरण कैसे किया जाय, जो नियम और कानून हैं उनमें सरलीकरण पर्याप्त करके किस तरह से सहूलियतें दी जायं और दिक्कतों को दूर किया जाय । दूसरी समिति थी जिसके ऊपर हमने कार्यभार सौंपा था कि वह विभिन्न प्रदेशों में जाकर उनके अनुभव के आधार पर, वहाँ की जो व्यवस्था है उसकी जानकारी हासिल करे और उससे प्रदेश लाभान्वित हो । इसके अलावा ऐसी समिति बनायी थी, जो अपने घोषणा-पत्र में यह स्वीकार किया था कि सेल्स टैक्स के बदले में कोई विकल्प निकाला जा सकता है । हमारी जो राजस्व की स्थिति है और जो आने वाले दिनों में हमारी अपेक्षायें हैं उसकी जो एलास्टीसिटी है उसको ध्यान में रखते हुये क्या कोई विकल्प निकाला जा सकता है । तो इन समितियों ने जो काम किया उनकी अलग-अलग दृष्टि से संस्तुतियां रहीं । उसके ऊपर जो कार्यवाही की गयी, उसका नतीजा हुआ कि जैसा कि हमने शुरू में कहा कि हमको कर प्राप्त करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जो हमको सफलता प्राप्त हुई है । जैसा मैंने अभी कहा कि एक तो कमेटी सरलीकरण को बनी थी जिसको अध्यक्ष थी शकुन्तला नायर जिनमें सरकारी अधिकारी, श्री राज

[श्री मधुकर दिघे--]

कुमार सामा विधान परिषद् के, इस सदन के सदस्य श्री रेवती रमण रस्तोगी श्याम सुन्दर गुप्त, एडवोकेट गुप्ता कानपुर के विशम्भर अग्रवाल जो यहाँ के व्यापारियों के संगठन के अध्यक्ष थे। इस प्रकार इस कमेटी को विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था कि वह व्यापारियों की कठिनाइयों को महसूस करे और सरलीकरण के सुझावों को दे सके। इसने लगभग 80 सुझाव दिये थे इसमें कुछ तो ऐसे थे कि व्यवहार अच्छा होना चाहिये, वगैरह-वगैरह। मुख्यतः 60 सुझाव थे जिनमें 47 को कार्यरूप में परिणित किया गया। मैं आपको बताऊंगा उन सुझावों को कितने दूर तक ले गये ? ताकि व्यापारियों की कठिनाइयों को कम कर सकें।

मेरी यह राय रही है कि बिक्री कर एक ऐसा हमारा कर है, उससे एक ऐसे राजस्व की प्राप्ति होती है जिसको आसानी से आज की परिस्थिति में बिना किसी विकल्प के छोड़ने को तैयार नहीं है। घोषणा यह की गयी थी कि आने वाले थोड़े दिनों के अन्दर जब तक इसका कोई निकल्प नहीं निकलता तब तक सेल्स टैक्स लिया जायेगा। चाहे वह केन्द्रीय सरकार का आदमी हो चाहे दूसरा हो किसी ने भी यह घोषणा नहीं की कि हम सेल्स टैक्स को समाप्त करने वाले हैं। सेल्स टैक्स का विकल्प निकाल कर हम इसको समाप्त करने वाले है यह हमारी घोषणा रही है। घोषणा-पत्र में कई घोषणायें हैं। जनता को हमें जो घोषणायें की उनको पूरा करना है। मैं इस राय का हूं और आज भी इसी राय का हूं कि जनता को पीने का पानी चाहिये, इसकी पहले आवश्यकता है। सड़क देना चाहिये, इसकी पहले आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को जिनकी वह अपेक्षा करती है, प्रोवाइड करना है। यह तय करना जनता पार्टी के शासन का काम है। जहां मैंने यह कहा कि सेल्स टैक्स को बिलकुल नहीं निकालेंगे वहीं मैंने कहा कि जब तक इसका कोई विकल्प नहीं मिलता इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। मैंने स्पष्ट किया कि व्यापारियों को कानूनों का नियमों का विरोध नहीं करना चाहिये। और मान्यवर, मुझे खुशी और गर्व है कि उत्तर प्रदेश के शासन ने पिछले एक डेढ़ साल के अन्दर जितनी सहूलियतें उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को दिया है उतनी किसी प्रदेश ने नहीं दिया है। मैं इस मामले में पूर्ववर्ती मंत्री श्री केशरी नाथ त्रिपाठी को विशेषतौर पर बधाई देता हूं कि उन्होंने ईमानदारी से इस प्रश्न पर काम किया है और मैं भी उनके साथ रहकर ईमानदारी से काम किया है जिसका नतीजा है कि 40-45 बातों में ठोस काम किया है। अब मैं कुछ ठोस बातें बताना चाहता हूं कि यह मौजूदा शासन विभिन्न प्रश्नों पर किस ढंग से देखता है और जो सही बातें होती हैं उनको किस तरह से बिना हिचक करना चाहता है।

मान्यवर, सबसे पहला काम किया है कि 5 हजार रुपये तक वार्षिक कर अदा करने वाले व्यापारियों पर स्वतः कर निर्धारण योजना लागू किया है। तीन महीने पहले जब मैंने चार्ज लिया तो बावजूद इसके कि सरलीकरण रिपोर्ट नहीं थी लेकिन मैंने पहले अवसर पर 5 हजार और दूसरे अवसर पर सेल्स टैक्स कमिश्नर के स्तर तक इसको 10 हजार रुपये तक लेखे-जोखों के स्वीकार करने का काम होना चाहिये ऐसे आदेश दे दिये हैं। मान्यवर, कुछ दिन पहले इसी सदन में मैंने कहा था कि वित्त विभाग और शासन का काम है कि जब तक ठोंक बजाकर किसी काम को न करें तो शासन को वह काम नहीं करना चाहिये। विभिन्न अवसरों पर चेक व्यापारी देते हैं और हम उसके बदले उनको रसीद दे देते है कि तुम्हारा कर प्राप्त हो गया। लेकिन कभी-कभी वह चेक सही नहीं होता है

और भुनाने जाने पर लौटा दिया जाता है । इस प्रश्न पर हमने विचार किया कि एक व्यक्ति ने चेक दिया उसके बदलें उसको रसीद दे दिया । तो उसके बाद हमारे शासन का काम होगा कि क्या बैंक में, जो चेक प्राप्त हुआ है उसकी रकम उनको प्राप्त हुई ह कि नहीं । जब तक इसकी ठोस जानकारी नहीं होगी तब तक हम कुड़की व्यापारियों के खिलाफ नहीं करेंगे । यह काम हमने किया है । इसी के साथ हमने 50 हजार रुपये तक टर्न ओवर जिनका है उनकी संख्या 7 लाख है जिसमें केवल 2 लाख 26 हजार अपने प्रदेश में पंजीकृत हैं, इसमें से अधिकतर ऐसे व्यापारी हैं जिनका हमने 50 हजार रुपये तक कर छोड़ दिया है । यह काम किये हैं । इससे छोटे व्यापारी जिनको कठिनाई है, क्योंकि उनके पास कर्मचारी नहीं रहते हैं, इसे स्वीकार करके ऐसे सभी लोगों को जो पहले 25 हजार रुपय टर्नओनर था उसको 50 हजार रुपये ले गये हैं । यह काम जो किये हैं जिसका नतीजा अच्छा निकला है । उसके आंकड़े मैं देना चाहता हूं । दूसरे समिति का जिक्र किया, जो विभिन्न प्रदेशों में जाकर वहां के अनुभवों के आधार पर यहां कुछ संस्तुतियाँ करे। हम अपने जो नियम और कानून हैं, उनमें तब्दीली करके कर अपवंचना की स्थिति को सुधारा ही ह साथ ही जो विभिन्न स्तर के व्यापारी हैं, और उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, उनको भी हल करने का प्रयत्न किया है ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हम कुछ आँकड़े देना चाहते हूं । 1977-78 में 82 हजार अपीलें दाखिल हुयी थीं। केवल आखिरी महीने में जो हमने कार्यवाही की, उसका नतीजा निकला कि ये अपीलें घटकर 70478 पर आ गयीं और यह तभी सम्भव है जब प्रदेश के व्यापारी समझें कि हम प्रदेश की जनता की एक प्रकार से सेवा कर रहे हैं । यह भी काम ह । सरकारी कर्मचारी, जो वेतन पाते हैं, वह एक प्रकार का काम करते हैं । वकील अलग प्रकार का काम करते हैं, राजनैतिक कार्यकर्त्ता अलग प्रकार का काम करते हैं और देश और प्रदेश के व्यापारी हैं, उनका भी देश और प्रदेश के प्रति कर्त्तव्य है कि देश और प्रदेश की जनता के लिये कुछ करें। मुझे आश्चर्य होता है कि जब व्यापारी कहता है कि क्या यह कोई मेरा काम है ? अगर आप टैक्स नहीं देते, तो मुझे कहना पड़ेगा एक समाज का कार्यकर्त्ता होने के नाते कि फिर आपको प्रदेश में दूकान खोलने की इजाजत क्यों दी जाय ? इसलिये दोनों बातों को स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं । अगर वसूली में उनको दिक्कते हैं, उनको क्या सहूलियतें दी सकती हैं, ये दोनों बातें बराबर सोची जानी चाहिये । अगर कर अपवंचना की जा रही है, अगर कोई फर्म पंजीकृत नहीं है, अगर जनता से कर वसूल किया है और उसमें गड़बड़ी करने का प्रयत्न किया है, तो इधर भी कड़ाई होगी । दूसरी तरफ यदि कोई अधिकारी गलत काम करता पाया जायेगा, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जायेगी । मैं नाम तो नहीं बताना चाहता लेकिन मेरे पास ऐसे अधिकारियों की लिस्ट है । माननीय सदस्य देखना चाहें, तो देख लें, क्योंकि आरोप लगता है कि व्यापारियों के ऊपर बड़ा

[श्री मधुकर दिघे--]

कड़ा रुख अख्त्यार करते हैं और जो अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, उनके प्रति क्या रुख है ? उसमें मेरे पास पूरी सूची है । ऐसे 109 अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ पिछले एक या डेढ़ वर्षों में कार्यवाही की है । तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा इरादा यह है कि प्रदेश की 10 करोड़ जनता की सेवा करें । उन लोगों की सेवा करें जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या उनकी सेवा करें जिनको दो टाइम खाना नहीं मिलता । पीने के लिये पानी नहीं मिलता, जिनके यहां औरतों को दो/दो किलोमीटर से आटा गूंथने के लिये पानी लाना पड़ता है । 30 वर्ष आजादी के हो गये लेकिन हम आज तक उनके लिये यह सुविधा नहीं प्रदान कर पाये । इसमें हमारा और आपका सभी की बात है सभी दोषी हैं । मैं कांग्रेस पार्टी या नरायन दत्त तिवारी पर ही दोष नहीं लगाता हम सभी इसके लिये दोषी हैं । इस काम के लिये जो महत्व दिया जाना चाहिये था, नहीं दिया गया । मुझे विश्वास है कि जनता पार्टी के शासन को अगर विरोधी दल ने ईमानदारी से सहयोग दिया तो हम आने वाले दिनों में इस कलंक को मिटाने, आपके कलंक को मिटाने, अपने कलंक को मिटाने का काम अवश्य कर सकेंगे ।

एक सदस्य--

आपके कलंक ने तो उसको और भी गहरा कर दिया ।

श्री मधुकर दिघे--

अब अगर कलंक को धोयेंगे, तो वह नीचे तो गिरेगा ही मान्यवर, यह तो बिक्री कर के सम्बन्ध में था ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी आप कितना समय लेंगे ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, बिक्री-कर के सम्बन्ध में तो मैंने बता दिया ।

मान्यवर, मैं दो चीजें और बताना चाहता हूं । माननीय सदस्यों ने विभिन्न अवसरों पर एक प्रश्न जो उठाया है वह कोषागार कर्मचारियों और कोषागारों के सिलसिले में है । इसके सिलसिले में बताने के पहले एक बात और मैं भूल गया था उसको बताना जरूरी है क्योंकि तिवारी जी और श्यामधर जी इस प्रश्न को उठायेंगे कि बकाये की क्या स्थिति है ? दिनांक 1-4-78 को पुराना बकाया 91.26 करोड़ था और 1979 के फरवरी तक के जो आकड़े हमारे पास थे उसमें उस वर्ष के लिए 40.29 करोड़ रुपया बकाया था । 132.18 करोड़ की वसूली करनी थी, इसमें से 15.45 करोड़ रुपया हमने 1978-79 में वसूल कर लिया, इसके अलावा जो अपरिपक्व मांग थी, यह सब मिलाकर अवशेष धनराशि जो हमको वसूल करनी है, 82.14 करोड़ रुपया थी । इसमें भी बहुत से ऐसे मामले हैं जो न्यायिक स्तर पर या सरकारी स्तर पर वसूलियां स्थगित हैं, इस सबको ठीक करने के बाद 37.56 करोड़ ही बाकी है । कोषागारों की स्थिति जो मैं बताना चाहता हूं, कोषागार कर्मचारियों का एक आन्दोलन हुआ था । 9 मई, 1979 को एक कमेटी का गठन करने का वादा हमने किया था और वह समिति गठित कर दी गई है और दो महीने के अन्दर

संख्या 6--संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं बिक्रीकर), अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या 13--वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या 14--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्पबचत तथा अन्य व्यय), अनुदान-संख्या 22--संस्थागत वित्त विभाग, अनुदान संख्या 25--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 32--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) अनुदान संख्या 33--वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या 94--संस्थागत वित्त विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128--वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम

उसकी रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें कोषागार में कार्यरत विभिन्न वर्ग के लिपिकों, कर्मचारियों के दैनिक और मासिक वेतन आदि के निर्धारण और बिलों आदि के भुगतान से संबंधित कार्यों के बारे में संस्तुति की जायेगी। माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 25 उप-कोषागारों जिसमें 22 मैदानी और 3 पर्वतीय क्षेत्र में हैं, मैं जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर उप कोषाधिकारी के पदों का इस वर्ष सृजन करने का हमने प्राविधान किया है। हलद्वानी रावर्ट्सगंज, काशीपुर, हापुड़, पडरौना से लेकर कन्नौज, खलीलाबाद और बुढ्ढी तक 25 जगहों पर हम इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लिपिकों और कोषपालों की भी व्यवस्था करने का हमने इस बजट में प्राविधान किया है। टिहरी उप कोषागार का कोषागार के रूप में उन्नयन करने का प्राविधान किया गया है।

सातवें वित्त आयोग ने, मैंने पिछली बार कहा था, कोषागारों के भवनों के निर्माण के सिलसिले में हमको इस साल 3 करोड़ 75 लाख रुपया दिया है जिसमें से एक करोड़ 12 लाख रुपये के खर्चे का प्राविधान इस बजट में कर दिया गया है। पुराने कोषागारों में काफी सुधार होने का भी हमने प्राविधान किया है ताकि लोगों की कठिनाइयों को हम ठीक कर सकें। तीसरी चीज, जो अनुदान में मैंने प्रस्तुत की है, उसके बारे में स्थिति यह है कि यह प्रदेश पूरे देश में अल्प बचत योजना में प्रथम स्थान पर रहा है और जो लक्ष्य रहा है उस लक्ष्य से हमने काफी अच्छी प्रगति अल्प बचत योजना में की है। अल्प बचत योजना में जितनी अधिक तरक्की होगी, जितना अधिक हम प्रयत्न करेंगे, अभी तो बहुत गुंजाइश है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अगर माननीय सदस्य वहां के सहायता करें तो अल्प बचत योजना में काफी प्रगति हो सकती है और यह धन हम अपने प्रदेश की प्रगति के कार्यों में लगा सकते हैं। जितना अधिक धन हम बचत करके अपने प्रदेश के विकास के लिए अर्जित कर लेंगे उतना ही कर-भार लादने में हम कमी कर सकेंगे। इन सब प्रश्नों को मैंने सदन के समक्ष इसलिए प्रस्तुत किया है कि मैंने जितने अनुदान इस सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं स्वीकारोक्ति के लिए उसमें अधिकतर ऐसे ही प्रश्न हैं जिन पर आप जानते हैं कि अपने प्रदेश की प्रमुख व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही मैंने किया है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे इस समय कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि अब नेता विरोधी दल, मिश्रा जी, वैद्य जी, गुलाब सेहरा साहब, सुन्दरलाल जी तो खैर हमारे पक्ष में ही हैं और इधर के भी माननीय सदस्य इसको स्वीकृति देंगे और माननीय नेता विरोधी दल को शायद कटौती प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस पर बिना ज्यादा चर्चा हुए इसको स्वीकार कर लिया जायेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या 6--संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं बिक्रीकर), अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या 13-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या 14--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 22--संस्थागत वित्त विभाग, अनुदान संख्या 25--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 32--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें), अनुदान संख्या 33--वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या 94--संथागत वित्त विभाग-पूंजीगत परिव्यय और अनुदान संख्या 128-वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम, इनमें से प्रत्येक अनुदान, जिनका मैंने उल्लेख किया है, में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए, इसका प्रस्ताव रखता हूं। श्रीमन्, बड़ा मन दुखी होता है कि वित्त मन्त्री जी के प्रस्तावों पर मैं कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करूं। चाहता नहीं हूं लेकिन मुख्य मंत्री जी और इनके शासन की समय-स य पर की गई घोषणाओं ने हमें बाध्य कर दिया कि मैं कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करूं। इस समय भी अगर अपने भाषण में इन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया होता, कुछ अधिक बताया होता, या जो विभागीय रिपोर्ट मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है, न तो संस्थागत वित्त की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और न कोई अन्य रिपोर्ट प्राप्त हुई ह, उनमें अगर कुछ एसी बात निकलती तो मैं इन्हें बधाई भी दे सकता था।

श्रीमन्, इन्होंने जो अधिकांश स य लिया वह बिक्रीकर के विषय में लिया विचारणीय बात यह है कि बिक्रीकर की सारी बहस इनकी पार्टी ने खुद खड़ी की। अगर वह घोषणा पत्र सोच-स झकर लिखा होता, मैं इसमें वित्त मत्री जी का दोष नहीं स झता, क्योंकि शायद उनको घोषणा-पत्र बनाने का मौका नहीं मिला, चन्द और लोग थे दिल्ली में, जिन्होंने शायद घोषणा-पत्र बनाया। उस समय ऐसा वादा कर दिया जो असंभव था और शायद आज भी असंभव है। अब यह कहते हैं कि हम बिक्रीकर तब समाप्त करेंगे जब उसका विकल्प होगा। विकल्प होना नहीं है और समाप्त होना नहीं है। दो-सवा दो साल हो गये, विकल्प क्यों नहीं निकल पाया। एक्साइज ड्यूटी के रूप में बिक्रीकर क्यों नहीं परिणित हो पाया। चूंकि असंभव पाया गया, चूंकि राज्य सरकारें सारे देश में आज यह मंग कर रही हैं कि हमारे टैक्स के अधिकार और बढ़ने चाहिये चाहे पंजाब में अकाली दल की स कार हो चाहे बंगाल में मार्क्सिट्स सरकार हो। वे कह रही हैं कि इनकम टैक्स हमें दिया जाना चाहिये वसूलने के लिए। तो आज सेल्स टैक्स का कोई विकल्प निकालना संविधान के अन्तर्गत नहीं है। राज्य सरकार को सेल्स टैक्स वसूल करने की शक्ति दे दी गई है। यह जो वायदा किया गया यह वायदा ही ऐसा भ्रमक किया गया जिस में राज्य सरकारें पिसी हुई हैं। भविष्य के लिए भी यह चेतावनी है कि घोषणा-पत्र बनाते समय, चुनाव लड़ते समय, उम्मीदवारों की, राजनीतिक पार्टियों को सोच समझ कर घोषणा-पत्र बनाना चाहिए और ऐसा वायदा नहीं करना चाहिए जो बाद में महंगा पड़े। यह वायदा बहुत महंगा पड़ गया है और ऐसा वायदा महंगा पड़ता रहेगा जिसे बाद में आप पूरा नहीं कर सकेंगे। हमें तो खुशी होती यदि आप बिक्रीकर का विकल्प ढूंढ़ते लेकिन आप ढूंढ़ नहीं पाये। इतना हो सकता है कि तम्बाकू, कपड़ा और चीनी में जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई ह, बहुत बड़ी कई मदों में बिक्री कर के स्थान पर एक्साइज ड्यूटी की मदों को ढूंढा जा सकता था, उस ओर भी आप प्रयास नहीं कर पाये इन दो सालों के

अन्दर इस संबंध में कांग्रेस शासन काल में एक कमेटी विचार कर रही थी वह रिपोर्ट भी मौजूद होगी। मैं यह मानता हूं कि अकेले राज्य सरकार का काम नहीं है केन्द्र सरकार का इसमें बिल्कुल सक्रिय होना चाहिए। केन्द्र सरकार बिल्कुल चुप बैठी है। अभी माननीय वैद्य जी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया पीलू मोदी साहब के वक्तव्य की ओर। वह एक तो नेशनल एक्जीक्यूटिव के मेम्बर हैं, क्या कर रहे हैं। विकल्प ढूंढने के स्थान पर वक्तव्य दे दिया। आज वास्तव में इस ओर कुछ नहीं हो रहा है। केन्द्र ने इसमें अभी तक न कोई मीटिंग बुलाई है। हां जब एक सिंगल कास्टीट्यूशन का अगर यह मुल्क हो जाय तब आसानी इस के संबंध में हो सकती है।

बिक्रीकर के बारे में एक बात जरूर कहूंगा। जो भाषण इस संबंध में आये वे जरूरत से ज्यादा तेज किये गये जिस तरह से व्यपारियों के लिए अपशब्द कहे गये, उनसे वार्ता करते समय उन्हें बुरा भला कहा गया, उनके हड़ताल के समय कहा गया, यह बहुत अशोभनीय है और मैं समझता हूं व्यापारियों ने जो कुछ किया वह इतना नहीं करते अगर ये अशोभनीय शब्द गुण्डे, शब्द मैंने अखबार में पढ़ा न जाने क्या-क्या शब्दों का प्रयोग किया गया जो कि बिल्कुल असंसदीय और अशोभनीय है प्रयोग न किये गये होते।

तो मैं समझता हूं कि समाधान आज जिस प्रकार से ढूंढा जा रहा है वह समाधान नहीं है। अभी चन्द सम्मानित सदस्यों ने कहा बनारस में रेशम का उद्योग है वहां कर लगता तो है रेशम की साड़ियों पर लेकिन वास्तव में इसका भार बुनकरों पर जाता है जिस तरह करकर लिया जा रहा है। अन्य दूसरे राज्यों में इस तरह का कर नहीं है। बनारस में साड़ी उद्योग है, रेशम उद्योग है, जरी उद्योग है, बुनकर भाइयों को सहायता पहुंचाने के लिए। पिछले शासन काल में सात वर्ष तक कई बार प्रस्ताव आये, कभी प्रस्ताव पारित भी हुआ लेकिन इसे वापस ले लिया गया क्योंकि लाखों बुनकर भाइयों पर असर पड़ता है। जैसे होलसेलर्स पर भार पड़ता है। यह इस प्रकार का टैक्स नहीं है। मुझे दुःख हुआ कि वित्त मंत्री कुछ बुनकर भाइयों के लिए, उनके परिवार के लिए, राहत की घोषणा करते, उन्होंने नहीं किया।

श्रीमन, बिक्री कर में बहुत से सुधार हो चुके हैं। सरलीकरण में बहुत सी बातें पहले हो चुकी हैं। सबसे बड़ा सरलीकरण तो यह हुआ कि मल्टी टैक्स का, सिंगल टैक्स हो गया, एक सूत्रीय कर लगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ कदम उठाये हैं, उन में कुछ कदम अच्छे हैं, लेकिन बुनियादी कदम उठाने चाहिये जैसे रजिस्ट्रेशन की दिशा में, वह नहीं उठाये जा रहे हैं। उस तरफ ध्यान ही नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं। पिछले दो सालों में स्टेट

[श्री नरायन दत्त तिवारी—]

के राजस्व की बृद्धि का अनुपात बहुत कम है । आमतौर पर 15 से 20 प्रतिशत तक बृद्धि होनी चाहिये राजस्व में लेकिन वह नहीं हुई है । इतना स्टाफ होने के बावजूद जो नार्मल रेवेन्यू में वृद्धि होनी चाहिये थी वह भी नहीं हो पाई । छीजन को रोकने के लिए आपने हर जिले में ए० डी० एम०, रेवेन्यू बनाया लेकिन उनका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए किया गया । सेक्रेटेरियट में कोई मीटिंग उनकी नहीं बुलाई गयी, न कोई उनकी कान्फ्रेन्स की गयी जबकि इतना महत्वपूर्ण पद यह सोच कर सृजित किया गया था कि वह रेवेन्यू प्लक करने का काम देखेंगे । आज हालत यह है 77–78 में पदार्थों और सेवाओं पर कर की आमदनी 391 करोड़ से घट कर 380 करोड़ रह गयी है । इसी प्रकार जो सामाजिक सामुदायिक सेवाओं से आमदनी 77–78 में 19,61,00,000 होती थी वह 78–79 में घट कर 16,54,00,000 रह गयी । बिक्रीकर भी आज उतना ही है जितना ढाई साल पहले 77–78 में वसूल होता था, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुयी जबकि 20 परसेंट से लेकर 30 परसेंट तक राजस्व व्यापारियों के सहयोग से बढ़ना चाहिये था । सेल्स टैक्स एडवायजरी कमेटी की कितनी मीटिंग्स आपने की जिसमें हर तरह के व्यापारियों को बुलाया जाता था उनसे अलग-अलग बातचीत होती थी उनकी परेशानियों को देखा जाता था और उनके सहयोग से बिक्रीकर में वृद्धि हुआ करती थी । इसी मीटिंग तथा कान्फ्रेंस के जरिये व्यापारियों का सहयोग लेकर 7 साल के अन्दर हमने 48 करोड़ से बिक्रीकर को लगभग ढाई सौ करोड़ तक पहुंचा दिया था और अब वह स्टेटिक हो गया है । व्यापारियों ने कभी यह मांग नहीं की थी कि बिक्री कर हटा दिया जाय । बिक्रीकर का विकल्प एक्साइज ड्यूटी हो इसे भी आप लागू नहीं कर सके ।

आज जो स्थिति हो गई है उसका कारण है जनता पार्टी ने गलत मैनिफेस्टो बनाया, व्यापारियों का इसमें कोई दोष नहीं है । आपको वास्तविक दुनिया में आना चाहिये । निकट भविष्य में क्या 83 तक बिक्रीकर समाप्त नहीं हो सकेगा । फिर बंगाल में जो मार्कसिस्ट पार्टी है उसका कहना है कि ओवर-ड्राफ्ट का अधिकार उनको मिलना चाहिए। जब डेफिसिट फायनेंसिंग का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है तो उनको भी इसका अधिकार होना चाहिये यह वेस्ट बंगाल के वित्त मंत्री अशोक मित्रा साहब ने कहा है । बिक्रीकर के बारे में जो स्थिति है उसका निराकरण होना चाहिये तथा बुनकरों पर बिक्रीकर लगाया गया है उसको समाप्त करना चाहिये । एक बात यह होना चाहिये कि दिल्ली के अनुपात से यहां बिक्रीकर होना चाहिये । कई वस्तुओं पर बिक्रीकर कम किया था। व्यापार इसीलिये ठप हो रहा है । दिल्ली में बिक्री कर कम है और इसीलिये देहरादून, मेरठ, मुरादाबाद आदि जगहों से सामान दिल्ली में बुक होकर प्रदेश के अन्दर जाता था । हमें इस बारे में पूरी सफलता नहीं मिल पायी थी आज भी वही हो रही है । चूंकि दिल्ली में बिक्रीकर कम है और हमारे यहां ज्यादा है इसलिये ईमानदारी से व्यापारी लोग व्यापार नहीं कर पा रहे हैं । इसी वजह से हमने बहुत सी मदों पर सेल्स टैक्स कम किया था और वह दिल्ली के आधार पर किया था । यह आपके देखने की बात है । इससे व्यापार की, उद्योग की और टैक्स की क्षति हो रही है ।

श्रीमन्, मैं एक ही मद मार्केट बौरोइंग्स लूंगा । मार्केट बौरोइंग के लिये हमारे वित्त मन्त्री जी ने कितने का प्राविधान किया । दो साल पहले भी 40

करोड़ का ही प्राविधान था और आज भी 40 करोड़ कुछ लाख का प्राविधान है। यह क्या बात है ? क्या शाख कम हो गई हैं ? हिन्दुस्तान के बैंकों के सामने क्या आपकी शाख कम हो गई हैं ? क्या कारण है कि पिछले दो वर्षों से हमारा मार्केट बौरोइंग 40 करोड़ के ही लगभग है। यह किसका दोष है ? आपके पास कितना पैसा है। मैं कहता हूं कि जब तक साधन नहीं होंगे तब तक खर्चा कैसे होगा। क्योंकि साधन बढ़ाने की तरफ आपका ध्यान नहीं ह इसलिए ऐसा हो रहा है। आप साधन बढ़ायें बिना बैटवस लगाये बढ़ायें। श्रीमन्, हमने 8 करोड़ से 40 करोड़ तक मार्केट बौरोइंग ली एनुअली। आपने क्या किया। कितनी बार रिजर्व बैंक के पास आप गये और कितनी बार आपने उनसे बात की इस मार्केट बौरोइंग के बारे में ? कितनी बार हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनसे बात की ? कितनी बार रिजर्व बैंक के गवर्नर को यहां उत्तर प्रदेश में बुलाया गया ? साल में कम से कम 2 से लेकर 4 बार तक हम लोग उनसे बात करते थे वेज एन्ड मीन्स के प्रश्न को लेकर और मार्केट बो रोइंग के प्रश्न पर उनको दबाव दिया जाता था। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले दो सालों में यह कोशिश नाममात्र के लिए हुई। अगर बैंकों से ऋण लेने की बात करें तो 2-3 साल में 60 करोड़ यह मार्केट बौरोइंग हो सकता था। 20 करोड़ आपको ज्यादा मिल सकता था। लेकिन आज होता यह है कि बैंकों की शाखायें हमारे यहां खुलती ज्यादा हैं और रुपया दूसरे के यहाँ चला जाता है। इसीलिए नियम बनाया था कि हम अपना रुपया यू० पी० कोआपरेटिव बैंक में ही जमा करेंगे ताकि वह रुपया उत्तर प्रदेश में ही रहे। क्रेडिट डिपोजिट रेशियो बढ़ाने की कोशिश की गई थी।

हमारे संस्थागत वित्त मन्त्री ने अभी तीन महीने पहले इसे लिया लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्रेडिट डिपोजिट रेशियों पिछले दो-ढाई सालों के अन्दर 12 फीसदी घटा है। जो क्रेडिट डिपोजिट रेशियों 58 फीसदी तक चला गया था वह आज घटकर 42 और 44 फीसदी रह गया है। इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ यह है कि अगर हमारे प्रदेश की जनता का, किसानों का, व्यापारी का 100 रुपया बैंक में जमा होता था तो हम 58 तक वापस ले लेते थे किन्तु वह आज 44 प्रतिशत तक ही रह गया है और बाकी रुपया बाहर जा रहा है। आज महाराष्ट्र, तामिलनाडु, कर्नाटक आदि क्यों आगे बढ़ रहे हैं। अगर उनका 100 रुपया जमा होता है तो 112 रुपया तक वापस मिलता है जिसे दूसरे उद्योगों में वे लगा लेते हैं। इसीलिए फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन बनाये गये हैं। इस भाषण में देखिये फाइनेन्सियल इस्टीट्यूशन के बारे में वित्त मन्त्री जी ने कुछ कहा ही नहीं कि वह क्या कर रहे हैं। उनकी कितने चेयरमैनो से बैंकों की बात हुई। वह बता दें कि चेयरमैन बैंक आफ बड़ौदा का क्या नाम है, चेयरमैन स्टेट बैंक आफ इंडिया का क्या नाम ह। स्टेट बैंक की सबसे ज्यादा शाखाएं उत्तर प्रदेश में हैं जो रूरल क्रेडिट के लिए छोटे किसानों को ऋण देते हैं। जब बात ही नहीं हुई तो कैसे बतायेंगे।...

श्री गौरीशंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

आई० ए० एस० की परीक्षा थोड़े ही दे रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

स्टेट बैंक आफ इंडिया जो सबसे बड़ा बैंक है उससे कभी बात नहीं की। बैंक आफ बड़ौदा 12 बैंकों का लीड बैंक है। लीड बैंक क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है ...

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल आप एक शिक्षण केन्द्र खोल दें और उसमें यह सब पढ़ाया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वह लीडर हैं वह जानते हैं लीड बैंक क्या होता है। (व्यवधान) मैं तो अपना इंतहान ले रहा हूं। हर जिले में लीड बैंक की योजना बनी थी तो क्या उसके अनुसार काम किया जा रहा है या नहीं, वह अपनी योजनाओं को पूरा कर रहे हैं या नहीं। फर्रुखाबाद में लीड बैंक ने क्या काम किया। यह मालूम होना चाहिये कि कि जिले में कौन लीड बैंक है। वहां के लिए एक प्रोजेक्ट बना था आलू के कोल्ड स्टोरेज के लिए उसका क्या हुआ, तम्बाकू का क्या हुआ। अब मौरेटोरियम करने वाला कोई नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी थी उसकी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। मैंने जनता पार्टी विधायकों से पूछा था उन्होंने बताया कि हमें मालूम नहीं है कि कोई इसकी मीटिंग हुई किसी ने बुलाया ही नहीं आप जिक्र कर रहे हैं। तो आज जिलों में सबसे बड़ा स्रोत जो है वह बैंक है उनका इस्तेमाल करना फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का काम होता है वह नहीं हो रहा है। इस इंस्टीट्यूशन में कुछ अच्छे आफिसर जरूर हैं लेकिन खाली लिखा-पढ़ी से काम नहीं होता जब तक राजनीतिक दबाव नहीं होगा। इसी तरह से यूनिट ट्रस्ट है तो वह हमारे यहां किस में रुपया लगा रहा है क्या इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा रहा है। यूनिट ट्रस्ट से गुजरात राज्य ने 17 करोड रु० से अहमदाबाद में योजना बनाई है। तो क्या उनसे कोई बात कर रहा है। करोड़ों रुपया यू० पी० से सालाना यूनिट ट्रस्ट में लगता है। इसी तरह से जनरल इंश्योरेंस से पिछली बार कुछ रुपया लिया लेकिन उसके बाद वह भी बन्द है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक से इंडस्ट्रीज के लिए कौन बात कर रहा है। इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब ने तो अपने भाषण में कहीं इसका जिक्र नहीं किया। तो मेरा बुनियादी आरोप है इस शासन के ऊपर, अकेले वित्त मन्त्री के ऊपर नहीं। इस इंस्टीट्यूशन आफ फाइनेंस पर पैनी दृष्टि होनी चाहिये आज जो पकड़ होनी चाहिये वह नहीं है। इसकी वजह से प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्रेडिट डिपाजिट रेशियो घट रहा है। इससे छोटे-छोटे किसानों और भूमिहीनों को नुकसान हो रहा है।

आपने अन्त्योदय कार्यक्रम का उल्लेख किया। उसमें लिखा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बैंकों से कुछ रुपया मिल जाय। डिफरेंसियल रेंट आफ इन्टरेस्ट से पहले से योजनायें बनी हैं प्रत्येक जिले में लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। कामर्शियल बैंकों ने क्या योजनायें बनाई, केवल अंत्योदय से ही काम चलने वाला नहीं है। आज बैंक हर चीज के लिए रुपया देने को तैयार हैं

लेकिन उसे बारों करने के लिए कोई योजना हो। अलीगढ़ में ताला उद्योग के लिए कोनारा बैंक डिफरेंसियल रेट आफ इन्टरेस्ट पर रुपया देने को तैयार है। इसी तरह से आगरा में हमारे सेहरा साहब बैठे है वह जानते है वहां का कैनारा बैंक लीड बैंक है वहां पर लेदर कारपोरेशन स्टेट की बनी है और इसी तरह से सेंटर का लैदर कारपोरेशन है, उसमें कनारा बैंक रुपया देने को तैयार है। वहां के लिए स्कीम भी बनी थी। उसने हमारे निगम से मिल कर जो वहां पर चर्म का उद्योग है उसके लिए चर्मकार भाईयों को जिनका शोषण हो रहा था उसे रोकने के लिए योजना बनायी, लेकिन आज कैनारा बैंक से बात करने वाले कितने लोग हैं। केवल अफसरों से बात करने से कुछ नहीं होगा। आपको पोलेटिकल लेविल पर इसके किए बात करनी होगी, किन्तु इस लेविल पर बात करना बन्द हो गया है। इलाहाबाद बैंक का रीजनल आफिस यहां खुला हुआ है, लेकिन उसका कौन कितना लाभ उठा रहा है। एग्रीकल्चरल फाइनेंश कारपोरेशन के आफिस हमने यहां खुलवाए हैं, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है, लेकिन उनको लागू करने वाला कौन है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिर्जापुर से सीतापुर तक की बनी हुई है, लेकिन उसको लागू करने वाला कोई कहीं नहीं है। सहारनपुर में काष्ठ कला उद्योग के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ योजना बनी थी, उसको कौन लागू करने वाला है। (व्यवधान) मैं तो यह कह रहा हूं कि जो एक टोटल प्लानिंग का दृष्टिकोण होना चाहिए, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन का दृष्टिकोण होना चाहिए, वह अब कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। जो ए० डी० एम० (फाइनेन्श) जिलों में बने हैं, उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, उनसे फाइनेन्श का काम तो लिया ही नहीं जा रहा है। स्टाम्प पर निबन्धन शुल्क से 77–78 में 55 करोड़ 18 लाख की आमदनी थी, जो अब घटकर 45 करोड़ हो गयी है। यानी 10 करोड़ के करीब की उसमें कमी आयी है, लेकिन आपने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसको आपको देखना चाहिए कि यह रिसोर्स कम क्यों हुआ। आप बजट में स्टाम्प पर और ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं देख रहे हैं कि यह 10 करोड़ की आमदनी क्यों और कैसे घटी है।

इसी प्रकार से आमोद और पणकर टैक्स की बात है मनोरंजन पर टैक्स की बात है। चलचित्रों के बारे में एक कमेटी बनी थी कि कैसे यह टैक्स बढ़े और इसे और अधिक जनहितकारी कैसे बनाया जाय। केवल इस टैक्स को बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यह भी सोचना पड़ेगा कि करोड़ों जनसाधारण लोग जो सिनेमा देखते हैं, उनकी सुविधाओं में बिना किसी प्रकार

[श्री नारायन दत्त तिवारी--]

की कमी किये हुए, समय-समय पर उनमें कैसे और अधिक वृद्धि की जा सकती है । आज स्थिति यह है कि वह भारी टैक्स देते हैं, लेकिन फैसिल्टीज उनको कोई नहीं है । यह उनके मनोरंजन का केवल एकमात्र साधन है, इसमें उनकी सुविधाओं की ओर भी आपको ध्यान देना होगा । इस ओर आपका ध्यान नहीं है । हमने सिनेमा वालों से बात करके इसके बारे में सोचा था । अब तक चलचित्र निगम प्रदेश में केवल 10 सिनेमाघर बनवा सका है । क्या कारण है इतनी धीमी प्रगति का जबकि बैंक उसके लिए आपको ऋण देने के लिए तैयार हैं । इस ओर क्यों नहीं कदम उठाया गया, जिससे अधिकाधिक सिनेमाघरों का निर्माण कराकर जनता की मनोरंजन की और अधिक सुविधाएं दी जातीं । हमने कहा था कि इन्टरटेनमेन्ट टैक्स 5 साल तक नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने इसको पिछले साल बढ़ाया और इस साल भी बढ़ाया है । शायद नोटिफिकेशन भी हो गया और पहली जून से बढ़ भी गया है । सिनेमा वाले कहते हैं कि हमसे इस विषय पर सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई । सिनेमा मालिकों की एक कमेटी बनी हुई है और उस सम्बन्ध में उसकी एक रिपोर्ट है, जो लागू होनी चाहिए थी । आज जरूरत है कि सिनेमा मालिकों से बात करके इसे किया जाए, तो आमदनी बढ़ सकती है और सभी वर्ग के लोगों के असन्तोष से भी सरकार बच सकती है । इन्टरटेनमेन्ट स्वयार्ड है, उसने कितना अच्छा काम किया है, इसका आपने जिक्र नहीं किया है । इन्टरटेनमेन्ट टैक्स कमिश्नर और उनका जो दल था, उसको जिस प्रकार बनाने की जरूरत थी, उसको बहुत गहराई से देखने की आवश्यकता है, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं गया है ।

इसी प्रकार से बोर्ड आफ रेवेन्यु को बनाए तोड़ने के, उनको रिसोर्सेस, रेवेन्यु और बकाया को और अधिक बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए, तो आज बकाया काफी वसूल हो सकता है । यह बकाया इतना अधिक क्यों है और क्यों बढ़ता जाता है, क्यों नहीं आप उन पर जिम्मेदारी डालकर इसे वसूल करवाते हैं । आज वर्ष के आखिर में सारी हाय-तोबा शुरू होती है । यदि यह बकाये की वसूली ढंग से पूरे साल होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बकाया ज्यादा वसूल होगा और किसानों--मजदूरों का उत्पीड़न भी कम होगा । हम यह सोच लें कि वसूली के लिए हमने कितना समय लिया है, उसके आधार पर यह काम होना चाहिए, यह नहीं कि हवालात में बन्द कर दिया । इसीलिए मैंने इसको रेशनलाइज किया । इस बकाये का भी एक वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण होना चाहिए । उसकी उन्होंने माँग की थी और हम कर रहे थे, लेकिन वह बीच में मामला रह गया । क्या वह इस ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके 30 मिनट हो चुके हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

ठीक है, श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि वित्त विभाग, जो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन और मुख्य मन्त्री के बाद सबसे मुख्य विभाग है । मैं उनकी कठिनाई भी समझता हूं, उनके सामने सब तरफ से धन की माँग आती है । लेकिन उसका मुख्य कारण यह है कि साधनों के जुटाने की जिम्मेदारी उनकी है और इसमें उनको

संख्या 6––संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं बिक्रीकर), अनुदान संख्या 8––संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या 13––संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या 14––वित्त विभाग (लेखा–परीक्षा, अल्पबचत तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 22––संस्थागत वित्त विभाग, अनुदान संख्या 25––वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 32––वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) अनुदान संख्या 33––वित्त विभाग (राज्य लाटरी अनुदान संख्या, 94–संस्थागत वित्त विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128––वित्त विभाग–ऋण और अग्रिम

सबसे अधिक विफलता मिल रही है। बिक्री–कर गलत ढंग से लग रहा है और वायदा गलत हुआ है।

दूसरे राज्य सरकारों ने यह शिकायत की थी कि इन्कम–टैक्स और एक्साईज ड्यूटी का पूरा हिस्सा नहीं मिला है, जो मिलना चाहिए। क्या यू० पी० को मिला है। अभी बंगाल ने यह मांग की थी कि सिक्सथ फाइनेन्स कमीशन के मुताबिक इन्कम टैक्स का पूरा हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला है। दूसरे राज्यों को नहीं मिला है और उत्तर प्रदेश को भी नहीं मिला है। आज यह बात देखने की जरूरत है कि केन्द्र से किस–किस मद में ऋण मिलना चाहिए और किस मद में मिला है। मुझे आशा है कि वित मन्त्री जी आज हमारे कटौती प्रस्ताव को मान लेंगे और अपनी असफलता को स्वीकार कर लेंगे। यह प्रजातान्त्रिक तरीका है और इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह तो गांधीवादी हैं और हम समाजवादी हैं। गांधीवाद में सबसे बड़ी बात यह है––कि अपनी भूल को स्वीकार कर लेना और प्रायश्चित करना। साथ ही मैं यह भी उनसे आशा करता हूं कि वह बनारसी साड़ियों पर से आज ही यहां बिक्रीकर समाप्ति की घोषणा कर देंगे, तो यह एक बहुत अच्छी बात होगी। मैं इन शब्दों के साथ कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का, विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। यह एसा विषय है, जिससे मैं भी सम्बद्ध हूं। मान्यवर, जनता पार्टी ने अपने घोषणा–पत्र में बिक्री–कर को हटाने का वायदा किया था। यह बात सही है कि जिस समय जनता पार्टी को सरकार ने अपना पहला बजट इस सदन में प्रस्तुत किया था, उस समय नेता विरोधी दल ने एक प्रश्न किया था––क्या प्रदेशीय सरकार को बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने का अधिकार है? उस समय उसका उत्तर यह दिया गया था कि यदि आवश्यक हुआ तो प्रदेश की सरकार केन्द्र की सरकार को संविधान में संशोधन के लिए लिखेगी, अन्यथा बिक्री–कर का कोई दूसरा विकल्प, जो खरीद और बिक्री से सम्बन्धित होगा, उसको ढूंढने का कोई प्रयास करेगी और उसी नीति के अन्तर्गत समय–समय पर शासन की ओर से, मैं अपने को व्यक्तिगत नहीं कहूंगा घोषणायें की जाती रही हैं कि 1 अप्रैल, 1979 तक बिक्री–कर के हटाने के बारे में कोई न कोई निर्णय लिया जायेगा। व्यापारी वर्ग उस आश्वासन से पहली अप्रैल तक सन्तुष्ट था, लेकिन जब उस आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई तो व्यापारियों की भावनाओं के साथ यह प्रश्न जुड़

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—]

गया और जो उनकी हड़तालें हुईं वह अभूतपूर्व हड़ताल थी। व्यापारियों की एकता अपनी सरकार को इस विषय में शीघ्र ही निर्णय लेने के लिए बाध्य करने के लिए मजबूर करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं मानता हूं कि इस समस्या को हल करने में कठिनाइयां, हैं। सरकार 230 करोड़ रुपये की इस आय को नहीं छोड़ना चाहती। यह किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है कि इस आय को छोड़ दे। प्रश्न यह है कि अगर बिक्री कर हटाया जाय तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कौन हो ? मैं आपकी अनुज्ञा से कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

जब चुनाव घोषणा-पत्र में घोषणा की जाती है तो मैं यह मानता हूं कि उसके साथ कुछ नैतिक मूल्य भी जुड़े होते हैं वह केवल वोट पाने के लिए नहीं होते हैं, वह अनुपालन के लिए होते हैं। वर्तमान समय में सवा-दो लाख व्यापारी 230 करोड़ रुपये का बिक्री-कर देते हैं। इसका लगभग 80 प्रतिशत स्वीकृत बिक्री कर के रूप में वसूली होती है अर्थात् लगभग 183-184 करोड़ रुपये शेष विवादग्रस्त कर के रूप में प्राप्त होता है। 30-40 करोड़ रुपये के लिए है इतना बड़ा विभाग और उसी में असंतोष है जनता के मन में और व्यापारियों के मन में। बिक्रीकर विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा माना जाने लगा है। व्यापारी बिक्री कर विभाग पर आरोप लगाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह अपने दिल पर हाथ रखें। अगर वह देने की कोशिश करते हैं तो लाभ उठाने की भी कोशिश करते हैं। क्या कोई ऐसी व्यवस्था को पसन्द करेगा। जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता हो। इसका विकल्प है। आज प्रदेश में 230 करोड़ में से 140 करोड़ रुपये की आय 26 मदों से आती है। ऐसी कुछ चीजें हैं जैसे ट्रैक्टर हैं, कार हैं, स्कूटर, है रेडियों हैं और टेलीविजन हैं जो सीधे उपभोक्ता पर पहुंचती हैं और उसकी साधारणतया डीलर द्वारा दुबारा बिक्री नहीं होती है। 140 करोड़ हटा दिया जाये तो लगभग 90 करोड़ ऐसा है जो बहुत आसानी से टर्न ओवर टैक्स द्वारा वसूल किया जा सकता है। मेरा प्रयास यही था कि मैं बिक्री-कर प्रणाली को इतना सरल बना दूं जो आय-कर से मिलती-जुलती व्यवस्था हो। यह जो तमाम प्रदेश के अन्दर चेक पोस्ट हैं, फार्म्स की आवश्यकता है वह समाप्त हो जायेगी। व्यापारी टैक्स देने के लिए तैयार हैं। 31 जनवरी, 1979 को व्यापारियों और उनके संगठनों की बैठक तिलक हाल में हुई थी और इसको नेशनल चैम्बर आफ कामर्स इन्डस्ट्री, अवध चैम्बर्स आफ कामर्स, वेस्टर्न चैम्बर्स आफ कामर्स, कैपिटल चैम्बर्स आफ कामर्स इन्डस्ट्रीज आदि प्रमुख व्यापारिक संगठनों ने इस बात के लिए सरकार से कहा था कि बिक्री-कर के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था को लागू करने में किसी को आपत्ति नहीं है। जो व्यापारी यह कहता है कि बिक्री-कर हटा दिया जाये बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए, वह व्यापारियों को सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस बात पर विचार सरकार करे कि सवा दो लाख व्यापारियों में 50,000 वार्षिक बिक्री वाले व्यापारियों की संख्या 60 हजार थी।

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम धर मिश्र पीठासीन हुये।)

इन 60 हजार व्यापारियों को गत वर्ष मुक्त कर दिया गया था। तो अगर इन 2 1/4 लाख व्यापारियों में से 60 हजार व्यापारियों को घटा दें तो संख्या कम

हो जायगी । 79 प्रतिशत बिक्री–कर उन व्यापारियों से प्राप्त होता है जिनकी बिक्री वर्ष में 2 लाख से अधिक है और 36 प्रतिशत बिक्रीकर उन व्यापारियों से वसूल होता है जिनकी बिक्री 50 लाख से ऊपर है । तो इसलिए मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनको प्रयास करना चाहिए कि बिक्री–कर प्रणाली में इस प्रकार की वकल्पिक व्यवस्था ले आयें जिससे लोगों को लगे कि व्यापारी व्यापार भी कर रहा है और अपना अंशदान भी सरकार को दे रहा है । यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार व्यापारी के मुनाफे के हिस्से में से नहीं ले रही है बल्कि कर जो होता है उसे ले रही है । तो इसलिए यह सरलीकरण किया गया था और मुझे आशा है कि माननीय वित्त मन्त्री जी उस दिशा में आगे कदम बढ़ाने का प्रयास करेंगे ?

आज बिक्री–कर विभाग के बारे में बहुत आरोप लगाये जाते हैं, कुछ सही भी होंगे । अगर इस विभाग की पुरानी फाइलें हमारे माननीय मन्त्री जी देखेंगे तो पायेंगे कि इस विभाग में एक स्पेशल विजीलेन्स सेल खोलने की बात आयी थी जिसका उत्तरदायित्व सीधे वित्त मन्त्री के प्रति और माननीय मुख्य मन्त्री के प्रति होना था । इस प्रकार के विजीलेन्स सेल से शायद विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने में सफलता होगी । मैं आशा करता हूं कि वित्त मन्त्री जी उस दिशा में भी कुछ करने का प्रयास करेंगे ।

आज जो असंतोष उठा है वह स्पेशल सर्वे स्क्वेड के बारे में उठा है । यह ठीक है कि आज व्यापारी इससे बहुत असंतुष्ट हैं । वर्ष 1974 की उत्तर प्रदेश टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट क्या है ? उसमें कहा गया है कि इस प्रदेश में लगभग 40 प्रतिशत बिक्री–कर की अपर्वचना होती है यदि करापवंचन न हो तो पूरे बिक्री–कर से सरकार को 500 करोड़ के लगभग आय होगी । तो इतनी बड़ी कर अपवंचना को रोकने के लिए अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो व्यापारियों की ओर से सहयोग की अपेक्षा होगी । कुछ व्यापारी अवश्य हैं जो इसका विरोध करेंगे । मेरे विचार में इस अधिनियम में एक संशोधन कर दें कि यदि कोई व्यापारी इस स्पेशल सर्वे स्वड द्वारा सर्वेक्षण का विरोध करता है तो यह बात मान ली जाय कि उसने कर अपवंचना की है या हिसाब–किताब रेग्युलर तरीके से नहीं रखा है । ऐसे संशोधन की परम आवश्यकता है वरना यह विरोध एक शान्ति व्यवस्था का प्रश्न बनकर बनारस से उठकर लखनऊ आया और फिर कानपुर से इलाहाबाद और अन्य स्थानों पर पहुंच जायगा और व्यापारी लोग हिन्सा पर उतारू हो जायेंगे ।

माननीय वर, हम सांस लेते हैं, हवा पर कोई टैक्स नहीं लगता है । मैं केवल इसलिए इशारा कर रहा हूं कि जीवन के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, उन पर टैक्स नहीं होना चाहिए । मैंने इसीलिए कहा था कि खाद्यानों पर टैक्स न

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी]

लगाया जाय। खाद्यान्नों पर टैक्स से 24 करोड़ रुपये की आमदनी होती है जिसमें से 14-15 करोड़ फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया से होती है। मेरा सुझाव है कि खाद्यान्नों से बिक्री-कर हटाया जाय और उसके स्थान पर अतिरिक्त मंडी शुल्क के रूप में 1 प्रतिशत अतिरिक्त मंडी शुल्क रूरल डेवलपमेन्ट फंड बना कर उसके लिए मंडी-स्थल पर ही ले लिया जाय तो 11 करोड़ रुपये की आय होगी। उससे वह पूरी हो जायगी और जो लगभग 40 प्रतिशत व्यापारियों में बिक्री-कर का असंतोष है, वह दूर हो जायगा क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत फोर्म्स और चेक पोस्टस की होती है।

(श्री रेवती रमण रस्तोगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

औरों को भी मौका मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

बैठिये, जिसको बुलाया गया है, उसको मौका मिलेगा। दो को एक साथ नहीं बुलाया जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न अधिष्ठाता से न करें। जिसको न बुलाया जाय वह न खड़ा हुआ करें।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का अपने कुछ सुझावों के साथ समर्थन कर रहा हूं। प्रदेश के लाखो व्यापारियों के रोष और पीड़ा को मैं व्यक्त करना चाहता हूं जिससे कि यह वित्त मन्त्री जी आप तानाशाही रवैये को त्याग कर संवेदनाशील बनें। सन् 48 में केवल इस आधार पर कर लगाया गया था कि मादक वस्तुओं को समाप्त किया जाय, इसलिए 1 प्रतिशत बिक्री-कर उपभोक्ताओं पर लगाया गया यानी यह कर व्यापारियों पर न होकर उपभोक्ता पर रहे। व्यापारी तो एकत्र करके सरकार को जमा करने वाला एजेंट मात्र है। ऐसे ही हमारे मन्त्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में सदन में अपने भाव व्यक्त किया था और यह भी कहा था कि बिक्री-कर एकत्र करके एक मास, दो मास, तीन मास तक अपने पास व्यापारी रख कर सरकार को जमा करते हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि जैसा कि उन्होंने भाव व्यक्त किया है और जैसा लग रहा है, तो इस आधार पर ये व्यापारी सोचने लगा है कि वह मध्यस्थता का कार्य क्यों करे। अगर सरकार को कर वसूल करना है, तो अपना एजेंट दूकानों में लगायें। मैं 117 वर्ष की व्यावसायिक परम्परा के अन्तर्गत हूं। व्यापारी कहता है कि हम जनता जनार्दन से कर लेकर दें, आप हमें एजेंट मानते हैं, तो हमें क्या देते हैं ? जलालत व अपमान देते हैं। इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। प्रश्न यह है कि किस कारण से यह घोषणापत्र में लिखा गया ? इसका तात्पर्य यह है कि उस समय व्यापारी समाज में इसके लिए अत्यधिक रोष था, इनकम टैक्स में किसी को रोष नहीं है। तो सेल्स टैक्स के विषय में ही अत्यधिक रोष क्यों है ? आपने 109 अधिकारियों की सूची व्यक्त की है कि इस पर भ्रष्टाचार की कार्यवाही की जा रही है, हम चेष्टा कर रहे हैं 56 जिलों के अन्दर जितने भी सेल्स टैक्स के अफसर हैं, उनका सर्वेक्षण व्यापारियों द्वारा करायेंगे, उनकी जन्म कुंडली तैयार

करायेंगे, जिससे कि हम भ्रष्ट अधिकारियों की सूची आपको प्रस्तुत करेंगे, कि यह सेल्स टैक्स अधिकारी कितने दूध के धोये हैं। टैक्स देने से व्यापारी नहीं घबड़ाता। टैक्स तो दिया जाता है। सर्वेक्षण करने कौन आता है? भ्रष्टाचारी व्यक्ति आता है या ईमानदार व्यक्ति आता है। अधिकतर अधिकारी अपनी कीमत मांगने के लिये, भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने के लिए, अपनी रकम ज्यादा वसूल करने के लिए आता है और अगर नहीं वसूल कर पाता है तो वह अपने स्वविवेक से उसे सताता है। वही रोष 26 मई को लखनऊ में उभरा। उस समय हमारे मंत्री जी के तानाशाही रवैये के कारण सारा प्रदेश 10 दिन तक बन्द रहा, जिसमें आपकी तानाशाही रवैये ने अग्नि में घी की आहूति की, जिससे सोया हुआ व्यापारी आंदोलनकारी होकर अपनी सामर्थ को पहचान गया है, सोया हुआ व्यापारी जाग उठा है। मजदूर एकत्र हो रहा है, किसान एकत्र हो रहा है, तो व्यापारी भी एकत्र होकर प्रदेशों में और दिल्ली में जबरदस्त रैली के द्वारा सरकार को झकझोरेगा एवं घोषणा–पत्र की मांग पूरी कराने की आग्रह करेगा। सरकार को सचेत हो जाना चाहिये कि व्यापारी इस मार्ग पर न जाय, इस हेतु "बिक्री कर उन्मूलन समिति" या "बिक्री कर विकल्प समिति" का गठन करके इस समस्या का समाधान किया जाय।

मैं सरलीकरण समिति का भी सदस्य था, जिसमें 82 संस्तुतियां की गई थीं, सरकार ने अपने पक्ष की संस्तुति लागू की है, मगर व्यापारियों के हित की संस्तुतियां लागू नहीं की हैं। जैसे कि दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों की सीमा जो कि अपने प्रदेशों को छूती है, वहां के कर के अनुरूप अपने यहां कर की दर होना चाहिये, उदाहरण के तौर पर दिल्ली से घड़ी को ब्रीफ केस में लाकर टैक्स की चोरी कर यहां पर व्यापार करते हैं समान कर न होने के कारण। इस प्रकार के गलत कानून के कारण ही ऐसे दोष पैदा होते हैं। चुनाव कमीशन के नियम के अन्तर्गत लिखा जाता है कि हम इतना रुपया चुनाव में व्यय करते हैं, कोई ईमानदारी से कह सकता है कि यह रिपोर्ट सही है, जरा हृदय के अन्दर झांक कर देखो। कितना झूठ है। नेता कहते हैं व्यापारी चोर हैं, व्यापारी कहता है अधिकारी चोर हैं, जनता कहती है नेता चोर, क्या हम सब चोर हैं, यह उचित नहीं है। सबको चोर नहीं कह सकते। ऐसी भाषा को बदलना होगा। आपका नाम पूर्वजों ने मधुकर दिये रखा है, अर्थ होता है अत्यधिक मीठा। जबकि आप वाणी विचार एवं स्वरूप में रूखे हैं। उसे संवेदनशील किया जाय। आय का स्रोत भ्रष्टाचार के पहाड़ के नीचे दबा है नैतिकता सात्विकता एवं प्रमाणिकता से समाजिकता से इस पहाड़ को डाइनामाइट से उड़ा दो, आपको उसके नीचे अर्थ का सागर मिलेगा। जिसे आप विकास के कार्य में लगा सकेंगे, नया टैक्स नहीं लगाना होगा। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं 15 हजार करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में 153 उद्योगों में लगाया है

[श्री रेवती रमण रस्तोगी]

जिसमें 16 सौ करोड़ का लाभ होना चाहिये जबकि 14 करोड़ 36 लाख का घाटा हुआ । अगर यह आमदनी होती तो नया टैक्स नहीं लगाने पड़ते इन्हीं टैक्सों से मंहगायी बढ़ती जाती है नारायण, नारायण ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, यह सही है कि जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कुछ वायदे किये हैं लेकिन मान्यवर, यह सही नहीं है कि जनता पार्टी ने केवल सेल्सटैक्स खात्मा का ही वायदा किया था । जनता पार्टी ने जो वायदा किया था वह गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए भी किया था । उन लोगों के लिए भी वादा किया था, जिनको 2 जून भर पेट खाना भी नहीं मिलता । जो पढ़े लिखे होने के बाद बेकारी की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं । लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहां पर इस तरह के लोग भी चुनकर आये हैं जो केवल व्यापारियों की बात करते हैं, कर वंचकों की हिमायत करते हैं उन्हें केवल व्यापारियों का दर्द है, उन्हें यह नहीं मालूम है कि इस प्रदेश के अन्दर गरीब की क्या हालत है । सेल्सटैक्स के रूप में गरीब का पैसा भी जाता है जिसके बच्चे किसी तरह से प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं । एक बीघे, दो बीघे के जो किसान हैं और जिनके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं है, उनका भी पैसा टैक्स जाता है, सेल्स टैक्स के घोटाले वाले मामले में व्यापारियों से जब कड़ाई होती है । तब कुछ लोग अच्छा व्यवहार करने की मांग करते हैं । तो माननीय वित्त मंत्री ने उनमें से कर वंचक व्यापारियों के खिलाफ जो शब्द कहे हैं, वह बहुत ही उचित कहे हैं, बहुत ही जायज कहे हैं । उन्हें और कहना चाहिये था । मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत कम कहा है । यह माननीय नारायण दत्त तिवारी अपने को समाजवादी कहते हैं । मैं कहना चाहूंगा कि वह भ्रमित समाजवादी हो सकते हैं, समाजवादी तो अब वह नहीं रहे । जब तक सेठ दामोदर स्वरूप के साथ रहे, उनके पास रहे हैं, तब तक वह समाजवादी रहे हैं, उसके बाद नहीं, यह समाजवादी नहीं रहे । माननीय तिवारी जी.. । हो सकता है आपको मौका लगा हो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्षता--

कृपया बोलने दीजिये । आप शान्ति से सुनिये ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं खूबसूरत नहीं हूं ।

श्री अध्यक्षता--

सभी लोग खूबसूरत हैं, आप उन्हीं में से एक हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

तिवारी जी के प्रति हमदर्दी हो गई, जनता पार्टी को ।

श्री अध्यक्षता--

आपको निराश नहीं होना चाहिये, आप भी खूबसूरत हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी––

वित्त मंत्री जी ने जो कुछ कर वंचक व्यापारियों को कहा उससे आश्चर्य व दर्द माननीय तिवारी जी को भी हुआ । होना भी चाहिये था इनको । आखिर 30 साल तक गरीब आदमी की गाढ़ी कमाई को मिल मालिकों के यहां जमा करने का काम किया, इन्होंने व्यापारियों के यहां जमा कराने का काम इन्होंने किया । मान्यवर, वित्त मंत्री ने शब्दों की बात कही है कि माननीय वित्त मन्त्री ने बड़े–कड़े शब्द कहे । तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी के शब्दों में और माननीय तिवारी जी के शब्दों में इतना ही अन्तर है जितना गरीब के लिये काम करने वाले वित्त मंत्री और अमीर के लिए काम करने वाले, उनको लाभ पहुंचाने वाले माननीय तिवारी जी तथा कर वंचक व्यापारियों की वकालत करने वाले के चेहरे में फर्क है । मान्यवर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गरीब का ख्याल नहीं किया जाता और अमीर की तरफ दलील दी जाती है । जबकि असलियत यह है कि सेल्स टैक्स का जो धन गरीब आदमी से इकट्ठा होता है, वह व्यापारियों के पास इकट्ठा हो रहा है । व्यापारी कर वंचना करता है । यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जनता पार्टी के कुछ लोग उस घोषणा–पत्र की असलियत का ख्याल नहीं करते केवल व्यापारियों की बात करते हैं । अगर यही हाल रहा तो ऐसा न समझिये कि व्यापारी ही संगठित है, गरीब और मजदूर आदमी में भी जान है । इस देश और प्रदेश के किसान और मजदूर भी यदि उसके साथ किये गये वायदे पूरे न किये गये तो वह संगठित होकर सब कुछ कर सकता है । धमकी देने वाले यह समझ लें ।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)––

मान्यवर, आपके इस अनुदान पर तीन पार्टीज को बड़े गौर से सुना । माननीय वित्त मंत्री जी ने भाषण दिया और माननीय विरोधी दल के नेता ने अपने विचार व्यक्त किये कटौती का प्रस्ताव रख कर । यह खुशी की बात हुई कि श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी जो पहले संस्थागत मंत्री भी थे इस विषय पर बोले व इन तीनों ने दो दो स्कूलों को लेकर बोला, एक पर कोई नहीं बोला । मैं भी देहलवी जी की राय का था लेकिन रहता कैसे । यह सदन तो अमीर और गरीब की सेवा करने के लिये है । अमीर को चाहिये कि वह बहुत न बढ़े, अमीरों ने कटौती करना चाहते हैं कि वह बहुत आगे न बढ़ें लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिये कि उनको किसी चीज को लेकर कत्ल कर दिया जाय । मान्यवर, यह जो आज का विषय है इसमें बिक्री कर को सबसे पहले लिया गया है, इसकी हर एक मुखालिफत कर रहा है, इसमें जनता सरकार ने मुखालिफत मोल ले ली

*जनता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अजीत सिंह सेठी]

हैं । पहले प्रलोभन दिया कि हमको सिंहासन पर बैठाओ, सहूलियतें देंगे और जब देने का वक्त आ गया तो शिकारी की तरह फौजें खड़ी कर रहे हैं । जिस तरह से शिकारी फौज लगा देता है उस तरीके से आप क्यों करते हैं । सर्वेक्षण करने के तरीके अनेक हैं लेकिन जिस तरीके के अन्दर उत्तेजना पैदा हो, जो एक शिकार का तरीका है, वह नहीं माना जा सकता ।

मान्यवर, व्यापारी को जिसको अर्थ व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसको सहूलियत तो मिलती नहीं । व्यापारियों में अमीर और गरीब सभी तरह के हैं । मैं कहना चाहता हूं कि बिक्रीकर का क्यों विरोध किया जाता है । मान्यवर, देखें सन् 74 में परचेज टैक्स था, लेकिन परचेज टैक्स तब्दील किया गया कि परचेज टैक्स उन चीजों पर करेंगे, इन्डस्ट्रीज कच्चे माल लेकर जो उसका रूप बदल देती हैं, उस पर लगेगा । इसके बाद यह कहा गया कि परचेज टैक्स हटना चाहिये तो वह हटाया गया लेकिन उसको फिर क्यों लागू किया । और लागू करने का तरीका यह हुआ कि सन् 1974 के तीन महीने पहले के केसेज लिए जायेंगे । यह कौन सा तरीका है कि जो आप एक चीज को हटाते हैं तो यह कौन सी चीज है जिसको आपने सोचा कि गलत है और उसको फिर लागू कर दिया । सेल्स-टैक्स में कितनी दिक्कत है, व्यापारी व्यापार को ढूंढ़ता है लेकिन बिक्रीकर स्वयं एक व्यापार हो गया है । सरकार ने जो इसका नक्शा पेश किया है उससे बेइमान व्यापारी और अफसर मिल जाते हैं लेकिन जो ईमानदार व्यापारी हैं वह तरसते हैं काम करने के तरीकों को सरल बनवाने के लिये । आपने कहा कि 50 हजार तक सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन व्यापारी अगर प्रदेश की बनी चीज को बेचता है तो भी पंजीकरण किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चीज का व्यापार करता है तो भी पंजीकरण कराना पड़ता है तो कौन सा ढिंढोरा पीटा जाता है कि हमने 50 हजार तक पर सहूलियतें दी हैं । आपने कोई सहूलियतें नहीं दी हैं । अब एरियर्स की बात है । मान्यवर, एरियर्स में 95 परसेंट अपीलें चलती हैं 95 प्रतिशत सेल्स टैक्स के अन्दर अपीलें होती हैं ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता—

लाल बत्ती होने पर खड़े होना चाहिये आप लोग अभी बैठ जायें ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

इसम से 85 परसेन्ट व्यापारियों के हक में एक्सेप्ट होती हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 85 प्रतिशत जो अधिकारियों ने परेशान किया उसका कौन जिम्मेदार होगा । 85 प्रतिशत अपीलें स्वीकार होने पर भी रुपया ले लेते हैं जिसका बहुत विरोध है ।

अब मान्यवर, मैं चेक पोस्ट के बारे म कहना चाहता हूं कि चेक पोस्ट रिश्वत का एक अड्डा है । चेक पोस्ट पर प्रति ट्रक 10 रुपये ले लिया जाता है जब उसको पास होने दिया जाता है । गाजियाबाद चेक पोस्ट से 800 ट्रकें प्रति-दिन पास होती हैं और 10 रुपये प्रति ट्रक लिया जाता है । यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ।

मान्यवर, अभी भी व्यापारियों से फार्म 31 और 32 भरवाये जाते हैं जबकि यह फार्म हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। अवैध होने पर सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी लेकिन वहां से सरकार को स्टे नहीं मिला किन्तु फिर भी आपके अधिकारी व्यापारियों से कहते हैं कि फार्म 31 और 32 भरकर दो नहीं तो साल के अंत में तुमको परेशानी होगी। इसलिए किस आधार पर व्यापारी सोचें कि सरलीकरण को मान्यता दी गयी है। इसी प्रकार सरलीकरण रिपोर्ट को देखें तो उसमें जो चीजें दी गयी हैं उनको आज तक लागू नहीं किया है। व्यापारी टैक्स देना चाहता है लेकिन कानून को लागू करने के साथ धांधलेबाजी न करें। वेस्टर्न यू० पी० चेम्बर आफ कामर्स ने कुछ तजवीजें विकल्प के लिये भेजी हैं जिनको में पेश कर रहा हूं। मान्यवर, पहला विकल्प यह है कि जो चीजें यहां बनती हैं उन पर आप प्रथम जहां वह बनती हैं वहीं टैक्स कर दें, दूसरे जो अन्तर्राष्ट्रीय चीजें आयात की जाती हैं उन पर आयात के समय ही टैक्स लगा दें और तीसरा विकल्प यह है कि खाद्यान्न की चीजों को बिक्रीकर से मुक्त करके उन पर इक्जेम्पशन डयूटी के नाम का एक कर लगा दें, इससे काफी सहूलियतें व्यापार में हो जायेंगी।

मान्यवर, अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय को ऐसी भाषण नहीं देना चाहिये जिससे कि किसी समाज के प्रति मंत्री महोदय के शब्दों के अन्दर दुर्गन्ध आये। हर व्यक्ति जो काम कर रहा है वह अपनी तरफ से इस प्रदेश का विकास करना चाहता है, भले ही उसका मार्ग दर्शन ठीक न हो, लेकिन मार्ग-दर्शन देने का काम मंत्री परिषद् का है, इसलिए मार्ग-दर्शन देते समय जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं वह ठीक नहीं हैं। इसी के साथ में कटौती का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि शासन इस विषय को इस पर न ले कि टैक्सेशन कोई नहीं देना चाहता है, टैक्सेशन व्यापारी देना चाहता है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

जहां तक मान्यवर, जनता पार्टी के घोषणा-पत्र का सवाल है तो मैं विधे जी से कहूंगा कि जो उसम वायदा किया गया है उसको सरकार को पूरा करना चाहिये और विकल्प किस तरह आ पायेगा यह पार्टी के सोचने की बात है। प्राथमिकता किसे देगी यह भी पार्टी तय करेगी। पार्टी के अन्दर ही प्राथमिकता और विकल्प खोजना चाहिये। मान्यवर, मैं वित्त मंत्री जी की कुछ बातों का प्रशंसक हूं। कभी-कभी वह गरीबों की बात करते हैं और सहीमाने में जब वह पैसे वालों को ललकारते हैं तो लगता है कि लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन जब लखनऊ में हड़ताल हुई, उत्तर प्रदेश में हड़ताल हुई, तो फिर उनकी बात मंत्री जी ने मान लिया। यही बात तो लखनऊ के व्यापारी कहते थे कि सर्वे स्थगित करें। तो आपने सर्वे लाठी और आंसू गैस चलवाने के बाद स्थगित किया, यह बात पहले ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

माने जाते । तो सरकारों की हालत बिगड़ी हुई है वह चाहे तिवारी जी की सरकार हो या आपकी सरकार हो । आज सरकारों का चरित्र बन गया है । यह आपकी नीति बन गयी है कि ताकत के आगे झुकिये, ताकत के सामने सर झुकाइये । अगर सही बात कहते हैं तो उसकी बात टाल जाते हैं । तो आपने जो हिम्मत और बहादुरी दिखाई थी; उसको सही मायने में जीवन में उतारना चाहिये था । स्थगित करना था तो पहले ही स्थगित कर देते ।

मुझे एक बात और कहनी है । आपको एक आग का अहसास हुआ होगा इस समय बनारस गरम है । बनारस में साड़ी का काम बन्द है । मैं, मान्यवर, यह कह रहा हूं कि इस समय बनारस में रेशमी वस्त्र का काम ठप हो गया है । दूकानें सारी बन्द हो गयी हैं । 4–5 लाख रोज का जो राजस्व है, उसका नुकसान हो रहा है । करीब डेढ़ करोड़ का नुकसान राजस्व का हो गया जिसमें आय कर, बिक्री–कर और राजमर्रा का जो व्यापार होता है, उसको शामिल कर सकते हैं । जो वित्त मंत्री जो ने घोषणा की है कि प्रथम क्रेता पर 2 प्रतिशन के हिसाब से कर लगाया जायेगा, तो मेरा कहना है कि हमारे यहां प्रथम क्रेता नहीं है ? न्योटा में जो चौकी लगती है, वे गरीब हैं । कोटवा में जो चौकी लगती है, वे गरीब हैं । ललपुरा, वजडिया और लोहवा में चौकी लगाने वाले गरीब हैं । 5 से 25 लाख तक कोठेदार नहीं हैं । अगर प्रथम क्रेता से लेना है, तो वहां प्रथम क्रेता का मतलब गरीब है और वह सबसे पहले बनकर पर पड़ेगा । दूसरी बात यह है कि बनारस का वस्त्र उद्योग कुटीर उश्योग है । किसी फैक्ट्री में यह नहीं होता । सूत कोई देता है, करघा किसी का रहता है, साड़ी कहीं बनती है और बाजार में कहां–कहां जाता है । बाजार में जो जाता है, वह भी एक हाथ में नहीं रहता । एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है । तो बनारस का कुटीर उद्योग केवल बनारस की शान नहीं, उत्तर प्रदेश की शान है, पूरी दुनिया की शान है । इसका मुकाबिला केवल, गाजीपुर और मऊ से नहीं बल्कि इसका मुकाबिला आंध्र, तामिलनाडू और कर्नाटक से है । अगर कर्नाटक में सुविधा दी जाती है और उसके मुकाबिले में बनारस में नहीं दी जातो है, तो बनारस का उद्योग, कर्नाटक, तामिल–नाडू और आंध्र के मुकाबिले में फीका पड़ेगा । मैं समझता हूं कि एक साजिश चल रही है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी रोजगार हैं, उनको तामिलनाडू के मुकाबिले दक्षिण के मुकाबिले फीका करो । अभी आपने सुना होगा, मऊ के सेंटर को हैदराबाद ले जाने की बात हो रही है । मंसूरी में जो पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग सेंटर है, उसको दक्षिण में ले जाने की बात हो रही है । उसी तरह से बनारस में जो साड़ी उद्योग है, उसको इस कदर फीका कर दो कि क्रान्ति पुरम और दक्षिण भारत की साड़ियां नम्बर 1 पर आ जाये । दिघ जी, आप जरूर महाराष्ट्र से आये हैं, उसी इलाके के हैं, लेकिन आप यहाँ पर रम गये हैं, बस गये हैं, यहां की मिट्टी से, यहाँ की हवा से यहां के लोकजीवन से आपका जीवन जुड़ गया है । आपकी ससुराल भी उत्तर प्रदेश में ही है । तो मैं कहूंगा कि आप अपनी ससुराल को गरीब न बनाइये ।

श्री अधिष्ठाता––

आप प्रतिनिधि भी हैं यहां से ।

श्री शतरुद्र प्रकाश––

आप प्रतिनिधि भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं । यहां पर राजनीति शुरू की है । मेरा मान्यवर, आपकी मारफत उनसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के निवासियों

की जो भावना है, बनारस के निवासियों की जो भावनायें हैं उसके प्रतिकूल न करें। श्री नरसिंह जी राज्य मन्त्री हैं केन्द्र के। उन्होंने कहा है कि परचेज टैक्स हटाना चाहिये। श्री राज नरायन जी बनारस के नेता हैं और रायबरेली से इन्दिरा गांधी को हराकर लोक सभा में पहुंचे हैं, उनका कहना है कि परचेज टैक्स समाप्त होना चाहिये। मैं समझता हूं कि आपकी भी राय है। मेरा यह कहना है कि अगर आप भी खड़े होकर बोलेंगे तो आपकी भी यह राय हो जायगी। मेरा निवेदन है कि वाराणसी में जो परचेज टैक्स लगाया गया है जिसे केशरी नाथ त्रिपाठी जी की सरकार के समय लगाया गया था उसको वापस ले लिया जाय। इस समय वाराणसी के बनकर भूख हड़ताल में बैठे हैं। बनकरों में यह असंतोष व्याप्त है कि प्रथम कर के रूप में परचेज टैक्स का सीधा भार बनकरों पर होगा। यह भार उस पर न हो। परचेज टैक्स को वापस लिया जाय। मैं यह भी कहूंगा कि मैं केवल व्यापारियों की वकालत करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं जो 15 लाख, बीस लाख कमाते हैं। इस लिए मधकर दिघे जी आप के समय में बनकरों से कटौती की जाती है, वहां के पैसे वाले, पूंजीपति जो उनसे कटौती करते हैं, यदि आप इस कटौती को समाप्त कर दें तो वहां के बनकर आप का आभार प्रकट करेंगे। दो काम करायें, परचेज टैक्स को वापस ले लें और जो बनकरों से व्यापारियों द्वारा कटौती होती है उसे समाप्त करा दें तो आप बनारस के जो उद्योग हैं उसमें सुधार करेंगे।

श्री सुमेर चन्द गोयल (जिला सहारनपुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त सम्बन्धी अनुदान की संस्तुति करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी का यह कथन भी सही है कि पचास प्रतिशत से ज्यादा राजस्व बिक्री–कर से प्राप्त होता है और हम उसका सरलीकरण तो कर रहे हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। वास्तव में पिछले दिनों जो व्यापारियों ने हड़ताल की और अराजकता फैलायी यह भी समझ में नहीं आता कि जब टैक्स खरीदार दे देता है, सामान खरीदने वाला हर आदमी टैक्स अदा करता है तो व्यापारियों को इस तरह अराजकता नहीं फैलानी चाहिये थी। लेकिन कुछ परेशानियां व्यापारियों की हैं। अनुभव में यह आया कि व्यापारी टैक्स देने से मना नहीं करते हैं। टैक्स को देना चाहते हैं। लेकिन बिक्री–कर के इंस्पेक्टर अधिकारी और कर्मचारियों ने जो गजब ढा रखा है जो अत्याचार दुकानदारों पर रखे हैं उनसे भी वे परेशान हैं। इस संबंध में सबसे पहला सुझाव माननीय वित्त मंत्री जी को यह देना चाहता हूं कि क्या सरकार के लिए यह संभव नहीं होगा कि आरडिनेन्स यह करा दें कि उत्तर प्रदेश का जो दुकानदार सवा रुपया टैक्स आधी खुशी से आधी राजी से सरकार को अदा करना चाहता है, वर्ष के प्रारम्भ में ही जो कहता है कि पिछले साल जो टैक्स उस पर लगा सवा

[श्री सुमेर चन्द्र गोयल]

गुना टैक्स उससे ले लिया जाय, एडवान्स ले लिया जाय दो किश्तों या चार किस्तों में ले लिया जाय. उसके बाद इन्सपेक्टर उसे जलील न करें, बिक्री कर के अधिकारी उसे परेशान न करें। हां अगर कोई परचेजर वह शिकायत करे कि उससे निर्धारित टैक्स से ज्यादा टैक्स ले लिया है तो वाकई उसकी जांच हो। हमको सहारनपुर के सर्राफा एसोशियेसन ने एक ज्ञापन दिया और सबसे पहले अपने आप इस बात के लिए वालेन्टीयर किया कि सरकार सवा गुना टैक्स ले ले। हम सरकार की परेशानी जानते हैं, मद्य निषेध कर दिया है। वह आमदनी जो आबकारी विभाग से होती है उससे सरकार के राजस्व में कमी हो गयी है। बहरहाल सरकार चलनी है। वे सवा गुना टैक्स देने के लिए तैयार हैं। अगर दो सौ करोड़ रुपये की आमदनी होती है तो बहरहाल वे ढाई सौ करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हैं। तो सरकार को यह बात मान लेनी चाहिये।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि मंत्री जी को यह देखना चाहिये कि हरियाना चंडीगढ़, दिल्ली प्रदेश में सेल्स टैक्स क्या है वहाँ के उद्योगों पर और इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। सहारनपुर में होजरी का काम करने वाले बहुत से व्यापारी पिछले दिनों वित्त मंत्री जी से और पहले भूतपूर्व मन्त्री केशरी नाथ जी से भी मिले थे। उन्होंने अपने मेमोरेन्डम में वह बात रखी थी कि हरियाना में होजरी पर बहुत कम टैक्स है बनिस्बत उत्तर प्रदेश के। इसका हम अन्दाजा लगायें फिर सहारनपुर का व्यापारी होजरी के काम में किस तरह से हरियाना से कम्पीट कर सकता है चूंकि यहां पर टैक्सेज ज्यादा हैं।

एक सुझाव यह देना है ताकि आमदनी बढ़ सके। हमारे शहर सहारनपुर में वुड कार्पिंग का बहुत काम होता है जिसमें 10 हजार के लगभग लेबर काम करता है और उससे बहुत सा सामान हिन्दुस्तान से बाहर के मुल्कों को जाता है जिससे फारेन एक्सचेंज की प्राप्ति भी होती है। अगर लखनऊ तथा दो चार स्थानों पर सरकार वेयर हाउसिंग कारपोरेशन बना दे जहां इन गरीब आदमियों द्वारा बनाया हुआ समान खरीदा जा सके और वह खुद बाहर के मुल्कों को वह माल सप्लाई करें तो इससे सरकार को बहुत आमदनी हो सकेगी।

आखिर में मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर तथा आफिसर अपने विवेक से जो टैक्स लगा देते हैं और उसके खिलाफ व्यापारी जो अपील में चले जाते हैं और अपील में नीचे के फैसले उलट जाते हैं और 10 से 20 हजार की रिलीफ अपील में मिल जाती है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिये। वे इसलिये ठीक एसेसमेंट नहीं करते हैं ताकि उनको घूस मिल सके। अनुशासनात्मक कार्यवाही होने से ये नीचे के अधिकारी आगे सोच समझ कर फैसला करेंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

अधिष्ठाता महोदय, जिस समय माननीय वित्त मंत्री जी अपनी मांगों के सम्बन्ध में बोल रहे थे उस समय उन्होंने माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी के लिये कुछ शब्द प्रयोग किये। जिस समय माननीय केशरी नाथ जी बोलने खड़े हुये उन्होंने विकलर के सम्बन्ध में जिस समय वह मंत्री थे सरकार का क्या दृष्टिकोण था, किस दिशा में प्रगति हो रही थी यह बतलाते हुये कुछ सुझाव शुरू किये। माननीय राज मंगल पान्डेय जी ने तब यह कहा था कि सुझाव वह देते हैं लेकिन कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुनता है उस समय मुझे पुरानी बात याद आ गई। एक दिन असेम्बली में मेरा प्रश्न था, उसके उत्तर में माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि उन्होंने जहां से केशरी नाथ त्रिपाठी जी ने फाइल बन्द की थी उसे खोला तक नहीं है, मैं कहूं कि अब वह कृपा कर जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस फाइल को खोलें। जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में एक वायदा किया था। मान्यवर, समय को ध्यान में रखते हुए मैं विस्तार में नहीं जाता लेकिन माननीय देहलवी जी के शब्दों में यह कहूंगा कि किसी ने यह नहीं कहा है कि बिक्रीकर का रुपया जो वसूल किया जाता है उसे माफ कर दिया जाय। इसलिये विकास के लिये संसाधनों को जुटाने का सवाल पैदा नहीं होता। बिक्री-कर के सम्बन्ध में जिसका सम्बन्ध व्यापारियों से है उसकी समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा की जा रही है। कल श्रम का बजट आया होगा तो उसमें श्रमिकों की समस्याओं की चर्चा की गई होगी, किसानों की ओर मजदूरों की समस्यायें सामने आयी होंगी तो उनके बारे में चर्चा की गई होगी। माननीय देहलवी जी के मन में जितनी ममता व्यापारियों के प्रति है मैं समझता हूं कि किसी दूसरे विधायक के मन में उससे कम ममता नहीं होगी। मैं कहता हूं कि व्यापारियों को गाली देने से काम चलने वाला नहीं है। अगर गाली देते रहने से राष्ट्र का भला हो तो मैं यह कहूंगा कि रोज गाली दो। लेकिन जो वास्तविक समस्यायें हैं उनके निदान के बारे में सोचना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ मंत्री जी को उसके बारे में विकल्प निकालना होगा।

इसके अतिरिक्त, मान्यवर, मैं 2/4 सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सरलीकरण कमेटी के 80 सिफारिशों में से हमने 60 सुझावों को मान लिया है। और स्वीकार कर लिया है ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी ऐसे बहुत से मामले हैं जिनपर निर्णय हो गया है लेकिन कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। यह तय हुआ था कि 4 चालान फार्म भरे जाया करेंगे जिसमें से एक व्यापारों के पास रह जाया करेगा। इसके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई, माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं।

मान्यवर, मैं सीतापुर से आता हूं और मेरे छोटे से शहर में तेल की समस्या है। वहां पर तेल की 150 छोटी-छोटी इकाइयां हैं। तिलहन के ऊपर सन् 1975 से मिल वालों को सेक्शन 3 ई के अन्तर्गत दो प्रतिशत टैक्स देय था जो कि 31-12-78 को सेक्शन 3 ई के पूर्वगामी प्रभाव से समाप्त हो जाने के कारण वह समाप्त हो गया था और 1-2-78 से पुनः तिलहन खरीद कर लागू कर दिया गया। श्रीमन् 1-1-78 से 31-1-78 तक तिलहन पर कोई टैक्स नहीं था किन्तु इस अवधि में किये गये व्यापार पर भी टैक्स लगा रहा है जो कि बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना की थी और वह मामला रुका हुआ है। सरकार इस बारे में अवश्य विचार करे और इसे पूर्वगामी प्रभाव से समाप्त करे।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि केशव बनस्पति लखनऊ व सुहागिन, सीतापुर के बन्द होने की वजह से चूंकि ३ ख फार्म उन कुछ पार्टियों को प्राप्त नहीं हो सका था जिन्होंने तेल बेचा था किन्तु उनसे बिक्री कर विभाग पूरा टैक्स माँग रहा है जब कि उन्हें बिलकुल टैक्स नहीं पड़ना चाहिये था। इसके लिये कोई रास्ता मंत्री जी को निकालना चाहिए, इन मिलों पर इस टैक्स से छुटकारा दिलाया जाय।

इसके अतिरिक्त जो छोटी-छोटी आटा मिलें थीं एफ० सी०आई० से तो उनका परचेज टैक्स माफ कर दिया। यह ठीक है। उनको ओपेन मार्केट से भी गेहूं खरीदने की स्वीकृति दी गई है। जहां पर गेहूं सस्ता है और उस पर टैक्स फ्री है लेकिन जो छोटी आटा मिलें हैं उन पर यह टैक्स अभी पड़ता है। छोटे उत्पादकों पर टैक्स का भार पड़ने से उनका कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इस निर्णय का लाभ बड़े-बड़े लोगों को हो रहा है। इस विषमता को ठीक करने के लिये मंत्री जी विचार करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

जनाबे वाला, वित्त मंत्री जी ने जो फाईनेंस बिल रखा है उसमें अमूमन कायदा यह होता है उसमें जहां फाइनेनसेज का जिक्र किया जाता है उसके ऊपर थोड़ा सा सिक्शन होता है..

श्री अधिष्ठाता--

बेगम साहिबा, अभी बिल पेश नहीं हुआ।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

चूंकि बिक्री-कर का जिक्र आया है इसलिए उसका जिक्र करना चाहती हूं। जनाबेवाला यह जो बिक्री-कर की आंधी हमारे प्रदेश में पैदा हुई, खासकर लखनऊ में जिस तरह से पब्लिक को तकलीफ पहुंची है 10 दिन में अगर कोई और मुल्क होता तो पब्लिक में बहुत ज्यादा एजिटेशन होता। लेकिन यह हमारे मुल्क की खुशकिस्मती समझिये या बदकिस्मती समझिये इस मामले में जितनी तकलीफ हुई उसमें वह खामोश बैठी रही। मुझे याद है जब बंगाल में फेमीन हुआ तो उस समय सर क्रिप्स जिन्होंने वहां दौरा किया उन्होंने देखा कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं, भूखों पड़े हैं, मुर्दे पड़े हैं लेकिन दूकानों में जिन्स भरे हुए हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर दूकानों को लूटते या अपने पेट भरने की कोशिश करें। तो हमारा मुल्क इस प्रकार का है। मैं अर्ज करना चाहती हूं कि बिक्री कर पर जितना भी एजीटेशन हुआ है वह पब्लिक की तरफ से आवाज बुलंद नहीं हुई। बिक्री-कर तो हम लोग देते हैं, जो चीजें हम खरीदते हैं उसके ऊपर बिक्री-कर लगता है उसमें व्यापारी का फर्ज हो जाता है कि वह उसे ले। व्यापारियों ने भी कुछ इसमें गलतियां की उन्हीं की गलती की वजह से आज पब्लिक को यह तकलीफ हुई और सरकार के लिए भी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। अगर व्यापारी दो खात नहीं रखते और इमानदारी से काम करते और जितना रुपया पब्लिक से लिया बिक्री कर के तौर पर उसे गवर्नमेंट को दे देते तो कोई तकलीफ की बात नहीं थी। उनके दो-दो खाते रखने की वजह से जब अफसरों ने देखा और किताबे चेक की तो किसी के ऊपर 5 हजार की जगह १० हजार लगा दिये इसकी वजह से तकलीफ हुई। मैं अर्ज करना चाहती हूं कि अगर इस

चीज को आगे चलायेंगे तो यह बहुत तकलीफ की मुजिब होगी। मैं सरकार से मंत्री जी से अर्ज करूंगी कि वह कुछ न कुछ इसका हल निकालें जिससे हमारे

(इस समय २ बजकर ४२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

प्रदेश में यह जो तकलीफ हुई है यह न हो और जो व्यापारियों को तकलीफ है उसको भी किसी तरह से दूर किया जाय। (लाल बत्ती जलने पर)

जनाबेवाला, मैं दो मिनट लूंगी। हमारे फाइनेन्सेज बहुत कम होते चले जा रहे हैं। हमने प्रोहीबीशन केन्द्रीय सरकार की पोलिसी की वजह से शुरू किया उससे हमारी आमदनी कम हुई है। हमारी सरकार ने जितनी स्कीमें शुरू की हैं जैसे अंत्योदय है उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। आज एजिटेशन होते हैं, लोगों की तनखा बढ़ाने की बात होती है तो उसमे भी ज्यादा से ज्यादा रूपये खर्च हो रहा है। जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है यह डेफिसिट बजट है। तो हमारी सरकार का काम, प्रदेश का काम किस तरह से चलेगा। अगर नये कर लगायेंगे तो फिर इधर से शोर मचेगा। पब्लिक इस काबिल नहीं है कि वह बहुत ज्यादा टैक्स दे सके। इसमे कोई शक नहीं कि यू०पी० की जो आबादी है उसमें 85 फीसदी लोग गरीब हैं। टैक्स लगायेंगे तो उनके ऊपर भी चीख पुकार होगी। लेकिन फिर यही सवाल है कि यदि ये तमाम चीजें होंगी–लोगों की वेतन सम्बन्धी तमाम मांगें पूरी की जाएंगी, सरकारी आमदनी को छोड़ा जाएगा व्यापारियों के एजीटेशन से या केन्द्र सरकार के हुक्म से नशाबन्दी आदि चलाए जायेंगे, जिसपर करोड़ों रुपये की आमदनी छोड़ने के अलावा उसको लागू करने के लिये बहुत रुपया खर्च हो रहे हैं, वह भी सब इस सरकार पर बोझ बन रहा है। इसलिए हमारी सरकार सोच समझ कर कदम बढ़ाए।

बुनकरों के सम्बन्ध में और छोटे–छोटे उद्योगों के बारे में भी कहा गया है। अलीगढ़ में लाक्स का उद्योग है, मुरादाबाद में पीतल का काम करने वाले हैं, इन बेचारों के पास रुपये नहीं हैं, इन्हें कर्ज लेकर अपना काम करना पड़ता है। उन पर किसी प्रकार का टैक्स लगाना वास्तव में बड़ा गलत होगा। नेता विरोधी दल ने बताया कि दिल्ली में सेल्स टैक्स कम है मगर महाराष्ट्र में यहां से कहीं ज्यादा है। तो यह कहने की बात नहीं है कि कहाँ कम है और कहां ज्यादा है यह तो अपने-अपने सरकार की नीतियों के अनुसार कम या ज्यादा होता है। मुझे सिर्फ यही कहना है कि हम इस बात का ख्याल करें कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा खर्च बढ़ाते चले जा रहें ह, इसको कैसे चेक किया जाए। हम समझते हैं कि आने वाले साल में वित्त मंत्री जी को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ मैं उनके प्रस्ताव कर समर्थन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आने वाला साल हमारे लिये और भी अच्छा खुशहाल साल होगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त अनुदानों का समर्थन करता हूं । मैंने सभी सदस्यों को ध्यानपूर्वक सुना । श्री मोती लाल देहलवी ने कोई ऐसी व्यापारी को गाली नहीं दी और न उन्होंने व्यापारियों के बारे में ऐसा कहा, जिससे हमारे सदस्यों को कोई वेदना हुई हो । मैं दो तीन बातें आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं । बड़े जोर से कहा जा रहा है कि जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में सेल्स-टैक्स को माफ करने का वायदा किया था, लेकिन किया नहीं । जनता पार्टी ने जो वायदा किया है, तो उसने सेल्स टैक्स को समाप्त करने हेतु विधियों को खोजने की समुचित कार्यवाही की है, जैसा वित्त मंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा है । तिवारी जी जब मुख्य मंत्री थे, उस समय सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में जितनी आपदाएं थीं, व्यापारियों को परेशानी थी, उसकी कोई सीमा नहीं थी । उसको हल करने के लिए हमारी सरकार ने एक सरलीकरण कमेटी बनाई और उसमें व्यापार मंडल के सबसे बड़े नेता श्री बिशम्भर दयाल हैं, जो इस प्रदेश का तहस-नहस करना चाहते हैं । वह भी उसमें थे, सरलीकरण समिति और उन्होंने जो सुझाव दिए, उसम से 60 को व्यापारियों के हित की रक्षा के लिए सरकार ने स्वीकार किया । इतना ही नहीं उसके बाद भी सरकार ने व्यापारियों को एक ऐसी सहूलियत दी, जिससे उन्हें सेल्स टैक्स सम्बन्धी एक महान आपदा, जो उन्हें बड़ी शिकायत थी, दूर हो जायेगी । जो कांग्रेसी लोग आज विपक्ष में बैठे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया था । सेल्स टैक्स के बारे में हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से विचार करके सही दिशा देने के लिए एक अच्छा काम सरलाकरण समिति के माध्यम से किया है । हम उसको ही लेकर नहीं बैठे गये हैं माननीय, हमने सेल्स-टैक्स के बारे में कौन सा वैज्ञानिक तरीका हो, उस पर समिति का गठन किया । वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र देने वाली है । मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार हुआ । पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर विचार हो रहा है । उसके बारे में थोड़ा धीरज रखना चाहिए । मैं कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे वे जो लोग इस धनी वर्ग व्यापारियों के हित रक्षक हैं और जिनके दिल में उनके लिए बड़ी वेदना है, वे अपने दिमाग में सफाई कर लें । जो व्यापारी इस कर को लेने के बाद देना न चाहे उससे ज्यादा कोई बड़ा शत्रु इस देश का कौन हो सकता है ? यह बुनियादी सवाल है । माननीय वित्त मंत्री ने सरलीकरण समिति के माध्यम से सेल्स टैक्स अधिकारियों के सामने जो ज्यादा फार्म भरते थे, बार-बार अपनी रिटर्न दाखिल करने में जो कठिनाइयां थीं, उन सबको हल करने के लिए प्रक्रिया सुधारी ।

उसके बाद यदि व्यापारी चाहता है कि हम सेल्स टैक्स वसूल करने के बाद नहीं देंगे तो फिर शासन और जनता को उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा । यह बुनियादी मसला है । इसमें माननीय सदस्यों को भ्रमित कर देते हैं, कि जनता पार्टी सेल्स-टैक्स के सम्बन्ध में अपने वादे से मुकर रही है । जनता पार्टी और जनता पार्टी की सरकार अपने वादे पर अटल है । लेकिन व्यापारी कर वंचना के माध्यम से सारे प्रदेश के राजस्व को तहस-महस करना चाहते हैं । माननीय राजेन्द्र कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि जब हम एक गरीब आदमी से सेल्स-टैक्स का रुपया वसूल कर लेते हैं तो फिर हमें नैतिक अधिकार नहीं है कि हम उस रुपये को वसूल करके सरकार को न दे । दो-दो, चार-चार खाते रखने की क्या आवश्यकता है ? सेल्स टैक्स को वसूल करने के बाद, चूंकि उनकी एक संगठित शक्ति है, उनके पास धन है, जो कि दूसरे की जेब से लेकर अपनी

जेब में रख रखा है और उसके जरिये देश के राजनीतिज्ञों को प्रभावित करके गरीब आदमी का शोषण करने की नीति बना रखी है। यह विश्वम्भर दयाल की सीधी-सीधी मान्यता है। इसलिए इस प्रदेश में हमको कर वंचना को रोकना है और सख्ती से रोकना है, जो गरीबों की जेब से पैसा लिया गया है, जो अधिकारियों से मिल कर और जो व्यापारियों ने संगठित होकर सारे मामले पर परदा डालने की कोशिश की है, अब उनसे हमें अच्छी तरह से निपटना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जितने कर वंचना के मामले पकड़े जायं, सही दिशा में नैतिक चरित्र बनाने के लिए, सही माने में देश के प्रति वफादारी पैदा करने के लिए कर वंचना के मामलों को रोकना पड़ेगा।

*श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मैंने बड़े ध्यानपूर्वक अपने सारे माननीय सदस्यों के विचार सुने हैं। माननीय विरोधी दल के नेता तिवारी जी ने जो बातें कटौती के प्रस्ताव में रखी हैं। मान्यवर, हमारी समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा नेता कैसे छोटी बातों पर उतर आता है। उनका एक मात्र लक्ष्य यही था कि जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कैसे वादा कर दिया कि हम सेल्स-टैक्स माफ कर देंगे और अब क्यों नहीं कर रही है। वह यह बात भूल गये कि कि 1971 में जब इन्होंने एलेक्शन लड़ा था और कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो न केवल घोषणा-पत्र में बल्कि हर मीटिंग में यह कहा गया कि हम गरीबी दूर कर देंगे हमें वोट दो। गरीबी दूर करने के बजाय गरीब ही दूर किया जाने लगा। गरीब की हत्या की जाने लगी। उस वक्त जरा भी कभी इस बात का ख्याल नहीं आया।

हमने क्या वादा किया है, हमें अच्छी तरह ख्याल है कि जितनी दिक्कत और परेशानी कांग्रेस के जमाने में हमारे व्यापारियों को जो सेल्स टैक्स में होती थी उससे कहीं ज्यादा हमने रियायत दी है और उनको आराम पहुंचाया है। सबसे पहले हमने देखा कि कोई विकल्प नहीं बन रहा है। 25 हजार के सेल्स टैक्स वालों को परेशान किया जाता था, हमने तुरन्त पाबन्दी लगाया कि 50 हजार की लिमिट कर दिया और छोटे दूकानदारों को परेशानी से बचा लिया। 50 हजार से ऊपर वालों के लिए भी यही सोचा जावे कि उनका जो अधिकारी तंग करते हैं तो नहीं कर पावेंगे और यह हमारा पूरा विश्वास है कि अगर हमारे राजनैतिक हवा देने वाले हवा न दें तो जो व्यापारी हैं वह यह नहीं समझ सकते हैं कि हमें टैक्स नहीं देना है, लेकिन यह परेशानी अधिकारियों के द्वारा है, इससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

सरकार अवगत है। सरकार कोई न कोई विकल्प निकालने के लिए तैयार है। मेरी समझ में नहीं आता है कि तिवारी जी इतने बड़े विचारक हैं और लीडर हैं अपनी पार्टी के तथा इस सदन में अपोजीशन के लीडर होकर उन्होंने एक ऐसी छोटी बात पर इतना जोर दिया। मान्यवर, हमारे आन्दोलन जो शुरू कराये गय व्यापारियों में वह एक सोची-समझी स्कीम थी और उसी के तहत यह आन्दोलन कराये गये वरना व्यापारियों की मीटिंग में हम लोग बराबर शरीक हुए हैं और उनको बताया गया कि विकल्प की तलाश है और जितना भी हो सकेगा सहूलियत दी जायेगी। अधिकारियों में जो घूसखोरी आ गयी है उसको निकालने की कोशिश की है और वह समझते भी थे कि एकबंग इतना तूफान खड़ा हो गया है, क्या आन्दोलन था यह भगवान ही बता सकता है। एक बात जरूर है कि वह वित्त मंत्री जी से मैं कहूंगा कि अगर हस्त कला को प्रोत्साहन देना ह और उसे बढ़ावा देना है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस पर भार न पड़ कि वह कारखानों से बनने वाले माल के मुकाबले में हाथ से बनने वाले माल से महंगा न पड़ जाये। नहीं तो वह बाजार में उसका चलन बन्द हो जायेगा। जितने भी हाथ से चलने वाले उद्योग धन्धे हैं उन पर नये टैक्स न लगाये जिससे वह ठप न हो जावे। इस समय बुनकरों का आन्दोलन चल रहा है। उनके बनाये हुए माल पर किसी तरह का टैक्स न लगाया जाये। नहीं तो उनका माल मारकेट में नहीं चल पायेगा और दूसरे प्रान्तों का माल बाजार में बिकने लगेगा। जहां पर हमारा माल मंहगा पड़ेगा वह नहीं बिकेगा। उसका सीधा असर मजदूरों पर पड़ेगा। इतना जरूर कहा जाता है कि बुनकरों से उसका कोई मतलब नहीं है, उसका भार बड़े-बड़े महाजनों पर पड़ेगा तो यह बात नहीं है। बात जाकर वहीं पड़ेगी। अगर वह मंहगा पड़ेगा तो जाहिर है कि उसकी बिक्री बन्द हो जावेगी और जब बिक्री बन्द हो जावेगी तो मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। इस नाते मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हस्त कला और गृह उद्योग को जिसको प्रोत्साहन देना चाहिए उस पर जो टैक्स है उसको माफ करें। क्योंकि बिना पैसे के कोई भी हुकूमत चल नहीं सकती है और न हम सबको संतुष्ट ही कर सकते हैं। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किए हैं, उनका म समर्थन करता हूं और नेता, विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया उनसे यह आग्रह करता हूं कि वे इसे वापस ले लें ?

*श्री हरी सिंह—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का मैं समर्थन करता हूं और उनको हृदय से बधाई भी देता हूं लेकिन उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि वे विचार करें, मनन करें कि कैसे यह समस्या हल हो सकती है। वे स्वयं एक योग्य एवं जानकार मंत्री हैं वे स्वयं कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि कैसे इस समस्या को हल किया जा सकता है। जब माननीय नेता विरोधी दल, श्री तिवारी, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे तब ये कुछ और भाषण करते थे, जब कांग्रेस बहुमत में आयी तब इनके भाषण कुछ और हुआ करते थे और अब जब कि विरोध पक्ष में हैं तब कुछ और ही भाषण है। अब आप व्यापारियों की बुराई करने और उनका शोषण करने की बात करते हैं लेकिन यह विचार नहीं करते हैं कि इस समस्या का हल कैसे हो। व्यापारी न बेईमान हैं, न कभी रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज व्यापार के ऊपर ही सारा देश चलता है और व्यापार से ही जिन्दा है लेकिन इस देश की जो जनता है उनको देखिये । पहले तो बड़े–बड़े नेताओं को थैलियां चाहिये और फिर सरकार के अधिकारियों को चाहिए । अगर व्यापारी लोग दो खाते बनायें तो क्या गुनाह करते हैं ? क्या कभी मंत्री जी ने पूछा है कि 2–2 खाते क्यों बनाते हैं । यदि सरकार को टैक्स लगाना ही है तो जहां पर माल उत्पादित होता है, वहां पर लगे, फिर जब चुंगियों पर आये तब लगाया जाय और स्टेशन पर जब व्यापारी बिल्टी लेकर माल छुड़ाने जाय तब वहां पर लगे । आज होता यह है कि 10 हजार की बिक्री हुयी और 15 हजार रुपये पर टैक्स लगा दिया । आज देखने में आया है कि इलेक्शन्स में 50–60 हजार रुपये खर्च किए जाते हैं लेकिन दिखाया केवल 15–16 हजार ही जाता है । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी भी अपने इलेक्शन में 1 लाख रुपया खर्च करते हैं लेकिन दिखाते हैं 15–16 हजार । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपका यही स्टैन्डर्ड है ? व्यापारी के लिए तो चिल्लाते हैं लेकिन अपने को नहीं देखते हैं । जहां तक व्यापारी का प्रश्न है, वह भी ईमानदार बन सकता है और आपके अधिकारी भी ईमानदार बन सकते हैं यदि हम ईमानदार हों, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कितने घोषणा–पत्र निकाले, क्या उनका पालन किया गया ? अगर जनता पार्टी ने कोई घोषणा–पत्र निकाला तो क्या हुआ । उसको निकालने वाले भी वे ही हैं और उसका पालन कराने वाले भी वे ही हैं । मेरी प्रार्थना है कि एक तो दूकानों पर एक लिस्ट अवश्य टंगवा दें ताकि व्यापारियों से किसी भी वस्तु का भाव न पूछना पड़े और जिस हसियत का वह दुकानदार हो उतना टैक्स उस पर लगाया जाय और उससे यह कह दिया जाय कि हम यह नहीं जानते कि तेरी बिक्री इतनी है या नहीं । तो इससे न तो दुकानदार बेइमान रहेगा और न ही आपके अधिकारी ही बेइमान होंगे । जिस दिन यह सुधार हो जायेगा उस दिन बहुत सी चीजें ठीक हो जायेंगी । मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी इस पर मनन करें और विचार करें और चाहे साथ में विरोधी दल के नेता को बैठावें या अपने दल के लोगों को बैठायें लेकिन इसका कोई हल निकालें जिससे इस समस्या का हल हो सके । मुझे आशा है जब सब लोग बैठ कर विचार करेंगे, मनन करेंगे तो समस्या का हल अवश्य निकाला जा सकता है ।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

माननीय पाध्यक्ष महोदय, जहां तक जनता पार्टी के घोषणा–पत्र का सवाल है जिस समय लिखा गया था उस समय हमारे माननीय सदस्यों को यह आशा ही नहीं थी कि सचमुच इस देश में हम इतना बड़ा बहुमत बना पायेंगे कि

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जयराम]

दिल्ली से लेकर हिन्दुस्तान के बहुत से प्रान्तों में हमारी सरकार बनेगी । यदि आप उनके घोषणा-पत्र को देखें तो पायेंगे कि उन्होंने हर व्यक्ति से वायदा किया था । उन्होंने कहा था कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देंगे । हमारे गुप्ता जी चले गये । उन्होंने विद्यार्थियों से कहा था कि हम शिक्षा नीति में परिवर्तन लायेंगे, और व्यापारियों का सेल्स टैक्स माफ कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि हम अलाभकर जोतों का लगान माफ कर देंगे । अगर इनकी सरकार में आने की आशा रही होती तो सोचना पड़ता कि आखिरकार देश और प्रदेश के अन्दर मुझे कुछ विकास कार्य करना होगा, तो कैसे करेंगे, क्या छूमंतर से कर देंगे या कैसे करेंगे । सही बात यह है कि हमारे माननीय सदस्य चाहे दिघे जी हों या कोई और धर्म संकट में पड़े हुए हैं । उनको उम्मीद ही नहीं थी कि यह भूल हमें भुगतनी पड़ेगी । आज रेलों में दिन दहाड़े लूट होती है डकैतियां पड़ती हैं । उस समय इन्होंने कहा था कि विद्यार्थी स्कूल छोड़ दें और जब आज भुगतना पड़ा तो कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रहना चाहिए ।

सेल्स टैक्स कर व्यापारी सीधे उपभोक्ताओं से वसूल कर लेता है । उनका खून चूस लेता है तो उस पैसे को उसे सरकार को देने में क्या आपत्ति होनी चाहिए । आज आप एक छोटे से दुकानदार को देखें, जो गरीब आदमी है, वह भी आज हजारों और लाखों रुपया बनाये हुए हैं । वह कौन सा कार्य करते हैं कि उनका धन दिन दूना रात चौगुना गति से बढ़ता है और उनके मुकाबले में गांव के श्रमिक दिन रात परिश्रम करने के बावजूद भी गरीब के गरीब बन हुए हैं । मैं अगर इनके बढ़ते हुए पेट की बात कहूंगा, तो हमारे माननीय सदस्य अग्रवाल साहब, जो इस सदन के सदस्य हैं नाराज होने लगेंगे, लेकिन इनके पेट का बढ़ना इनके जीवन के लिए भी दुखदायी होगा । मान्यवर, यदि नारायण दत्त तिवारी या कांग्रेस के लोगों द्वारा किये हुए कारनामों पर यह सरकार ध्यान न दे, नारायण दत्त तिवारी ने क्या किया, जो लोग सत्ता पक्ष या विरोधी पक्ष में होंगे, जब सरकार प्रान्त के विकास के लिए कोई उचित कदम उठायेगी, तो वह डटकर समर्थन करेंगे । मान्यवर, 10 दिन की हड़ताल में जो पूरे प्रान्त की जनता को कष्ट उठाना पड़ा, अगर दूसरी सरकार होती तो जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की, उनको जेल के सिकंजे में रहना पड़ता, लेकिन यह सरकार ऐसा करने में असमर्थ है । इनको भी यह डर है कि शायद कल चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो मुझे भी इन्हीं उद्योगपतियों के दरवाजों पर पैसे के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में पैसे वालों से ही पैसा मिलेगा ।

मान्यवर, 85 फीसदी जनता गांवों में रहती है, जिनकी हालत बहुत ही दयनीय है और उनसे लिए हुए पैसों को यह व्यापारी सेल्स टैक्स में जमा नहीं करना चाहता । अगर इनके अन्दर ईमानदारी है, तो जो सेल्स टैक्स ये उपभोक्ता से वसूल करते हैं, उनकी जांच पड़ताल में इनको आनाकानी करने की क्या आवश्यकता । अगर इनके साथ कोई अधिकारी अन्याय करता है, तो इसकी सूचना इन्हें सरकार को देनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए । मैं तो दिघे जी के साथ 1 महीने लखनऊ जेल में रह चुका हूं । इनके समाजवादी विचार, जो उस समय थे, मैं चाहूंगा कि चाहे ये मंत्रिमंडल में रहें या न रहें, लेकिन उस पर दृढ़ रहें । शायद ऐसे लोगों के बीच में आप घिरे हुए हैं जो समाजवाद के विरुद्ध है । मान्यवर, यह सरकार खिचड़ी सरकार है । इनके सामने भी काफी मजबूरियां हैं । लेकिन फिर भी आप दृढ़ कदम उठायेंगे,

जो प्रदेश की जनता के हित में होगा, चाहे सरकार आपकी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन जनता आपको सम्मान देगी । उत्तर प्रदेश के विकास के हित में अगर आप कदम उठायेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको सम्मान देगी । यह पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था और डाक्टर राम मनोहर लोहिया की भी यही भावना थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समाप्त करें ।

विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी, श्री रमेश चन्द्र गुप्ता को पुलिस वायरलेस गाड़ी के सिपाहियों द्वारा पीटे जाने की सूचना

(श्री नरेश चन्द्र वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का बहुत जरूरी प्रश्न है ।

एक सदस्य--

मान्यवर, इधर भी तो ध्यान दिया जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अभी एक सचिवालय के कर्मचारी को जिसका नाम रमेश चन्द्र गुप्ता बताया जाता है । मान्यवर, इस तरह से इस सचिवालय के तमाम कर्मचारियों में असुरक्षा एवं आतंक की स्थिति पैदा हो गयी है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, नहीं, आप बैठिए ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह बड़ा अहम मामला है । सचिवालय के 3 नम्बर गेट पर इस विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी को वायरलेस की गाड़ी के सिपाहियों ने बुरी तरह से पीटा । मान्यवर, इस तरह से इस सचिवालय के तमाम कर्मचारियों में

[श्री राम आसरे वर्मा]

असुरक्षा एवं आतंक की स्थिति पैदा हो गयी है । मान्यवर, इस सिलसिले में निर्देश दें । इस तरह से अगर रहा, तो इस सचिवालय के कर्मचारी लोग कार्य नहीं कर सकेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, विधान सभा सचिवालय के लोगों को काम करने से रोका गया है मान्यवर, यह तो विशेषाधिकार की अवहेलना है । इसको जांच करा ली जाय कि इसमें क्या मामला है । यह सदन का अवमान है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

बड़ा अहम मसला है । इसकी भी जांच करा लें, श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, ठीक है । इसकी जांच करा ली जायगी ।

1979-80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 6--संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री-कर), अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टैम्प एवं पंजीकरण) अनुदान संख्या 13--संस्थागत वित्त विभाग, (मनोरंजन तथा बाजीकर) अनुदान संख्या 14--वित्त विभाग, (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 22--संस्थागत वित्त विभाग, अनुदान संख्या 25--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 32--वित्त विभाग (अधवर्ष भत्ते तथा पेंशन), अनुदान संख्या 33--वित्त विभाग (राजस्व लाटरी) अनुदान संख्या 94--संस्थागत वित्त विभाग-पूंजगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128--वित्त विभाग-ऋण और अग्रम (क्रमागत)

*श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)--

बिक्री-कर का जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन कर रहा हूं । आज बिक्री-कर के सम्बन्ध में कई एक भाषण हुए और ऐसा मुझे लगा कि बिक्री-कर समाप्त किया जाय या न किया जाये, इस समस्या के समाधान की तरफ ध्यान न दिया जायें बल्कि ध्यान इस ओर दिया जाये कि व्यापारी की खिलाफत की जाये या न की जाये । लेकिन मैं इस माननीय सदन के सामने कहना चाहूंगा कि बिक्री-कर समाप्त होना चाहिए और उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए । इस समस्या के समाधान और चर्चा के लिए हम लोग यहां बैठे हैं ।

मान्यवर, व्यापारी भी समाज का अंग है उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते । जहाँ पर श्रमिक, काश्तकार का ध्यान रखते है वहां पर व्यापारियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा । इतना सदन को याद होगा कि जिस समय महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थ उस समय उनके बच्चे घास की रोटी का सहारा ले रहे थे । उस समय भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यापारियों का सहारा लेना पड़ा था और भामाशाह जैसे व्यापारी की मदद लेनी पड़ी थी, और क्या पहले बिड़ला की मदद नहीं ली थी, ली थी। मान्यवर, बराबर इस बात को दोहराया जा रहा है कि व्यापारी भ्रष्टाचारी हैं, जमाखोर हैं, मुनाफाखोर हैं। बिक्री–कर को लेकर के व्यापारी को भ्रष्टाचारी, मुनाफाखोर, की संज्ञा देते हैं। कुछ मानों में वे भी गड़बड़ी करते हैं साथ ही साथ इस बात को इंकार नहीं कर सकते। उससे अधिक भ्रष्टाचार हमारे अधिकारियों में है तो जब हम जानते हैं भ्रष्टाचार जड़ में है तो उस जड़ को ही क्यों नहीं समाप्त करते। बिक्री–कर समाप्त करने के लिए चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था कि समाप्त करेंगे और वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर 2 साल हो गए, सरलीकरण के बारे में कहा था कि शीघ्रातिशीघ्र कर देंगे लेकिन नहीं कर सके।

केशरी नाथ त्रिपाठी जी का भाषण सुना। उससे पता चला कि जिस गति से और तरीके से वे विचार कर रहे थे अगर ऐसी गति से विचार किया गया होता तो शायद बिक्री–कर का यह कान्ड न होता। दोष लगा सकते हैं व्यापारियों पर, लेकिन सरकार का काम करते हैं, सेल्स टैक्स वसूल करते हैं। उसका मुआवजा क्या देते हैं। अमीन का जो काम करता है उसके लिए हम क्या मुआवजा देते हैं। उसके लिए हम केवल कहते हैं जमाखोर, मुनाफाखोर। इन सब बातों को देखकर बिक्री–कर की समाप्ति के लिए हर व्यक्ति को सहमत हो जाना चाहिए। जो श्री त्रिपाठी ने सुझाव दिया है उससे सम्बद्ध करते हैं अपने को। माननीय मंत्री जी शीघ्रातिशीघ्र उसमें अमल करेंगे। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाऊंगा और उस कमेटी में व्यापारी वर्ग के एक–दो प्रतिनिधि होंगे, मेरा सुझाव है कि उस कमेटी में विधायक भी हों, मंत्री, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि, अर्थ शास्त्री, कानून विशेषज्ञ आदि रखे जायें ताकि गम्भीरतापूर्वक विचार हो सके। और उनके लिए यह भी प्रतिबन्ध हो कि 3–4 माह के अन्दर यह रिपोर्ट आ जानी चाहिए।

(व्यवधान)

26 मई को जो घटना है, उसको लेकर समस्त जनता में असन्तोष व्याप्त है। उसमें सिटी मैजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर, सेल्स टैक्स को अविलम्ब निलम्बित कर देना चाहिए और जुडीशियल इन्क्वायरी भी उनके खिलाफ की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप समाप्त करें।

श्री नरेश चन्द्र––

मान्यवर, मैं....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए। ज्यादा समय न लें।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मान्यवर, बहुत संक्षेप में अपने विचार रखना चाहूंगा। जिन बन्धुओं ने बिक्री-कर की बहस को लेकर आलोचनात्मक रुख अख्तियार किया, मैं समझता हूं कि वास्तव में बिकी-कर की समाप्ति के सम्बन्ध में अर्थशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार विचार करने के बजाय हम दो प्रकार की लाबी में बंट गए हैं, एक समर्थक हैं और एक विरोधी। मूलभूत प्रश्न यह है कि आप विधायिका के रूप बैठे हैं और प्रदेश के उद्योग और व्यापार की प्रगति और अवनति को देखने की जिम्मेदारी आपकी है।

मैं समझता हूं कि यदि हम केवल इसलिए कि हम व्यवसायियों के विरोधी हैं अतः बिक्री-कर के विरोधियों के विरोध में बोलें। व्यवसायियों के समर्थक हैं तो समर्थन में बोलें। यह उचित व्यवस्था नहीं है। वान्चू कमेटी बैठी थी, उसने विचार किया था। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि कर की दरें जितनी अधिक होंगी, चोरी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। उसने विचार किया और विचार करने के बाद ही आय कर को जो एक लाख की आमदनी पर 90 हजार के ऊपर चला जाता था जिस कारण कर की चोरी बहुत बढ़ गयी थी, उसे घटाकर 60 प्रतिशत निर्धारित किया। उसके पीछे यही था कि कर वन्चना रोकी जाये। इसी दृष्टिकोण से बिक्री-कर पर विचार करना चाहिए। मैं कांग्रेस की एक सदस्या को सुन रहा था उन्होंने कहा कि किस प्रदेश का कर कितना अधिक है, यह प्रदेश का विषय है। मैं कहूंगा कि उन्हें बिक्री-कर की बारीकियों का ज्ञान नहीं है। यदि होता तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता। राजस्थान, हरियाना, दिल्ली में बिक्री-कर लगता है। उसका रेट क्या है। उत्तर प्रदेश में भी उसी प्रकार से कर निर्धारित कर।

कानपुर सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटिंग सेन्टर था वह कानपुर से बदल कर दिल्ली हो गया है। आज दिल्ली व्यापार में बढ़ रहा है। आपके प्रदेश में जो बिक्री-कर लगता है अगर वह लगता रहा तो अन्य प्रान्तों में उद्योग पनप जायेंगे और आपका प्रदेश उद्योग में पिछड़ जायगा। श्री रघुवर दयाल वर्मा ने एक बात कही कि जो व्यापारी कर वसूल कर लेता है गरीब जनता से तब उसको टैक्स देने में क्या हर्ज है। मैं समझता हूं कि बिक्री-कर की तकनीकियों को वह नहीं समझते। बिक्री-कर केवल रजिस्टर्ड व्यापारी ही वसूल कर सकता है 100 रुपए का सामान खरीदने आप बाजार में जाते हैं। वहां आपसे 100 रुपए के बजाए 107 रुपए लिए जाते हैं। 7 रुपए बिक्री-कर लगाया जाता है। आप कहते हैं कि पर्ची नहीं लेंगे। ग्राहक पर्ची नहीं लेता है। इसी वजह से कर वन्चना कर पाता है व्यापारी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

चोरी से ही पैदा होता है।

संख्या 6––संस्थागत वित्त विभाग (वृतिकर एवं बिक्रीकर), अनुदान संख्या 8––संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या 13––संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान 14––वित्त विभाग (लेखा–परीक्षा, अल्पबचत तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 22––संस्थागत वित्त विभाग, अनुदान संख्या 25––वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 32––वित्त विभाग (अधवर्ष भत्ते तथा पेंशने), अनुदान संख्या 33––वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या 94––संस्थागत वित्त विभागपूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128––वित्त विभाग–ऋण और अग्रिम

श्री श्याम सुन्दर गुप्त––

कर वन्चना रोक दी जाय इसमें दो राय नहीं हो सकती। महाराष्ट्र हमारे साथी गए थे, कुछ अधिकारी भी थे उसमें। वहां चार चालान देने की प्रथा हमने देखी। वहां की सरकार ने यह नियम बनाया है कि जो व्यापारी बिक्री–कर जमा करे वह बैंक में 4 चालान फार्म के साथ ही बिक्री का रिटर्न भी जमा करा सकता है। हमारे साथ बड़े–बड़े अधिकारी थे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया किन्तु यह नियम यहां अभी तक लागू नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप बैठिए।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त––

एक बात माननीय और कहूंगा। वह यह कि सरलीकरण की दिशा में आप ठोस कदम उठायें। व्यापारियों को सुविधा देकर अपने राजस्व बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, उन पर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप बैठे।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त––

आप गल्ले पर मंडी टैक्स लगाते हैं। बहुत आसान सुझाव आपके सामने आया कि आप मंडी स्थल पर ही मंडी शुल्क के साथ बिक्री–कर वसूल कर लें। सारा का सारा गल्ला व्यवसाय कर निर्धारण करने से और मत्रें की जटिलताओं से मुक्त हो जायेंगे तथा सरकार को इस प्रथा से राजस्व भी बहुत अधिक प्राप्त होगा।

जहां मंडी शुल्क लेते हैं वहीं बिक्री–कर वसूल कर लीजिए। माननीय, इसी तरह से जो सर्राफ हैं, जो आभूषणों की बिक्री का काम करते हैं उनसे, स्लेब सिस्टम निर्धारित करके बिक्री–कर वसूल करें।

श्री उपाध्यक्ष––

आप समाप्त करें।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त––

सरलीकरण की जो प्रक्रिया है, उसको गम्भीरता से लागू करें, बिक्री–कर के विकल्प की खोज आप गम्भीरता से जारी रखें ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त--]

ईमानदारी से विकल्प खोजें तो व्यापारी उससे संतुष्ट न हो और उसकी परेशानी दूर न हो जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापारी अकारण हड़ताल नहीं करते हैं, व्यापारी बहुत आजिज होकर हड़ताल करते हैं। 9 दिन तक हड़ताल करना किसी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन मजबूरी में उन्होंने हड़ताल की। जब रेल के कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उनको देशद्रोही नहीं कहा जाता, लेकिन जब व्यापारी हड़ताल करते ह तो उनको देशद्रोही कहने का कोई अधिकार नहीं है। इन शब्दों के साथ वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैंने जो सुझाव दिए हैं आशा करता हूं कि उन सुझावों को स्वीकार करेंगे।

*श्री पुरुषोत्तम दास (जिला भिर्जापुर)--

मान्यवर, इस समय व्यापारियों के खिलाफ अनेकों तर्क हो रहे हैं जिनकी कोई इन्तहा नहीं ह। यह जो लुभावने वादे करेंगे बिक्री-कर माफ करने के और फिर माफ नहीं करेंगे तो इस तरह से व्यापारियों का गला काटा जा रहा है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। माननीय सदन अपनी सुविधा को देखकर कोई कानून बनाता है। हम लोग अपने विवेक से कानून बनाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री जी इधर ध्यान देंगे। मेरा निवेदन यह है कि जितने यहां कानून बनाए जाते हैं सदन के अन्दर वह सुख-सुविधा को देखकर बनाए जाते हैं, सोचकर बड़ वैचारिक तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन सेल्स टैक्स अफसर को यह छूट है कि वह अपने विवेक से काम करें। उसका नतीजा यह है कि व्यापारी ईमानदारी से भी कार्य करे, वह ईमानदारी से सेल्स टैक्स अदा करना चाहता ह और अगर किन्हीं कारणों से सेल्स टैक्स अधिकारी की तबीयत उसके प्रति ठीक नहीं हैं तो वह अपने विवेक से टैक्स लगा देता है। कानून का विवेक छोड़ दीजिए, सदन ने जो कानून बनाया है उस विवेक को छोड़ दीजिए, सेल्स टैक्स अधिकारी अपने विवेक से जितना चाहें टैक्स लगा देता है। 1/3 हो चाहे 1/2, व्यापारी भी जना करे और उसके बाद अपील करे। तो व्यापारी इसे जमा करने और अपील करन में लगा रहेगा तो वह व्यापार क्या करेगा और क्या उसका विकास होगा। अगर व्यापारी पर सेल्स टैक्स लगा दिया गया और व्यापारी हार गया, सही चीज थी लेकिन उसका टैक्स देना पड़ता है। किसी कलुषित भावना से सेल्स टैक्स अधिकारी ने उसके व्यापार को खराब करने के लिए अपने विवेक से गलत टैक्स लगा दिया और वह व्यापारी छूट गया तो जो आपका सेल्स टैक्स अधिकारी है, व्यापारी को परेशान करने की गरज से जिसने ऐसा किया है उसके ऊपर आपको कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। सदन अपनी सुविधा को सोचते हुए कानून बनाता है तो उसी तरीके से आचरण और व्यवहार करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश के व्यापारी लोगों का उत्थान और विकास नहीं होगा और अगर उनका विकास नहीं होगा तो सेल्स टैक्स पर निर्भर करने वाली सरकार भी कामयाब नहीं हो सकती है।

आपने कहा कि सेल्स टैक्स समाप्त करेंगे, आपने लुभावनी बात कही, व्यापारी प्रसन्न हो गया, क्योंकि व्यापारी सेल्स टैक्स देने से नहीं भागता है वह देना चाहता है लेकिन व्यापारी को सेल्स टैक्स देने में जो परेशानी होती है उसकी वजह से वह व्यापार नहीं कर सकता है। अगर उनके ऊमर लम्म-सम, किसी रेशियो को देखकर, दो-चार वर्षो पीछे का देखकर, रेशियो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 6––संस्थागत वित्त विभाग वृतिकर एवं बिक्रीकर), अनुदान संख्या 8––संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या 13––संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) अनुदान संख्या 14––वित्त विभाग (लेखा–परीक्षा, अल्पबचत तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 22––संस्थागत वित्त विभाग, अनुदान संख्या 25––वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 32––वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) अनुदान संख्या 33––वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या 94––संस्थागत वित्त विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128––वित्त विभाग–ऋण और अग्रिम

से लम–सम में यह टैक्स लगा दें तो व्यापारी को जो बहीखातों में दर्ज करना पड़ता है और उसका तमाम समय लगता है वह न लगे और व्यापारी उस समय को अपने व्यापार को बढ़ाने में लगायेगा। नहीं तो वह परेशान होकर सिर्फ हिसाब–किताब के चक्कर में रहेगा जिससे उसका व्यापार नहीं बढ़ेगा। उदाहरण के लिए ईंट के भट्टे को ले लें। आजकल मौसम चल रहा है लेकिन सेल्स टैक्स अधिकारी ने तारीख लगा दिया तो व्यापारी अपना व्यापार बन्द करके सेल्स टैक्स दफ्तर जाता है लेकिन वहां दिन भर परेशान होने के बाद मालूम होता है कि दूसरी तारीख लग गयी। इसलिए सेल्स टैक्स अधिकारी जो तारीख लगाये उस तारीख को व्यापारी के केस को सुनना चाहिए और दो या तीन महीने म तारीख लगाना चाहिए। इसलिए यह अधिकारियों का विवेक ही व्यापारियों को खाए जा रहा है। सदन को अधिकार है कि इस विवेक को समाप्त करके अपने विवेक से, माननीय सदस्यों के विवेक से, ऐसा कानून बनाया जाय ताकि अधिकारियों का विवेक व्यापारियों के व्यापार को समाप्त न करे। वरना हमारे उत्तर प्रदेश का व्यापार पनप नहीं सकता है। इसलिए निवेदन है कि यह विवेक शब्द जो अधिकारियों के साथ जोड़ दिया गया है उसको कटवा कर व्यापारियों के विकास के लिए कोई दूसरा दफा बनाएं। वरना व्यापारियों का विनाश हो जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि जिस व्यापारी के हिसाब का सर्वे हो चुका हो उसका फैसला सही तरीके से कर देना चाहिए और अपने विवेक के अनुसार टैक्स का बढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मान्यवर, जो 7 प्रतिशत सेल्स टैक्स ईंटों पर, सरकार ने लगाया है यह अन्याय किया है। कोयले की स्थिति यहां यह है कि वह कहीं सरकार नहीं दे पा रही है जिससे ईंट के दाम बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार कोयले की व्यवस्था करे। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

आप बैठें। श्री फजलुलबारी।

(व्यवधान)

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (जिला कानपुर)––

मुझे बोलने का मौका दिया जाय चूंकि मेरा नाम है लेकिन फिर भी मुझे नहीं पुकार रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

दो–दो मिनट बोलें तो सब लोगों को समय मिल जायेगा।

(श्री फजलुलबारी का नाम पुनः पुकारे जाने पर)

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी—

मुझे आप समय नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं सदन त्याग कर रहा हूं ।

(श्री जौहरी लाल सदन त्याग कर चले गए ।)

*श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

मान्यवर, सेल्स टैक्स आज सब से अहम मसला है । सेल्स टैक्स के सिलसिले में देहलवी जी ने और श्री रघुवर दयाल वर्मा ने जो कुछ अपनी भावनायें सदन के सामने रखी हैं मैं उनका पूर्णरूप से समर्थन करता हूं । और यह कहना चाहता हूं चन्द अल्फाजों में कि सेल्स टैक्स की चोरी करने वालों ने सरकार को बहुत सख्ती के साथ निपटना चाहिए । माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस सख्ती का मुजाहिरा किया था उससे जनता में उनके प्रति आदर और सम्मान पैदा हो गया था । लेकिन अखिर में एकदम से उन्होंने जो मुजाहिरा किया, उससे लोगों को अफसोस जरूर हुआ । लेकिन मैं यह उम्मीद रखता हूं कि टैक्स की चोरी से निपटने के तमाम तरीकों से हमारे वित्त मंत्री जी वाकिब हैं और उन तरीकों को वे जरूर अपनायेंगे सरकार सेल्स टैक्स की वसूली पर कड़ी निगाह रखे । हमारे गुप्ता जी ने अपनी तकरीर में मेरा नाम लिया जबकि मैं में उनके पहले बोला नहीं था । वह शायद समझते थे कि मैं वही बोलने वाला हूं । उन्होंने कहा कि टैक्स की चोरी करने का तरीका आप लोग दिखाते हैं । मैं आज आ रहा था तो एक व्यापारी से मिला । उन्होंने कहा कि टैक्स की चोरी तो अफसर सिखाते हैं । अफसर कहते हैं कि रिश्वत दो और उसके लिए तरीका बताते हैं । हमने कहा कि जब कोई कत्ल करता है या चोर चोरी करता है या डकैत डकैती डालता है, तो वह वकील के पास जाता है । और कहता है कि मुझको बचाइए । तो वकील उसको झूठ बोलने का तरीका बताते हैं । उसी तरह से अगर टैक्स की चोरी का मसला पैदा होता है तो मैं समझता हूं कि वह भी व्यापारियों की तरफ से है । ऐसी सूरत में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उन लोगों से जो गरीबों, मजदूरों और किसानों के टैक्स का पैसा जमा करके मोटे होते जा रहे हैं, उस पैसे को उनसे सख्ती से निकालें ।

एक खास बात की ओर, मान्यवर, वित्त मंत्री जी का ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के बनारस की साड़ी उद्योग पर जिस तरह से हमला किया है, यह निहायत ही खौफनाक बात है । उत्तर प्रदेश के बनारस की साड़ी सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी शोहरत के लिए मशहूर है । लेकिन आज यहां के बुनकर तबाही की दहलीज पर खड़े हैं । माननीय वित्त मंत्री जी को उस ओर सोचना चाहिए क्योंकि वह एक समाजवादी विचारधारा के आदमी हैं और मजदूरों की भावनाओं को समझते हैं । उनको मजदूरों पर इस तरह का हमला नहीं करना चाहिये था । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उनसे पहले जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस पालिसी को चाक आउट किया था लेकिन उस वक्त के मुख्य मंत्री जी, श्री राम नरेश यादव, ने अपना कलम से उस परचेज टैक्स से गरीब और भूखे बुनकरों को बचाया था । मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि शुमाली भारत में जो बुनकर तबका है, उसका 90 प्रतिशत मुसलमान हैं और 10 प्रतिशत ही गैर मुसलमान हैं । जब कि आपके तामिलनाडू और आंध्र प्रदेश और दक्षिण के दूसरे राज्यों में 90 प्रतिशत गैर मुसलमान और 10 प्रतिशत मुसलमान इस काम को करते हैं । इसलिये आपने देखा कि सदर्न स्टेट में जो भारत के हैं, वहां पर इस उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है । तरह-तरह के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं । लेकिन एक विशेष किस्म की विचारधारा रखने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश के

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या 6––संस्थागत वित्त विभाग (वृतिकर एवं विक्रीकर), अनुदान संख्या 8––संस्थागत वित्त विभाग स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या 13––वित्त विभाग (मनोरंजन तथा ब ज.कर), अनुदान संख्या 14––वित्त विभाग (लेखा––परीक्षा, अल्पबचत तथा अन्य व्यय,अनुदान संख्या 22––संस्थागत वित्त विभाग, अनुदान संख्या 25––वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनदान संख्या 32––वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) अनुदान संख्या 33––वित्त विभाग (राज्य लाटरी, अनुदान संख्या 94––संस्थागत वित्त विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128––वित्त–विभाग ऋण और अग्रिम

इस बड़े क्षेत्र में जहां के मजदूर पल रहे थे, खुशहाल हो रहे थे, अपने पैरों पर खड़े होने को सोच रहे थे, उन पर हमला किया है । तो मैं समझता हूं यह न सिर्फ बुनकरों पर हमला है, न बनारस पर हमला है बल्कि तमाम गरीबों पर हमला है, उन 90 प्रतिशत लोगों पर हमला है जो इन क्षेत्रों में अपना पेट पाल रहे थे । तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इसको उन्हें वापस लेना चाहिये ।

आखिर में सिर्फ एक बात कह कर खत्म करूंगा । मान्यवर, जो स्पोर्टस का बजट रखा है, उस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में स्पोर्ट्स पर बजट बढ़ रहा है लेकिन हमारे इतने बड़े उत्तर प्रदेश में जिसमें 10/11 करोड़ की जन संख्या है और वहां सिर्फ एक करोड़ का बजट रखा गया है स्पोर्ट्स के लिए । यह स्पोर्ट्स के साथ नाइन्साफी है । मैं यह भी मांग करता हूं स्पोर्टसमैन्स के लिए हर सर्विसेज में 5 परसेंट का रिजर्वेशन होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष––

4 बजे एप्रोप्रियेशन बिल पास करना है और साढ़े चार बजे यहां से पास होकर काउंसिल चला जाएगा । मिश्रा जी, आपको भी बोलना है ? संसदीय कार्य मंत्री, आप यह बताय कि कुछ माननीय सदस्य और रह गये हैं बोलने वाले, तो आप कितना समय लेंगे ?

श्री मधुकर दिघे––

जब एप्रोप्रियेशन बिल आएगा, तब बोल लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष––

श्री भगवती प्रसाद सिंह, हम आपको विनियोग विधेयक पर मौका दे देंगे । (श्री भगवती प्रसाद सिंह के अनुरोध पर) अच्छा आप दो मिनट में अपनी बात कह लें ।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)––

मान्यवर, किसी देश और प्रदेश को चलाने के लिए, उसके विकास के लिए धन जरूरी ह और धन इकट्ठा करने का स्रोत चाहिए । इस देश म बंगाल की भी सरकार है, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन मैं उसको पूर्णरूप से पढ़ चुका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भगवती प्रसाद सिंह]

हूं कि किससे टैक्स लेना चाहिए । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और दिघे जी का भी समर्थन करता हूं लेकिन दुख ह कि आज भी इंदिरा की, एमरजेंसी की और मीसा की कमियों से यह सरकार बैठी हुई है और इतने सदस्य बैठे हैं, इसके अन्दर आज भी गुप्त वंश बैठा हुआ है । मैं सोचता था कि राजेन्द्र गुप्त जी समाजवादी और गरीबों के बड़े हमदर्द हैं । दर्जनों मेरे दोस्त इस दल में बैठे हुए अपने प्रस्ताव का विरोध कर रह हैं । यही नहीं, जो सबसे सराहनीय कदम सेल्स टैक्स अधिकारियों ने और सरकार के वित्त मंत्री ने उठाया था, उस पर कुठाराघात करने वाले पूंजीपतियों से पैसा लेकर जो चुनाव म जीतकर आए हैं, इस दल में भी मौजूद हैं । एक साहब ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक तौर पर आन्दोलन छेड़े हैं । दिघे जी जरा मुखातिब हो जायें । बड़ा दुख होता है यह सुनकर । जाहिर ह कि जो आन्दोलन व्यापारियों का हुआ है इस प्रदेश में, उससे जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ा है । इसी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों न इस आन्दोलन को उठाया है जिसके शिकार इस सरकार के नेता और दिघे जी भी हो गये । एक साहब ने कहा कि हम लोग व्यापारियों की कमेटियों म जाते हैं । जब गांव के छोटे-छोट व्यापारियों से सेल्स टैक्स अधिकारियों की लड़ाई होती है तब आप उनको बैठाकर समझौता कराते हैं ? नहीं । अगर गांव के छोटे किसान का सेल्स टैक्स अधिकारियों से झगड़ा होता है तो उनके हाथ म हथकड़ी लगती है । मोती लाल देहलवी जी ने सच कहा हैं । उनकी बातों मे ऐसी सत्यता ह कि उन्होंन सरकार को बचाने की बात कही है और प्रदेश के उत्थान की बात कही है । तीन साल के बाद चुनाव आयगे गुप्ता जी और अगर आप ने यही भाषा का इस्तेमाल किया कि व्यापारियों के साथ जुल्म हो रहा है, सेल्स टैक्स अधिकारियों की जांच करायेंग, उनको मुअत्तिल करायेंगे, वरखास्त करायगे तो आपकी सरकार कतई चलने वाली नहीं है और प्रदेश की जनता...

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, एक मिनट/हम ने देखा है पैसा चोरी होता है, हमारे क्षेत्र जलालपुर में जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं, मान्यवर, लाखों-करोड़ों इन व्यापारियों से कहां से पा जाते हैं । ऐसी हालत में सेल्स टैक्स की चोरी होती है । उसको बचाने के लिए सख्त कदम माननीय दिघे जी आप को उठाने चाहिए और सेल्स टैक्स अधिकारियों के खिलाफ जो कमेटी बैठी है, जो निगरानी रखी गयी है, उसे बन्द किया जाय...

(श्री श्याम धर मिश्र के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मिश्रा जी, आप विनियोग विधेयक पर बोल लीजिएगा आप को ज्यादा समय दे दिया जायगा ।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी) --

श्रीमन्, मुझे दो सीमित प्रश्न करने हैं । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । ग्यारह अनुदानों पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि समय बहुत चाहिए लेकिन जैसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यवस्था रखी गयी है उसमें समय कम है । दो सीमित प्रश्न कह कर समाप्त कर दूंगा । दोनों हमारे तरफ की समस्यायें हैं एक तो शतरुद्र प्रकाश जी ने उठायी और दूसरे माननीय सदस्यों न उसके बारे में भी कहा । एक वाराणसी जिला है और एक मिर्जापुर जिला है । थोड़े में आप से कहना चाहता हूं ।

वाराणसी जिले में लगभग चालीस करोड़ का वाराणसी वस्त्र, रेशमी वस्त्र बनता है और उस पर आप दो प्रतिशत का टैक्स लगाते हैं या लगाने का प्रस्ताव है कि उसमें विचौलियों पर टैक्स लगेगा । माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से जांच करा लें कि सीधे बुनकरों पर इस का असर पड़ेगा जिनकी संख्या लगभग पचास हजार के ऊपर है । साथ ही साथ मैं ताईद कर रहा हूं इस बात की कि आप देखें कि यह उद्योग बंगलौर, तामिलनाडु, महाराष्ट्र में है जहां 9 प्रतिशत के 5 प्रतिशत के छूट आक्ट्राय में दी जा रही है, इन्सेन्टिव दिया जा रहा है और यहां प्रदेश सरकार इन्सेन्टिव देना तो दूर रहा डिसइन्सेन्टिव लागू कर रही है ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं मिर्जापुर में बर्तन उद्योग के संबंध में श्रीमन्, चार–पांच करोड़ का उत्पादन है वहां, सात प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है । बर्तन बगल में बिहार में बने, दिल्ली में बने और जगह बनते हैं, या तो चोरी हो जाते हैं या आप को टैक्स नहीं मिलता है । नतीजा यह हो रहा है कि वहां का उद्योग पनप नहीं रहा है वह बिहार में चला जा रहा है, दिल्ली में जा रहा है, हरियाणा में चला जा रहा है ।

तो श्रीमन् ये दो परसेन्ट टैक्स लगाने की जो आपकी नीति है और सात परसेन्ट एल्यूमिनियम और ब्रास में है, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उस पर पुनर्विचार करें । इससे ज्यादा समय मैं नहीं चाहता ।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

उपाध्यक्ष जी...

(श्री मंजूर अहमद के कुछ कहने पर)

श्रीमन्, मैं फिर से आप से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार तो निलंबित करना पड़ा है लेकिन माननीय सदस्य का व्यवहार यहां के अनुकूल नहीं है ।

मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह की उद्दंडता उचित नहीं है । ये चीतकार कर रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन है । इस तरह के उनके व्यवहार पर नियंत्रण होना चाहिये अन्यथा मैं खुद प्रस्ताव करने के लिये मजबूर हूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बनारसीदास—]

बनारस उद्योग के बारे में कई बुनकरों के प्रतिनिधि मुझ से मिले । मैंने उनको आश्वस्त किया था कि बुनकरों पर किसी तरह का कर नहीं लगेगा । इसी आशय से 15 तारीख को उनके प्रतिनिधियों को बुलाया है और मैं श्यामधर जी से भी अनुरोध करूंगा कि वह भी उसमें शरीक हों । हमारा कोई इरादा बुनकरों पर कर लगाने का नहीं है । अगर कोई क्रूर होगा तो उसे नहीं रखा जायगा । एक बात यह है कि दिल्ली, हरियाणा और बिहार कुछ जगहों पर सेल्स टैक्स में इस तरह की असंगतियां हैं जिनसे हमारे राज्य को कर नहीं मिलता । उसको हमने दूर किया है । एक कमेटी ने इस पर कार्य भी किया है और एक हाई पावर कमेटी बनाने का विचार है जो इसके सरलीकरण पर विचार करेगी ताकि हमारे राज्य का कर भी न जाय और जो अन्य राज्यों की तुलना में टैक्स इवेजन होता है, उसे भी रोका जा सके ।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, आज विधान सभा में जो चर्चा हुई उसे सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ । देश में ऐसे लोग भी हैं चाहे व्यापारी वर्ग के हों अथवा अधिकारी वर्ग के हों सभी एक गोत्र के हैं । यह हमारे सामने बैठे तिवारी जी जो कहा करते थे कि गरीबी दूर करेंगे आज क्या कर रहे हैं ? देश की आजादी उन लोगों ने दिलाई जो तख्ते पर झूल गये और जिन्होंने गद्दारी की देश के साथ उनको देश न भले ही बख्श दिया हो लेकिन हमारे जैसे लोग उनको बक्सेंगे नहीं । इस देश के कुछ लोग अपनी हुकूमत कायम रखना चाहते हैं । जैसे कुछ गद्दार लोग देश में अंग्रेजों की हुकूमत कायम रखना चाहते थ और देश की आजादी को छीने रखना चाहते थे वैसे ही आज भी कुछ लोग देश की आजादी को खत्म करना चाहते हैं और व्यापारियों को भड़का कर आन्दोलन करवाते हैं उनको मैं यह चेतावनी दिय देता हूं कि हम भी उनके खिलाफ जनता को आवाहन करेंगे तथा आन्दोलन छेड़ने को मजबूर होंगे और ऐसे लोगों को हम बक्सेंगे नहीं, यह उनको समझ लेना चाहिये । जय प्रकाश नारायण जी न जिस समय समाजवाद का नारा दिया था और क्रान्ति करने के लिये आवाहन किया था मैं उनसे पूछना चाहता हूं वे उस समय कहां थे जो आज आन्दोलन की बातें किया करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें ।

श्री मान सिंह आजाद—

मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जनता पार्टी, समाजवादी लोग आन्दोलन करेंगे, चुप नहीं बैठे रहेंगे ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, जो बजट पेश किया गया है, मैं उसके लिये मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जहां तक सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में बुनियादी प्रश्न हैं उनके मुताल्लिक वह सख्त कदम उठायंगे । जब तक टैक्स की वसूलयाबी का निजाम ठीक नहीं होगा देश का इन्तजाम तथा देश का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से नहीं लम सकता । आज देश के अन्दर क्या हो रहा है । जो कुछ भी टेक्सेज लगाये जाते हैं उनको आमतौर से एवाइड करने की कोशिश की जाती है, उनम चोरी की जाती है ।

वगैर इन्कम के, बगैर टैक्सों की वसूलियाबी के कोई देश नहीं चल सकता है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि यहां पर हड़ताल की गई, व्यापारी तबके ने हड़ताल की और एक हफ्ते तक बाजार बन्द रहा । तो इस बात से काम नहीं चल सकता है । व्यापारी तबके के लोग दुहरा हिसाब रखते हैं—नम्बर 1 और नम्बर 2 का यानी टैक्स बचाने के लिये वे ऐसा करते हैं । इसलिये जहां तक टैक्स की वसूलियाबी का प्रश्न है, टैक्स देने वालों को भी ईमानदारी से देना चाहिए क्योंकि वगर टैक्स की वसूली के देश और प्रदेश का खर्चा नहीं चल सकता है । मैं यह भी गुजारिश करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जिनकी तरफ नजर रखनी चाहिए । जसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बनारसी साड़ियों के बारे में कहा कि टक्स लगाने से 1969 से यह काम खतम हो गया और यह काम सूरत में चला गया । इसी तरीके से अगर साड़ी पर 2 प्रतिशत परचेंजिग टैक्स लगाया जाता है तो बनारस की सनत नहीं चल सकती है । यह तो मुसलमान ही करते हैं । अगर आपने इस सनत पर टैक्स लगाया तो वह खत्म हो जायेगी । इसलिये मैं चाहूगा कि इस पर यह कर समाप्त किया जाये, इसके अतिरिक्त मुरादाबाद के अन्दर बर्तनों का काम होता है, इस पर टैक्स लगा दिया गया है वह नहीं लगना चाहिए । सम्भल में सींग का काम होता है, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है । यह सींग का सामान हिन्दुस्तान के अन्दर ही नहीं बाहर भी जाता है । इस पर भी बिक्री कर खत्म होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, मेरा अनुरोध है कि आप कम से कम समय लें ।... (व्यवधान) ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह देखकर बड़ा दुख होता है कि इस सरकार में कोआर्डिनेशन नहीं है । आपने देखा कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जो आये और उन्होंने बड़ी कृपा करके घोषणा की कि कल एक मीटिंग हुई थी और उस पर उन्होंने बुनकरों से यह कह दिया है कि उन पर कोई कर नहीं लगेगा । इस सम्बन्ध में उन्होंने 15 तारीख को फिर बुलाया है । श्रीमन्, आज प्रातःकाल जब वित्त मंत्री न यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बजट पेश किया था तो उसी समय घोषणा हो जानी चाहिए थी। अब यह मैं कैसे कह दूं कि मीटिंग में वित्त मंत्री जी नहीं थे...

श्री बनारसी दास—

वित्त मंत्री जी को मालूम है। उन्होंने स्वयं बुनकरों से कहा कि बुनकरों पर कोई कर नहीं लगेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उन्होंने आज हाउस में यह बात नहीं कही, यही मैं कह रहा हूं।

श्री बनारसी दास—

इसलिये कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अगर यह घोषणा पहले हो जाती तो हमारा भार हल्का हो जाता। 5/6 मेम्बरों ने इस ओर इशारा भी किया किन्तु वित्त मंत्री जी चुप रहे। उन्होंन कुछ नहीं कहा। इस घोषणा के न होने से सदन का समय भी न बच पाया और आधा भाषण इसी मामले को लेकर हुये। यदि वित्त मंत्री जी घोषणा कर देते तो और सुझाव आ सकते थ।

अब श्रीमन्, यह नहीं हुआ। इसी लिए मैं कहता हूं कि शासन में समन्वय नहीं है या फिर वित्त मंत्री उस पर पुनर्विचार कर रहे थे इसी लिए चुप रहे कि कल जो मैंने कहा वह अभी कहना चाहिये या नहीं। इसमें कोई न कोई पेंच जरूर है। वह यह है कि बुनकरों पर कर नहीं लगेगा लेकिन साड़ियों पर लगा रहेगा। जैसा कि माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा लहरापीर की चौकी जो लगाते हैं उन पर कर लगेगा। उन पर क्रय कर न लगा कर सेलसटैक्स लगा देंगे। ऐलान यह होना चाहिये कि हम किसी भी प्रकार का क्रय कर रेशम के गृहउद्योग पर भले ही साड़ी हो या दुपट्टा उस पर जैसी नीति पहले रही वही होनी चाहिये। जब बनारसी दास जी कांग्रेस में थे उसी नीति को दोहरा देते तो अच्छा था। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन पूरी तरह से नहीं दे पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि उद्योग पर तो लगा रहेगा लेकिन बुनकरों पर नहीं लगेगा। वैसे कर आवश्यक होते हैं लेकिन दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है, इसको भी देखना होगा। मान लिया बुनकरों पर नहीं लगेगा लेकिन घरेलू उद्योग पर रहेगा यह देखने की बात है कि आंध्र प्रदेश में, मैसूर में, कांजीवरम में, रामनगर म किसी प्रकार का टैक्स नहीं है तो इससे यहां के व्यापार में बड़ा नुकसान हो जायेगा।

एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने ठीक कही उन्होंने कहा दिल्ली में जो कर लगता है उसके लिए बात कर रहे हैं। उसका मैंने अपन भाषण में उल्लेख किया कि दिल्ली में जो कर लगता है उसके लिए दिल्ली वालों से बातचीत करें। हमने दो बार कोशिश की दिल्ली के चारों तरफ जो स्टेट हैं वह दिल्ली वाली से कहें कि यह आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वह जानबूझ कर कम कर लगाते हैं, चाहे वह पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या हिमांचल प्रदेश हो, उससे कम कर दिल्ली

वाले लगाते हैं। तो यह जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट की है वह यह देखें। केन्द्र में अब तो हमारे वित्त मंत्री, चौधरी चरण सिंह हैं उनके प्रभाव से यह किया जा सकता है कि दिल्ली का कर उसी सीमा पर रखें जो आस पास के राज्यों में है। उसके लिए एक स्टेंडर्ड हो जाय कि जितना बिक्री कर दिल्ली में है उतना ही हर जगह हो। इस वक्त यह बहुत बड़ा नुकसान यू० पी० को होता है। यह अच्छा कदम होगा यदि इस पर बिचार किया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंनें मेरे कटौती प्रस्ताव का विरोध भी किया उन्होंने मेरी बात का समर्थन ही किया जो कि मुख्य बात रही, 99 परसेंट जो मैंने कहा उसका सबने समर्थन किया। जो हमारे भूतपूर्व संस्थागत वित्त मंत्री थे, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, उनका मैं आदर करता हूं, उन्होंनें बड़े मार्मिक शब्दों में अपनी बात कही, बिक्री कर का उन्होंने एक विकल्प रखा जो उनके सामने आया होगा। माननीय नरेश चन्द्र जी ने बड़ा अच्छा तर्क दिया लेकिन समर्थन उन्होंने केशरी नाथ त्रिपाठी जी का किया। लेकिन वह विकल्प नहीं है वह तो केवल नाम बदलना है। सेल्स टैक्स का नाम बदल कर उससे टर्नओबर टैक्स हो जायेगा जिसकी जांच जिस अधिकारी को करनी होगी, उसका नाम बदल कर टर्नओवर टैक्स आफिसर हो जायेगा। टर्नओवर ठीक रखा है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए टर्नओवर टैक्स आफिसर होंगे। तो नाम सिर्फ सेल्स टैक्स नहीं रहेगा। जैसे आपने फेमिली प्लानिंग को बदल कर परिवार कल्याण कर दिया है। यह कोई विकल्प नहीं है। फिर दूसरी बात उन्होंने यह कही कि 84 प्रतिशत लोगों की धनराशि में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो इससे तो दो सिस्टम हो जायेंगे एक धनराशि डिक्लेयर्ड टर्नओवर की और दूसरी अनडिक्लेयर्ड की तो सेल्स टैक्स तो फिर भी रहा ही, तो कैसे चलेगा ? फिर तीसरा विकल्प बताया कि मंडी पर टैक्स लगा दिया जाय, खाद्यान्नों पर टैक्स खत्म कर दिया जाय। व्यापारी वर्ग मंडी की भी शिकायत करता है। अगर मंडी पर शुल्क लगायेंगे तो किसान और व्यापारी, दोनों को हिसाब रखना पड़ेगा। व्यापारी बचा कहां ? यह विकल्प नहीं है। पहले भी जिक्र हुआ था इसका। यह विकल्प नहीं है। माननीय त्रिपाठी जी जैसे विद्वान इसके ऊपर सोचें। यह विकल्प नहीं है। कोई दूसरा विकल्प सोचना होगा। मैं फिर माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन किया और जो उसके समर्थन में बोले लेकिन उन्होंने कहा कि कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

*श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं माननीय नेता विरोधी दल का इस बात के लिए उन्होंने अपने आपको खंडन जवाब देते वक्त कर दिया। ऐसा लगा कि अब उनको याद आ गया कि वित्त मंत्री की हैसियत से सेल्स टैक्स के सिलसिले में जो भी वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मधुकर दिघे—]

काम करते रहे, उसका जवाब उन्होंने दिया। केशरी नाथ जी हो गय नेता बिरोधी दल और वह हो गये वित्त मंत्री, पहले जो शुरुआत की जवाब में, अब मालूम हो गया ऐसा लगता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अब आप क्या रहे ?

श्री मधुकर दिघे—

नेता विरोधी दल को अपना कटौती का प्रस्ताव ईमानदारी से वापस लेना चाहिए । यह बात बिल्कुल सही है । वित्त मंत्री की हैसियत से जो मैंने प्रस्ताव रखा था वह यही रखा था बावजूद इसके माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी ने यह सलाह दी । उस पर उन्होंने काफी एक्सरसाइज करवायी । टर्नओवर पर टैक्सेशन का जब मेरे सामने प्रस्ताव आया, तब यह कठिनाई आयी, जैसा माननीय नारायण दत्त तिवारी कहते हैं, टर्नओवर टैक्स मल्टिपिल टैक्स हो जायगा । वह सिर्फ टैक्स का नाम बदलना हो जायगा । उसके साथ एक और कठिनाई है, छोटे व्यापारियों को ज्यादा परेशानी हो जायगी, उन पर टैक्स का क्वांट्स बढ़ जायगा, बड़े व्यापारियों को कम हो जायगा । यह बहुत सी बातें हैं । इसलिए ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो हम दे सकें व्यापारियों को । इसलिए सेल्स टैक्स का विकल्प खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं, एकानामिस्ट्स हैं, जो इसके अधिकारी हो सकते हैं वह प्रयत्न कर रहे हैं । जो टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बैठी है उनसे हम अपेक्षा करते हैं वह सेल्स टैक्स के मामले में इसके विकल्प के बारे में विचार करेगी । मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो प्रदेश की जनता को झूठ बोल कर अपनी कुर्सी को बचाये रखना चाहें । यह तीस साल तक कांग्रेस सरकार ने किया है ।

श्री श्याम धर मिश्र—

माननीय मुख्य मंत्री को बता दीजिये ।

श्री मधुकर दिघे—

वह विरोध करते रहे हैं अन्दर ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अन्दर विरोध करते रहे हैं, काहे का, मुख्य मंत्री जी करते रहे हैं ।

श्री मधुकर दिघे—

आपके गलत काम जो थे उनका । मेरा यह कहना है कि माननीय नेता विरोधी दल से, व्यापारियों को इसको स्पष्ट कर देने की जरूरत है कि अपन प्रदेश में जो व्यवस्था है, उसमें जो कष्ट है, पिन प्रिकिंग हैं, वह शासन को खत्म करने का प्रयत्न करना चाहिए । उसमें जितनी दूर जा सकते हैं, उतना जाने का प्रयत्न करें । उनको सुविधा देनी चाहिए । लेकिन जब तक कोई विकल्प नहीं सोचते, तब तक सेल्स टैक्स लागू रहेगा । यह उनको स्पष्ट मालूम हो जाना चाहिए । और इसीलिए मैंने नेता विरोधी दल को, मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि गालियां दी, मैंने

संख्या 6—संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं बिक्रीकर), अनुदान संख्या 8—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या 13—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) अनुदान संख्या 14—वित्त विभाग, (लेखा-परीक्षा, अल्पबचत तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 22—संस्थागत वित्त विभाग, अनुदान संख्या 25—वित्त विभाग, (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 32—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) अनुदान संख्या 33—वित्तविभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या 94—संस्थागत वित्त विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128—वित्त विभाग ऋण और अग्रिम

जो भाषण दिया है मैं छपवाकर बंटवा सकता हूं, अगर एक भी गाली निकल जाये, तो कहें। 90 प्रतिशत व्यापारी कर देना चाहते ह और ऐसे भी व्यापारी हैं जो कर अपवंचना करना चाहते हैं। म बताना चाहता हूं कि अभी एक ट्रक पकड़ी गयी, 3 दिन पहले, उस पर लाल पगड़ी वाले सरदार जी थे। आपकी बात नहीं, आप चौंक गये (श्री अजीत सिंह सेठी की ओर इशारा करते हुए जो लाल पगड़ी बांधे हुए थे) (हंसी) कहा यह तो व्यापारी का माल है, बिना कर के दिए कर अपवंचना होती है। केशरी नाथ त्रिपाठी ने कहा कि इस प्रदेश में 230 करोड़ रुपये सेल्स टैक्स से मिलते हैं यह 400 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि कर की चोरी होती है। व्यापारियों ने बिना हड़ताल की नोटिस दिए हड़ताल कर दी, विदआउट नोटिस कर दिया। मेरा प्रश्न यह है क्या आप प्रदेश में और देश में उन लोगों को जिनके हाथ म धन और दौलत है वह ऐसा काम करें जो जनता के खिलाफ हो। यह उनके लिए है जो कर अपवंचना करते हैं। अगर कर मिल जाये तो हम उनको बहुत सी सहूलियतें दे सकते हैं। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मत्री जी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं बुनकरों के प्रतिनिधियों से और जो रेशमी साड़ी का उद्योग करने वाले हैं उनसे बातचीत करें। मुख्य मंत्री जी ने यह स्वीकार नहीं किया है कि यह कर नहीं लगना चाहिए। मैंने इस बात को स्वीकार किया है इसको तब लागू करेंगे जब उसकी दिक्कत देख लेंगे। जो बनारसी साड़ी 500 रुपये की है अगर कोई व्यक्ति उसको खरीदता है तो 500 रुपये के बजाय 510 रु० देने में उसको क्या दिक्कत है। धनी व्यक्ति को 10 रुपय देने में क्या परेशानी है। इस सिलसिले में नेता विरोधी दल और शतरुद्र प्रकाश जी ने भी कहा। हमने इन सब बातों पर लगातार विचार किया कि क्या यह टैक्स बुनकरों पर लादा जायेगा। जो मेहनत से साड़ी बनाता है, जिसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है और जनता पार्टी की सरकार ने यह फैसला किया है कि वह कमजोर वर्ग का वह सहायता करना चाहती है। जब ऐसा प्रश्न आया है तो जनता पार्टी के लोग जो लोकतंत्र को मानने वाले हैं वह कतई पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी के आदेश से मैं बनारस जाऊंगा और बुनकरों के बीच में जाकर इस बात का पता लगाऊंगा कि यह बड़े लोगों को टैक्स देना पड़ेगा या बुनकरों पर इसका भार आवेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन सदन में देंगे कि कहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुकाबले में हमारा उद्योग कमजोर तो नहीं हो जायेगा।

श्री मधुकर दिघे—

मैंने इस बात का भी फैसला किया है, माननीय मुख्य मंत्री के आदेश पर, क अिपने प्रदेश में भी एक्सपोर्ट की व्यवस्था हो जिसको कि माननीय तिवारी जी,

[श्री मधुकर दिघे--]

नेता विरोधी दल करने से चूक गये । अपने राज्य में एक्सपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है । अभी तक यह बम्बई और दिल्ली से ही होता है । हमने सोचा है कि बनारसी साड़ियों का एक्सपोर्ट अगर हम बनारस से कर सकें तो उचित होगा । इसके साथ-साथ रेशम और दूसरी चीजों के लिए अगर कोई कोआपरेटिव डिपो की व्यवस्था कर सकें, जैसा कि उनके सुझाव आये हैं, तो हम उस पर भी विचार करेंगे । इस सिलसिले में, इस समय मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

हम कब चूके हैं, इसमें ?

श्री मधुकर दिघे--

क्या आपने किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप हमारे चरण चिन्हों पर ही चल रहे हैं ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैंने जान-बूझकर इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्सेज के मामले को छोड़ दिया था । यह क्रेडिट माननीय तिवारी जी को अवश्य जाता है कि यह कोई अच्छा काम किया है, बाकी तो खराब ही हैं । इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्सेज के क्षेत्र में प्रगति के लिए मैं उनको क्रेडिट देता हूं लेकिन वे जो आरोप लगाते हैं कि जो काम आरम्भ हो गया था उस पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको यह नहीं कहना चाहिए था । मैं उनको बता देना चाहता हूं कि बैंकों की शाखाओं के खुलवाने का काम हमने जिस तेजी से किया है वह प्रशंसनीय है । आने वाले दिनों में कोई ऐसा ब्लाक नहीं रह जायेगा कि जहां पर बैंकों की शाखायें न हों । जो काम उन्होंने किया था, उसको हमने बहुत बढ़ाया है, इन दो वर्षों में । बैंकों के द्वारा गांवों के अंगीकरण के लिए जो कार्य उनके जमाने में आरम्भ था, उसको हमने बहुत बढ़ाया है । विभिन्न अवसरों पर उसकी बात यहां पर आ चुकी है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा ।

आवासीय योजनाओं में इस वर्ष लगभग 20 करोड़ रुपया फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से मिला है और जो प्रयत्न हुए हैं, उनसे हरिजनों की आवासीय योजनायें बनी हैं । इसके अलावा और बहुत सी योजनाओं में भी काम हुआ है ।

विशेषतया चीनी मिलों के मामले में जो काम इस वर्ष हुआ बैंकों के द्वारा, वह पहले कभी नहीं हुआ था । इस वर्ष जो सिक मिलें थीं उनको भी ऋण देने का काम हुआ ।

इसके साथ-साथ अन्त्योदय कार्यक्रमों में और बाढ़ क्षेत्र में भी लोगों को मकान बनाने के लिए कर्जा देने का बैंकों ने काफी काम किया है लेकिन जो हमारी अपेक्षाएं थीं, जितना हम चाहते थे, उतना नहीं हुआ ।

हम जो क्रेडिट डिपोजिट रेशियो बढ़ाना चाहते थे उसके सम्बन्ध में हमारे पास बहुत शिकायतें आयी हैं, उनको दूर करने के लिये हमने बैंकों के प्रतिनिधियों से बात की है । हम महाराष्ट्र और जो तटवर्ती प्रदेश हैं, जहां पर व्यापार····

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मंत्री जी ने अभी कहा कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में मकान बनाने के लिए काफी सहायता की लेकिन मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि यद्यपि बैंक के लोगों ने आश्वासन तो दिया लेकिन पूरे प्रदेश में एक भी मकान बनान के लिए बैंक ने कोई रुपया नहीं दिया ।

श्री मधुकर दिघे—

इसकी शिकायत लिखकर मेरे पास भेजिए तो मैं देखूंगा । (व्यवधान)

ऐसा लगता है कि माननीय विधायक लोग इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं ।

मैं मुख्यतः एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि डिपाजिट क्रेडिट रेशियो से जो ताकत है या जो प्रदेश की हैसियत है, उसमें फर्क पड़ जाता है, ऐसा बहुत नहीं, जब तक उतने व्यापार और उतने उद्योग की स्थापना यहां न हो, हमारे प्रदेश में, मान्यवर जो उद्योगपति हैं, इन्टरप्रिन्योर हैं, वह बैंकों का उपयोग नहीं करते, चूंकि मद्रास, बम्बई और इन तटवर्ती प्रदेश के मुकाबिले हमारे प्रदेश के व्यापारी लोग या उद्योगपति जो हैं, बैंकों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी की जब केन्द्रीय सरकार से बातचीत हो रही थी, तब यह जिक्र किया कि चूंकि हमारे उद्योगपति और दूसरे लोग बैंकों से ऋण नहीं ले पाते, तो सरकार को अधिक ऋण लेने की स्थिति बननी चाहिए । इसलिए जब आपने यह जिक्र किया कि क्या जो मारकेट बारोइंग की स्थिति होती है, मारकेट बारोइंग में जैसा आपने कहा, वही स्थिति नहीं है, 74-75 में 36·68 करोड़ मारकेट बारोइंग आपका था । 75-76 में 48·81 करोड़, 76-77 में 46·21 करोड़, 77-78 में 46·84 करोड़, 78-79 में 51·10 करोड़, 79-80 में 56·21 करोड़ । मान्यवर, हमारी मांग रही है कि बाजार ऋण लेने का जो तरीका है, इसमें केन्द्रीय सरकार को बदलाव करना चाहिए, लेकिन बार-बार प्रयत्न करने पर भी हमारी बात उस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है । जो नतीजा है, उन्होंने 10 प्रतिशत वृद्धि करने का जो निर्णय लिया है, उसी के अनुसार आप देखते हैं कि 51·10 करोड़ 1978-79 में, 1979-80 में 56·21 करोड़, तो इसलिए मान्यवर, नेता विरोधी दल का यह कहना सही नहीं है कि इसमें बाजार ऋण के बारे में जो उन्होंने स्थिति बनाई थी···· (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसमें आपका एलेक्ट्रिसिटी को मिलने वाला ऋण शामिल है ?

श्री मधुकर दिघे--

वह तो शामिल ही है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

शामिल कैसे है, अभी कुछ दिन पहले आया था कि राज्य सरकार का बजट अलग है और आटोनामस बाडी का बजट अलग है ।

श्री मधुकर दिघे--

प्वाइंट आफ आर्डर बता दूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय वित्त मंत्री और माननीय विद्युत् मंत्री जी ने कहा था कि उसके बजट को यहां नहीं जोड़ा जायगा । जो आंकड़े दिये जा रहे हैं, उसमें एलेक्ट्रिसिटी के आंकड़े को जोड़ लिया गया है । तो यह परस्पर विरोधी बातें हैं माननीय मंत्री जी की ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह जवाब दे देंगे ।

श्री मधुकर दिघे--

उत्तर प्रदेश का इस प्रकार है :--

1974-75 में 27·88, 1975-76 में 40·01, 1976-77 में 33·69, 1977-78 में 29·99, 1978-79 में 29·62, 1979-80 में 34·73 का ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तो 40 करोड़ से घट कर 9 करोड़ रह गया ।

श्री मधुकर दिघे--

राज्य विद्युत् परिषद् का इस प्रकार है :

1974-75 में 7·70, 1975-76 में 7·70, 1976-77 में 11·42, 1977-78 में 15·75, 1978-79 में 20·38, 1979-80 में 20·38 करोड़ ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री मधुकर दिघे--

हां, मैं समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, जो भी ऋण प्राप्त हुआ है उस सिलसिले में जो कुल ऋण प्राप्त हुआ हमको या ऋण लेने का अधिकार जो मिला है, उसमें घटोत्तरी नहीं हुई है । इसलिए मान्यवर, मेरा यह कहना है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्होंने संस्थागत वित्त के मामले में जो आपत्ति उठायी और विशेष-तौर पर उन्होंने कहा कि करों में और स्टैम्प ड्यूटी में घटोतरी हुई है । 45 करोड़

रुपये जब हमने आगणन किया था तो उन सब स्थितियों पर ध्यान रख कर कहा है और वस्तुतः 1979–80 का आगणन जो मुझे मालूम हुआ 57 करोड़ हो गया है। इसलिए जो आगणन है, इन कारणों पर मैं नहीं जाना चाहता, इतना ही कहना है कि 51 से 57 करोड़ हो गया है। इसमें फर्क तो पड़ता ही है जो आकड़े आते हैं वह गलत हो जाते हैं। जो आज के हैं तो कल वाले में फर्क तो पड़ेगा ही। मैं आलोचना का जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि वे केवल इस दृष्टिकोण से किये गये हैं कि बिक्री–कर के मामले में हमारी नीति में प्रदेश की तरक्की के सिलसिले में कोताही हो रही है। हमारा प्रयत्न रहा है कि पिछले 2 साल में उन लोगों पर टैक्स लगाया जाये जो बरदाश्त कर सकते हैं। प्रयत्न किया जा रहा है कि टैक्सों का बोझ कमजोर वर्गों पर न पड़े। इन बातों को ध्यान में रखकर बुनकरों पर यदि टैक्स का बोझ पड़ता तो लोकतन्त्रवाद में ठीक न होता। ठीक परीक्षण नहीं करायेंगे तब तक हम आगे कार्यवाही नहीं बढ़ायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं विश्वास करता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल से कि वे कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। जिस तरह से उनको याद आ गया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप को स्टेट बैंक का चेयरमैन का नाम याद है तो मैं जब सुबह उठा तो मेरे दोनों बच्चे आपस में अन्ताक्षरी कर रहे थे, बोले पापा आप भी शामिल हो जाइये। नारायण दत्त जी अन्ताक्षरी में यदि आन चाहें कि बड़ौदा बैंक का, पंजाब बैंक का चेयरमैन कौन है, ये सब चीजें हम कभी अकेले में मिलेंगे, तो अन्ताक्षरी हो जायेगी, यहां सदन में इसकी क्या जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6....।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)––

मैं माननीय मंत्री जी यह प्रश्न करना चाहूंगा कि जैसा कि मालूम है पिछले 12 दिनों से वाराणसी, मऊ आदि क्षेत्रों में बुनकरों और व्यापारियों की हड़ताल है, इसमें सबसे अधिक कष्ट बुनकरों को है मैं माननीय मंत्री जी से....।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6––संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं बिक्रीकर) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6––संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं बिक्री कर) के अन्तर्गत होने वाले

[श्री उपाध्यक्ष---]

परिव्ययों को चुकान के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,29,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8---संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,40,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13---संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दो जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14---बित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,49,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

संख्या 6--संस्थागत वित्त विभाग (वृतिकर एवं विक्रीकर), अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण, अनुदान संख्या 13--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या 14--वित्त विभाग (लेखा-परीक्षा, अल्पबचत तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 22--संस्थागत वित्त विभाग, अनुदान संख्या 25--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 32--वित्त विभाग (अधिव भत्ते तथा पेंशनें) अनुदान संख्या 33--वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या 94--संस्थागत वित्त विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 128--वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्द उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22--संस्थागत वित्त विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,89,43,000 रुपये से अनधिल धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदा संख्या 32--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें) के अन्तर्गत होने वाले

[श्री उपाध्यक्ष---]

परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,90,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33---वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,98,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94---संस्थागत वित्त विभाग---पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को अतिक्रमित करते हुए 2,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 128---सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 128---वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,56,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मण्डल

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,36,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,36 17,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

अनुदान संख्या 44—आवास एवं नगर भूमि विभाग

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,00,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,00,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

अनुदान संख्या 49—सहायता और पुनर्वासन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49—सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49—सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

अनुदान संख्या 88--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--पूंजीगत परिव्यय

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

अनुदान संख्या 114--आवास विभाग ऋण और अग्रिम

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 114--आवास विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,62,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 114--आवास विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,62,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

अनुदान संख्या 116--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--ऋण और अग्रिम

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 116--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अनुदान संख्या 116--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 116--सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या 20--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

राजनैतिक पेंशन राज मन्त्री (श्री हरीकिशन श्रीवास्तव)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,33,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,33,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या 23--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

राजनैतिक पेन्शन मंत्री (श्री हरीकिशन श्रीवास्तव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,42,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,42,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या 36--स्पोर्ट्स विभाग

राजनैतिक पेन्शन मन्त्री (श्री हरिकिशन श्रीवास्तव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36--

[श्री हरिकिशन श्रीवास्तव—]

स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि को पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 86,08,000 रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36—स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 86,08,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या 37—सांस्कृतिक कार्य विभाग

राजनैतिक पेन्शन मन्त्री (श्री हरीकिशन श्रीवास्तव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 66,67,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 66,67,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या 120—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग—ऋण और अग्रिम

राजनैतिक पेन्शन मंत्री (श्री हरीकिशन श्रीवास्तव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 120—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,12,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 120—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,12,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

अनुदान संख्या 31–नागरिक सुरक्षा विभाग

नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री देव राम)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या 31–नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,83,91,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31–नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,83,91,000 रुपये सें अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दि)घे––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष––

कृपया विधेयक की प्रतियां बंटवा दें ।

(उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979 की प्रतियां वितरित की गयीं) ।

श्री मधुकर दिघे––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करता हूं ।

(कुछ रुककर)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––

मान्यवर, इस विधेयक के माध्यम से हम शासन को 2628 करोड़ 89 लाख 44 हजार रुपये खर्च करने का अधिकार देते हैं जिसमें से 21,17,95,58,000 रु0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी--]

विधान सभा द्वारा स्वीकृत है और 510 करोड़ 93 लाख 86 हजार रुपये राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह सबसे बड़ी रकम है जो किसी भी सरकार को खर्च करने के लिये सदन दे रहा है । तो, श्रीमन्, जो पिछला अनुभव है, उसके आधार पर यह आवश्यक है कि कुछ विन्दुओं पर सुझाव दिये जायं ताकि उन पर वित्त मंत्री जी और शासन के विभिन्न मंत्रीगण और मुख्य मंत्री जो समय से विचार कर सकें । श्रीमन्, पिछला अनुभव यही रहा है कि बहुत सी योजनायें बजट द्वारा ऐसी स्वीकृत की गयी हैं, जिनकी योजनायें अभी तक नहीं बनीं । केवल यह तो प्रतीक अनुदान लिया गया है 100 रुपये, 1 रुपया, आमतौर से 100 रुपय या 1,000 रुपये । ये योजनायें विभागों में बननीं बाकी हैं । श्रीमन्, यह देखा गया है कि इन विभागों में इन योजनाओं के बनने में बड़ी देर होती है और योजना विभाग को भी पूरा सहयोग नहीं मिल पाता । नतीजा यह होता है कि विधान मन्डल ने रुपया दे दिया, प्रकार भी होता है कि इतने रुपये की योजनायें बन गयी ह लेकिन वास्तव में ये योजनायें स्वीकृत तक नहीं होती वर्ष के अंत तक । अगले साल फिर उन्हें बजट का हिस्सा बनना होता है । समय चला जाता है, जो धन रखा रहता है वह निर्थक होता है और उसके लिए सरकार का जो खर्च करने का अधिकार है वह निरर्थक हो जाता है । मैं इस ब्योरे में नहीं जाना चाहता । इन योजनाओं की नई मदें लिखी हुई हैं माननीय सदस्यों ने देखी हैं ओर वित्त मंत्री जी को तो उनकी जानकारी है ही क्योंकि बजट उन्होंने बनाया है । तो ऐसी मदों में, जिन पर योजनायें बननी हैं, तत्काल प्रत्येक विभाग ने, हर मंत्री ने, अपने आदेश पहले ही दे दिये होंगे ।

श्रीमन्, हमारे शासन काल में हम ने चेष्टा की, मैं नहीं कहता कि हम से गलती नहीं हुई होगी कि बजट पास होने के दिन से पहले ही बजट मंत्रिमंडल पास कर देता था और आदेश जारी कर देते थे कि इन योजनाओं की आप जानकारी रखें, इन्हें बनाना शुरू कर दें । मैं नहीं जानता कि ऐसे आदेश अभी गये हैं या नहीं । लेकिन योजना के हित में ऐसे आदेश जारी होने चाहिए । यदि जारी नहीं हुये हों तो प्रत्येक मद में बजटवार मंत्री जी देखें अपने-अपने बजट में कि कौन-कौन सी मदें हैं जिन में योजनायें बनानी बाकी हैं । मंत्री खुद देखें तो ज्यादा अच्छा है बजाय कि सेक्रेटरी को लिख कर दिया जाय । छठीं योजना का यह एक प्रकार से पहला वर्ष है इसलिए बहुत सी योजनायें हैं जिनके लिए विस्तार में, गहराई में, जाने की जरूरत पड़ेगी । तो सुझाव यह है माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए कि प्रत्येक मंत्री अपनी योजनाओं की नई मदों की बैठक अगले पन्द्रह दिन में बुलाये ताकि नई मदों को अंतिम रूप दिया जा सके, डिटेल में, ब्योरे में जा सकें, तब वित्त विभाग अपनी स्वीकृत दे सके । मैं जानता हूं कि वित्त विभाग कभी काल्पनिक योजना के आधार पर स्वीकृत नहीं देता है । योजना बनानी पड़ेगी ताकि रुपये का अपव्यय न हो । यह मेरा पहला सुझाव है।

दूसरा सुझाव श्रीमन्, यह है कि मैं प्लानिंग कमीशन में गया, वैसे कल भी चर्चा में कहूंगा लेकिन आज इस समय भी अवसर है इसलिए स्पष्ट कर दूं, मेरे पास प्लानिंग कमीशन का कागज मौजूद है । प्लानिंग कमीशन ने 810 करोड़ रुपये योजना की मंजूरी दी ही नहीं है जिस को बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने इतने जोर से कहा है । मेरे पास प्लानिंग कमीशन का दिया हुआ कागज है। वहीं से कल ही लाया हूं ताकि मैं आज यहां पर बोल सकूं । प्लानिंग कमीशन ने जो योजना 1979-80 के लिए मंजूर की है वह 690 करोड़ की केवल है ।

यह साइक्लोस्टाइल कागज है श्रीमन्। मैं आप को भेज दूंगा। यह योजना कमीशन का कागज वहीं से लाया हूं। तो 690 करोड़ की योजना वहां मंजूर हुई या यहां 810 करोड़ की हो गई। तो अब क्या होगा। श्रीमन्, इसमें विरोधाभास क्या है। विरोधाभास यह है कि केन्द्रीय सहायता 690 करोड़ ही मिलेगी और 690 और 10 और 120 करोड़ रुपया कहां से आयेगा। घाटा दिखा दिया है मंत्री जो ने अपने बजट में करीब 87 करोड़ का जिस में 50 करोड़ के उन्होंने टैक्स लगाये 27 करोड़ के टैक्स नहीं लगाये, आगे लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट इस में शामिल नहीं है जिस का उल्लेख विद्युत् मंत्री ने किया था। होगा क्या। प्लानिंग कमीशन तो 690 करोड़ के आधार पर चलेगा क्योंकि अगर अकेले उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा योजना मंजूर करता है तो फिर दूसरे प्रदेशों का क्या होगा। केन्द्रीय सरकार ने सहायता इन मदों के आधार पर दी है। तो बजट में इतना प्राविधान करना निरर्थक हो जायगा। हमारी 810 करोड़ की योजना है सड़कों के लिए, सिंचाई के लिए, परिवहन के लिए, बिजली के लिए, लेकिन योजना कमीशन से ग्रान्ट इतनी ही मिलेगी। न तो केन्द्रीय सरकार का बजट कुछ और है और यू0 पी0 सरकार का कुछ और है। चौधरी चरण सिंह का बजट कुछ है बनारसी दास जी का कुछ और है। इस में ताल-मेल नहीं है श्रीमन्। कुछ ताल-मेल करने की कोशिश होनी चाहिए।

मेरा निवेदन यह है कि केन्द्रीय बजट में जो खर्च के लिये रुपया लिखा गया है यू0 पी0 के लिये वह कम है, जिस खर्च को हम पेश करने जा रहे हैं उतना हमको नहीं मिलना है। 120 करोड़ रुपये का यह सरकार इन्तजाम करने वाली नहीं है। फिर इतने बजट को खर्च करने का अधिकार देना बेइमानी हो जाता है। लिहाजा केन्द्रीय सरकार से प्रयास करना चाहिये कि जो प्लानिंग कमीशन ने कमी की है उसे वह पूरा कर दे। 810 करोड़ रुपये का जो हमारा ब्रेकअप है यानी बजट तथा प्लान आउटले दोनों में मिलान हो जाय और यह केवल कागज पर ही खर्च न हो, वास्तविक खर्च हो। इसके लिय हम प्रयास करें।

एक बात यह है कि सदन में भूतपूर्व खाद्य मंत्री ने एक बार यह कहा था कि हमारी योजनायें इसलिये नहीं चल पाती क्योंकि सीमेंट तो विकास योजनाओं के लिये जरूरी है। हमने जो योजनायें मंजूर की हैं उनके लिये भी सीमेंट, वैगन्स तथा वैगन्स की मूवमेंट की जरूरत होगी। प्रत्येक विभाग में कितने कच्चे माल की जरूरत है जिसको केन्द्र से प्राप्त करना है वह काम अभी से शुरू होना चाहिये। बजट लक्ष्यों की पूर्ति के लिये सीमेंट की जरूरत है। मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री दिल्ली जाते हैं तो सीमेंट के एलाटमेंट के लिये, वैगन्स के एलामेंट तथा उनके मूवमेंट के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रयास करेंगे, फैक्ट्री वालों से भी बातचीत करेंगे और इसे वित्त मंत्री तथा मुख्य मंत्री को खुद देखना चाहिये केवल अफसरों पर नहीं छोड़ना चाहिये और इसके लिये समय निकालना चाहिये और यह देखना चाहिये कि जो बजट स्वीकृत है, उसे खर्च करना है वर्ना यह होगा कि मार्च के महीने के बाद यह कह दिया जायगा कि हमें सीमेंट नहीं मिला, इसलिये रुपया कैसे खर्च किया जाता।

श्री उपाध्यक्ष—

कल योजना पर भी आपको बोलना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

खर्चे की बात कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आज ही खर्च कर देंगे सब, कल के लिये भी रखें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तो मैं कह रहा था कि खर्च आप नहीं कर पायेंगे और वह केवल कागज पर रह जायगा क्योंकि सीमेंट तथा लोहा आपको नहीं मिल पाया । बहुत सी योजनाओं में रिएप्रोप्रियेशन भी जरूरी हो जाता है । रिएप्रोप्रियेशन के लिये विभाग जनवरी, फरवरी म आते हैं लेकिन उससे काम नहीं हो पाता । इसलिये जिन मदों में रुपया खर्च न हो सका हो और उसको रिएप्रोप्रियेट करना है तो उसको इतने समय से करना चाहिये ताकि रुपये का सदुपयोग हो सके । कहीं सड़कों के लिये ज्यादा रुपये की जरूरत है और सिंचाई में रुपया खच नहीं हो सकता अथवा सड़कों पर खच नहीं हो सकता और सिंचाई के लिये ज्यादा रुपये की जरूरत है तो रिएप्रोप्रियेशन में आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि प्रदेश का विकास हो रहा है । 5वां महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि 7वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि सिंकिंग फंड के लिये रुपया न रखा जाय और वह रुपया राज्य को विकास की योजनाओं में लगाया जाय । इस बजट में 303 करोड़ रुपये रखा गया है जिसमें सिंकिंग फंड भी शामिल है । सरकार को विचार करना चाहिये कि करोड़ों रुपया सिंकिंग फंड में रखने के बजाय उसे योजनाओं में सम्मिलित किया जाय जिसके लिये 7वें वित्त आयोग ने भी सिफारिश कर दी है । जो पहले किसी भी फाइनेन्स कमीशन ने नहीं किया था । न 6ठें फाइनेन्स कमीशन ने किया और न 5वें ने किया । यह पहली बार 7वें फाइनेन्स कमीशन ने किया है कि सिंकिंग फन्ड न रखा जाय । मैं भी पहले सिंकिंग फन्ड का हामी था किन्तु अब वह परिस्थिति नहीं है । इसलिये सरकार इस पर विचार करें । श्रीमन्, इन 5-6 सुझावों के साथ वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि व्यय की दृष्टि से प्रदेश के हित में यह बहुत जरूरी है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

माननीय, विनियोग विधेयक को इस सदन द्वारा मंजूरी दी जा रही है । पिछले वर्षों का अनुभव यह है कि इस माननीय सदन द्वारा जो धनराशि मंजूर की जाती है वह समय के अन्दर खर्च नहीं की जाती है और इस सम्बन्ध में सबसे अजीबोगरीब वर्ष पिछला वर्ष रहा है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष यानी 1978-79 में रिकार्ड बचत हुई है और रुपया सरेंन्डर हुआ है । एक अरब रुपये के करीब बचत हो गयी और वह भी सिंचाई विभाग में । चूंकि यह माननीय सदन धनराशि को मंजूरी देता है खर्च करने के लिये और नहीं खर्च होता है तो मैं समझता हूं कि वह सदन का अपमान है.... (व्यवधान) यह शासन का निकम्मापन है । शासन देखता नहीं है कि इससे माननीय सदन का अपमान होता है क्योंकि इस सदन द्वारा इतनी बड़ी रकम मंजूर की जाती है ।

दूसरा सुझाव यह है कि मूल बजट का रुपया खर्च नहीं होता है और उसके बाद दो-तीन बार सरकार सप्लिमेंटरी बजट पेश करती है और उसके बाद भी आखिरी दिनों में 31 मार्च को करोड़ों की धनराशि सरेन्डर होती है या निजी खाते में जमा किया जाता है । मैं समझता हूं कि प्रथा अब बिल्कुल बन्द हो नी

चाहिए । अगर कहीं वित्तीय नियमों में दिक्कत हो और अवरोध हो तो मैं कहता हूं कि वित्तीय नियमों में संशोधन किया जाय ताकि रुपया खर्च करने में कोई नियम बाधक न हो । मैं कहना चाहता हूं कि 26 अरब रुपये की धनराशि हम दे रहे हैं उसके बारे में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार प्रदेश के स्तर को ऊंचा उठाने में, प्रदेश के विकास में तेजी लाने में सक्षम होगी और 31 मार्च, 1980 के अन्दर ही सारा का सारा रुपया विकास और दूसरे कामों में खर्च हो जायेगा, सही-सही खर्च हो जायेगा । जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, योजनाओं में लाखों करोड़ों का गबन होता है, योजनायें नहीं बनती हैं, इन सब बातों पर विचार होना चाहिए । इन बातों के अतिरिक्त प्रदेश के अन्दर बेकारी, महंगाई, बेरोजगारी, शांति व्यवस्था आदि के लिये भी रुपया रखा गया है इसके सम्बन्ध में आशा है कि सरकार सुव्यवस्था करेगी और उसके लिये सक्षम होगी ।

एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विद्युत मंत्री ने कहा था कि पंखा और बत्ती पर टैक्स नहीं बढ़ायेंगे । अभी विद्युत परिषद् के गजट में मैंने देखा कि 5 और 7 प्रतिशत पंखे और बत्ती पर टैक्स बढ़ा दिया है । दो तरह से आप बिजली का रेट ले रहे हैं । बिरला को 3 पैसे यूनिट और कनौजिया को 7 पैसा । तो यह कैसे किया है ? इस पर विचार करने की आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री इस बजट को साल के आखिरी में सही तरीके से खर्च करें ताकि प्रदेश का अच्छी तरह से विकास हो सके ।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इस बार जो बजट हमारे सामने आया है उसका अन्तिम चरण स्वीकृति के लिए इस समय विधेयक के रूप में पेश है जिस पर हम विचार कर रहे हैं । इस बार आप देखें कि सबसे कम समय हम लोगों को मिला अनुदानों पर बहस के लिए । सबसे ज्यादा गर्मी के समय हमें लखनऊ में रखा गया और सबसे कम विवाद हुआ । आप देख लीजिये कि कितने मंत्रालय हैं, आवास, नागरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्य आदि मंत्रालय जिनके सम्बन्ध में केवल मतदान हुआ, विवाद तक नहीं हुआ । अपने तीन साल के यहाँ के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि यह पहली बार है जब इतनी जल्दी में यह सरकार आई ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस बात को भी कहिये कि इतनी गर्मी और लू में इतने शांतिपूर्ण वातावरण में आपने इसे पास किया (व्यवधान) माननीय सदस्यों की तारीफ कर रहा हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र—

तारीफ की बात नहीं है । तारीफ तो मैं तब करता जब आपकी लाल बत्ती मिनट-मिनट में हम लोगों को परेशान नहीं करती । लेकिन उसमें आपकी विवशता का कारण है तो इस लाल बत्ती ने इन 40, 50 दिन में बहुत परेशान किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको तो लाल बत्ती बहुत कम करते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्यामधर मिश्र—

उसका कारण है कि 24 दिन के 20 दिन हुए और फिर 18 दिन हो गये । तो इस पर पूरी बहस नहीं हुई । जिन विभागों पर बहस नहीं हुई जैसे आवास के सम्बन्ध में हम निश्चित रूप से सुझाव देना चाहते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखित तौर पर भी दिया । मैं समझता हूं कि आवास मंत्री को भी भेज दूंगा । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं एक सेकन्ड का मेरा सुझाव है । आवास मंत्री प्राविडेंट फन्ड की तरह से दो या तीन परसेंट कर्मचारियों से लेकर जैसा महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि ने किया है जब कर्मचारी रिटायर होता है उस समय उसे आवास उसकी हैसियत से दे दिया जाय ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट आज पारित होने जा रहा है और विधान परिषद् में निश्चित समय में पारित अवश्य हो जायेगा । मेरी आशा है कि तत्काल 4 सप्ताह में अधिक से अधिक यह वित्तीय स्वीकृतियां, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं 15 जुलाई से पनले चली जायं । क्योंकि पिछले साल और उससे पहले साल भी स्वीकृतियां पहुंचने में महीनों–महीनों लगा दिये गये ।

इसके अलावा एक अन्तिम बात होगी यह कहने का मौका है माननीय मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री जी से खासतौर पर कि जैसे केन्द्र में श्यामनन्दन मिश्र जी को अध्यक्षता में एक समिति बनाई है विभागों के खर्च में किस प्रकार कमी की जाय । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शान्ति रखें ।

श्री श्यामधर मिश्र—

इससे 10, 15 परसेंट मितव्ययिता हो सकती है वैसा ही आपको भी करना चाहिये और इसी वर्ष से करना चाहिये....

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

यहां श्री श्यामधर जी को बना दें ।

श्री श्यामधर मिश्र—

अगर मुझे बना दिया जायेगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपसे योग्यता पूर्वक करने की कोशिश करूंगा । मैं कहना चाहता हूं कि इसको जरूर किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि विनियोग विधयेक पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और हमारे इन सुझावों पर सरकार तत्परता से विचार करेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, अब तक की बहुत बड़ी धनराशि आज के शासन के हाथ में आ रही है । मैं इस सिलसिले में नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं के बोलने के बाद, मेरे लिए कुछ बोलने का नहीं रह जाता है, लेकिन इतना अनुरोध अवश्य करना चाहूंगा कि वह इस पैसे को प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा

समझें, इस पैसे को प्रदेश की जनता के खून पसीने की कमाई समझें और इस कमाई को वह ठीक उसी प्रकार से इस्तेमाल करें, जिस तरह से कोई आदमी फूंक-फूंक कर अपनी कमाई को इस्तेमाल करता है । बजट पास हो जाने के बाद आमतौर पर यह शिकायत रहती है कि विभिन्न विभागीय अधिकारियों के पास वित्तीय स्वीकृतियां देर म पहुंचती हैं, जिससे समय पर काम योजनाओं पर नहीं शुरू हो पाता है और न वह समय पर पूरी हो पाती है । मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार से ऐसी शिकायत नहीं सुनने को मिलेगी । इसके अलावा इस बड़ी धनराशि का एक बहुत बड़ा भाग कमीशन के रूप में भ्रष्टाचार की बेदी पर चढ़ जाता है, उसे भी वह कारगर तरीके से रोकें ।

(सदन में परस्पर बातें होने के कारण व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण शान्त रहें । मन्त्रियों को उनके कमरे में जा कर घेरें । आप सदन में इधर बैठ कर इस तरह से करते हैं, यह सदन की मर्यादा के विरुद्ध है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा एक ही अनुरोध है कि धनराशि को जनता के खून पसीने की कमाई समझते हुए, भ्रष्टाचार के ऊपर जो चला जाता है, उस बहुत बड़ी राशि को बर्बाद होन से रोकें । यह हो जायगा तो मैं समझूंगा कि शासन ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है ।

*श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, जो नेक सलाह माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने दी है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं । मान्यवर, जैसा अभी आपने निवेदन किया, योजना के सिलसिले में कल बातचीत होगी, लेकिन मैं उनको पुनः याद दिलाना चाहता हूं--पिछली दफा भी जब यह प्रश्न यहां उठा था, तब भी मैंने 810 करोड़ रुपये की उनको पूरी जानकारी दी थी । 690 करोड़ रुपये की जो योजना उनको मिली है, वह अपनी जगह ठीक है । उसमें 35 करोड़ रुपया पर्वतीय विकास का और 85 करोड़ पुरोधानित मद का, जो योजना का अंग है, उसको नहीं जोड़ा गया है । तो आप तो जानकार आदमी हैं, लेकिन दूसरों को धोखा देने के लिए ऐसा बोलते हैं । नेता विरोधी दल ने एक बात यह उठाई, वह भी हमारे ध्यान में है, पिछले बजट में भी हमने उस पर यह कहा है कि लगातार हम यह प्रयत्न कर रहे हैं और यह कर रहें हैं कि जो भी इस सदन द्वारा स्वीकृति मिलती है खर्च करने की, उस पूरे धन को वर्ष के अन्त तक खर्च करने को और ठीक तरह से खर्च करने की जिम्मेदारी हमारी है । जिसमें भ्रष्टाचार न हो, यह सब देखना हमारा व शासन का काम है । इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मन्त्रि परिषद् की जो अनुसरण समिति है वह योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति देखन के सम्बन्ध में हर माह लगातार मिलती है और प्रयत्न करती रहती है ।

मैं नेता विरोधी दल को, बजट यहां पेश होने के बाद जो पत्र मुख्य मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में भेजा है, उसे पढ़ कर उनकी जानकारी के लिए सुनाए देता हूं--"चालू वित्तीय वर्ष 1979-80 का आय-व्ययक विधान मण्डल द्वारा शीघ्र ही पारित कर दिया जायेगा । आय-व्ययक में सम्मिलित नई योजनाओं की स्वीकृति यदि विधान मन्डल से बजट के पारित होने के तुरन्त बाद जारी नहीं हो जाती है तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मधुकर दिघे]—

जाहिर है कि योजनाओं की प्रगति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और फिर वर्ष के अन्त में व्यय की होड़ में अपव्यय होगा । अतः यह आवश्यक है कि जिन योजनाओं का परीक्षण वित्त नियोजन विभाग द्वारा नहीं किया जा सका हो उनका परीक्षण आवश्यक सूचना उपलब्ध करा कर तुरन्त करा लिया जाय और व्यय की सभी स्वीकृतियों के आलेख तयार रखें जायं ताकि बजट पारित होते ही सम्बन्धित स्वीकृतियां जारी हो जायं । इस सम्बन्ध में वित्त विभाग ने निर्देश जारी कर दिये हैं 6 मार्च से इस प्रकार के निर्देश जारी किये । जो आपकी अशंका है, और जो आपका अनुरोध है, चूंकि आप कर चुके हैं, शंका रहती है, यह गड़बड़ी हो सकती है, चूंकि हम विरोध में बैठे हैं, आलोचना हम करते रहे हैं, हम स्वयं इस बात को जानते हैं कि किस तरह से जो माननीय सदन ने स्वीकृति दी है, खर्च करने की, उससे अधिक खर्च करने का अधिकार नहीं है और जो स्वीकृति दी है, पूरा खर्च होना चाहिये वर्ष भर में । इसको देखने के लिये मन्त्रि परिषद् की एक उप समिति अनुसरण समिति । माननीय मुख्य मन्त्री विभिन्न विभागों के मन्त्रियों को अपने पत्र द्वारा प्रेरित करते रहते हैं ।

मैं भी वित्त विभाग का कार्य करता रहता हूं । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आज विनियोग विधेयक पास करने के बाद, बजट की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद जो भी इस प्रदेश के विकास के सिलसिले में काम करने में आने वाली जो दिक्कतें, जो हमारे साथ में नहीं हैं, जैसे सीमेन्ट का जिक्र किया नेता विरोधी दल ने, हमारी तरफ से प्रयत्न हो रहा है, जो हमारी आवश्यकतायें हैं, उसकी पूर्ति करने का काम करें और दूसरे स्थानों से जहां से सामानों की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने का काम करें । माननीय ऊदल जी को पता नहीं कैसे मालूम हुआ कि एक अरब से ज्यादा बचत हुई । वह मुझसे मिलें मैं बताऊंगा । जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है रिएप्रोप्रियेशन के बारे में, जो उन्होंने स्वीकार किया है, और सलाह भी दी है हमको इस काम को करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिये अगर नियोजन में किसी डिपार्टमेन्ट पर खर्च होता है तो दूसरे डिपार्टमेन्ट के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं लेकिन प्लान में उपयोग करने का काम करेंगे और जो सलाह नेता विरोधी दल और अन्य माननीय सदस्यों ने दी है, पूरा विचार करके मैं विश्वास करता हूं कि आपकी अपेक्षा के अनुरूप धीरे-धीरे प्रयत्न करने का वादा करते हुए निवेदन करूंगा कि विनियोग विधेयक को स्वीकृत करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979

31 मार्च, 1980 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधि- नियम बनाया जाता है--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1979 संक्षिप्त शीर्षनाम कहलायेगा ।

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधि- नियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1979) की अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके या, यथास्थिति, अतिक्रमित करके] 26,28,89,44,000 रुपये (केवल छब्बीस अरब, अट्ठाइस करोड़, नवासी लाख, चौवालिस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो । उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1979-80 के लिये 26,28,89,44,000 रु० का दिया जाना विनियोग

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5
		रु०	रु०	रु०
1	राज्य विधान मण्डल ..	1,80,72,000	3,39,000	1,84,11,000
2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय ..	..	14,49,000	14,49,000
3	मन्त्रि-परिषद् ..	66,15,000	..	66,15,000
4	न्याय विभाग ..	8,89,64,000	1,64,47,000	10,54,11,000
5	निर्वाचन विभाग ..	73,15,000	..	73,15,000
6	संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्रीकर)	8,29,65,000	36,000	8,30,01,000
7	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	42,25,97,000	2,60,36,000	44,86,33,000
8	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) .	1,83,42,000	4,000	1,83,46,000
9	स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग ..	28,30,41,000	10,000	28,30,51,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10	आबकारी विभाग	..	1,64,82,000	7,000	1,64,89,000
12	परिवहन विभाग	..	16,98,29,000	5,000	16,98,34,000
13	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर)		34,47,000	..	34,47,000
14	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय)		3,34,69,000	2,000	3,34,71,000
*15	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	..	32,78,99,000	32,78,99,000
*16	ब्याज का भुगतान	..	..	1,49,90,96,000	1,49,90,96,000
17	लोक सेवा आयोग	..	..	57,75,000	57,75,000
18	सचिवालय	..	6,41,87,000	4,000	6,41,91,000
19	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	..	40,95,000	..	40,95,000
20	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	..	3,09,98,000	..	3,09,98,000
21	सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग	..	53,62,000	4,000	53,66,000
22	संस्थगत वित्त विभाग	..	11,14,000	2,000	11,16,000
23	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	.	19,22,000	..	19,22,000
24	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	..	10,61,31,000	10,000	10,61,41,000
25	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	..	2,46,10,000	2,000	2,46,12,000

भारित विनियोग से संबन्धित क्रम संख्या ।

1	2		3	4	5
			रु०	रु०	रु०
26	गृह विभाग (पुलिस)	..	85,00,31,000	6,000	85,00,37,000
27	गृह विभाग (कारागार)	..	7,07,44,000	2,000	7,07,46,000
28	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	..	6,56,94,000	..	6,56,94,000
29	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	..	1,10,25,000	17,000	1,10,42,000
30	सतर्कता विभाग	..	85,83,000	2,000	85,85,000
31	नागरिक सुरक्षा विभाग	..	5,85,41,000	2,000	5,85,43,000
32	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	..	25,08,57,000	37,55,000	25,46,12,000
33	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	..	7,98,10,000	..	7,98,10,000
34	शिक्षा विभाग	..	2,75,50,48,000	8,000	2,75,50,56,000
35	प्राविधिक शिक्षा विभाग	..	8,25,88,000	2,000	8,25,90,000
36	स्पोर्ट्स विभाग	..	1,03,83,000	..	1,03,83,000
37	सांस्कृतिक कार्य विभाग	..	80,96,000	2,000	80,98,000
38	विज्ञान और प्राद्योग विभाग	..	26,20,000	..	26,20,000
39	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	..	61,78,97,000	11,000	61,79,08,000
40	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	..	13,94,21,000	4,000	13,94,25,000
41	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	..	23,05,26,000	5,000	23,05,31,000
43	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	..	1,06,66,000	2,01,000	1,08,67,000

44	आवास एवं नगर भूमि विभाग	..	2,67,88,000	..	2,67,88,000
45	सूचना विभाग	..	1,92,30,000	2,000	1,92,32,000
46	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	..	4,62,76,000	3,000	4,62,79,000
47	श्रम विभाग (सेवायोजन)	..	5,34,47,000	20,000	5,34,67,000
48	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	..	34,01,32,000	3,000	34,01,35,000
49	सहायता और पुनर्वासन विभाग	..	41,07,000	5,000	41,12,000
50	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	..	10,80,01,000	10,80,01,000	21,60,02,000
52	सहकारिता विभाग	..	7,68,51,000	2,000	7,68,53,000
53	विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र	..	98,65,16,000	43,000	98,65,59,000
54	नियोजन विभाग	..	3,74,67,000	..	3,74,67,000
55	कृषि विभाग (कृषि)	..	33,55,79,000	43,000	33,56,22,000
56	कृषि विभाग (औद्योगिक विकास)	..	3,22,00,000	2,59,000	3,24,59,000
57	गन्ना विकास विभाग	..	5,20,93,000	2,000	5,20,95,000
58	ग्राम्य विकास विभाग	..	40,81,92,000	8,000	40,82,00,000
59	पंचायती राज विभाग	..	6,25,90,000	21,000	6,26,11,000
61	क्षेत्रीय विकास विभाग	..	35,94,14,000	..	35,94,14,000
62	खाद्य तथा रसद विभाग	..	5,32,05,000	80,000	5,32,85,000
63	पशुधन विभाग	..	13,93,92,000	5,000	13,93,97,000

1	2		3	4	5
			रु०	रु०	रु०
65	मत्स्य विभाग	..	1,03,80,000	2,000	1,03,82,000
66	वन विभाग	..	11,99,88,000	2,000	11,99,90,000
67	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	..	3,59,86,000	27,000	3,60,13,000
68	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)	..	10,33,55,000	8,55,00,000	18,88,55,000
69	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	..	15,48,32,000	..	15,48,32,000
70	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	..	64,36,000	2,000	64,38,000
71	विद्युत् विभाग	..	23,86,000	2,000	23,88,000
72	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य–राजस्व लेखा)	..	1,03,49,19,000	2,000	1,03,49,21,000
73	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	..	45,86,93,000	10,000	45,87,03,000
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	..	29,25,26,000	10,000	29,25,36,000
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	..	67,98,000	20,000	68,18,000
77	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	..	20,73,24,000	5,000	20,73,29,000
78	सार्वजनिक निर्माण विभाग (सहायक अनुदान)	..	11,11,32,000	..	11,11,32,000
80	पर्यटन विभाग	..	46,37,000	..	46,37,000
82	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	..	13,03,12,000	1,00,000	13,04,12,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

83	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	..	5,50,90,000	3,25,000	5,54,15,000
84	चिकित्सा विभाग--पूंजीगत परिव्यय	..	18,16,000	..	18,16,000
85	स्वायत्त शासन विभाग पूंजीगत परिव्यय	..	3,000	..	3,000
85-क	न्याय विभाग--पूंजीगत परिव्यय	..	4,79,000	..	4,79,000
85-ख	गृह (पुलिस) विभाग--पूंजीगत परिव्यय	..	23,00,000	..	23,00,000
86	गृह (कारागार)--विभाग पूंजीगत परिव्यय	..	42,12,000	..	42,12,000
87	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	..	5,40,30,000	50,000	5,40,80,000
88	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--पूंजीगत परिव्यय	..	8,70,000	50,000	9,20,000
88-क	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग--पूंजीगत परिव्यय	..	60,00,000	..	60,00,000
89	सहकारिता विभाग--पूंजीगत परिव्यय	..	12,32,86,000	..	12,32,86,000
90	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	..	32,77,82,000	2,000	32,77,84,000
91	उद्योग विभाग--पूंजीगत परिव्यय	..	13,78,20,000	30,00,000	14,08,20,000
92	सूचना विभाग--पूंजीगत परिव्यय	..	40,00,000	..	40,00,000
93	पंचायती राज विभाग--पूंजीगत परिव्यय	..	25,000	..	25,000
94	संस्थागत वित्त विभाग--पूंजीगत परिव्यय	..	2,00,000	..	2,00,000
95	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)--पूंजीगत परिव्यय	..	1,75,00,000	..	1,75,00,000

1	2	3	4	5
		रु०	रु०	रु०
96	राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर)	34,62,000	..	34,62,000
97	कृषि विभाग--पूंजीगत परिव्यय ..	35,04,40,000	50,000	35,04,90,000
98	ग्राम्य विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय ..	6,47,56,000	..	6,47,56,000
99	क्षेत्रीय विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय ..	1,00,01,000	..	1,00,01,000
100	नियोजन विभाग--पूंजीगत परिव्यय ..	40,00,000	..	40,00,000
101	खाद्य तथा रसद विभाग--पूंजीगत परिव्यय ..	1,74,48,00,000	..	1,74,48,00,000
102	पशुधन विभाग--पूंजीगत परिव्यय ..	24,29,000	..	24,29,000
103	मत्सय विभाग--पूंजीगत परिव्यय ..	10,00,000	..	10,00,000
104	वन विभाग--पूंजीगत परिव्यय ..	28,98,000	2,000	29,00,000
105	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) ..	2,28,74,05,000	2,000	2,28,74,07,000
106	सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) ..	40,70,71,000	..	40,70,71,000
107	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) ..	58,51,32,000	50,000	58,51,82,000
108	परिवहन विभाग--पूंजीगत परिव्यय ..	12,00,01,000	..	12,00,01,000
110	राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण ..	..	3,03,05,32,000	3,03,05,32,000

अनुपूरक विधान सभा

111	शिक्षा विभाग--ऋण और अग्रिम	..	76,10,000	..	76,10,000
112	प्राविधिक शिक्षा विभाग--ऋण और अग्रिम	..	8,00,000	..	8,00,000
113	स्वायत्त शासन विभाग--ऋण और अग्रिम	..	5,08,11,000	..	5,08,11,000
114	आवास विभाग--ऋण और अग्रिम	..	6,43,16,000	..	6,43,16,000
115	राजस्व विभाग--ऋण और अग्रिम	..	1,49,16,000	..	1,49,16,000
116	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग--ऋण और अग्रिम	..	27,06,000	..	27,06,000
117	उद्योग विभाग--ऋण और अग्रिम	..	9,99,77,000	..	9,99,77,000
118	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र--ऋण और अग्रिम	..	5,46,88,000	..	5,46,88,000
119	वन विभाग--ऋण और अग्रिम	..	36,000	..	36,000
120	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग--ऋण और अग्रिम	..	1,50,000	..	1,50,000
121	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)--ऋण और अग्रिम	..	2,000	..	2,000
122	सहकारिता विभाग--ऋण और अग्रिम	..	87,77,000	..	87,77,000
123	कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम	..	18,01,000	..	18,01,000
124	क्षेत्रीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम	..	8,50,01,000	..	8,50,01,000
125	पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम	..	16,40,000	..	16,40,000
126	विद्युत् विभाग--ऋण और अग्रिम	..	1,77,18,01,000	..	1,77,1,01,000
127	परिवहन विभाग--ऋण और अग्रिम	..	21,09,47,000	..	21,09,47,000
128	वित्त विभाग--ऋण और अग्रिम	..	2,15,,00,000	..	2,15,00,000
	योग	..	21,17,95,58,000	5,10,93,86,000	26,28,89,44,000

भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

[श्री उपाध्यक्ष—]

प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3, अनुसूची खंड 1, प्रस्तावना का शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपका आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रवेश विनियोग विधेयक, 1979 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत पांच सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें मैंने श्री बाबू राम शुक्ल, श्री हुकुम चन्द तिवारी, श्री श्रीनारायण, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की दिनांक 10 जून, 1979 की रात्रि को उन्नाव में श्री राजेन्द्र प्रसाद पान्डे की हत्या से नगर को जनता में आतंक से सम्बन्धित सूचना को स्वीकृत किया । यह वक्तव्य 15 जून को सदन में आ जायगा । श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रवीन्द्र सिंह की सूचनाएं भी इसी विषय में हैं । श्री विद्याशंकर पान्डेय ने जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ में उत्पन्न वैधानिक संकट तथा बैंक के अध्यक्ष द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में सूचना दी है । इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है और जून को वक्तव्य आ जायेगा।

श्री राम बक्श वर्मा का उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कन्ट्रोल के कपड़े की काला बाजारी की घटनाओं के सम्बन्ध में है । इसको मैंने अस्वीकार किया है लेकिन मैं इसको सहकारिता मन्त्री जी के पास भेज दूंगा ।

जिला लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ग्राम छोला में हरिजनों पर हो रहे अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो प्रतियां बांटी जाती हैं उस पर जिस माननीय सदस्य ने सूचना मांगी है उसका नाम छपता नहीं है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य सूची में है । इस पर भी छपना चाहिए । यह संभवतः भूलवश रह गया है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, निर्देश हो जाने चाहिए । माननीय मन्त्री जी ध्यान रखें कि जो वक्तव्य आता है और जिसकी सूचना होती है उसका नाम जरूर छपे ।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10—5—79 को श्री हरभगवान शाह निवासी सलूजा फार्म मजरा छोला, थाना पलिया अपने लड़के नरेन्द्र सलूजा के साथ ट्रैक्टर पर अपने खेत में चक्कर लगा कर जा रहे थे तभी लगभग 4·00 बजे दिन पानी

पीने के लिये नल पर गये। ट्रैक्टर पर उनका लड़का बठा रहा। जैसे ही श्री हरभगवान शाह नल से पानी पी कर चले, वैसे ही बेचू हरिजन पुत्र बिदेशी, बिदेशी पुत्र सुखारी हरिजन व गौतम उर्फ पुष्पशंकर उर्फ पुत्तन व डाक्टर शमशुल हुदा एक दम से आ गये और हर भगवान शाह का घेर लिया। बेचू और गौतम के पास कट्टे, लमंचा व बिदेशी तथा डाक्टर शमशुल हुदा के पास डंडे थे। बेंचू व गौतम ने श्री हरभगवान शाह पर फायर किये जिससे घायल हो कर वह वहीं गिर कर मर गये। मृतक के लड़के नरेन्द्र सलूजा की लिखित सूचना पर थाना पलिया में मुकदमा अपराध संख्या 141 धारा 302 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बिदेशी, बेंचू, डाक्टर शमशुल हुदा व गौतम उर्फ पुष्प शंकर उर्फ पुत्तन नामजद हुए। इनमें से अभियुक्त बिदेशी दिनांक 19-5-1979 को थाना पलिया पुलिस द्वारा बन्दी बनाया गया। शेष तीनों अभियुक्त बेंचू, डाक्टर शमशुल हुदा व गौतम घटना के बाद से फरार हुए और संभवतः नेपाल में हैं। इन तीनों फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 जा० फौ० की कार्यवाही दिनांक 28-5-1979 को की गई जिसमें उनके सामान की कुर्की की गई। अभियोग की विवेचना के उपरान्त चारों अभियुक्तों का चालान न्यायालय दिनांक 2-6-1979 को किया गया।

उपरोक्त घटना से पहले फार्म पर भूमिहीन हरिजनों और श्री हर भगवान शाह के बीच फार्म से निकली हुई 70-80 एकड़ भूमि के आवंटन के विषय में तनाव चल रहा था जिसके कारण शान्ति व्यवस्था बनाये रहने हेतु पुलिस द्वारा दोनों पार्टियों के विरुद्ध धारा 107/116 जा० फौ० की कार्यवाही भी दिनांक 19-11-78 को की गई थी, जो विचाराधीन न्यायालय है। इसके अतिरिक्त श्री हरभगवान शाह, बेंचू आदि 18 व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 16-1-1979 को अपने फार्म से गन्ना काट कर चुरा ले जाने के सम्बन्ध में एक मुकदमा अपराध संख्या 19 धारा 379 भा० दं० वि० पंजीकृत कराया जिसकी विवेचना के उपरान्त चालान अदालत दिनांक 16-2-1979 को किया गया। दिनांक 31-3-1979 को पुलिस द्वारा डाक्टर शमशुल हुदा तथा एक अन्य व्यक्ति को 6 हथ गोले नाजायज तौर पर ले जाते हुए बन्दी बनाया गया था। उनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 95 धारा 6 इक्सप्लोसिस ऐक्ट कायम किया गया था जो विवेचनाधीन है। डाक्टर शमशुल हुदा भी इस हत्या का नामजद अभियुक्त है।

श्री हरभगवान शाह के फार्म से निकली 70-80 एकड़ सीलिंग की जमीन के आवंटन की बात को लेकर सलूजा फार्म पर बसे 40-50 हरिजन परिवार तथा श्री हरिभगवान शाह के बीच मनमुटाव चला आ रहा था। इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए डा० शमसुलहुदा, पुत्तन तथा अन्य इन हरिजनों को श्री शाह के विरुद्ध भड़काने लगे जिसके फलस्वरूप उक्त हत्या की घटना घटी।

उपरोक्त हत्या की घटना के पहले पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु हर संभव प्रयास किया गया। घटना के तुरन्त बाद भी शांति व्यवस्था बनाय रखने एवं घटना की किसी प्रतिक्रिया को रोकन के लिए समुचित प्रबन्ध किये गय। यह सही नहीं है कि हत्या की घटना के बाद हरिजन परिवारों पर अत्याचार किए गए और हरिजन मजदूरों तथा छोटे बच्चों की पिटाई की गई। यह भी सही नहीं है कि हरिजनों के जानवरों को पुलिस की मदद से हांक ले जाया गया है और उन्हें बेंचा गया। पुलिस द्वारा केवल हत्या के अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई है जिसमे उनका समान कुर्क किया गया है। हरिजनों की सयानी लड़कियों के साथ खुलेआम जबरिया बलात्कार किये जाने की कोई घटना जानकारी में नहीं आयी है। श्री हरभगवान शाह की हत्या के बाद

[श्री ऊदल—]

पूरे पलिया क्षत्र में धारा 144 जा0 फौ0 लागू कर दी गई थी जिसके उल्लंघन में 10 हरिजनों को गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त हरिजनों की औरत स्वयं अपने करीब के रिश्तेदारों के यहां चली गईं, क्योंकि उस समय उनके घर के पुरुष धारा 144 के उल्लंघन में जेल में थे ।

इस बीच थाना पलिया में श्री किशन देव हरिजन द्वारा दिनांक 24-5-79 को एक रिपोट लिखाई गई जिसमें तीन अज्ञात सरदारों द्वारा बन्दूक सहित आकर हरिजन औरतों को डरान धमकान और एक बकरा ले जान की शिकायत थी । इस पर मुकदमा अपराध संख्या 145 धारा 392 भा० दं० वि० अंकित किया गया जिसकी विवचना की जा रही है । प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि श्री हरभगवान शाह का कई हरिजन मजदूरों की हत्या में हाथ रहा है ।

हत्या के स्थान पर मृतक के पुत्रों द्वारा गुरुद्वारा बनाने का इरादा है । जिला प्रशासन द्वारा उन्ह एसा करने से मना कर दिया गया है ।

यह सही नहीं है कि हत्या की आड़ में पुलिस हरिजनों पर व्यापक रूप से टूट पड़ी । पुलिस द्वारा केवल हत्या के अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है । स्थानीय पुलिस तथा उच्च अधिकारी उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा हरिजनों पर किसी प्रकार का अत्याचार रोकने हेतु सतर्क हैं । वहां पुलिस तथा पी० ए० सी० तैनात की गई है तथा स्थिति पर दृष्टि रखी जा रही है ।

(एक सदस्य द्वारा चेयर की तरफ पीठ करके खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

कौन माननीय सदस्य इधर पीठ करके खड़े हैं ।

(माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ गये ।)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

श्री हर भगवान शाह जो बहुत बड़ा भू-स्वामी है। इनके नाम से 400 एकड़ जमीन इनके पास है और वह जमीन तमाम अलग-अलग लोगों के नाम से है । इस बात को माननीय मंत्री जी ने स्वयं माना है कि हरिजनों और इस भू-स्वामी के बीच म तनाव चला आ रहा है और उस तनाव के कारण मुकदमा भी बना, 107/116 की कार्यवाही की गयी, तो एक जमीन विवादास्पद थी, इसी के कारण तनाव था और तनाव के कारण कायवाही हुई । लेकिन दूसरी तरफ मान्यवर, हम यह देखते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछें । आप भाषण कर रहे हैं ।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

श्री हर भगवान शाह की तरफ से गन्ने की चोरों की रिपोर्ट लिखाई जाती है । गन्ना काटा गया हो या न काटा गया हो, हरिजन पकड़ कर बन्द किय जाते हैं ।

श्री राज ब्रज राज सिंह (जिला खीरी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये । माननीय राम आसरे वर्मा, आप प्रश्न के रूप में पूछें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने यह नहीं माना है कि हरिजन परिवारों पर अत्याचार किया गया और हरिजन बच्चों और हरिजन मजदूरों की पिटाई की गयी। मान्यवर, मंत्री जी न कहा कि यह भी सही नहीं है कि हरिजनों के जानवरों को पुलिस की मदद से हांक ले जाया गया है और उन्हें बेंचा गया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को माना है कि 24-5-79 को यह रिपोर्ट लिखाई गयी।

श्री रमा शंकर कौशिक--

ये क्या कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप व्याख्यान दे रहे हैं। आप प्रश्न करिये सीधे।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जो सूचना मेरी थी, उस सूचना में पुलिस के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया था कि पुलिस ने हरिजनों को सताया है पुलिस ने ज्यादती की है। और उसी पुलिस से रिपोर्ट मंगा कर आपके वक्तव्य में रख दिया गया। माननीय मंत्री जी को इस घटना की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करानी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इस तरह से पूछें कि क्या यह आरोप सही है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आरोप तो सही है ही।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सीधे प्रश्न न पूछ सकते हों, तो आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न सीधा सादा यह है कि पुलिस की रिपोर्ट जो माननीय मंत्री जी को मिली है, वह सत्य से परे है। क्या इस घटना की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा करा कर, उस सही रिपोर्ट की प्रति माननीय मंत्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जो जानकारी मेरे पास प्राप्त हुई है, उसको पूरी तरह से जांच करा कर ही सदन की मेज पर रखी गयी है। जो घटनाक्रम है उसी का हवाला इसमें दिया है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि इसकी जांच दूसरे अधिकारी को भेज कर कराई जाय।

श्री राम चरन शाह (जिला खीरी)--

जो चार अभियुक्त बताये गये हैं, जिनका चालान किया गया है, वह किस राजनैतिक पार्टी से सम्बन्धित हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक--

किसी राजनैतिक पार्टी के होने का कोई संकेत नहीं है लेकिन यह जरूर है कि कुछ ऐसे तत्वों के साथ इन लोगों की साठ गांठ है जो हिंसा और तोड़-फोड़ में विश्वास करते हैं।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मंत्री जी के पास कौन सी एजेंसी है जिसने यह सूचना दी है कि इन लोगों का सम्बन्ध तोड़-फोड़ और हिंसा में विश्वास रखने वाले लोगों से है और यह घटना जहां हुई है इस समय वहां पर जन-जीवन की हिफाजत के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जिला प्रशासन हमारी एजेंसी है । उसी के जरिये से सूचना मिलती है और जहां तक शान्ति व्यवस्था की बात है, पी० ए० सी० तैनात है और दूसरे अधिकारियों को भी गश्त करने के आदेश दिये गये हैं ।

श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

श्री हर भगवान शाह का जो कत्ल हुआ है उसमें नक्सलाइट का हाथ है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

यह तो पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे लोगों के साथ उनका सम्पर्क है जो हिंसा में विश्वास रखते हैं ।

श्री देव कुमार—

मैं इस बात को बहुत गम्भीर समझता हूं बेलछी और शेरपुर में इस तरह की घटना हुई । शासन द्वारा, जब कोई गरीब विद्रोह करता है न्याय न मिलने पर, उसे नक्सलाइट से जोड़ दिया जाता है, यह प्रवृत्ति शासन की बहुत गम्भीर है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि पैरा 5 में 24-5-79 को जो लिखा है कि हरिजन महिलाओं ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है और वह किस धारा के अन्तर्गत दूसरे दफा 144 लगा दी गई है, तो किस तारीख को लगाई गई और कब तक जारी रहगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

सान्यवर, जहां तक माननीय विधायक के प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर का सवाल है निश्चित रूप से शासन किसी की हत्या किये जाने पर उस मामले को गम्भीरता से लेता है । किसी भी तरीके से उसका बचाव नहीं हो सकता कि किन कारणों से हत्या की इसलिए अक्षम्य है और इन कारणों के चलते हत्या की इसलिए क्षम्य है । शासन यह स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि हत्या जैसे मामले को गम्भीरता से लिया जायगा । रिपोर्ट जो लिखी गयी उसको 24-5-79 को 392 के अन्तर्गत लिखी गयी । उसकी विवेचना हो रही है । विवेचना के बाद जो तथ्य सामने आयेंगे, उन्हीं के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राज ब्रजराज सिंह--

माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस कत्ल का सबसे मुख्य अभियुक्त डाक्टर शमशुल हुदा कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित हैं । 31-3-79 को उसके यहां 6 हथगोले बरामद हुए । शासन को जानकारी है कि उनके यहां कुछ कट्टे और तमन्चे पकड़े गये तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और क्या-क्या पकड़ा गया ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मैंने निवेदन किया कि कार्यवाही की गयी । वह गिरफ्तार हुआ था । न्यायालय में यह मुकदमा विचाराधीन है । जहां तक शमशुल हुदा के कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध होने का प्रश्न है । मैं नहीं कहता कि कम्युनिस्ट पार्टी हिन्सात्मक है या नहीं । परन्तु यह सही है शमशुल हुदा हिन्सात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और हिन्सा में विश्वास रखता है ।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

ऐसा मालूम होता है और सही भी मालूम पड़ता है कि यह जघन्य अपराध इसलिए हुआ कि इस हरिजन को जो आवंटित जमीन थी उसका कब्जा नहीं दिया और उसकी जमीन पर अनधिकृत कब्जे के कारण ही यह जघन्य अपराध घटा । माननीय मंत्री जी क्या इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि भविष्य में इस तरह के कोई अपराध न हों । उत्तर प्रदेश में हरिजनों को आवंटित भूमि के कब्जे ठीक तरह से दे दिये जायं ताकि ऐसी घटना दुबारा न हो सके ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहां तक इस बात का सवाल है वहां सब लोगों को जमीन आवंटित हो जाये । इस जमीन की जो स्थिति है इस क्षेत्र की वह हर जगह आवंटित है । बहुत से तराई इलाके के और पूर्वी इलाके के हरिजन भाई वहां बसे हुय हैं, वहां काम करते हैं । सीलिंग की जो जमीन है वह तो आवंटित हो रही है । आवंटन हेतु जमीन की मात्रा बहुत कम है और हरिजन ग्रामीणों की तादाद बहुत ज्यादा है । इसलिए विवाद हो रहा है कि किसको मिले या न मिले । जमीन हरिजनों के बीच ही बांटी जाय ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

जो वक्तव्य दिया उसके पैरा 8 में मंत्री जी ने बताया कि मृतक के पुत्रों ने उस स्थान पर गुरूद्वारा बनाने की कोशिश की । जिला प्रशासन द्वारा उन्हें ऐसा करने से मना किया गया । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौन से कारण थे जिनके कारण शासन ने गुरूद्वारा बनाने के लिए मना किया ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

इसका विरोध बहुत बड़ी संख्या ने किया है । उससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गयी थी । सुधार की कोई आशा नहीं दिखाई पड़ती थी । ऐसी स्थिति में शासन को अनुमति दे पाना मुश्किल हुआ ।

श्री जय राम (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, अधिकांशतः पूर्वी जिलों में जब-जब गरीबों के ऊपर अत्याचार हुआ है और बड़ी जाति के लोगों ने किया है तो कभी भी उनको नक्सलाइट नहीं कहा गया है । जब गरीबों की तरफ से इस तरह की घटना घटी तो बराबर यह कहा गया कि वह नक्सलाइट तत्व हैं और तोड़-फोड़ करने वाले लोगों से सम्बन्धित हैं । मैं जानना चाहूंगा कि क्या पुनः इसकी जांच करवायेंग कि क्या अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए, नाकामयाबी को छिपाने के लिए पुलिस के लोगों ने यह कहानी गढ़ी है और उस अधिकारी को दण्डित कराने के लिए सदन के सामन आश्वासन देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता है ।

एक सदस्य—

माननीय सदस्य का कहना है कि गलत रिपोर्ट दी है । आपने कहा कि इससे उठता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने एक आम बात की, दूसरा प्रश्न करें तो मैं इजाजत दे दूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि हरिजन अपराधियों की कुर्की की गयी गिरफ्तारी के लिए । जबकि सूचना है कि वहां हरिजन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और काफी लोगों को पीटा गया तो क्या मंत्री जी इस घटना की जांच हरिजन सेल से करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, जांच हरिजन सेल द्वारा कराई जा सकती है ।

श्री गुलाब सेहरा--

स्पष्ट आश्वासन दे दीजिए ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मैंने कहा है कि करायी जा सकती है ।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मंत्री जी ने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि 70-80 एकड़ भूमि आबंटन के लिए निकली हुयी थी । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जमीन हरिजनों में वितरित करा दी गयी और कब्जा दिला दिया गया है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, अभी यह सीलिंग से निकली है । जो भी प्रक्रिया होती है उसमें कुछ विवाद हैं, कितने लोगों को आबंटन होना है, जिससे जमीन निकली है वह भी विवाद कर सकता है तो अभी वितरण नहीं हुआ है ।

श्री राम चरन शाह--

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानकर, मंत्री जी जो यह जमीन निकली है यह जमीन बहुत दिनों से निकली हुयी है । अगर यह प्रक्रिया पहले कर दी जाती तो जो घटना हुयी है वह न होती । तो इस प्रक्रिया में जिस अधिकारी की वजह से देर हुयी उसको दण्डित किया जायगा ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, इसमें जल्दी करा लेंगे ।

श्री मोती राम--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जमीन हरिजनों को आवंटित की गयी या नहीं । क्या इस घटना के पहले वहां के हरिजनों ने इसके लिए प्रार्थना-पत्र दिया था कि हमें जमीन पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, अभी आवंटन नहीं हुआ है । ऐसे कोई पत्र शासन के पास नहीं जिनमें यह शिकायत की गयी हो । जो प्रक्रिया है, वह हो रही है । जैसा मैंने निवेदन किया कि आवंटन के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया है उसमें जल्दी करा लिया जायगा ।

श्री देव कुमार--

मैं बहुत आग्रह पूर्वक, मान्यवर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मैंने दो सवाल किये थे। एक सवाल यह है कि 24/5 को जो मुकदमा हरिजनों की तरफ से कायम किया गया था। उसमें अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ ह कि नहीं। मंत्री जी चीजों को टालने में माहिर हैं और उसको टाल दिया। दूसरा सवाल यह था कि दफा 44 कब लगाई गयी थी, कब तक जारी थी और अब जारी है कि नहीं। हरिजनों ने 24 मई को रिपोर्ट लिखाई लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ ह। इसलिए जो वहां तनाव की स्थिति है उस पर गम्भीरता से विचार न करना और कोई कार्यवाही न करना यह जाहिर करता है कि उनको किस तरह से उपेक्षित किया जा रहा है। इसलिए इस पर मैं चाहता हूं कि गम्भीरता से विचार करें और गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, यह मंत्री जी बता दें ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है और फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि मामला अपराध संख्या 392 के तहत पंजीकृत हुआ और विवेचना हो रही है। रिपोर्ट में किसी को नामांकित नहीं किया है बल्कि यह कहा है कि तीन सरदारों ने यह किया है। इसलिए विवेचना हो रही है और जब वह हो जायेगी तो प्रकाश में जो व्यक्ति आयेंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जायगा।

श्री राज ब्रजराज सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि तीन मुल्जिम फरार हो गय हैं, तो उनको पकड़ने के लिए क्या यह सरकार भारत सरकार से कोई प्रयास कर रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, भारत सरकार की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा जो पुलिस विभाग ह वह इस मामले में सक्रिय है। यह आशंका है कि वह नेपाल भाग गय होंग क्योंकि नेपाल की सीमा पर आने-जान पर कोई परिपत्र की आंवश्यकता नहीं पड़ती ह, इसलिए अपराधी प्रवृत्ति के लोग वहां चले जाते हैं लेकिन हमारी पुलिस सक्रिय है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जमीन का झगड़ा था। गुरुद्वारा हरिजनों की जमीन पर बनवाया जाने वाला था, प्रशासन ने रोक दिया, तो यह अच्छी बात ह। लेकिन मेरी जानकारी को सही मानते हुए क्या मुख्य मंत्री जी जांच करायेंगे कि वहां पर जब हरिजनों के अपने अधिकारों की बात किया तो उन्हें नक्सलपंथी करार दे दिया गया ?

(व्यवधान)

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस माननीय सदन में विधान परिषद् के कोई सदस्य आकर

[श्री हरि केवल प्रसाद]

बैठ सकते हैं और हिस्सा ले सकते हैं ? अगर मंत्रि-परिषद् के सदस्य नहीं हैं तो लाबी में आकर यहां विधान परिषद् के कोई सदस्य बैठ सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

लाबी में तो बैठ सकते हैं। यह अनुमति प्रदान कर दी गई है। अगर सदन में बैठे हों तो आप बताइये।

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरा प्रश्न यह है कि क्या मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि लखीमपुर जिले के छला ग्राम पर हुए झगड़े को नक्सलपंथी करार देने के लिए जिले के आर० एस० एस० के लोगों ने जिला प्रशासन पर दबाव डाला ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

सवाल नक्सलपंथी कार्यवाहियों का नहीं है। प्रमाण हैं कि एक व्यक्ति हथगोलों के साथ गिरफ्तार होता है, एक व्यक्ति की हत्या की जाती है, तो इन सारे मामलों को तो हिंसा कहा ही जायगा। कितनी ही न्यायोचित मांग रही हो, हिंसा किसी प्रकार से शासन बर्दाश्त नहीं करेगा और हिंसा के खिलाफ जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, की जायगी। यहां किसी के दबाव का सवाल नहीं है। एक हत्या हुई है, जो लोग नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी की कार्यवाहियां हुई हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

हत्या हुई, यह जघन्य अपराध है। जो हत्या करता है उसकी प्रवृत्ति तो अपराधी होती ही है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो विवाद का प्रश्न है। अब मैं यह प्रश्न समाप्त करता हूं।

कानपुर नगर महापालिका द्वारा हाता प्रकाश योजना के अन्तर्गत बिजली के खम्भे एवं बत्ती लगाने में घपलेबाजी की शिकायत के सम्बन्ध में दिनांक 31 मई, 1979 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

माननीय, कानपुर नगर में कानपुर नगर महापालिका द्वारा हाता प्रकाश योजना चलाई गई। एक प्रश्न किया गया था जिसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि 4163 ट्यूबलाइट लगाई गयीं। यह ट्यूबलाइट लकड़ी के खम्भों पर लगाई गई थी जिसमें से 2022 ट्यूबलाइट लकड़ी की बल्लियों पर लगाई गई थीं, शेष 2141 उपलब्ध स्थानों पर, दीवारों या अन्य जगहों पर लगायी गयी। इस योजना में 19,82,920 रूपया खर्च किया बताया गया। शासन ने जो ब्योरा दिया है, उसके हिसाब से एक ट्यूबलाइट का खर्चा 330 रु०, एक बल्ली की कीमत 90 रु० और तार वगैरह का खर्च 56 रु० यानि एक ट्यूबलाइट पर कुल 476 रु० खर्च हुआ। जैसा कि उत्तर में आया है कि 2141 स्थानों पर बल्ली भी नहीं लगायी गई। इन स्थानों पर कम से कम 90 रु० प्रति स्थान बल्ली का बचता

है । लगभग 20 लाख का खर्च दिखाया गया और जो रेट दिया गया है, हम, आप और सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि एक साधारण ट्यूबलाइट, जिसमें एक पट्ठी नीचे होती है, एक स्टार्टर होता है, एक चोक होता है और एक ट्यूबलाइट होती है, सौ-सवा सौ रुपये में अच्छी से अच्छी मिलती है । मेरी निजी जानकारी है कि कानपुर नगर में लकड़ी की बल्ली 25-30 रुपया प्रति बल्ली के हिसाब से उपलब्ध है । तार पर भी 56 रु० की कीमत नहीं आ सकती । कुल मिलाकर डेढ़ सौ-पौने दो सौ रुपये से ज्यादा खर्च नहीं आना चाहिए । इस हिसाब से 300 रु० प्रति ट्यूबलाइट के हिसाब से घोटाला हुआ । इस प्रश्न में सप्लीमेंटरी करने का मौका नहीं मिला तो नियम 49 में आपकी आज्ञा से आया । 4163 स्थानों पर 20 लाख रु० खर्च हुआ और एक बत्ती का औसतन खर्चा इन्होंने 476 रु० बताया । इस तरह से देखते हैं कि यह कसे सम्भव है । हम कहीं विदेश से नहीं आय । माननीय सदस्य कहीं विदेश से नहीं आये । एक ट्यूब लाइट का खर्च 340 रु० शासन मे रखा जाय, यह कैसे ? मेरी निजी जानकारी है और कानपुर के जनता से और कार्यकर्त्ताओं से और नगर महापालिका के कर्मचारियों से पता लगाने पर मालूम हुआ कि इससें कई अधिकारियों ने मिलजुल कर षडयंत्र किया है और इस तरह से इसमें लगभग करीब 10 लाख रुपया शासन का, इस धन का, दुरुपयोग हुआ है । तो मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि इस भ्रष्टाचार के मामले को देखें और एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये, इस प्रदेश म सरकारी आदमी या कोई आदमी भ्रष्टाचार न कर सके, एक मिसाल कायम करने के लिये, सदन की एक समिति नियुक्त करें अथवा सतर्कता आयोग से जांच करायें और उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रख । अगर ऐसे मामलों को पनपने दिया गया और रोक नहीं लगायी गयी, तो भ्रष्टाचार का जों भयंकर दानव बढ़ता जा रहा है, उसको नहीं रोका जा सकता है ।

(परिवहन मंत्री) श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, जिस विषय की ओर माननीय मोतीराम जी ने ध्यान आकर्षित किया है और प्रश्न के उत्तर के बाद नियम 49 के अन्दर नोटिस दी थी, और आज भी उस पर चर्चा किया है तो उस सम्बन्ध में, मान्यवर, निवेदन करना है कि नगर महापालिका ने अपन यहां टेंडर मांगे थे और टेंडर के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के बिजली के शिड्यूल 1978 का जो नियम ह, उसके पृष्ठ 114, आइटम संख्या 470, कैटेगरी सी, में जो कुछ भी प्रस्तावित था, उसी हिसाब से टेंडर मांगे गये थे और टेंडर मांगने के बाद काम कराया गया था । माननीय विधायक ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि जो इसमें एवरेज निकाल कर प्रति ट्यूब लाइट 340 रुपये, प्रति बल्ली 90 रुपये और दो बल्लिओं के बीच में जो दोनों तार लगते हैं, उसमें 56 रुपये और सब मिलाकर 476 रुपये खचं किया गया है, यह बहुत अधिक ह और उन्होंने आरोपित किया है कि इसमें घोटाला हुआ है । तो, मान्यवर, जैसाकि मैंन शुरू में निवेदन किया है, नियमतः इसमें टेंडर मांगे गये थे और टेंडर मांगने के सम्बन्ध में जो नियम थे, साथ ही साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग के यहाँ जो नियम उपलब्ध हैं, उनके अन्दर ही टेंडर मांग करके काम कराया गया था । प्रागदर्शन में जो सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार इसमें कोई घोटाले की बात नहीं है और नियमतः सब काम कराया गया है और सतर्कता विभाग से और इस सदन की कमेटी बनाने की आवश्यकता प्रागदर्शन में प्रतीत नहीं होती ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पी० डब्लू० डी० ने जो शिड्यूल बनाया है, क्या नगरपालिका ने उसकी जांच की कि वह अधिक का बना हुआ है या कम का बना हुआ है ? अगर जाँच की गयी तो उस शिड्यूल में किस-किस चीज पर कौन-कौन सा रेट अंकित किया गया और उस पर टेंडर देते समय जो टेंडर आये हैं, उसका कलकुलेशन किस प्रकार किया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है और जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया था, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग की बिजली की शिड्यूल, 1978 के पृष्ठ 114, आइटम संख्या 470, कैटेगरी 'सी' के अनुसार जो ट्यूब लाइट लगाने की दर 390 रुपया है, प्रति प्वाइन्ट की सप्लाई और उसम फ्यूज करने की कीमत उसी में सम्मिलित है और पूर्व में जो योजना का कार्य कराया गया था, उसमें 340 रुपया प्रति प्वाइन्ट की सप्लाई की दर से पेमेंट किया गया था। कल्पनाथ सिंह जी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि नगर महापालिका ने जाँच कराया कि नहीं और सार्वजनिक निर्माण विभाग की शिड्यूल ठीक नहीं थी । मान्यवर, मैं तो यह समझता हूं कि नगरपालिका ने उसे एडाप्ट किया । जिस रूल के अन्तर्गत पी० डब्लू० डी० के टेन्डर होते थे नगरपालिका ने उसे एडाप्ट कर लिया । इसकी सारी जानकारी अवश्य की होगी ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेगें कि पी० डब्लू० डी० का जो शिड्यूल बना है उसके खिलाफ नगरपालिका कानपुर ने टन्डर नोटिस निकाला उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैंने यह निवेदन किया था कि बिजली की फिटिंग के सम्बन्ध में जो पी० डब्लू० डी० का शैड्यूल है उसी को नगर महापालिका कानपुर में एडप्ट कर लिया था ।

श्री मोती राम--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि शैड्यूल में ट्यूब लाइट के अलग-अलग मानक हैं जैसे खाली बत्ती है या कवर के साथ है जैसे सड़कों पर किया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप साफ कर दीजिए ।

श्री मोती राम--

क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेगें कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगें ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

माननीय विधायक ने शुरू में इस बात पर जोर डाला था कि इस विषय की जच सतर्कता विभाग से, इस सदन की सम्मति से, जांच करा ली जाय, इसको मैं स्वीकार कर चुका था। मैं समझता हूं कि कैसे आपकी राय में जांच करायी जाय ।

श्री मोती राम--

मैं चाहता हूं कि सतर्कता विभाग या किसी आयुक्त के रैंक के किसी आदमी से जांच करायी जाय या मंत्री जी स्वयं जांच करें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इस मामले में जो प्रश्न और उत्तर हुये हैं जिन के द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है उनके सम्बन्ध में आयुक्त, इलाहाबाद डिवीजन से जांच करा ली जायगी ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पण कर विधेयक, 1979†

*वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पण कर विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इस विधेयक में कुछ बहुत आवश्यक संशोधन लाये गये हैं । कुछ तो जो नियमों में व्यवस्था की थी उसकी व्यवस्था की जा रही है विधेयक में और कुछ और आवश्यक बातों का समावेश किया गया है जैसे धारा 3(6) में होटलों में कैबरे आदि पर कर लगाने के लिए प्राविधान किया जा रहा है । अन्तर्वर्ती सिनेमा पर एक मुश्त कर के सम्बन्ध में व्यवस्था की जा रही है, बिना पूर्व सूचना दिये आमोद के आयोजन पर रोक, अधिक जमा किये कर की धनराशि का प्राविधान इसमें है । प्रतिभूति सम्बन्धी प्राविधान को अधिक प्रभावी बनाने के लिये अधिनियम में व्यवस्था की जा रही है जबकि इस समय केवल नियमावली में है । कर मुक्ति को वापस लेने का अधिकार धारा 3 में दिया जा रहा है । कर मुक्त किये जाने पर मनोरंजन कर से सम्बन्धित लेखे प्रस्तुत करने तथा ऐसा न करने अथवा लेखों से जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि न होने पर कर मुक्ति निरस्त करके कर वसूली करने का प्राविधान किया जा रहा है । कर निर्धारण का अधिकार जो वर्तमान में नहीं है जिससे करावंचन पाये जाने पर भी प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाती है उसकी व्यवस्था की जा रही है । सिनेमा टिकटों की चोर बाजारी प्रभावी ढंग से रोकने के लिये देखने वाले के साथ-साथ टिकट क्रय करने वाले को भी दंडित करने का प्राविधान इसमें किया जा रहा है । आमोदों के निरीक्षण का स्पष्ट प्राविधान किया जा रहा है धारा 14 में । लाइसेंस समाप्त करने, निलम्बित करने का अधिकार न्यायालय द्वारा कंविक्शन होने पर है उसे प्रभावी बनाने के लिये जिला मजिस्ट्रेट/मनोरंजन कर आयुक्त को यह अधिकार नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में संतुष्ट होने पर दिया जा रहा है । बुकमेकर इस समय रेस क्लब से लाइसेंस लेता है । अतः उस पर समुचित नियंत्रण नहीं है । अब जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त करने का प्राविधान किया जा रहा है । पणकर जमा करने का दायित्व सीधे बुकमेकर पर डाला जा रहा है । बुकमेकर का लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार आयुक्त को दिया जा रहा है । घुड़दौड़ रद्द होने पर कर की वापसी

†दिनांक 7 जून, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मधुकर दिघे]

का प्राविधान किया जा रहा है । डुप्लीकेट टिकटों को रखने अथवा प्रयोग को दंडनीय बनाया जा रहा है । अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिये दंड को कड़ा किया जा रहा है । टिकटों की चोर बाजारी, डुप्लीकेट टिकटों के प्रयोग एवं अधिकारियों को निरीक्षण में बाधा पहुंचाने सम्बन्धी अपराधों को काग्निजेबिल बनाया जा रहा है न्यायालय के बाहर वादों को समझौता कर के समाप्त करने का प्राविधान किया जा रहा है ।

मान्यवर, इस तरह से यह जो विधेयक है इसमें मुख्यतः वे चीजें हैं जो आमतौर पर अनुभव के आधार पर रखी जा रही हैं । इसमें भ्रष्टाचार था, बेईमानी थी या लोगों को परेशानी होती थी या अधिकारियों को अपना काम करने में असुविधा होती थी उस सब को ध्यान में रखते हुए सारे प्राविधान किये गये हैं । मैं समझता हूं कि इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिये । यह बिना बहस के ही जनहित को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाना चाहिये ।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

इसमें जो हितकर प्राविधान रखे गये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को पढ़ा नहीं है (व्यवधान) कुछ उपबन्ध जो आपने किये हैं और जिनका प्राविधान आपने इस विधेयक में किया है उनकी वजह से हो सकता है कि आपकी वे शास्तियां बिलकुल निरस्त हो जायं उन्हीं प्राविधानों के अन्तर्गत । ऐसे समय इस विधेयक को लाया जाता जब इस सदन के माननीय सदस्य इसमें हिस्सा ले सकते । 42 साल बाद यह संशोधन विधेयक इस सदन में लाया जा रहा है । जिन्दगी के उस हिस्से से इसका ताल्लुक है । जिसमें मैं समझता हूं कि मनुष्य ही नहीं प्राणी जगत तथा पशु पक्षी भी मनोरंजन में दिलचस्पी रखता है । इन 42 साल में मनोरंजन के साधनों में, अवस्थाओं तथा मानसिक अभिरुचियों में कितना परिवर्तन हो गया होगा उसके अनुरूप इस विधेयक में व्यवस्था होनी चाहिये थी । और जो मौजूदा मनोरंजन के साधन चल रहे हैं उनमें कैसे सुधार हो सकता है इसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी । इस सम्बन्ध में मैं बाद में निवेदन करूंगा । जो माननीय मंत्री जी ने अधिनियमित किया है, धारा 32 की ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें परन्तुक यह लिखा है कि धारा 27 और धारा 29 में उन लोगों को दण्डित करने की व्यवस्था की गई है । धारा 27 में लिखा है कि जो टिकटों का प्रयोग करता है या उन्हें रखता है यानी डुप्लीकेट टिकटों के प्रयोग के लिये शास्ति और 29 में ह निरीक्षण अधिकारियों को बाधा पहुंचाने के लिये शास्ति । इसमें अगर कोई भी व्यक्ति आमोद कार्य करता है, ऐसी संस्था चलाता है, सिनेमा चलाता है उसके निरीक्षण में जो बाधा पहुंचायेगा वह दण्डनीय होगा । धारा 32 के परन्तुक में लिखा है कि कोई पुलिस अधिकारी धारा 27 या धारा 29 के अधीन अपराध के लिये किसी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं करेगा जब तक उसे निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित इत्तिला न दे दी गई हो मान्यवर, इत्तिला की जगह पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज्ञा होगा । 32 (1) में लिखा है कि 27 या धारा 29 के अधीन दन्डनीय प्रत्यक अपराध संज्ञेय होंगे लेकिन परन्तुक के जरिये इसका प्रभाव आप समाप्त कर रहे हैं । जो संशोधन आप ला रहे हैं अगर उसको लागू करने के लिये कोई प्रभावशाली व्यवस्था नहीं करते हैं तो इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा । मान्यवर, जो सिनेमा चलाता है, रेसकोर्स चलाता ह, आमोद का साधन करता है वह मामूली आदमी नहीं होता है । वह निरीक्षकों और पुलिस को खरीद लेता है इसलिये उसको प्रभावशाली बनाने के लिये परन्तुक को हटा दिया जाय और कान्नीजेबुल औफेन्स उसे बना दें । उसभ डी० एस० पी० या एस० पी० को कर दें तभी इसका लाभ हो सकेगा । मान्यवर, सिनेमा घरों के बारे में आप जानते हैं कि हर कस्बे की एक चौथाई आबादी सिनेमा घर में मिल जायेगी । चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक वहां मिलेगा, साधारण आदमी से लेकर मुख्य मन्त्री तक वहां मिलेगा । लेकिन इसके अन्दर जो अराजकता है वह हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को विषाक्त कर रही है । ऐसी-ऐसी अश्लील फिल्में होती हैं जिनको कि यह कहा जाता है कि इतनी उम्र तक के बच्चे नहीं देख सकते हैं लेकिन होता यह है कि हर उम्र का बच्चा वहा प्रवेश पा जाता है । इस ओर माननीय मन्त्री जी ध्यान दें । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे यहां 75 प्रतिशत बाल अपराधी हैं । पता नहीं सेन्सर बोर्ड भी कैसे कार्य करता है, कैसे वे फिल्मों को पास कर देते हैं । सिनेमा मालिक कहते हैं कि यदि वे ऐसी फिल्में न बनायें और दिखायें तो उनका सिनेमा कोई नहीं देखेगा । तमाम साजाजिक बुराइयां फैल रही हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करुंगा कि वह कोई प्रभावशाली प्राविधान लायें कि किस तरह से सिनेमा जगत को अच्छा बनाया जा सकता है । यह प्रचार का आज कल बहुत बड़ा माध्यम बन गया है ।

दूसरी ओर सिनेमा घरों में इस कदर गन्दगी बढ़ गई है उसके लिये भी प्रबन्ध होना चाहिये जहां आप ब्लैक और डुप्लिकेट टिकटों को बेचने से रोकने के लिए प्राविधान कर रहे हैं, आज चाहे छोटे शहर हों या बड़े शहर आप किसी भी सिनेमा घर में चले जांय, राजधानी में ही देख लें कि भयंकर गन्दगी शौचालयों और युरिनल्स में रहती है, यहां तक कि जो कुर्सियां हैं जिनमें साड़ियां और लोगों के कपड़े फट जाते हैं, बैठने की ठीक व्यवस्था नहीं है उनके लिये भी चालान का प्राविधान होना चाहिये । सफाई की व्यवस्था न होने से जहरीले और संक्रामक रोग फैलते हैं । ये सिनेमा घर छोटी-छोटी अनक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं । सामाजिक और मान्सिक बीमारियों के यह घर हो गये हैं । अगर आप चाहते हैं कि इनसे जानता की रक्षा करें तो ऐसा प्राविधान होना चाहिये कि सिनेमा मालिक या कम्पनी जो सिनेमा चलाते हैं अगर वह सफाई की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो उनके लाइसेन्स रद्द कर दिये जांय, बल्कि उन पर मुकदमा भी चले । वे मनमाने तरीके से काम करते हैं और कोई खर्च नहीं करते ।

उनके कर्मचारियों की भी समस्या है दो बजे रात और तीन बजे रात तक वह जागते रहते हैं उनके लिए समय निश्चित नहीं है कि कितने घंटे वह काम करेंगे । इसके अलावा जब चाहे उनको निकाल दिया जाता है और जब चाहा रख लिया जाता है । मैं शासन को सुझाव देना चाहता हूं मन्त्री जी उस पर और करेंगे यह इतनी बड़ी आमदनी का जरिया है जैसे मालवीय जी सड़कों का राष्ट्रीय करण करते जा रहे हैं और उससे सरकार को आमदनी भी हो रही है । तो क्या यह सम्भव नहीं हो सकता कि, आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ स्टाफ रखना होगा, इन सिनेमा घरों का राष्ट्रीय करण आप नहीं कर सकते

[श्री देव कुमार]

हैं । इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और इसे स्वच्छ बनाया जाय जिससे देश में स्वस्थ वातावरण बने । जनजागृति की फिल्म बने और अश्लील फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगे । "जागृति" फिल्म मैंने देखी थी शायद माननीय मन्त्री जी ने भी देखी होगी उसमें अश्लीलता कोई नहीं थी उससे बालजगत म देश प्रेम की भावना पैदा होती है । इसी तरह की फिल्म बनाई जांय इससे आमदनी में भी बढ़ोत्तरी होगी । आज सेन्सर बोर्ड ऐसी फिल्म पास कर देता है जो कि समाज में जहर फैलाती हैं । इसके अलावा मनोरंजन के और भी साधन हैं । आपने देखा होगा भारत सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग ने लखनऊ में कुछ दिन पहले "बढते हुए कदम" का प्रदर्शन किया था जो मुफ्त दिखाई जाती थी और लाखों की तादात में लोग देखने जाते थे । इससे एक नई चेतना लोगों में आती है हम उससे पुराने शहीदों की याद करते है । तो ऐसे कार्यक्रम चलाय जांय । आपका यहां पर सूचना विभाग है, आपका नाट्य विभाग है, संगीत कला केन्द्र है उसमें लोग देखने जायेंगे । यह जरूरी नहीं है कि आम जनता सिनेमा घरों में जायेगी । आप इस तरह के कार्यक्रम चला सकते हैं । मुझे अफसोस होता है 42 साल बाद यह संशोधन आया है देश की आजादी के बाद यह आया है. . . .।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या और लम्बा बढायेंगे ।

श्री देव कुमार—

आज राष्ट्रीय स्तर पर सोचने की बात है । ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये जिससे हम अपने राष्ट्र को और अपन सामाजिक जीवन को स्वस्थ्य कर सकें । मान्यवर, एक चीज माननीय मन्त्री जी ने महसूस की होगी, होटलों में रेडियों के कारण न्वायस बहुत होती हैं । जबकि इसके बारे में विशषज्ञों का कहना है कि आवाजें आदमी को मारे डाल रही हैं । मास्को जैसे शहर म हार्न बजाना तक मना है ।

(व्यवधान)

लेकिन यहां हर होटलों में फुल वाल्यूम पर 24वों घन्टे रेडियों बजते रहते हैं, जिससे वहां बैठनेवाले ग्राहकों और वहां काम करन वाले कर्मचारियों तथा मालिक लोगों की मानसिकता पर क्या असर पड़ता होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । इस पर भी आप सोचिये । इस वातावरण को आप शान्त बनाने का प्रयास करें । बांदा के सम्बन्ध में मैंने जिलाधिकारी को लिखा था वहां न यूरिनल की सफाई होती है और न अन्य किसी प्रकार की सफाई रहती ह । यदि देखा जाए तो पूरे प्रदेश में यह गन्दगी पायी जाएगी । आप हर डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात की कार्यवाही के आदेश दें कि यदि किसी सिनेमाघर में गन्दगी पायी जायेगी, तो उसका लाइसेन्स जब्त हो जायेगा और उसके खिलाफ कार्यवाही होगी । मैं निवदन करता हूं कि इस विधेयक में व्यापक चीजों की व्यवस्था के लिये इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, इस समय सदन में कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिए घन्टी बजाई गई)

एक सदस्य--

मान्यवर, यह किसी ने नहीं कहा, इस समय अब कोरम कैसे हो पाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब तक आपत्ति नहीं होती है, चल सकता है, लेकिन जब आपत्ति उठा दी तो देखना पड़ेगा ।

श्री राजपति मिश्र--

मैं अपनी आपत्ति को वापस ले रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपत्ति वापस नहीं होगी, अब आप बैठें ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979 के खंड 10 को पुनर्संख्यांकित करके उसका उपखंड (1) बना दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिये जायं--

श्री उपाध्यक्ष--

खंडों पर संशोधन अभी कहां हैं ? मैं समझता था कि यह जो प्रस्ताव पेश किया है उसके ऊपर बोलने के लिए खड़े हुए हैं । खंड 10 पर होगा ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं मुक्तसरन जो प्रस्ताव माननीय देव कुमार जी ने पेश किया है, उसका जवाब दे रहा हूं । उन्होंने जो व्यवस्था मौजूद है और जो व्यवस्था नहीं है उससे जोड़ दिया । इसलिए उनके दिमाग में परेशानी हो गई । सफाई रखने के सिलसिले में और अन्य कामों के लिये पहले से व्यवस्था मौजूद है । वर्षों के अनुभव के आधार पर जो कठिनाइयां महसूस की गई हैं, उसके अनुसार और कुछ नियमों में प्राविधान हैं लेकिन उनमें प्राविधान होते हुए उनको इफेक्टिवली लागू करने में दिक्कत महसूस हुई इस लिए अधिनियम में लाया गया है । एक बात पर उन्होंने विशेष जोर दिया, जो प्राविधान है उसको पढ़ लेते, जो अधिकार दिये हैं कागनी जेबिल आफेंस के सिलसिले में, अगर पढ़ा होता तो दिक्कत नहीं होती 32 के साथ 33 को पढ़ते । तो दिक्कत नहीं होती । आशा है कि वह अपना संशोधन वापस लेंगे ।

श्री देव कुमार--

मैं वापस नहीं लेता ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 से 9 तक

परिभाषायें

2--इस अधिनियम में,--

(क) 'किसी आमोद में प्रवेश' के अन्तर्गत किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करना भी है जिसमें कोई आमोद आयोजित हो ;

(ख) 'सहायक आयुक्त' का तात्पर्य सहायक आमोद और पण कर आयुक्त से है ;

(ग) 'पणवर्ता' के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसके साथ कोई लाइसेन्स प्राप्त पणांकक पण लगता हो;

(घ) 'पण' के अन्तर्गत 'दांव' भी है;

(ङ) 'पणांकक' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति के सेवक या अभिकर्ता के रूप में, चाहे कभी-कभी या नियमित रूप से, पण प्राप्त करने या तय करने का कारबार करे या जो, स्वयं को, पण प्राप्त या तय करने वाले या ऐसी क्रियाओं का संचालन करने वाले के रूप में किसी प्रकार प्रकट करे या कराये, और इसके अन्तर्गत, "घुड़दौड़ मैदान का कमीशन अभिकर्ता" भी हैं, किन्तु इससे किसी व्यक्ति को केवल इस कारण कि वह योगदापी को चलाता है या उसे चलाने के लिए नियोजित है, पणांकक नहीं समझा जायगा ;

(च) 'आयुक्त' का तात्पर्य आमोद और पणकर आयुक्त से है और इसके अन्तर्गत आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त या किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत अपर आमोद और पणकर आयुक्त, संयुक्त आमोद और पणकर अयुक्त और उप आमोद और पण कर आयुक्त भी हैं ।

(छ) 'आमोद' के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रदर्शन, तमाशा, विनोद, खेल, क्रीड़ा या दौड़ (घुड़दौड़ समेत) भी है जिसमें व्यक्तियों को भुगतान करने पर प्रवेश करने दिया जाता है और चलचित्र प्रदर्शन की स्थिति में इसके अन्तर्गत समाचार-दर्शन, वृत्त चित्र, रेखा-चित्र (कार्टून), विज्ञापन, लघु चित्र या स्लाइड का प्रदर्शन भी है, चाहे वह प्रदर्शन किसी रूपक-चित्र के प्रदर्शन के पूर्व या उसके दौरान या पृथकतः हो ;

(ज) 'निरीक्षक' का तात्पर्य आमोद और पणकर निरीक्षक है और इसके अन्तर्गत आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निरीक्षक के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति भी है ;

(झ) 'अन्तर्वर्ती सिनेमा' का तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र—

(एक) जो जिला मुख्यालय हो या जो उसकी बाहरी सीमा आठ किलोमीटर के भीतर स्थित हो; या

(दो) जो कोई ऐसा स्थानीय क्षेत्र हो जिसमें उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के अधीन लाइसेन्स प्राप्त कोई स्थायी सिनेमा हो, या जो उसकी बाहरी सीमा से आठ किलोमीटर के भीतर स्थित हो ; या

(तीन) जहां कोई मेला या प्रदर्शनी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित की जाय, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि में लगाई जाती हो,

से भिन्न किसी स्थानीय क्षेत्र में चलचित्र प्रदर्शन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्राप्त किसी चल या अस्थायी सिनेमा से है ;

(ञ) 'लाइसेन्स प्राप्त पणांकक' का तात्पर्य उस पणांकक से है जिसको धारा 17 के अधीन लाइसेन्स प्राप्त हो;

(ट) 'स्थानीय क्षेत्र' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अर्थान्तर्गत किसी नगर, या यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अर्थान्तर्गत किसी म्यूनिसिपैलिटी या नोटिफाइड एरिया, या संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अर्थान्तर्गत किसी टाउन एरिया या छावनी अधिनियम, 1924 के अर्थान्तर्गत किसी छावनी या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अर्थान्तर्गत किसी गांव से है ;

(ठ) 'प्रवेश के लिए भुगतान' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(एक) किसी आमोद-स्थान में बैठने या किसी भी रूप में अन्य जगह के लिए कोई भुगतान ;

(दो) आमोद के किसी कार्यक्रम विवरण या उसकी संक्षिप्त रूप रेखा के लिए कोई भुगतान ;

(तीन) किसी ऐसे उपकरण या यंत्र के उधार या प्रयोग के लिये कोई भुगतान जिससे कोई व्यक्ति किसी आमोद का सामान्य या अधिक अच्छा अवलोकन या श्रवण या उपभोग कर सके । जब ऐसा अवलोकन, श्रवण या उपभोग ऐसे उपकरण या यन्त्र की सहायता के बिना उसे सुलभ न होता ;

(चार) किसी आमोद से सम्बन्धित किसी भी प्रयोजन के लिये कोई भुगतान, चाहे उसका कुछ भी नाम हो, जिसकी अपेक्षा किसी व्यक्ति से या तो आमोद में प्रवेश के लिये भुगतान (यदि कोई हो) के अतिरिक्त या प्रवेश के लिये किसी ऐसे भुगतान के बिना, आमोद में उपस्थित होने या उपस्थित बने रहने की किसी शर्त के रूप में की जाय ;

(पांच) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भुगतान, जिसे आमोद-स्थान के किसी एक भाग में प्रवेश दिये जाने के पश्चात् उसके दूसरे भाग में प्रवेश करने दिया जाय, जिसमें प्रवेश करने के लिय ऐसा भुगतान अपेक्षित हो जिसमें कर या अधिक कर के अन्तर्ग्रस्त हो ;

स्पष्टीकरण--किसी आमोद के सम्बन्ध में किसी भी रूप में उगाहा गया कोई चन्दा या एकत्र किया गया कोई दान प्रवश के लिये भुगतान समझा जायगा ।

(ड) किसी आमोद के सम्बन्ध में, 'मालिक' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो--

(एक) आमोद के संगठन से सम्बन्धित हो ; या

(दो) आमोद में प्रवेश कार्य के लिये प्रभारी हो ; या

(तीन) उसके प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी या तात्सय उसके प्रबन्ध का प्रभारी हो ;

(ढ) 'घुड़दौड़ क्लब' के अन्तर्गत व्यक्तियों का निगमित या अनिगमित निकाय, समिति, क्लब या अन्य संघ भी है, जो--

(एक) घुड़दौड़ या टट्टू दौड़ के संप्रवर्तन के प्रयोजन के लिये घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करन के लिये बनाया गया हो; या

(दो) ऐसी प्रतियोगितायें संचालित या नियन्त्रित करता हो ;

(ण) घुड़दौड़ क्लब के सम्बन्ध में, 'स्ट्यूअर्ड' के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो,--

(एक) घुड़दौड़ क्लब के संगठन से सम्बन्धित हो ; या

(दो) उसके प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी या तात्सय उसके प्रबन्ध का प्रभारी हो ;

(त) 'कर' का तात्पर्य, यथास्थिति, आमोदकर, पाकर या योगमापी कर से है, और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत अधिभार, उपकर, शास्ति या कोई अन्य प्रभार भी है ;

(थ) 'टिकट' का तात्पर्य इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये नियमों के, उपबन्धों के अनुसार किसी आमोद में प्रवेश प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये किसी टिकट या मानार्थ पास से है, और 'तद्रूप टिकट' का तात्पर्य इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों से भिन्न प्रकार से प्रयुक्त या प्रयोग किये जाने के लिये आशयित टिकट या टिकटों के सेट से है ;

(द) 'योगमापी' का तात्पर्य किसी ऐसे अहाते में रखे गये योगमापी से है जिसे घुड़दौड़ प्रतियोगिता नियन्त्रित करने वाले स्टयूअडों ने इस प्रयोजन के लिये पृथक कर रखा हो, और इसके अन्तर्गत योगमापी के रूप में ज्ञात कोई उपकरण, मशीन या यन्त्र, या उसी प्रकार का कोई अन्य उपकरण, मशीन या यन्त्र या कोई ऐसी योजना भी है जिससे उसी प्रकार के सिद्धान्तों के आधार पर कितने ही व्यक्ति एक दूसरे से पण लगा सकें, किन्तु इसमें पणांकक सम्मिलित नहीं है।

अध्याय—दो

आमोद कर

आमोद के प्रवेश शुल्क पर कर

3—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जिस आमोद पर धारा 4 लागू होती है, उससे भिन्न किसी आमोद में प्रवश के लिये किये गये सभी भुगतान पर आमोद कर का, प्रत्येक ऐसे भुगतान के एक सौ दस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से जिसे राज्य सरकार समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित करे, उद्ग्रहण और भुगतान किया जायगा और कर का संग्रह मालिक द्वारा किया जायगा और उसका भुगतान सरकार को विहित रीति से किया जायगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आमोद में प्रवेश के लिये प्रत्येक भुगतान पर पचास पैसे से अनधिक की दर से जिसे राज्य सरकार समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित करें, अधिभार का उद्ग्रहण और भुगतान भी किया जायगा।

स्पष्टीकरण—उपधारा (1) और (2) की कोई बात राज्य सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के लिये या विभिन्न वर्गों के आमोद के लिये या आमोद में प्रवेश के लिये विभिन्न भुगतान के लिय, आमोद कर और अधिभार की विभिन्न दरें अधिसूचित करने से प्रवारित नहीं करेगी।

(3) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आमोद में प्रवेश के लिए भुगतान और कर (जिसके अन्तर्गत अधिभार, यदि कोई हो, भी है) का योग पच्चीस पैसे का गुणक न हो वहाँ उपधारा (1) या उपधारा (2) या तदधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में किसी बात के होते हुये भी कर में उस सीमा तक वृद्धि कर दी जायगी और कर की संगणना इस प्रकार की जायगी कि आमोद म प्रवेश के लिए ऐसे भुगतान और कर का (जिसके अन्तर्गत अधिभार भी है) कुल योग पच्चीस पैसे से अगले उच्चतर गुणक में पूर्णांकित हो जाय और ऐसे

परिवर्द्धित कर का भी मालिक द्वारा विहित रीति से संग्रह और सरकार को भुगतान किया जायगा ।

(4) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आमोद में जिसमें सामान्यतया भुगतान किये जाने पर प्रवेश होता है किसी व्यक्ति को मुक्त या रियायती दर से प्रवेश दिया जाता ह तो कर की उतनी ही धनराशि देय होगी जितने ऐसे व्यक्ति के पूरा भुगतान करके प्रवेश करने पर देय होती ।

(5) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आमोद में प्रवेश के लिय पूर्णतः या अंशतः भुगतान चन्दा, अंशदान, दान या अन्य रूप में एक मुश्त राशि देकर कर दिया जाय , वहाँ कर का भुगतान ऐसी एक मुश्त राशि पर और यदि प्रवेश के लिये अन्यथा भुगतान किया गया हो तो उस पर भी किया जायगा ।

(6) जहाँ किसी होटल या जलपान गृह में ग्राहकी आकृष्ट करने की दृष्टि से किसी भोजन या जलपान के साथ कैबरे या मंच प्रदर्शन के रूप में (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय) किन्तु जिसमें केवल बैंड बजते रहना या रिकार्ड किया गया संगीत नहीं हैं आमोद की व्यवस्था की जाय चाहे ऐसे आमोद के लिये अलग से प्रवेश के लिये कोई भुगतान लगाया जाय या नहीं, ऐसे भोजन या जलपान के लिए ग्राहक द्वारा देय धनराशि के बीस प्रतिशत या ऐसे आमोद के लिए अलग से लगाई गई धनराशि को, जो भी अधिक हो, ऐसे आमोद में प्रवेश के लिये भुगतान समझा जायगा और तदनुसार कर का उदग्रहण और भुगतान किया जायगा ।

अन्तर्वर्ती सिनेमा पर एक मुश्त कर

4--(1) चलचित्र का प्रदर्शन करने वाले किसी अन्तर्वर्ती सिनेमा का मालिक निम्नलिखित आमोद कर का देनदार होगा :--

(क) जहां ऐसा प्रदर्शन दस हजार या इससे कम जनसंख्या वाले स्थानीय क्षेत्र में किया जाय, वहां प्रति सप्ताह एक हजार रुपये से अनधिक की ऐसी धनराशि जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे ;

(ख) किसी अन्य दशा में प्रति सप्ताह दो हजार रुपये से अनधिक की ऐसी धनराशि जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे ।

(2) जहां किसी अन्तर्वर्ती सिनमा का मालिक जो उपधारा (1) के अधीन कर का देनदार हो जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का यह समाधान कर दे कि किसी विशिष्ट सप्ताह में उसके द्वारा किये गये चलचित्र प्रदर्शनों की संख्या चौदह से कम थी वहां, यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य अधिकारी, ऐसे मालिक को किये गये प्रदर्शनों की संख्या चौदह से जितनी कम हो, उतने प्रदर्शनों में प्रत्येक के लिये, साप्ताहिक कर की धनराशि के चौदहव भाग की दर से, छूट दे सकता है ।

(3) इस धारा के अधीन देय कर का भुगतान, संग्रह या उसकी वसूली विहित रीति से की जायगी ।

आमोद का आयोजन करने के पूर्व सूचना

5--(1) कोई भी आमोद जिस पर कर उद्ग्रहणीय है, जिला मजिस्ट्रेट को विहित प्ररूप में और विहित रीति से पूर्व सूचना दिये बिना आयोजित नहीं किया जायेगा ।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसे आमोद का आयोजन प्रतिषिद्ध कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाय कि--

(क) मालिक ने कोई मिथ्या सूचना दी है जिसके परिणाम स्वरूप करापवंचन की सम्भावना है ;

(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध को मालिक द्वारा भंग किया गया है या भंग किये जाने की संभावना है; या

(ग) उस आमोद का आयोजन सार्वजनिक सुरक्षा, शिष्टता या नैतिकता के प्रतिकूल है :

परन्तु इस धारा की कोई बात उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के अधीन लाइसेन्स प्राप्त किसी चलचित्र प्रदर्शन पर लागू न होगी ।

प्रवेश पर निर्बन्धन

6--इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्यथा स्पष्टतया उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर किसी आमोद में, किसी व्यक्ति को (सिवाय ऐसे व्यक्ति के जिसे उस आमोद के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करना हो, या जिस पर विधि द्वारा कोई कर्तव्य अधिरोपित किया हो, या जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत हो) विहित प्ररूप में ऐसे टिकट, जिससे यह प्रकट हो कि धारा 3 के अधीन देय समुचित कर का भुगतान कर दिया गया है, के बिना प्रविष्टि नहीं दी जायेगी ।

प्रवेश पर निर्बन्धन

7--कोई व्यक्ति (सिवाय ऐसे व्यक्ति के जिसे उस आमोद के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करना हो या जिस पर विधि द्वारा कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया हो, या जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत हो) धारा 6 की अपेक्षानुसार समुचित टिकट के बिना किसी आमोद में प्रवेश नहीं करेगा, न प्रविष्टि प्राप्त करेगा ।

भुगतान की रीति

8--राज्य सरकार, ऐसी शर्तों पर जैसी विहित की जायें, मालिक से धारा 3 के अधीन देय कर की धनराशि का भुगतान निम्नलिखित रीति से करने की अपेक्षा कर सकती है, अर्थात्--

(क) राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए छपे हुये, उभरे हुये, उत्कीर्ण या चिपकाये जाने वाले स्टाम्प से स्टाम्पित करके जिससे यह प्रदर्शित होता हो कि धारा 3 के अधीन देय समुचित कर का भुगतान कर दिया गया है; या

(ख) आमोद में प्रवेश के लिए और कर के मद्दे भुगतान की विवरणियों के अनुसार; या

(ग) आमोद में प्रवेश के लिए भुगतान के मद्धे और कर के मद्धे मालिक द्वारा प्राप्त सकल राशि के उस प्रतिशत के जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाय, संहत भुगतान द्वारा; या

(घ) ऐसे यान्त्रिक उपाय द्वारा अभिलिखित परिणामों के अनुसार जिसमें प्रविष्टि व्यक्तियों की संख्या स्वतः दर्ज होती हो ।

कर का वापस किया जाना

9—(1) जहां जिला मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाय कि मालिक ने वस्तुतः देय धनराशि से अधिक कर जमा किया है, वहां वह ऐसी धनराशि को वापस कर देगा या कर के भावी भुगतान के प्रति उसका समायोजन कर देगा ।

(2) जब कोई आमोद मालिक के नियन्त्रणातीत किन्ही कारणों से पूरा न हो, और जिला मैजिस्ट्रेट का समाधान हो जाय कि मालिक ने टिकट के लिये वसूली हुयी धनराशि वापस कर दी है, तब वह ऐसे टिकटों के सम्बन्ध में देय कर की धनराशि छोड़ देगा और आदेश देगा कि उस प्रदर्शन को निरस्त समझा जाय ।

(3) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि किसी आमोद का सम्पूर्ण शुद्ध आगम लोकोपयोगी, धार्मिक या पूर्ति प्रयोजनों के लिए अर्पित है और शुद्ध आगम की गणना करने में आमोद के व्यय के सम्बन्ध में सकल आगम के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं काटा गया ह, वहां वह ऐसे आमोद के सम्बन्ध में भुगतान की गई कर की धनराशि मालिक को वापिस कर देगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 9 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड 10 तथा खंड 11 से 32 तक

प्रतिभूति का जमा किया जाना और समपहरण

10—यदि राज्य सरकार, द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाय तो प्रत्येक मालिक ऐसे आमोद को जस पर कर उद्ग्रहणीय हो, आयोजित करने के पूर्व, ऐसी प्रतिभूति और ऐसी रीति से, जसी विहित की जाय, जमा करेगा । ऐसा अधिकारी प्रतिभूति से कोई बकाया कर काट सकता है, और प्रतिभूति को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, घटा-बढ़ा या समपहृत कर सकता ह ।

कर से मुक्ति

11—(1) राज्य सरकार, शान्ति, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव, कला, क्रीड़ा, या अन्य लोकहित की अभिवृद्धि के लिये, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी आमोद या आमोद के किसी वर्ग को इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त कर सकती ह ।

(2) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, लोक-हित में किसी वर्ग के श्रोताओं या दर्शकों को इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त कर सकती है ।

(3) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि—

(क) आमोद पूर्णतया शैक्षिक प्रकार का है, या

(ख) आमोद की व्यवस्था अंशतः शैक्षिक या अंशतः वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किसी ऐसी समिति द्वारा की गई है जो लाभ के लिए संचालित या स्थापित न हो; या

(ग) आमोद की व्यवस्था किसी ऐसी समिति द्वारा की गई है, जिसका संचालन लाभ के लिये न किया जाता हो और जिसकी स्थापना केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रोन्नति या कृषि या किसी निर्माणकारी उद्योग के हित की प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ की गई हो और उस आमोद में केवल ऐसी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा रहा है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य या कृषि से सम्बन्धित प्रश्नों के बारे में विशेष महत्व के हों या जो ऐसे उद्योग के उत्पाद हों, जिसके हित की प्रोन्नति के लिए समिति का अस्तित्व है, या जो ऐसे उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री, मशीन, उपकरण या खाद्य पदार्थ हो,

वहां वह ऐसे आमोद को अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने से उन शर्तों और निबन्धन के अधीन मुक्त कर सकती है जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे :

परन्तु राज्य सरकार ऐसी मुक्ति को रद्द कर सकती है यदि उसका समाधान हो जाय कि मुक्ति कपट या दुर्व्यपदेशन से प्राप्त की गई थी, या ऐसे आमोद का मालिक इस निमित्त अधिरोपित शर्तों या निबन्धन या दिये गये निदेशों का अनुपालन करने में विफल रहा है और तब मालिक ऐसे कर के भुगतान का जिम्मेदार होगा, जो यदि आमोद को इस प्रकार मुक्त न किया गया होता तो देय होता ।

(4) जहां जिला मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाय कि किसी आमोद का सम्पूर्ण सकल आगम, आमोद, के व्यय के मद्ध किसी प्रकार की कोई कटौती किय बिना लोकोपयोगी, धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए अर्पित कर दिया जायगा, वहां वह इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये ऐसे आमोद को, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जैसी वह अधिरोपित करना उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने से मुक्त कर सकता है ।

(5) जहां उपधारा (4) के अधीन कर का भुगतान करने से मुक्ति दी जाय, वहां ऐसे आमोद का मालिक जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे दस्तावेज और अभिलेख और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि उपधारा (4) के अधीन मुक्ति प्राप्त किसी, आमोद का मालिक उपधारा (5) के अधीन अपेक्षित दस्तावेज और अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहता है, या इस निमित्त अधिरोपित शर्तों या जारी किये गय निदेशों का अनुपालन करने में विफल रहता है या

यदि जिला मजिस्ट्रेट का ऐसे दस्तावेजों या अभिलेखों की शुद्धता के बारे में समाधान नहीं होता, तो जिला मजिस्ट्रेट, इस प्रकार दी गई मुक्ति को रद्द कर सकता है, और तब मालिक ऐसे कर के भुगतान का जिम्मेदार होगा जो यदि आमोद को इस प्रकार मुक्त न किया गया होता तो देय होता ।

कर-निर्धारण

12—(1) जहां आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट का समाधान हो हो जाय कि किसी आमोद के मालिक ने—

(क) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित सूचना नहीं दी है, या

(ख) विहित प्रपत्रों में सही और पूर्ण विवरणी तैयार या प्रस्तुत नहीं की है, या

(ग) तद्रूप टिकट रख छोड़ा है या प्रयोग किया है, या

(घ) किसी भी रीति से देय कर का भुगतान करने में कपट-पूर्वक अपवंचन किया है या अपवंचन करने का प्रयास किया है, वहां वह मालिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, अपने श्रेष्ठतम निर्णय के अनुसार मालिक द्वारा देय कर की धनराशि निर्धारित करेगा, और एक हजार रुपये से अनधिक की शास्ति भी अधिरोपित कर सकता है :

परन्तु जहां उपर्युक्त दोनों अधिकारियों में से किसी एक ने इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है, वहां तत्पश्चात उनमें से दूसरे अधिकारी को उसी मामले में कार्यवाही करने की अधिकारिता न होगी और ऐसी पश्चातवर्ती कार्यवाही, यदि प्रारम्भ कर दी गयी हो, निष्प्रभाव होगी और समाप्त कर दी जायगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई ऐसे आदेश के तामील होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर राज्य सरकार को ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, अपील कर सकता है, और अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा ।

टिकट की पुनर्विक्री के विरुद्ध उपबन्ध

13—(1) भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 की धारा 56 में किसी बात के होते हुय भी, किसी आमोद में प्रवेश के लिये किसी टिकट के लाभ के लिये पुनर्विक्रय नहीं किया जायेगा ।

(2) कोई व्यक्ति ऐसे किसी चलचित्र प्रदर्शन में जिनके संबंध में धारा 3 के अधीन कर देय हो, प्रवेश के लिए किसी टिकट का सिवाय मालिक द्वारा इस प्रयोजन के लिये पृथककृत अहाते में और सिवाय विहित रीति के क्रय, विक्री या पुनर्विक्रय नहीं करेगा ।

निरीक्षण

14—(1) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में आयुक्त या इस निमित्त राज्य सरकार या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, अपने जिले के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसी सहायता से, जो आवश्यक हो

किसी आमोद-स्थान में जब आमोद चल रहा हो, और किसी ऐसे स्थान में जिसका प्रयोग सामान्यतया आमोद-स्थान के रूप में या उससे सम्बन्धित अभिलेख रखन के लिये किया जाता हो या जसका इस प्रकार प्रयोग किये जाने का सन्देह हो, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, किसी भी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकता है, सका निरीक्षण कर सकता हैऔर उसकी तलाशी ले सकता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी मालिक से आमोद से संबंधित सभी लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को, जिन्हें ऐसा अधिकारी आवश्यक समझे, अपने या निरीक्षक के पद से अनिम्न किसी अन्य अधिकारी के समक्ष निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता ह ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी आमोद से सम्बन्धित सभी लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, अपने कब्जे मे ले सकता है ।

(4) ऐसे आमोद स्थान का मालिक उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी की हर युक्तियुक्त प्रकार से सहायता करेगा ।

(5) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक-सेवक समझा जायगा ।

(6) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति से जिस पर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने का सन्देह हो अपना नाम और पता तुरन्त बताने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इनकार करे या बताने में विफल रहे, या यदि इस प्रकार सशक्त या प्राधिकृत अधिकारी को उस पर मिथ्या नाम और पता बताने का समुचित संदेह हो, तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है और निकटतम पुलिस थाने में निरुद्ध कर सकता है या करा सकता है ।

आमोद के लिए अनुज्ञप्ति या लाइसेंस का निलम्बन या प्रतिसंहरण-

15--(1) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त आदेश द्वारा, किसी आमोद के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दी गई किसी अनुज्ञा या लाइसेंस को दण्ड स्वरूप तीन माह से अनधिक की अवधि के लिए प्रतिसंहृत या निलम्बित कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि मालिक ने--

(क) किसी व्यक्ति को किसी आमोद-स्थान में कर का भुगतान किये बिना प्रविष्ट दी है ; या

(ख) विहित समय के भीतर अपने द्वारा देय कर भुगतान करने में विफल रहा है ; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर के भुगतान का कपटपूर्वक अपवंचन किया है ; या

(घ) किसी अधिकारी को अभिलेखों का निरीक्षण करने या उनकी तलाशी लेने या उन का अभिग्रहण करने में बाधा पहुंचाई है ; या

(ङ) इस अधिनियम के अधीन निरीक्षण करने वाले किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहा है ; या

(च) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी अन्य उपबन्ध का या किसी ऐसे उपबन्ध के अधीन जारी किये गये किसी आदेश या निदेश का उल्लंघन किया है :

परन्तु जहां उपर्युक्त दोनों अधिकारियों में से किसी एक ने इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है, वहां तत्पश्चात् उनम से दूसरे अधिकारी को उसी मामले में कार्यवाही करने की अधिकारिता न होगी और ऐसी पश्चातवर्ती कार्यवाही, यदि प्रारम्भ कर दी गई हो, निष्प्रभाव होगी और समाप्त कर दी जायगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञा या लाइसेंस के प्रतिसंहरण या निलम्बन का कोई आदेश, अनुज्ञा या लाइसेंस के धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं दिया जायगा :

परन्तु जहां जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त की यह राय हो कि विलम्ब होने से प्रस्तावित कार्यवाही का उद्देश्य विफल हो जायगा, वहां वह अनुज्ञा या लाइसेंस के धारक को प्रस्ताविक कार्यवाही के आधारों की संसूचना देते समय या उसके पश्चात, इसी बीच अनुज्ञा या लाइसेंस को निलम्बित करने का अन्तरिम आदेश दे सकता है ।

(3) इस धारा के अधीन किसी अनुज्ञा या लाइसेंस को प्रतिसंहृत या निलम्बित करने के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की संसूचना के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर राज्य सरकार को ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, अपील कर सकता है और अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा ।

अध्याय–तीन

योगमापी और पणकर

योगमापी पर कर और उसका भुगतान

16—(1) किसी योगमापी में दांव या पण के रूप में भुगतान किये गये समस्त धन में से, इस प्रकार भुगतान की गई प्रत्येक राशि का विहित प्रतिशत, जो दस प्रतिशत से अधिक न होगा, योगमापी कर लगाया, उद्ग्रहीत और राज्य सरकार को भुगतान किया जायगा ।

(2) स्टयूअर्ड, योगमापी में प्राप्त प्रत्येक दांव या पण के लिए एक टिकट जारी करेगा, और प्रत्येक टिकट पर दस पैसे की दर से अधिभार लगाया और उद्गृहीत किया जायगा ।

(3) उक्त कर का संग्रह स्टयूअर्ड द्वारा किया जायगा और उसका भुगतान राज्य सरकार को विहित रीति से किया जायगा ।

(4) स्टयूअर्ड योगमापी में भुगतान किये गये समस्त धन का लेखा विहित प्रपत्र में रखगा और ऐसे समय पर और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को एक विवरणी प्रेषित करेगा जिसमें योगमापी में भुगतान किये गये समस्त धन की कुल राशि का उल्लेख किया जायगा ।

17--जिला मजिस्ट्रेट से विहित प्रपत्र में और विहित रीति से लाइसेंस प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति पणांकक के रूप में कार्य नहीं करेगा । पणांकक के लिए लाइसेंस

18--(1) किसी पणकर्ता द्वारा लाइसेंस प्राप्त पणांकक को किसी घुड़दौड़ में पण के रूप में भुगतान किये गये या भुगतान किये जाने के लिये सम्मत समस्त धन पर दस प्रतिशत से अनधिक की विहित दर से पणकर लगाया और, उद्गृहीत किया जायगा और पणकर्त्ता द्वारा राज्य सरकार को भुगतान किया जायगा । पणकर

(2) लाइसेंस प्राप्त पणांकक द्वारा पणकर, पणकर्त्ता द्वारा पण लगाते समय पण के रूप में उसके पास जमा किये गये धन के साथ, और उधार पण की स्थिति में ऐसे समय पर, जो विहित किया जाय, संगृहीत किया जायगा ।

(3) लाइसेंस प्राप्त पणांकक उसके पास लगाये गये प्रत्येक पण के लिए एक कार्ड जारी करेगा जिसमें पण की राशि अंकित होगी ।

(4) ऐसे प्रत्येक कार्ड पर दस पैसे की दर से अधिभार लगाया और उद्गृहीत किया जायगा ।

19--(1) लाइसेंस प्राप्त पणांकक पणकर्ता द्वारा पण के रूप में उसे भुगतान की गई या भुगतान किये जाने के लिये सम्मत समस्त राशि का लेखा ऐसी रीति से रखेगा जैसी विहित की जाय, और वह जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसी समस्त राशियों की एक विवरणी विहित प्रपत्र में प्रेषित करेगा । पणकांक का लेखा और पणकर सरकार को देने की प्रक्रिया

(2) लाइसेंस प्राप्त पणांकक द्वारा उक्त कर के मद्धे रखी गयी समस्त राशि ऐसे समय पर और ऐसी रीति से, जैसा विहित की जाय, सरकारी खाते में जमा की जायगी ।

20--कोई व्यक्ति किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा आयोजित या संचालित किसी घुड़दौड़ के परिणाम पर, किसी लाइसेंस प्राप्त पणांकक के पास और उस क्लब द्वारा इस प्रयोजन के लिये पृथक किये गये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित अहाते में पण लगाने के सिवाय किसी अन्य प्रकार से पण नहीं लगायेगा । पण लगाने पर निर्बन्ध

(2) लाइसेंस प्राप्त पणांकक से भिन्न कोई व्यक्ति घुड़दौड़ क्लब द्वारा आयोजित या संचालित किसी घुड़दौड़ के परिणाम पर न तो पण की प्रस्थापना करेगा और न पण को प्राप्त करेगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट अहाते को छोड़कर कहीं अन्यत्र ऐसे पण की न तो प्रस्थापना की जायगी और न ऐसा पण प्राप्त किया जायगा ।

21--(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त, आदेश द्वारा, धारा 17 के अधीन दिये गये लाइसेंस को दण्ड स्वरूप ऐसी अवधि के लिए, जैसी विहित की जाय, प्रतिसंहृत या निलम्बित कर सकता है, यदि लाइसेंसधारी धारा 18 या धारा 19 या धारा 20 या धारा 23 या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों, के उपबन्धों का उल्लंघन करने का दोषी हो : पणांकक के लाइसेंस का प्रतिसंहरण आदि

परन्तु जहां उपर्युक्त दोनों अधिकारियों में से किसी एक ने इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है, वहां तत्पश्चात उनमें से दूसरे अधिकारी को उसी मामले में कार्यवाही करने की अधिकारिता न होगी और ऐसी पश्चातवर्ती कार्यवाही, यदि प्रारम्भ कर दी गई हो, निष्प्रभाव होगी और समाप्त कर दी जायगी :

(2) उपधारा (1) अधीन किसी लाइसेंस को प्रतिसंहृत या निलम्बित करने का कोई आदेश लाइसेंसधारी की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं दिया जायगा :

परन्तु जहां जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त की यह राय हो कि विलम्ब होने से प्रस्तावित कार्यवाही का उद्देश्य विफल हो जायगा, वहां वह लाइसेंसधारी को प्रस्तावित कार्यवाही के आधारों की संसूचना देते समय या उसके पश्चात् इस बीच लाइसेंस को निलम्बित करने का अन्तरिम आदेश दे सकता है ।

(3) आयुक्त उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी लाइसेंस को निलम्बित करने की अपनी शक्ति, सहायक आयुक्त से अनिम्न श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है ।

(4) इस धारा के अधीन किसी लाइसेंस को प्रतिसंहृत या निलम्बित करने के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की संसूचना के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर राज्य सरकार को ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, अपील कर सकता है और अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा ।

योगमापी और पणकर का वापस किया जाना

22—जहां कोई घुड़दौड़, जिसके लिए पण या तो योगमापी में स्टयूअर्ड द्वारा रद्द कर दी जाय और जिला मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाय कि ऐसे पण और उस पर कर की धनराशि पणकर्त्ता को वापस कर दी गई है, वहां वह कर की राशि छोड़ सकता है, और आदेश दे सकता है कि घुड़दौड़ रद्द समझी जाय ।

निरीक्षण

23—धारा 14 के अधीन सशक्त या प्राधिकृत अधिकारियों को घुड़दौड़, पणांकन, पण लगाने और योगमापी के सम्बन्ध में इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गय नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये निरीक्षण करने की शक्ति होगी और उक्त धारा के सभी उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे निरीक्षणों पर लागू होंगे ।

अध्याय—चार

शास्तियां और प्रक्रिया

सूचना दिये बिना आमोद आयोजित करने के लिए शास्ति

24—कोई व्यक्ति जो धारा 5 के उल्लंघन में किसी आमोद का आयोजन करता है, तीन मास तक के सादा कारावास सहित या सहित एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

टिकट के बिना प्रविष्ट और प्रवेश के लिए शास्ति

25—(1) यदि धारा 3 के अधीन किसी कर के देनदार किसी व्यक्ति को धारा 6 के उपबन्धों के उल्लंघन में आमोद स्थान में प्रविष्ट दी जाती है तो उस आमोद का मालिक जिसमें ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार प्रविष्ट दी जाय, तीन मास तक के सादा कारावास सहित या सहित एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो धारा 7 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी आमोद में प्रवेश करता है या प्रविष्टि प्राप्त करता है, अपने द्वारा देय कर की राशि के अतिरिक्त ऐसे देय कर राशि के बीस गुने से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

टिकटों के अप्राधिकृत क्रय-विक्रय के लिए शास्ति

26--(1) कोई व्यक्ति जो किसी टिकट को--

(क) धारा 13 की उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में बेचता है तीन मास तक कारावास सहित या रहित एक हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा ;

(ख) उक्त धारा की उपधारा (2) के उल्लंघन में बेचता है, दो सौ रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति, जो धारा 13 के उपबन्धों के उल्लंघन में कोई टिकट खरीदता है, दो सौ रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

तद्रूप टिकटों के प्रयोग के लिए शास्ति

27--प्रत्येक मालिक जो तद्रूप टिकटों का प्रयोग करता है या उन्हें रखता है, तीन हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से, या कारावास से जो छः मास तक का हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

अप्राधिकृत पण के लिये शास्ति

28--(1) कोई व्यक्ति जो धारा 20 की उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में पण करता है, एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो धारा 20 की उपधारा (2) के उल्लंघन में पण की प्रस्थापना करता है या पण प्राप्त करता है, एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

निरीक्षण अधिकारियों को बाधा पहुंचाने के लिये शास्ति

29--यदि कोई व्यक्ति इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रवेश करने से रोकता है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन अधिरोपित उसके कर्त्तव्यों के पालन में अन्यथा बाधा डालता है तो ऐसा व्यक्ति दो हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

अन्य अपराधों के लिए शास्ति

30--कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनायें गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार जारी किये गये किसी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

31--(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को रोकने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य-संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध के लिये दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे तदनुसार दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या कम्पनी के किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ, वहां उस कम्पनी का ऐसा प्रबन्ध अभिकर्त्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे तदनुसार दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनार्थ--

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ।

कतिपय अपराध संज्ञेय होंगे

32--धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (क), या धारा 27 या धारा 29 के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होंगे :

परन्तु कोई पुलिस अधिकारी धारा 27 या धारा 29 के अधीन अपराध के लिये किसी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं करेगा जब तक उसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित इत्तिला न दे दी गई हो ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, खंड 10 को पुनर्संख्यांकित करके उसका उप खंड (1) बना दिया जाय और तत्पश्चात निम्नलिखित उप खंड बढ़ा दिये जाये--

(2) उप धारा (1) के अधीन प्रतिभूति के समपहरण के लिए कोई आदेश नहीं दिया जायगा, जब तक कि मालिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात इस निमित प्राधिकृत अधिकारी का उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, यह समाधान न हो जाय कि मालिक ने कर का अपवंचन किया है ।

(3) प्रतिभूति के समपहरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा आदेश संसूचित किए जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर राज्य सरकार को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय अपील कर सकता है और अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा ।

श्री मधुकर दिघे--

यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 10 को पुनर्संख्याकित करके उसका उप खंड (1) बना दिया जाये और तत्पश्चात् निम्नलिखित उप खंड बढ़ा दिए जाये—

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूति के समपहरण के लिए कोई आदेश नहीं दिया जायगा, जब तक कि मालिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात इस निमित प्राधिकृत अधिकारी का उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे यह समाधान हो जाय कि मालिक ने कर का अपवंचन किया है ।

(3) प्रतिभूति के समपहरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर राज्य सरकार को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय अपील कर सकता है और अपील प्रधिकारी का आदेश अन्तिम होगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 10 तथा खंड 11 से 32 तक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 33 तथा खंड 34 से 38 खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

अपराधों का शमन

33—(1) आयुक्त, या जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय, किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिसके बारे में इस अधिनियम के अधीन अपराध किये जाने का युक्तियुक्त संदेह हो, ऐसे अपराध के शमन के रूप में निम्नलिखित धनराशि वसूल कर सकता है—

(क) जहां अपराध खंड (ख) में निर्विष्ट अपराध से भिन्न, इस अधि-नियम के अधीन देय किसी कर का भुगतान करने या उसके अपवंचन से सम्बन्धित हो, वहां देय कर के अतिरिक्त कम से कम दो सौ रुपये ;

(ख) जहां अपराध किसी आमोद में प्रविष्ट प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा देय कर का भुगतान न करने से हो, वहां इस प्रकार देय कर के अतिरिक्त कम-से-कम पांच रुपये ; और

(ग) किसी अन्य मामले में कम से कम पचास रुपये ।

(2) ऐसी शमन फीस का भुगतान करने पर, सम्बद्ध व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मुक्त कर दिया जायगा और उसके विरुद्ध कोई अग्रतर कार्य-वाहियां नहीं की जायेंगी, और यदि ऐसे व्यक्ति का अभियोजन संस्थित कर दिया गया हो तो शमन का प्रभाव उसकी दोषमुक्ति होगा ।

अध्याय—5

प्रकीर्ण

कर की वसूली

34—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार को सुलभ वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर के मद्धे देय किसी राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया की भांति की जायगी ।

कतिपय कार्यवाहियों पर रोक

35—राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए तात्पर्यित हो ।

प्रत्यायोजन

36—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन सभी या कोई शक्ति (धारा 3, 4 और 38 के अधीन शक्ति को छोड़कर) प्रत्यायोजित कर सकती है और इस प्रकार प्रत्यायोजित किसी शक्ति को उसी रीति से वापस ले सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यायोजित किन्हीं शक्तियों का प्रयोग, ऐसे निर्बन्धनों परिसीमाओं या शर्तों के अधीन होगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय, और वह राज्य सरकार के नियंत्रण और उसके द्वारा किसी समय पुनरीक्षण किये जाने के अधीन भी होगा ।

निरसन

37—(1) संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1937 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) उपधारा—(1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन से ऐसे निरसन के दिनांक के पूर्व उपगत किसी कर के किसी दायित्व पर और किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन कार्यवाहियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् संस्थित और यथा उपर्युक्त किसी दायित्व से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियां ऐसे जारी रखी जायेंगी और निस्तारित की जायगी, या, यथास्थित, संस्थित या निस्तारित की जायेंगी मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो ।

परन्तु ऐसे सभी नियमों, अधिसूचनाओं, शक्तियों और अन्य कार्यों को जो उक्त अधिनियम के अधीन निर्मित, प्रकाशित, प्रदत्त या संपादित किये गए हों या किए जाने के लिए तात्पर्यित हों और इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त हों, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों इस अधिनियम के अधीन निर्मित, प्रकाशित, प्रदत्त या संपादित समझे जायेंगे ।

नियम बनाने या निदेश जारी करने की शक्तियां

38—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों में किसी आमोद के टिकट की बिक्री, आपूर्ति या प्रपत्र उक्त प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा कागज की आपूर्ति और उनसे सम्बद्ध विषयों का विनियमन हो सकता है ।

(3) आयुक्त को, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आमोद के मालिकों, घुड़दौड़ क्लब के लाइसेंस प्राप्त पर्णांकों और स्ट्यूअर्डों को समय-समय पर ऐसे निदेश ; जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों, जारी करने की शक्ति होगी ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979

उत्तर प्रदेश राज्य में आमोद, प्रमोद और कतिपय प्रकार के पण कर संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए ।

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पण कर अधिनियम, 1979 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये या राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, खंड 33 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय :

अपराधों का शमन

"33—(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, आयुक्त द्वारा, अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा ।"

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमन :—

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायगा ।

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाय वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोष मुक्ति होगा ।

श्री मधुकर दिघे—

मुझे यह संशोधन स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 33 के स्थान पर निम्न लिखित रख दिया जाय ।

अपराधों का शमन

33—(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए आयुक्त द्वारा अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा ।

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमन :—

(क) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजित नहीं किया जायगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायगा,

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोष-मुक्ति होगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 33, 34 से 38, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया) ।

लखनऊ :

12 जून, 1979

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1282पर)

संलग्नक सूची

मंत्रीगण की सूची जिन्होंने बंगले तो अध्यासित कर लिये हैं परन्तु अपने विधायक निवासों के कक्षों को रिक्त नहीं किया है ।

1—श्री नारायण सिंह, उप मुख्य मंत्री ।

2—श्री शिवानन्द नौटियाल, उच्च शिक्षा मंत्री ।

3—श्री त्रिलोक चन्द्र, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

4—श्री कैलाश नाथ सिंह, माध्यमिक शिक्षा मंत्री ।

5—श्री मलिखान सिंह, खाद्य मंत्री ।

मंत्री जी जिन्हें उनकी इच्छानुसार पार्क रोड पर एक भूमितल का फ्लैट आबंटित हैं परन्तु उसका अध्यासन न लेने के कारण उन्होंने अपने विधायक निवास का कक्ष रिक्त नहीं किया :

1—श्री मुहम्मद हलीम खां, पशु धन मंत्री ।

ऐसे मंत्रियों की सूची जिनको बंगले आबंटित तो हैं परन्तु उनको कब्जा नहीं मिल पाया, तदनुसार उन्होंने अपना विधायक निवास का कक्ष नहीं छोड़ा :—

1—श्री हरि कृष्ण श्रीवास्तव, खेलकूद मंत्री ।

2—श्री देवराम, होमगार्ड मंत्री ।

नत्थी 'ख'

(देखिए नियम 29 (4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ १२९८ पर)

परिशिष्ट

मांगें	स्थिति
1--मरेला मिल, अकबरपुर में जो कि फैजाबाद के बुनकरों के लिये स्टेपिल की बनी थी, और अब सूत बना रही है, उसमें स्टेपिल बनाने का तुरन्त आदेश दिया जाय	अकबरपुर मिल में देश में निर्मित स्टेपल फाइबर की कमी के कारण सूती धागे का उत्पादन किया जा रहा है। कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होने पर मिल में स्टेपल सूत का उत्पादन करना संभव होगा।
2--नैनी मिल, इलाहाबाद जब सरकार के नियंत्रण में नहीं थी तो उस समय उसमें 150 गांठ प्रतिदिन स्टेपल तैयार होती थी लेकिन जिस दिन से सरकार न उसका कार्यभार अपने हाथ में ले लिया है तब से सरकारी कर्मचारी मिल मालिकों से मिलकर दिन प्रतिदिन उसकी पैदावार घटाकर कम करते-करते आज केवल प्रतिदिन 40 गांठ की तैयारी रह गई है। और यही हाल रहा तो तो मालूम होता है कि तैयारी बिल्कुल बन्द कर देंगे इसलिए नैनी मिल, इलाहाबाद को तुरन्त आदेश करें कि 150 गांठ प्रतिदिन जो पहले तैयार होती थी, तैयार की जाय और कारपोरेशन का एक डिपो टान्डा में खोला जाय	यह कथन सही नहीं है कि भारत सरकार द्वारा मिल का प्रबन्ध लिए जाने के बाद उत्पादन घटकर 40 गांठ प्रति दिन रह गया है। चूंकि उत्पादन घटा नहीं है मिल को कोई निर्देश दिये जाने का प्रश्न उठता। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन को टांडा में एक सूत विक्रय केन्द्र खोलने हेतु विचार करने के लिए कहा गया है।
3--स्टेपल का भाव कम किया जाय और सन् 1976 में तय हुआ रेट यानी 75·00 रुपया प्रति बन्डल (5 किलो ग्राम) बेचने का आदेश दिया जाय और रंगों के निकल का रेट कम किया जाय	इस समय स्टेपल धागे के मूल्य तथा वितरण पर कोई ऐच्छिक या सांविधिक नियंत्रण नहीं है। भारत सरकार से मूल्य वृद्धि को रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के सिए अनुरोध किया गया है।
4--टान्डा की बेरोजगारी को दूर करने के लिए यहां पर तुरन्त एक कारखाना प्रिन्टिग एण्ड डाइंग और कलेन्डरिंग का खोला जाय	हथकरघा उद्योग को प्रोसेसिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खलीलाबाद (बस्ती) में एक प्रोसेसिंग हाउस की स्थापना की जा रही है जिससे टांडा क्षेत्र के बुनकरों को भी प्रोसेसिंग सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

मांगें	स्थिति
5—स्टेपल बनाने वाली सभी मिलों को आदेश दिया जाय कि वह बुनकरों के नुमायदा संस्था के हाथ ही केवल अपना माल बेचें और बीच के मुनाफा-खोरों को समाप्त करें ।]	प्रदेश में इस समय भारत सरकार की कम्पनी, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के प्रबन्धाधीन स्वदेशी काटन मिल, नैनी में ही स्टेपल यार्न बनाया जा रहा है। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (यू० पी०) लि० को इस मांग पर विचार करने हेतु लिखा गया है ।
6—पावरलूम उद्योग पर बिजली का रेट मार्च सन् 1978 के पहले 25 प्रतिशत प्रति यूनिट था जिसको अप्रैल, 1978 से 31 पैसा प्रति यूनिट कर दिया गया है । यानी 24 प्रतिशत दाम बढ़ा दिया गया है जिससे पावरलूम उद्योग बहुत ही नुकसान में चल रहा है । अतः पावरलूम उद्योग के लिए वही पुराना रेट 25 पैसे प्रति यूनिट किया जाय और पावरलूम का अलग से किसानों की तरह शेड्यूल्ड बनाया जाय ।	इस सम्बन्ध में राज्य विद्युत् परिषद् से जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1319 पर)

प्राप्त सूचना के अनुसार 1 जुलाई, 1977 से 25 अप्रैल, 1979 तक साम्प्रदायिक दंगों की मांगी गयी सूचना—

जिला	दंगों की संख्या	मृतकों की संख्या	क्षति
1	2	3	4
1—लखनऊ	1	..	..
2—आगरा	1	..	..
3—सुल्तानपुर	1	..	..
4—प्रतापगढ़	1	..	50·00
5—जालौन	1	1	..
6—इटावा	1	..	400·00
7—रामपुर	1	..	150·00
8—हरदोई	1	..	..
9—बलिया	1	..	..
10—बुलन्दशहर	1	..	..
11—आजमगढ़	1	1	..
12—बिजनौर	1	..	1,06,150·00
13—कानपुर	5	3	..
14—इलाहाबाद	2	2	..
15—मुरादाबाद	2	20	17,49,280·00 (सम्भल)
16—मेरठ	2	..	..
17—अलीगढ़	2	33	5,16,300·00
18—बरेली	3	2	1,400·00
19—वाराणसी	3	10	15,36,276·00
20—गोण्डा	3	1	..
योग	.. 34	73	39,10,006·00

नत्थी 'घ'

(देखिए अल्तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1324 पर)

सूची (क)

हीवेट पालीटेक्निक, महानगर, लखनऊ

सत्र 1978–79 में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण जिन छात्रों ने ट्रेड परिवर्तन हेतु आवेदन-पत्र दिये उनकी सूची :—

क्रमांक	छात्र का नाम
	सर्वश्री—
1	शचीन्द्र मिश्र
2	चन्द्र प्रकाश शर्मा
3	अनिल कुमार श्रीवास्तव
4	अजय कुमार दीक्षित
5	आनन्द प्रकाश
6	अब्दुल कय्यूम
7	अतुल कुमार श्रीवास्तव
8	अजय कुमार अग्निहोत्री
9	अनिल कुमार श्रीवास्तव
10	अशोक कुमार
11	अब्दुल्ला
12	ज्ञानेन्द्र शंकर
13	किफायत उल्ला खां
14	गिरीश कुमार पाण्डेय
15	ओम प्रकाश पाण्डेय
16	अतर सिंह
17	करुणा शंकर गुप्त
18	कुमुद कुमार मिश्र
19	रशीद अहमद खां
20	अनिल कुमार
21	गिरीश कुमार
22	शहीद जमाल

क्रम-संख्या	छात्र का नाम
	सर्वश्री--
23	मोहम्मद नसीर उल्ला
24	सुहेल जमाल
25	राकेश कुमार गुप्त
26	कुलदीप कुमार गोयल
27	किशोर कुमार खन्ना
28	विजय पाल सिंह
29	विजय बहादुर श्रीवास्तव
30	राकेश बहादुर सिंह
31	रमेश चन्द्र पांडे
32	सुभाष चन्द्र शुक्ल
33	रजनीकान्त श्रीवास्तव
34	विजय कुमार शुक्ला
35	प्रमोद कुमार पांडे
36	चन्द्र प्रकाश
37	उमेश अग्निहोत्री
38	अखिलेश चन्द्र खरे
39	विमल कुमार
40	मुहम्मद किजुवेद किदवई
41	ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव
42	रफी उल्ला
43	राकेश अग्निहोत्री
44	अरविन्द कुमार
45	अब्दुल बारी
46	श्री सैय्यद मुहम्मद जावेद
47	राजकुमार

क्रम-संख्या	छात्र का नाम
	सर्वश्री---
48	सुनील कुमार श्रीवास्तव
49	देवेन्द्र कुमार
50	रामकुमार
51	अशोक कुमार बालमीकि
52	विनोद कुमार
53	दिनेश बाबू
54	विकार अहमद
55	मुकेश कुमार
56	देव रतन सिंह
57	चन्द्र धूसिया
58	राजीव कुमार श्रीवास्तव
59	मुनेश्वर चन्द्र गुप्त
60	राम शिरोमणि मिश्र

सूची (ख)

हीवेट पालीटेकिनिक, महानगर, लखनऊ

वर्ष 78–79 में जिन 23 छात्रों को ट्रेड परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है, की सूची :—

क्रमांक	छात्र का नाम
1	सचीन्द्र मिश्र
2	चन्द्र प्रकाश शर्मा
3	अनिल कुमार श्रीवास्तव
4	अजय कुमार दीक्षित
5	आनन्द प्रकाश
6	अब्दूल कय्यूम
7	अतुल कुमार श्रीवास्तव
8	अजय कुमार अग्निहोत्री
9	अनिल कुमार श्रीवास्तव
10	अशोक कुमार
11	अब्दुल्ला
12	ज्ञानेन्द्र शंकर
13	किफायत उल्ला खां
14	गिरीश कुमार पांडे
15	ओम प्रकाश पांडे
16	अतर सिंह
17	गिरीश कुमार
18	रसीद अहमद खां
19	शाहिद जमाल
20	सुहेल कमाल
21	राजीव कुमार श्रीवास्तव
22	मुनीश्वर चन्द्र गुप्ता
23	राम शिरोमणि मिश्र

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1331 पर)

निगम में दिनांक 30 अप्रैल, 1979 तक स्वीकृत तथा भरे पदों की सूची

पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
प्रशासकीय विभाग	रु०				
1—जनरल मैनेजर, (मैनेजर प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन)	2200–2500	1	. .	1	यह पद दिनांक 14–5–1979 से भरा गया है
2—कम्पनी सचिव	1400–1800	1	1	..	
3—एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर	800–1450	1	..	1	
4—सेक्शन आफिसर	500–1000	1	1	.	
5—एकाउन्टेन्ट	450–950	1	1	..	
6—आफिस असिस्टेन्ट	400–750	1	1	..	
7—आफिस असिस्टेन्ट	350–700	1	..	1	
8—आशुलिपिक	350–700	5	3	2	
9—क्लर्क–कम–टाइपिस्ट	280–460	5	5	.	
10—स्टोर सहायक	250–425	1	..	1	नियुक्ति कर दी गयी है परन्तु अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ।
11—ड्राइवर	185–265	2	2	..	

1	2	3	4	5	6
12—साइक्लोस्टाइल मशीन आपरेटर	170–225	1	1	..	
13—चौकीदार	165–215	1	1	..	
14—आफिस हेल्पर	165–215	4	3	1	दैनिक वेतन पर 3 कार्य कर रहे हैं और 1 दिनांक 22–9–79 से कार्य कर रहा है ।
15—स्वीपर	165–215	1	1	..	
		27	20	7	
तकनीकी विभाग					
1—डायरेक्टर, कम्प्यूटर सेन्टर	2250–2750	1	..	1	पद विज्ञापित किया जा चुका है एवं चयन सम्बन्धी प्रक्रिया की जा रही है ।
2—इंडस्ट्रियल प्लानर	2200–2500	1	1	..	
3—रीजनल इकोनामिस्ट	2200–2500	1	1	..	
4—एडवाइजर, प्रोजेक्ट प्लानिंग एण्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट	2200–2500	1	1	..	
5—डेवलपमेन्ट प्लानर	2200–2500	1	..	1	पद विज्ञापित ।
6—एडवाइजर फार फाइनेन्शियल मैनेजमेंट एण्ड कारपोरेट प्लानिंग	2200–2500	1	..	1	पद विज्ञापित ।
7—एक्सपर्ट मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम	1800–2300	1	1	..	मैनेजर प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप 14–5–79 से रिक्त ।

1	2	3	4	5	6
8—एक्सपर्ट इन आपरेशन रिसर्च एण्ड सिस्टम्स एनालिसिस	1800–2300	1	1	..	
9—एक्सपर्ट इन इन्वेन्टी कन्ट्रोल एण्ड मैटी–रियल्स मैनेजमेन्ट	1800–2300	1	1	..	
10— चीफ सिस्टम्स एना–लिस्ट	1800–2300	1	..	1	पद विज्ञापित।
11—एक्सपर्ट इन प्राइसिंग एण्ड कास्ट कन्ट्रोल	1800–2300	1	..	1	पद विज्ञापित।
12—स्टेटिस्टिकल कन्सलटेन्ट	1150–1700	1	1	..	
13—मैनेजमेन्ट ट्रेनी	1400 नियत	6	2	4	पद विज्ञापित।
14—जूनियर प्लानर	900 नियत	1	1	..	26–5–79 से पद समाप्त ।
15—आर्किटेक्ट	1100–1600	1	..	1	पद विज्ञापित किया जा रहा है ।
16—प्रोजेक्ट इंजीनियर	प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायगा	1	..	1	
17—जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर (सिविल)	500–1000	4	..	4	पद विज्ञापित किया जा रहा है ।
18—ड्राफ्टमैन (सिविल/मेकैनिकल)	280–460	1	..	1	
19—फील्ड आफिसर	450–850	1	1	.	
20—सहायक फील्ड आफिसर	350–700	2	2	..	
21—फील्ड इन्वेस्टीगेटर	350–700	2	2	..	
22—फील्ड आफिसर	प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायगा	2	..	2	
23—सहायक फील्ड इन्वेस्टीगेटर	प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायगा	6	..	..	
		39	15	24	
कुल योग	..	66	35	31	

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1334 पर)

उक्त मेले पर कुल धनराशि रु० 18,85,294·00 का व्यय हुआ था, जिसका मदवार व्यय व विवरण निम्न प्रकार है :—

	रु०
1—सिविल एण्ड इलेक्ट्रिकल वर्क्स, हार्टीकल्चर, फोटोग्राफिक, आर्चीटेक्ट फीस :—	
(अ) मे० जे० के० कंस्ट्रक्शन एण्ड कं०, नई दिल्ली को भुगतान की गई धनराशि . .	11,51,270·15
(ब) अन्य छोटे ठेकेदारों को कोटेशन के आधार पर कार्य करने पर भुगतान की गई धनराशि	45,451·00
(स) हार्टीकल्चर विभाग द्वारा कराये गये कार्य पर भुगतान की गई धनराशि	14,511·90
(द) आर्कीटेक्ट फीस 5 प्रतिशत की दर से (रु० 11,51,270·15)	57,565·51
(य) फोटोग्राफिक एवं ग्रामिक्स	46,729·00
2—मण्डप एवं कैम्प कार्यालय का किराया :—	
(अ) मण्डप का किराया	2,24,400·00
(ब) कैम्प कार्यालय का किराया	1,500·00
3—प्रदर्शनी अवधि में मण्डप के रख-रखाव पर व्यय :— . .	2,49,474·83
(जैसे दूरभाष, गर्ल्स गाइर्डस, प्रचार, विद्युत, पानी, बीमा, पेट्रोल, गाड़ियों की मरम्मत एवं अन्य विविध व्यय)	
4—यातायात एवं यात्रा भत्ता पर होने वाला व्यय	54,438·[illegible]
5—उ० प्र० दिवस मनाये जाने पर होने बाला व्यय	39,955·00
कुल योग . .	18,85,294·00

बी० एस० यू० पी०—14 वि० सभा—1979—835—(पी० डी०)।